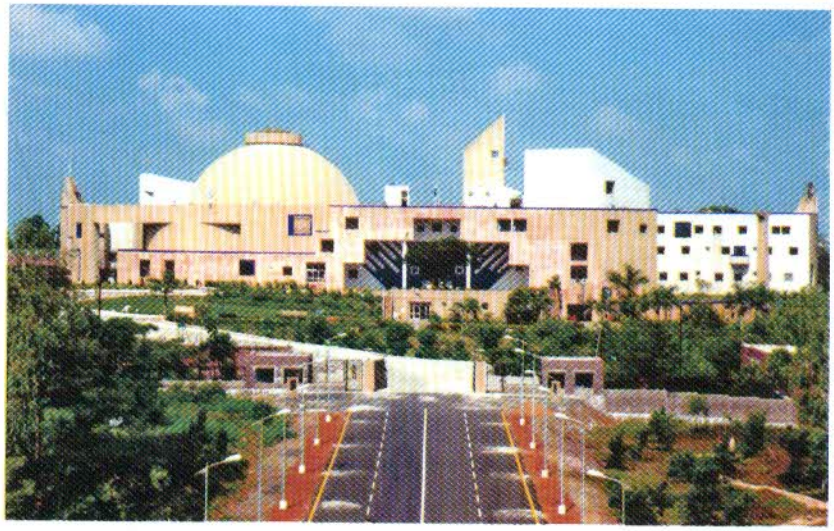
# भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन

# सिविल

## 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष

रिपोर्ट संख्या-2



# मध्य प्रदेश सरकार

---

www.cag.gov.in

# विषय सूची


| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| प्राक्कथन | | ix |
| विहंगावलोकन | | xi |
| **पहला अध्याय** | | |
| **निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| **योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग** | | |
| मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना | 1.1 | 1 |
| **जल संसाधन विभाग** | | |
| बाणसागर परियोजना इकाई-II नहरों का निर्माण | 1.2 | 15 |
| मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना | 1.3 | 41 |
| **दूसरा अध्याय** | | |
| ***लेनदेन लेखापरीक्षा*** | | |
| **कपट/ गबन /हानियां** | **2.1** | |
| **आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग** | | |
| शासकीय धन का संदिग्ध गबन/दुर्विनियोग | 2.1.1 | 65 |
| **चिकित्सा शिक्षा विभाग** | | |
| सेवा प्रभारों का गबन | 2.1.2 | 67 |
| **पशुपालन विभाग** | | |
| हितग्राहियों को प्रशिक्षण न देने के कारण हानि | 2.1.3 | 68 |
| **उच्च शिक्षा विभाग** | | |
| संशोधित फीस संरचना अनुसार फीस वसूली न करने के परिणामस्वरूप हानि | 2.1.4 | 69 |
| **श्रम विभाग** | | |
| उपकर की वसूली न किए जाने के कारण हानि | 2.1.5 | 70 |

| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** | | |
| दवाईयों का कालातीत दिनांक से पूर्व उपयोग न करने से हानि | 2.1.6 | 72 |
| **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग** | | |
| बैंक की निर्धनता के कारण हानि | 2.1.7 | 73 |
| **जल संसाधन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग** | | |
| ठेकेदारों द्वारा जाली सावधि जमा रसीदों का प्रस्तुतीकरण | 2.1.8 | 74 |
| **अधिक/अपव्यय/निष्फल/अलाभकारी व्यय** | **2.2** | |
| **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** | | |
| डिसप्ले मीडियम सह मोबाइल चार्जर इकाइयों का अनियमित क्रय तथा अलाभकारी व्यय | 2.2.1 | 77 |
| **लोक निर्माण विभाग** | | |
| अतिरिक्त कार्य पर अनधिकृत व्यय | 2.2.2 | 78 |
| **संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय** | **2.3** | |
| **संस्कृति विभाग** | | |
| विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय | 2.3.1 | 79 |
| **चिकित्सा शिक्षा विभाग** | | |
| संविदा माँग में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय | 2.3.2 | 81 |
| **नर्मदा घाटी विकास विभाग** | | |
| अतिरिक्त मदों के लिए त्रुटिपूर्ण दरों के निर्धारण के कारण अधिक भुगतान | 2.3.3 | 82 |
| **जल संसाधन विभाग** | | |
| अस्वीकार्य भुगतान | 2.3.4 | 84 |
| एक ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता | 2.3.5 | 86 |
| एक ठेकेदार को संदेहास्पद एवं त्रुटिपूर्ण मापों पर भुगतान | 2.3.6 | 87 |

| विवरण | कंडिका | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| संविदागत प्रावधानों के उल्लंघन में एक चूककर्ता ठेकेदार को जमाराशियों की अनियमित वापसी एवं भुगतान | 2.3.7 | 89 |
| **निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का निरूद्ध होना/उपकरणों के प्रवर्तन में विलंब/निधियों का व्यपवर्तन** | **2.4** | |
| **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** | | |
| नैदानिक केन्द्र की स्थापना पर निष्क्रिय व्यय | 2.4.1 | 90 |
| **जल संसाधन विभाग** | | |
| निष्क्रिय निवेश एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली न होना | 2.4.2 | 91 |
| **विनियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु** | **2.5** | |
| **वन विभाग** | | |
| नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की वसूली न करना/कम करना | 2.5.1 | 93 |
| **सामान्य** | | |
| उत्तरदायित्व का निर्धारण करने और सरकार के हितों की सुरक्षा करने में विफलता | 2.5.2 | 94 |
| **तीसरा अध्याय** | | |
| **एकीकृत लेखा परीक्षा तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित [illegible]** | | |
| **किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग** | | |
| किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की एकीकृत लेखा परीक्षा | 3.1 | 97 |
| **पशुपालन विभाग** | | |
| पशुपालन विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा | 3.2 | 133 |

## परिशिष्ट


| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1.1 | चयनित जिलों और क्रियान्वयन एजेन्सियों की सूची | 163 |
| 1.2 | एजेंसियों के पास अप्रयुक्त राशि का विवरण | 165 |
| 1.3 | बाणसागर परियोजना का संगठन आरेख | 170 |
| 1.4 | प्राक्कलनों के त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किए जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 171 |
| 1.5 | समीक्षा समिति के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकनों का सारांश | 172 |
| 1.6 | माइल्ड स्टील पाईपों के क्रय में अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 173 |
| 1.7 | माइल्ड स्टील पैदलपुलों का क्रय दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 175 |
| 1.8 | मुक्त की गई बयाना राशि/निष्पादन प्रतिभूति जमा का विवरण पत्रक | 176 |
| 1.9 | प्रतिभूति जमा का परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 178 |
| 1.10 | मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत परियोजना कछार दर्शाने वाला मानचित्र | 179 |
| 1.11 | मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना का संगठन आरेख | 180 |
| 1.12 | कछारों एवं संभागों के चयन का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 181 |
| 1.13 | (अ) सलाहकारों की नियुक्ति में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 183 |
| | (ब) एजेंसी नियत न किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 184 |
| 1.14 | कोर टेस्ट न संचालित किए जाने के लिए अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 185 |
| 1.15 | कार्य को अनियमित रूप से सौंपे जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 186 |
| 1.16 | असंतुलित बोलियों के लिए निष्पादन प्रतिभूति की कम प्राप्तियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 187 |
| 1.17 | बीमा का कवरेज न होना / कम होना | 188 |

| क्रम संख्या | विवरण | |
|---|---|---|
| 1.18 | निर्धारित क्षतिपूर्ति के अधिरोपण न होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 189 |
| 1.19 | ओ.पी.सी.43 ग्रेड सीमेंट के स्थान पर पी.पी.सी. के उपयोग के लिए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 190 |
| 1.20 | एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के क्रियान्वयन पर विश्व बैंक टीम के अवलोकन | 191 |
| 2.1 | रेडियो डायग्नोसिस विभाग की जनवरी 2004 से मार्च 2008 तक की प्राप्तियों का विवरण पत्रक | 192 |
| 2.2 | डिसप्ले मीडीयम सह मोबाईल चार्जर इकाईयों की मार्च 2010 की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक | 193 |
| 2.3 | कम पावर फेक्टर तथा अतिरिक्त मांग प्रभार पर परिहार्य भुगतान ₹ 54.59 लाख | 194 |
| 2.4 | कम पावर फेक्टर दण्ड पर परिहार्य भुगतान दर्शानें वाला पत्रक | 197 |
| 2.5 | मिट्टी कार्य की मद एवं लीड के भुगतान के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची में समाविष्ट प्रावधान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 201 |
| 2.6 | वसूल न किए गए मशीनरी अग्रिम पर ब्याज वसूल नहीं किए जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 202 |
| 2.7 | अतिरिक्त प्रतिभूति जमा एवं प्रतिभूति जमा को राजसात न किए जाने के कारण शासन को हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 203 |
| 2.8 | अवधिवर्धित अवधि के लिए मूल्य वृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक | 203 |
| 2.9 | गवलान पुल की प्राक्कलित मात्राओं, निविदित मात्राओं एवं निष्पादित मात्राओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 204 |
| 2.10 | असंतुलित मदों की पूर्ण उद्धृत दरों पर अनधिकृत भुगतान के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक | 204 |
| 2.11 | 30 जून 2010 को विभिन्न विभागो के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा कंडिकाए दर्शाने वाला पत्रक | 205 |
| 2.12 | परिशिष्ट 2.11 में दर्शाये गये विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति दर्शाने वाला पत्रक | 207 |

| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 2.13 | विभिन्न निर्माण एवं वन विभाग के 30 जून 2010 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शानेवाला विवरण पत्रक | 207 |
| 2.14 | परिशिष्ट 2.13 में दर्शाए गए विभागों के बारे में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति दर्शानेवाला विवरण पत्रक | 208 |
| 2.15 | आडिट रिपोर्ट कंडिकाओं/समीक्षाओं की संख्या जिन पर 31 अगस्त 2010 तक वांछित विभागीय उत्तरों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक | 208 |
| 2.16 | आडिट रिपोर्ट कंडिकाओं/समीक्षाओं की संख्या जिन पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर अगस्त 2010 तक विभागीय कार्यवाही की टिप्पणियाँ (ए.टी.एन) लंबित थी की वर्षवार तथा विभाग वार स्थिति दर्शाने वाला पत्रक | 209 |
| 3.1 | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना | 211 |
| 3.2 | बीजों की प्राप्ति, उत्पादन एवं वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाता विवरण पत्रक | 212 |
| 3.3 | प्रदर्शनों के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाता विवरण पत्रक | 214 |
| 3.4 | आत्मा (ए.टी.एम.ए.) के अन्तर्गत लक्ष्य, उपल्बिध एवं मुख्य क्रियाकलापों में कमी दर्शाता विवरण पत्रक | 215 |
| 3.5 | नमूनों के लिये गये लक्ष्य, वास्तविक लिये गये एवं किया गया विश्लेषण को दर्शाता विवरण पत्रक | 216 |
| 3.6 | अमानक कृषि आदानों का विवरण पत्रक | 217 |
| 3.7 | मिट्टी के नमूनों का संकलन तथा विश्लेषण के विषय में लक्ष्य तथा उपलब्धि | 218 |
| 3.8 | स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कर्मचारी | 219 |
| 3.9 | अधिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय | 222 |
| 3.10 | पशुपालन विभाग में लागू अधिनियम/नियम एवं आदेशों को दर्शानेवाला विवरणपत्रक | 226 |
| 3.11 | पशुपालन विभाग मे क्रियान्वित योजनाओं की सूची | 227 |
| 3.12 | चयनित ईकाइयों की सूची | 228 |
| 3.13 | बजटीय नियंत्रण के अभाव को दर्शानेवाला विवरण पत्रक | 229 |

| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 3.14 | निधियों का जमा दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 230 |
| 3.15 | हितग्राहीमूलक योजना को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 231 |
| 3.16 | वर्ष 2007-10 के दौरान बिना व्ही.ए.एस/ए.व्ही.एफ.ओ के चल रहे चिकित्सालय एंव पशुऔषधालय को दर्शानेवाला विवरणपत्रक | 232 |
| 3.17 | वर्ष 2007-10 के दौरान स्ट्रा के अपव्यय के कारण अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 233 |

# प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. अध्याय-एक में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा जल संसाधन विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख किया गया है। अध्याय-दो में पशुपालन, संस्कृति, वन, उच्च शिक्षा, श्रम, चिकित्सा शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा जल संसाधन विभागों की लेन-देन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है। अध्याय-तीन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा तथा पशुपालन विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा का उल्लेख है।

3. (क) राज्य सरकार के वित्त पर अभ्युक्तियों (ख) सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों तथा (ग) राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों के वर्णन वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

4. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2009-10 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया गया था। 2009-10 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथा स्थान आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं ।

# विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सरकार के चयनित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के साथ-साथ वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के विवरण वाली पाँच समीक्षाओं तथा 21 कंडिकाओं से युक्त तीन अध्याय शामिल किये गये हैं ।

यह लेखापरीक्षा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिये निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है । लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धतियों के आधार पर तथा विवेचना के आधार पर निकाले गये हैं । कार्यक्रमों, योजनाओं के लिये अपनायी गयी विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का उल्लेख समीक्षाओं में किया गया है । लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सरकार के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुये तैयार किये गये हैं तथा अनुशंसायें की गई हैं।

महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:-

### *1. मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना*

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना जुलाई 1994 में विधायकों की अनुशंसाओं पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्य कराने के उद्देश्य के साथ प्रांरभ की गई थी। मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में देखा गया कि योजना के कार्यान्वयन के लिये प्लानिंग प्रभावशाली नहीं थी। राशि ₹ 151.49 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अनुपयोगित रहे। 668 पूर्ण कार्यों से संबंधित शेष राशि ₹ 96.29 लाख क्रियान्वयन एजेंसियों से वापस नहीं ली जा सकी । नमूना जांच किये गये 12 जिलों में से 11 जिलों में 717 कार्य लागत 10.62 करोड़ अपूर्ण रहें। नमूना जाँच किये गये 12 जिलों में से छः जिलों में 111 कार्य विवादित स्थलों के चयन के कारण प्रारंभ नहीं हो सके । नमूना जांच किये गये 12 जिलों में से सात जिलों में 2,828 कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त होना शेष थे। योजनांतर्गत कराये गये कार्यों की प्रगति पर ध्यान रखने के लिये विधायकों और कार्यान्वयन अधिकारियों के साथ त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से नहीं की गई । डाटा बेस एवं परिसम्पत्ति पंजियां संधारित न किये जाने के कारण जिला स्तर पर कराये गये कार्यों के संबंध में जनता बहुतयः अनभिज्ञ रहीं ।

***(कंडिका 1.1)***

### *2. बाणसागर परियोजना इकाई-II नहरों का निर्माण*

बाण सागर परियोजना इकाई-II नहरों के निर्माण का उद्देश्य, राज्य में 1463.70 कि.मी. लम्बे नहर नेटवर्क के माध्यम से 2.49 लाख हे. में सिंचाई प्रदान करने का था । परियोजना ₹ 10.06 करोड़ की लागत पर 1987 तक पूर्ण करने हेतु प्रारंभ की गई (1979)।

बाण सागर परियोजना इकाई-II नहरों का निर्माण की एक निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुपयुक्त आयोजना, परिहार्य व्यय (₹ 6.67 करोड़), एक सीमेंट निर्माण करने वाली कंपनी को अनुचित

लाभ (₹ 7.23 करोड़), खुली निविदाएं आमंत्रित किए बिना प्रदाय आदेश का सौंपा जाना (₹ 57.89 करोड़) एवं शासकीय धन का अवरोध (₹ 4.02 करोड़) प्रकट हुए। माइल्ड स्टील पाईपों के उच्चतर दरों पर क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 16.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पैदल पुलों के स्थान पर 1,648 माइल्ड स्टील पैदल पुलों के उच्चतर दर पर क्रय किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई । अनुपयुक्त ठेका प्रबंधन के कारण ठेकेदारों को ₹ 6.11 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ । ₹ 2.10 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति एवं ₹ 1.10 करोड़ के प्रतिभूति जमा ठेकेदारों को कार्य पूर्ण होने से पूर्व मुक्त किए गए । मार्च 2010 तक ₹ 960.01 करोड़ व्यय करने के बाद भी मात्र 911.51 कि.मी. (परिकल्पित 1463.70 कि.मी. के विरूद्ध) नहर नेटवर्क पूर्ण हुआ था । 123634 हे. के पुनरीक्षित लक्ष्य के विरूद्ध 81,701 हे. सिंचाई क्षमता विकसित की गई । तथापि 2005 से 2010 तक वास्तविक सिंचाई लक्ष्य से 4.19 से 15.67 प्रतिशत तक कम थी ।

***(कंडिका 1.2)***

### 3. *मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना*

मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) द्वारा मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) प्रारंभ (मई 2004) की गई थी । परियोजना, लगभग 6.20 लाख हे. विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करते हुए पाँच नदी कछारों में 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण हेतु उद्देश्यित थी । एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के लिए जल संसाधन विभाग ने विश्व बैंक से ₹ 1919 करोड़ का एक ऋण प्राप्त किया था।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि भौतिक एवं वित्तीय दोनों ही कार्यान्वयन की प्रगति अत्यंत धीमी थी । परियोजना अवधि के छह वर्षों में से पाँच वर्षों में (2005-2010) परियोजना लागत के ₹ 1,919 करोड़ में से मात्र ₹ 688.25 करोड़ (38 प्रतिशत) व्यय किए गए थे । निधियों का उपयोग न होने के कारण ₹ 8.26 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों का परिहार्य उत्तरदायित्व हुआ । परियोजना के लिए, चिह्नांकित 654 योजनाओं में से मात्र 100 योजनाएं प्रारंभ की गई थीं । इनमें से पाँच वर्षों में मात्र नौ योजनाएं पूर्ण हुई थी । 6.20 लाख हे. की लक्षित सिंचाई के विरूद्ध मात्र 69,286 हे. (यथा 11.17 प्रतिशत) की क्षमता सृजित की गई थी । सलाहकारों की विलंब से नियुक्ति, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन, आई.टी. प्रणाली के अक्षम कार्यान्वयन इत्यादि परियोजना के धीमे कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी थे । कंक्रीट के अनिवार्य परीक्षण न संचालित किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 26.65 करोड़ का अनियमित भुगतान; ₹ 57.51 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा प्राप्त न किए जाने से ठेकेदारों को अनुचित अनुग्रह; निविदाओं के आमंत्रण के बिना कार्यों को अनियमित रूप से सौंपे जाने के कारण ₹ एक करोड़ की अतिरिक्त लागत एवं ठेकेदारों से ₹ 20.93 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना इत्यादि भी लेखापरीक्षा में अवलोकित हुए थे ।

***(कंडिका 1.3)***

### 4. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग 14 राज्य योजनाये तथा 19 केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें जिनका उद्देश्य सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने के लिये लागू करता है। विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा में अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण, खराब कार्यात्मक तथा गुणवत्ता नियंत्रण, चल सम्पत्ति नियंत्रण में कमी तथा आन्तरिक नियंत्रण पद्धति में कमी पाई गई। वर्ष 2005-10 के दौरान सतत बचतें 19 से 40 प्रतिशत के बीच थी। मूल बजट प्रावधानों के ₹ 40.78 करोड़ उपयोग नहीं किये गये तथा ₹ 42.35 करोड़ के अनुपूरक बजट प्रावधान अनावश्यक साबित हुए। विभिन्न योजनाओं से संबंधित राशि ₹ 133.09 करोड़ विभिन्न स्तरो पर बैंक खातों में पड़े हुए थे जो कि नकद प्रबन्धन की कमी को दर्शाता है।

दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनाज तथा तिलहन उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। किसानों को पुरानी किस्म के बीजों का वितरण किया गया जिस पर छूट का भुगतान भी किया गय। क्षेत्र अधिकारियों ने आधार/प्रमाणित बीजों तथा बीज मिनीकिटस का निर्धारित दिनांको से पहले वितरण सुनिश्चित नहीं किया। क्षेत्र प्रदर्शन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। शासकीय कृषि फार्मो का क्रियान्वयन खराब था तथा उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। खेत ताल तथा बलराम ताल के निर्माण पर किया व्यय ₹ 5.06 करोड़ निष्फल रहा क्योंकि किसानों ने कार्य अपूर्ण छोड़े तथा निर्धारित निर्माण मानकों को नहीं अपनाया गया।

किसानों को अमानक बीज, खाद तथा कीटनाशक बेचे गये जिनका उत्पादन पर खराब असर पड़ा। किसानों को उपलब्ध कराई गयी खाद में नाइट्रोजन, फासफेट तथा पोटैशियम की खपत का अनुपात 4:2:1 नहीं रखा गया। गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला, मिट्टी जांच प्रयोगशाला, मिट्टी सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण का क्रियान्वयन, निर्धारित लक्ष्यो से काफी कम था। मानव शक्ति की आवश्यकता तथा पदस्थापना का कोई वैज्ञनिक आंकलन नहीं था आन्तरिक लेखापरीक्षण अपर्याप्त तथा अप्रभावी था। निगरानी असन्तोषजनक थी क्योंकि निर्धारित विभागीय निरीक्षण नहीं किये गये तथा जिला स्तरीय समितियाँ क्रियाशील नहीं थी।

***(कंडिका 3.1)***

### 5. पशुपालन विभाग की मुख्य नियत्रंण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग राज्य मे पशु सम्पदा के बहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी है। मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में पाया गया कि सटीक ऑकड़ों, सर्वेक्षण, उपलब्ध संसाधनों एवं वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन किये बिना योजना (प्लान्स) तदर्थ आधार पर तैयार की गई। वर्ष 2007-10 के दौरान राजस्व एव पूजींगत व्यय का अनुपात 26:1 एव 725:1 के मध्य रहा। वित्तीय प्रबन्धन में दूरदर्शिता की कमी से अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान, समर्पण, राशियों का जमा रखना, राशियों का व्यपवर्तन तथा वर्ष के अन्त मे व्यय की अधिकता आदि हुआ। कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि में 13 से 18 प्रतिशत तथा कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन में आठ से 23 प्रतिशत की

कमी रही । लक्ष्यों में कमी की गई तथा अत्यधिक राशियां समर्पित की गई अथवा बैंको में अनुपयोगी पड़ी रही । पशुधन का वितरण लक्ष्यो से कम रहा। पशु प्रक्षेत्र हानि मे चल रहे थे क्योंकि अण्डा तथा ऊन उत्पादन मे अत्यधिक कमी आई । अपेक्षित 5813 पशुचिकित्सा केन्द्रो की तुलना में केवल 2346 केन्द्र क्रियाशील थे । पशु चिकित्सालय बिना चिकित्सक के कार्य कर रहे थे। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में अल्फा टाक्सिन, यूरिया, खनिज मिश्रण के मापन एंव स्वचलित विश्लेषण की सुविधा नही थी। दुग्ध गुणवत्ता नियत्रंण प्रयोगशाला एवं जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्तर-II की स्थापना नही की गई । पशु चिकित्सा अधिकारी एंव सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण मे 45 एवं 72 प्रतिशत के मध्य कमी रही। राशि ₹ 1.30 करोड़ की अनुपयोगी सामग्रियां 20 वर्षो तक की अवधि से निराकरण हेतु लम्बित है । पशु चिकित्सा एवं जैविक उत्पादन संस्थान बिना लाइसेंस के वर्ष 2002 से चलाया जा रहा था । मानव संसाधन प्रबंधन सन्तोषजनक नही था, एवं 17 से 41 प्रतिशत की कमी थी। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा प्रभावी नही थी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण नही किये जा रहे थें।

***(कंडिका 3.2)***

## 6. *लेन-देनों की लेखापरीक्षा*

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा उनकी क्षेत्र इकाईयों के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा से ₹ 34.34 करोड़ की हानियों, निरर्थक/अधिक व्यय, परिहार्य व्यय एवं अन्य अनियमितताओं के उदाहरण प्रकट हुये।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल के कार्यालय में संहितागत प्रावधानों तथा शासकीय आदेशों के पालन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ का गबन/दुर्विनियोग करने में सुविधा हुई।

***(कंडिका 2.1.1)***

अभिलेखों में कपटपूर्ण काट छाँट सह सुपरवीजन की कमी के परिणामस्वरूप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में ₹ 12.32 लाख का संभावित गबन हुआ।

***(कंडिका 2.1.2)***

पेंच व्यपवर्तन परियोजना, जल संसाधन विभाग, चौरई में एक ठेकेदार ने ₹ 107 करोड़ मूल्य का एक ठेका प्राप्त करने के लिए बयाना राशि जमा के ₹ 47 लाख की एक जाली सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) प्रस्तुत की । इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों में, अशोकनगर जिले में, एक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई जाली एफ.डी.आर. के विरूद्ध प्रतिभूति जमा मुक्त करने एवं ठेकेदार की अन्य देयताओं को वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ की हानि हुई ।

***(कंडिका 2.1.8)***

वातानुकूलन हेतु शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में विद्युत आपूर्ति के लिए उच्च संविदा माँग हेतु अनुबंध निष्पादन तथा संविदा माँग घटाने में विलम्ब तथा इसके अतिरिक्त औसत मासिक पावर फेक्टर को संधारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य संग्रहालय भोपाल द्वारा ₹ 54.59 लाख का विद्युत प्रभारो पर परिहार्य व्यय किया।

***(कंडिका 2.3.1)***

जल संसाधन विभाग में, शासकीय स्वीकृति एवं नहरों में निष्क्रिय जल संग्रहण को पंप करने हेतु प्रावधानित एक अनुबंध के उल्लंघन में, सामान्य गुरूत्वीय प्रवाह योग्य क्रियाशील संग्रहण के 228 मिलियन घनफीट पानी को पंप करने के कारण एक ठेकेदार को ₹ 1.31 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ ।

***(कंडिका 2.3.4)***

जल संसाधन विभाग में, ₹ 2.83 करोड़ की राजसात करने योग्य राशि की एक चूककर्ता ठेकेदार को अनियमित वापसी के परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई।

***(कंडिका 2.3.7)***

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नैदानिक केन्द्र की स्थापना के लिये गलत स्थान के चयन तथा आवश्यक अमले का प्रावधान न करने के फलस्वरूप भवन एवं उपकरणों पर ₹ 1.98 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

***(कंडिका 2.4.1)***

# पहला अध्याय
## निष्पादन लेखापरीक्षा

# पहला अध्याय

# निष्पादन लेखापरीक्षा

# योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

## 1.1 मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

*मुख्यांश*

*मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई 1994 में मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य लिये गये । योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2005-10 के दौरान पाया गया कि बडी संख्या में कार्य अपूर्ण पड़े थे, परिसंपत्ति पंजियां संधारित नहीं थीं, संबंधित विभागों/एजेंसियों को पूर्ण कार्यों के हस्तांतरण का विवरण उपलब्ध नहीं था, कार्यों के नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किये गये और पर्याप्त निगरानी नहीं की गई थी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मासिक आय व्यय पत्रक और कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।*

*निष्पादन समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैः-*

**जिला योजना अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 18.60 करोड़ विमुक्त नहीं किये गये । कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में 37 से 980 दिन का विलम्ब था।**

*(कंडिकाएं 1.1.7.2 और 1.1.7.3)*

**जिला योजना अधिकारी भिण्ड द्वारा ₹ 1.93 करोड़ व्यक्तिगत जमा खाते में अनियमित रूप से अवरूद्ध रखे गये । 668 पूर्ण कार्यों से संबधित कुल शेष राशि ₹ 96.29 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी हुई थी ।**

*(कंडिकाएं 1.1.7.4 और 1.1.7.5)*

**68,728 स्वीकृत कार्यों में से 55,953 कार्य पूर्ण किये गये थे जबकि 10,522 कार्य अपूर्ण रहे, 2,067 कार्य प्रारंभ नहीं किये गये और 186 कार्य निरस्त किये गये ।**

*(कंडिका 1.1.8.1)*

**सात जिलों में, 814 कार्य लागत ₹13.91 करोड़ 25 से 431 दिन विलंब से स्वीकृत किये गये**

*(कंडिका 1.1.8.2)*

**छः जिलों में, 111 कार्य लागत ₹ एक करोड़ विवादित स्थलों के चयन के कारण प्रारंभ नहीं हो सके और निधि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी रही। लागत ₹ 40.63 करोड़ के 2828 कार्यों, के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एजेंसियों से वांछित थे ।**

*(कंडिकाएं 1.1.8.4 और 1.1.8.5)*

**परिसंपत्तियों को उपयोग हेतु संबंधित विभागो/एजेंसियों को हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख या तो अपूर्ण थे या उपलब्ध नहीं कराये गये। आयुक्त ने योजनांतर्गत चयनित कार्यों की पूर्ण/अद्यतन जानकारी संधारित नहीं की । चयनित जिलों में परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित किया जाना नहीं पाया गया ।**

*(कंडिका 1.1.9.2)*

**नोडल एजेंसियां कार्यों के निरीक्षण के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने में असफल रहीं ।**

*(कंडिका 1.1.10.1)*

### 1.1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के सभी 231 विधान सभा क्षेत्रों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना जुलाई 1994 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि विधायकों की अनुशंसाओं पर पूंजीगत प्रकृति की स्थायी स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित विकास कार्य उनके क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के आधार पर किये जायें।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण मौसम की सड़कें, पहुँच मार्ग, आंतरिक सड़कों का डामरीकरण, पैदल पथ, पुलों, ग्रामों में खरजों, चबूतरों, शासकीय वित्त पोषित/अवित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं से संबंधित भवनों के निर्माण, बस स्टॉप/शेडों, सार्वजनिक अध्ययन कक्ष, लघु सिंचाई सुविधा, पेयजल व्यवस्था, शवदाह गृहों, नलकूपों (ट्यूब वेल्स), बगीचों, खेल परिसरों, सामाजिक वानिकी, कृषि विकास, और सांस्कृतिक आदि संबंधी कार्यों को योजनान्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। सार्वजनिक उद्देश्य हेतु निर्माण कार्य किये जाने थे तथा उन्हे एक या अधिकाधिक दो मौसम में पूर्ण किया जाना था। सामग्री अथवा औजारों की खरीदी, भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव, स्मारकों का निर्माण, धार्मिक प्रकृति के कार्य और भूमि का अधिग्रहण अथवा अधिग्रहित भूमि के लिये मुआवजा को विशेष रूप से योजनान्तर्गत निषिद्ध किया गया था।

### 1.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी (आयुक्त) योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु जिम्मेदार है। जिला योजना अधिकारी (डी.पी.ओ.) जिला स्तर पर योजनाओं के लिये नोडल अधिकारी हैं। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों जैसे शिक्षा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामीण पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा कराये गये।

### 1.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन समीक्षा के उद्देश्य यह आंकलन करने के लिये थे कि क्या :

- योजना संबंधी प्रक्रिया पर्याप्त थी ;

- धन का प्रबन्धन मितव्ययता, प्रभावकारिता, एवं कुशलतापूर्वक किया गया था;
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत एवं क्रियान्वित किये गये थे तथा;
- निगरानी तंत्र प्रभावी था।

### 1.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

- निष्पादन समीक्षा हेतु जिन मुख्य मानदण्डों का उपयोग किया गया था वह थे :
- राज्य शासन/आयुक्त द्वारा जारी योजना संबंधी मार्गदार्शिका एवं निर्देश,
- मध्यप्रदेश कोष संहिता, मध्यप्रदेश वित्त संहिता एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम और
- परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव को निर्धारित करने वाले प्रावधानों से संबंधित अनुबंध।

### 1.1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा पद्धति

आयुक्त एवं आनुपातिक प्राथमिकता प्रतिवयन पद्धति से चयनित 12 जिला योजना अधिकारियों[1] **(परिशिष्ट 1.1)** एवं यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार से चयनित 94 क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की 2005-10 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से दिसम्बर 2010 तक की अवधि में की गई। आयुक्त, योजना एंव सांख्यिकी विभाग के साथ 26 मार्च 2010 को प्रारंभित बैठक की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंण्डों, कार्य क्षेत्र तथा पद्धति के संबंध में बताया गया। 4 दिसम्बर 2010 को प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के साथ निर्गम बैठक की गई। शासन के अभिमत को समीक्षा में समाहित किया गया है। नमूना जांच के निष्कर्षों को अनुवर्ती कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 1.1.6 योजना

योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 3 के अनुसार विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यो हेतु जिला कलेक्टर द्वारा लिखित में सुझाव मांगे जाने की आवश्कता थी अथवा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा हेतु एक बैठक बुलाई जानी चाहिये थी तथा स्वीकृत कार्यों को केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जाना चाहिये था। वे कार्य जो सूचीबद्ध किये गये हैं, उन्हें किये जाने हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को दिया जाना चाहिये था। संबंधित विधायकों को स्वीकृत कार्यों की सूची तथा निरस्त किये गये प्रस्तावो की सूचना 45

1 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ़ और उमरिया।*

दिवसों (बैठक से) के अन्दर भेजी जानी चाहिये थी। यद्यपि देखा गया कि 2005-10 की अवधि में चयनित जिलों में इस प्रकार कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी तथा कार्यों को विधायकों की अनुशंसा के आधार पर ही कराया गया था।

## 1.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

### *1.1.7.1 निधियों का स्वरूप*

म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र योजना राज्य वित्तपोषित योजना है। विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निधि बजट के माध्यम से जिला योजना अधिकारियों को प्रदाय की जाती है। प्रत्येक विधायक को अपने विधान सभा क्षेत्र में पूंजीगत प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा हेतु वर्ष 2005-06 में ₹ 60.00 लाख, 2006-07 में ₹ 80.00 लाख तथा इसके पश्चात ₹ 77.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से निधि आवंटित की गई थी। जिला योजना अधिकारियों द्वारा निधि सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को किश्तों में जारी की जाना थी। ऐसे मामलों में जहां कार्यान्वयन एजेंसियां ग्राम पंचायतें हैं, निधियां जनपद पंचायतों के माध्यम से जारी की जाना थीं।

### *1.1.7.2 निधियों का आबंटन एवं व्यय*

**₹151.49 करोड़ की निधियों का एजेंसियों द्वारा उपयोग नहीं किया गया**

शासन द्वारा 2005-10 की अवधि में योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹857.01 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध जिला योजना अधिकारियों द्वारा ₹838.41 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों को विमुक्त किये गये थे जिसके विरूद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 2005-10 की अवधि में ₹686.92 करोड़ व्यय किया जाना प्रतिवेदित किया गया था जो कि **तालिका-1.1** में नीचे उल्लिखित किया गया है।

**तालिका-1.1 योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान और किया गया व्यय**

| स. क्र. | वर्ष | विधायकों की संख्या | बजट के अधीन निधियों का आवंटन | जिला योजना अधिकारियों द्वारा कार्या. एजेंसियों को दी गई राशि | जि.यो. अधि. द्वारा कम विमुक्त राशि | कार्यान्वयन एजें. द्वारा प्रतिवेदित किया गया व्यय | कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5-7) |
| 1. | 2005-06 | 231 | 138.60 | 137.37 | 1.23 | 133.34 | 04.03 |
| 2. | 2006-07 | 231 | 184.80 | 183.89 | 0.91 | 173.65 | 10.24 |
| 3. | 2007 08 | 231 | 177.87 | 176.94 | 0.93 | 161.53 | 15.41 |
| 4. | 2008-09 | 231 | 177.87 | 173.99 | 3.88 | 138.65 | 35.34 |
| 5. | 2009-10 | 231 | 177.87 | 166.22 | 11.65 | 79.75 | 86.47[2] |
| | | **योग** | **857.01** | **838.41** | **18.60** | **686.92** | **151.49** |

(स्त्रोतः- आयुक्त द्वारा प्रेषित आंकड़े)

2 *2009 10 के दौरान स्वीकृत 2749 कार्यों में से 1676 कार्य प्रगति पर थे।*

इस प्रकार 2005-10 की अवधि में विकास कार्यों हेतु ₹857.01करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद जिला योजना अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹18.60 करोड़ विमुक्त नहीं किये गये और ₹151.49 करोड़ इन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त पड़े थे जिससे हितग्राहियों को योजना के निहित लाभ से वंचित होना पड़ा। **परिशिट-1.2** में अप्रयुक्त राशि का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण दर्शाया गया है। संचालक द्वारा सूचित किया गया था कि विधायकों द्वारा वर्ष के अंतिम भाग में प्रस्तावों के दिये जाने से ₹18.60 करोड़ कम विमुक्त किये गये थे।

निर्गम बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा कहा गया कि कार्यों को पूर्ण करने के लिये शेष राशि के उपयोग किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

### *1.1.7.3 निधियाँ जारी करने में विलम्ब*

**जनपद पंचायतों द्वारा निधियाँ 37 से 980 दिन के विलम्ब से जारी की गई थीं।**

आयुक्त के निर्देशों (जनवरी 2007) के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद 15 दिवस के अन्दर निधियां उपलब्ध करायी जानी थी।

सात जिलों[3] से संबंधित जनपद पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों को निधियाँ नीचे दर्शित **तालिका-1.2** में दर्शाये अनुसार 37 से 980 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थीं।

**तालिका-1.2 निधियाँ जारी किये जाने में विलम्ब की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क. | वर्ष | कार्यों की संख्या | विलम्ब की अवधि दिन में | विलम्ब से जारी राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007-08 | 115 | 43 से 980 | 1.27 |
| 2. | 2008-09 | 147 | 44 से 708 | 1.33 |
| 3. | 2009-10 | 66 | 37 से 252 | 0.64 |
| | **योग** | **328** | **37 से 980** | **3.24** |

**(स्त्रोतः नमूना परीक्षित एजेंसियों से लिये गये आंकड़े)**

इस ओर इंगित किये जाने पर, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा (मई से दिसम्बर 2010) बताया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा औपचारिकताएं जैसे अनुबन्धों की प्रस्तुति, भूमि संबंधी जानकारी, नक्शों एवं कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां पूर्ण न किये जाने के कारण निधियों को समय पर जारी नहीं किया जा सका था। निर्गम बैठक के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि भविष्य में निधियों को समय पर जारी किये जाने हेतु दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाय।

### *1.1.7.4 निधियों को अनियमित रूप से व्यक्तिगत जमा खाते में अवरूद्ध रखना*

मध्यप्रदेश कोष संहिता (एम.पी.टी.सी.) के नियम 284 के अनुसार राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जावेगी जब तक कि इसका तत्काल वितरण किया जाना अपेक्षित न हो। नमूना

3 *बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खरगौन और मण्डला।*

जांच किये गये 12 जिला योजना अधिकारियों में से जिला योजना अधिकारी भिण्ड के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 01 अप्रैल 2005 में व्यक्तिगत जमा खाते में ₹31.58 लाख प्रारंभिक शेष के रूप में जमा होना पाये गये थे। आगे 2005-10 अवधि में जिला योजना अधिकारी द्वारा आहरित ₹21.46 करोड़ में से ₹19.85 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किये गये और शेष राशि ₹1.93[4] करोड़ मध्यप्रदेश कोष संहिता के प्रावधान के विरूद्ध बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किये गये थे। वर्षवार विवरण **तालिक-1.3** में दिया गया है।

**योजना की निधियां अनियमित रूप से व्यक्तिगत जमा खाते में अवरूद्ध रखना।**

**तालिका-1.3 डी.पी.ओ द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते में जमा की गई राशि का विवरण**

(₹ लाख में)

| सं. क्र. | वर्ष | वर्ष का कुल आवंटन | डी.पी.ओ. द्वारा कोषालय से आहरित राशि | डी.पी.ओ. के प्रगति प्रतिवेदन अनुसार एजेंसियों को जारी की गई राशि | पी.डी.लेखे में जमा की गई शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4- 5) |
| 1. | 2005-06 | 360.00 | 360.00 | 347.48 | 12.52 |
| 2. | 2006-07 | 480.00 | 479.47 | 447.15 | 32.32 |
| 3. | 2007-08 | 462.00 | 462.00 | 418.37 | 43.63 |
| 4. | 2008 09 | 462.00 | 459.75 | 387.14 | 72.61 |
| 5. | 2009-10 | 385.00 | 385.00 | 384.99 | 0.01 |
| | **कुल** | **2149.00** | **2146.22** | **1985.13** | **161.09** |

**(स्त्रोतः जि.यो.अधि.भिण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)**

इस ओर इंगित किये जाने पर जिला योजना अधिकारी भिण्ड द्वारा (जून एवं अक्टूबर 2010) बताया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बाद की किश्त की मांग प्राप्त न होने के कारण निधियां व्यक्तिगत जमा खाते में जमा की गई थी। जिला योजना अधिकारी का उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि जिला योजना अधिकारी द्वारा बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिये निधियों का आहरण किया जाना नियम के विपरीत था।

### *1.1.7.5 कार्यान्वयन एजेंसियों से पूर्ण कार्यों की शेष राशि वापिस न लिया जाना*

**668 पूर्ण कार्यों की शेष राशि ₹96.29 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी थी**

आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (मार्च 2006) के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के पास यदि कोई राशि शेष पड़ी है तो आवश्यक था कि राशि वापिस ली जा कर शासकीय खाते में जमा की जानी थी ताकि राशि अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

चयनित जिलों की नमूना जांच में पाया गया कि 2005-10 की अवधि में 668 पूर्ण कार्यों से संबंधित ₹96.29 लाख क्रियान्वयन एजेंसियों के पास शेष होना पाये गये (दिसम्बर 2010) जो शासन के खाते में वापिस नहीं किये गये थे। **तालिका-1.4** में वर्षवार एवं जिलेवार शेष राशि का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

4 *₹1.93 करोड (प्रारंभिक शेष ₹ 31.58 लाख + ₹ 161.09 लाख)*

**तालिका-1.4 पूर्ण कार्यों की अव्ययित राशि**

**( ₹ लाख में)**

| स. क्र. | जिले. | 2005-06 | | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | महायोग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूर्ण कार्यों की सं. | शेष राशि | पूर्ण कार्यों की सं. | शेष राशि | पूर्ण कार्यों की सं. | शेष राशि | पूर्ण कार्यों की सं. | शेष राशि | पूर्ण कार्यों की सं. | शेष राशि | पूर्ण कार्यों की सं. | शेष राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | बालाघाट | 24 | 1.50 | 33 | 2.18 | 18 | 1.06 | 17 | 0.34 | 0 | 0 | 92 | 5.08 |
| 2. | बैतूल | 46 | 3.36 | 64 | 5.90 | 44 | 2.29 | 23 | 1.09 | 0 | 0 | 177 | 12.64 |
| 3. | भिण्ड | 48 | 2.39 | 54 | 2.23 | 37 | 1.54 | 31 | 0.46 | 0 | 0 | 170 | 6.62 |
| 4 | बुरहानपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.38 | 69 | 44.99 | 02 | 0.09 | 86 | 52.46 |
| 5 | धार | 07 | 1.77 | 03 | 2.26 | 21 | 3.78 | 10 | 2.74 | 0 | 0 | 41 | 10.55 |
| 6 | खरगोन | 10 | 0.83 | 06 | 0.52 | 12 | 1.65 | 02 | 0.15 | 0 | 0 | 30 | 3.15 |
| 7 | मंडला | 01 | 0.03 | 0 | 0 | 01 | 0.20 | 0 | 0 | 01 | 0.53 | 03 | 0.76 |
| 8 | रतलाम | 09 | 1.20 | 07 | 0.20 | 05 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.73 |
| 9 | टीकमगढ़ | 05 | 0.08 | 27 | 1.41 | 09 | 0.93 | 04 | 0.01 | 0 | 0 | 45 | 2.43 |
| 10 | उमरिया | 01 | 0.68 | 0 | 0 | 01 | 0.01 | 01 | 0.18 | 0 | 0 | 03 | 0.87 |
| | **योग** | **151** | **11.84** | **194** | **14.70** | **163** | **19.17** | **157** | **49.96** | **03** | **0.62** | **668** | **96.29** |

**(स्त्रोतः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)**

इस ओर इंगित किये जाने पर जिला योजना अधिकारियों द्वारा बताया गया (अप्रैल से दिसम्बर 2010) कि कार्यान्वयन एजेंसियों को समय-समय पर शेष राशि जमा कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। राशि वापिस लिये जाने हेतु आगामी कार्यवाही की जा रही थी। यदि समय रहते निधियां वापिस की गई होती तो इसका उपयोग अन्य कार्यों के कियान्वयन में किया जा सकता था। निर्गम बैठक के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को शेष राशि वापिस प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका था।

### *1.1.7.6 ब्याज को शासकीय खाते में जमा न किया जाना*

योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 3.7 के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना से संबंधित निधियों के जमा पर अर्जित ब्याज को शासन के खाते में जमा किया जाना चाहिये था।

चयनित जिलों की 22 जनपद पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा 2005-10 की अवधि में ₹21.67 लाख ब्याज के रूप में अर्जित किये गये जिसे शासन के खाते में जमा नहीं किया गया तथा यह राशि एजेंसियों के पास पड़ी हुई थी। नीचे **तालिका-1.5** में आर्जित ब्याज की वर्षवार एवं जिलावार स्थिति दी गई है:

तालिका-1.5 : ब्याज की राशि का शासन के खाते मे जमा न किया जाना

(₹ लाख में)

| स. क्र. | जिले | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | 0.06 | 1.20 | 1.54 | 2.84 | 0.67 | 6.31 |
| 2. | बैतूल | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0 | 0.88 |
| 3. | बुरहानपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 |
| 4. | धार | 0.05 | 0.42 | 0.15 | 0.37 | 0 | 0.99 |
| 5. | झाबुआ | 0.06 | 0.36 | 0.49 | 0.82 | 0.18 | 1.91 |
| 6. | खरगौन | 0.75 | 1.40 | 2.46 | 3.11 | 0 | 7.72 |
| 7. | रतलाम | 0 | 0 | 0.20 | 0.71 | 0.74 | 1.65 |
| | **योग** | **1.12** | **3.68** | **5.04** | **8.03** | **3.80** | **21.67** |

**(स्त्रोतः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े )**

इस ओर इंगित किये जाने पर प्रमुख सचिव ने बताया कि जिला योजना अधिकारियों को योजना राशि पर अर्जित ब्याज की राशि शासकीय खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका था।

## 1.1.8 कार्यों का कार्यान्वयन

### *1.1.8.1 योजना के अन्तर्गत कार्यों की स्थिति*

राज्य में, 2005-10 की अवधि में विधायकों द्वारा अनुशंसित, जिला योजना अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एवं कार्यान्वयन एजेसियों द्वारा संपादित किये गये कार्यों की स्थिति **तालिका-1.6** में नीचे दी गई है

तालिका-1.6: राज्य स्तर पर कार्यों की भौतिक स्थिति

| सं. क्र. | वर्ष | कार्यों की भौतिक स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विधायकों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | जि.यो.अधि. द्वारा स्वीकृत कार्यों की सं. | पूर्ण कार्यों की संख्या कोठक में प्रतिशत | अपूर्ण कार्यों की संख्या | अप्रारम्भ कार्यों की संख्या | निरस्त कार्यों की संख्या |
| 1. | 2005-06 | 13733 | 12135 | 11810(97.32) | 275 | 13 | 37 |
| 2. | 2006-07 | 16179 | 14903 | 14257(95.66) | 567 | 58 | 21 |
| 3. | 2007 08 | 16164 | 14807 | 13207(89.19) | 1373 | 199 | 28 |
| 4. | 2008-09 | 16747 | 15328 | 12067(78.72) | 2928 | 253 | 80 |
| 5. | 2009-10 | 12258 | 11555 | 4612(39.91) | 5379 | 1544 | 20 |
| | **योग** | **75081** | **68728** | **55953(81.41)** | **10522** | **2067** | **186** |

**(स्त्रोतः संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़े)**

चयनित 12 जिलों[5] के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2005-10 की अवधि में विधायकों से प्राप्त 16,855 प्रस्तावों में से 15,598 कार्य स्वीकृत किये गये थे। आगे पाया गया कि केवल 12,711 कार्य (81 प्रतिशत ) ही दिसम्बर 2010 तक पूर्ण किये जा सके थे तथा 2,887 कार्य जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किये गये हैं अपूर्ण/निरस्त/अप्रारंभ रहे जबकि कार्यान्वयन एंजेसियों के पास निधियां उपलब्ध थी।

### *1.1.8.2 कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब*

**814 कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने में 25 से 431 दिन का विलम्ब**

आयुक्त के निर्देशों (जनवरी 2007) के अनुसार, योजनान्तर्गत विधायकों से अनुशंसायें प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जानी चाहिये थी।

चयनित 12 जिला योजना अधिकारियों में से सात जिलों[6] के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 814 कार्यों लागत ₹13.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृतियां **तालिका- 1.7** में दर्शाये विवरण अनुसार 25 से 431 दिन विलंब से जारी की गई थी।

**तालिका-1.7 विलम्ब से जारी स्वीकृतियां**

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | वर्ष | कार्यों की संख्या | कार्यों की लागत | विलम्ब की अवधि दिनों में |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007-08 | 261 | 4.01 | 32 से 431 |
| 2. | 2008-09 | 152 | 2.14 | 30 से 277 |
| 3. | 2009-10 | 401 | 7.76 | 25 से 198 |
| | **योग** | **814** | **13.91** | **25 से 431** |

**(स्त्रोतः नमूना जांच जिलों के कार्यान्वयन एजेंसियों से लिये गये आंकड़े)**

इस ओर इंगित किये जाने पर, जिला योजना अधिकारियों द्वारा (जून से दिसम्बर 2010) बताया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भूमि संबंधी जानकारी, नक्शे एवं तकनीकी स्वीकृतियां विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रशासकीय स्वीकृतियां समय सीमा में जारी नहीं की जा सकी थी। निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को भविष्य में विलम्ब को टालने हेतु निर्देशित किया गया था।

### *1.1.8.3 स्वीकृत कार्यों का निर्धारित अवधि में पूर्ण न होना।*

**निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद 717 कार्य लागत ₹10.62 करोड़ अपूर्ण रहे।**

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को एक या अधिकाधिक दो सीजन में पूर्ण किया जाना चाहिये। चयनित जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 11 जिलों[7] में योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों को जो **तालिका-1.8** में दिखाये गये हैं सालों/मौसम तक अपूर्ण रहे (नवम्बर 2010 तक) जबकि कार्यों को कराये जाने हेतु निधियाँ उपलब्ध थी।

5 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ और उमरिया।*

6 *बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, रतलाम, टीकमगढ, और उमरिया।*

7 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, रतलाम, टीकमगढ़ और उमरिया।*

## तालिका-1.8 अपूर्ण कार्यों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | वर्ष | स्वीकृत कार्यों की संख्या | अपूर्ण कार्यों की संख्या | अपूर्ण कार्यों के मामले में जारी राशि | अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2005-06 | 2899 | 24 | 0.38 | 0.18 |
| 02 | 2006 07 | 3568 | 91 | 0.95 | 0.52 |
| 03 | 2007 08 | 3132 | 209 | 3.14 | 1.14 |
| 04 | 2008-09 | 3250 | 393 | 6.15 | 2.61 |
| | **योग** | **12849** | **717** | **10.62** | **4.45** |

**(स्त्रोतः जिला योजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)**

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियां उपलब्ध होने के बावजूद भी 717 कार्य बिना किसी स्वीकार्य कारणों के अपूर्ण रहे। उपरोक्त के अतिरिक्त, 2009-10 की अवधि में स्वीकृत 2,749 कार्यों में से 1,676 कार्य प्रगति पर थे। 2005-10 की अवधि में स्वीकृत 381 कार्यों की जानकारी जिला योजना अधिकारीयों बुरहानपुर (234 कार्य) और मण्डला (147 कार्य) द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस ओर इंगित किये जाने पर जिला योजना अधिकारियों द्वारा (अप्रैल से दिसम्बर 2010) बताया गया कि कार्यान्वयन विभागों द्वारा कार्यों में रूचि न लिये जाने के कारण कार्य अपूर्ण रहे तथा स्वीकृत कार्यों को त्वरित पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को 31 दिसम्बर 2010 तक सभी कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका था।

### *1.1.8.4 कार्यों का अप्रारंभ /निरस्त रहना*

आयुक्त के निर्देशों (नवम्बर 2002) के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा विवादास्पद भूमि से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की जानी थी तथा कार्यों को प्रारंभ कराया जाना था। अन्यथा, कार्यों को निरस्त किया जाना चाहिये था।

छः जिलों में 111 कार्य भूमि संबंधी विवाद के कारण प्रारंभ न हो सके।

छः जिलों[8] में, 111 कार्य लागत एक करोड़ जो नीचे **तालिका-1.9** में दर्शाये गये हैं भूमि के स्वामित्व संबंधी विवादों के कारण प्रारंभ नहीं हो सके थे। न तो इन कार्यों को निरस्त किया गया न ही एजेंसियों को उन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु भुगतान की गई राशि की वसूली की गई।

**तालिका- 1.9 अप्रारंभ कार्यों की स्थिति**

(₹ लाख में)

| स. क्र. | वर्ष | अप्रारंभ कार्यों की संख्या | निरस्त कार्यों की संख्या | विमुक्त् राशि | कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-06 | 08 | निरंक | 05.62 | विवादास्पद भूमि |
| 2 | 2006-07 | 28 | 01 | 15.99 | विवादास्पद भूमि |
| 3 | 2007 08 | 28 | 01 | 26.90 | विवादास्पद भूमि |
| 4 | 2008 09 | 47 | निरंक | 51.60 | विवादास्पद भूमि |
| | **योग** | **111** | **02** | **100.11** | |

**(स्त्रोतः जिला योजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)**

8 *बैतूल 23 कार्य (₹17.74 लाख), भिण्ड 35 कार्य (₹ 43.93 लाख), बुरहानपुर 02 कार्य (₹2.80 लाख), धार 05 कार्य (₹6.30 लाख), मंडला 14 कार्य (₹11.36लाख)और टीकमगढ 32 कार्य (₹17.98 लाख)।*

निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि भूमि के स्वामित्व संबंधी जांच के उपरान्त ही कार्यो को स्वीकृत किया जावे।

### *1.1.8.5 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना*

आयुक्त के निर्देशों (जुलाई 1996) के अनुसार, सभी जिला योजना अधिकारियों को आवश्यक था कि एजेंसियों से कार्यपूर्ण होने के तत्काल बाद कार्यपूर्णता प्रमाण प्राप्त करें।

**कार्यान्वयन एजेंसियों से 2828 कार्यों, लागत 40.63 करोड़ के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये।**

सात चयनित जिलों[9] के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2005-10 की अवधि में जिला योजना अधिकारियों द्वारा आयुक्त को 6,597 कार्यपूर्ण होना प्रतिवेदित किये गये थे उनमें से 2,828 कार्यो, लागत ₹ 40.63 करोड़ के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जो **तालिका-1.10** में दर्शाये गये अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त नहीं किये गये थे जिसके कारण निर्मित परिसंपत्तियों का न तो लेखांकन किया गया न हीं स्थानीय निकायों/विभागों को उनके रख रखाव हेतु हस्तान्तरित किया जा सका।

**तालिका- 1.10 एजेंसियों द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना**

(₹ करोड़ में)

| सं. क्र. | वर्ष | योजनान्तर्गत पूर्ण कार्यों की संख्या | कार्यों की संख्या जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए | कार्यों की लागत जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र अप्राप्त है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-06 | 1461 | 428 | 5.67 |
| 2 | 2006-07 | 1731 | 535 | 7.49 |
| 3 | 2007-08 | 1444 | 571 | 9.52 |
| 4 | 2008-09 | 1494 | 938 | 12.57 |
| 5 | 2009 10 | 467 | 356 | 5.38 |
| | **योग** | **6597** | **2828** | **40.63** |

**(स्त्रोतः जिला योजना अधिकारियों के प्रगति प्रतिवेदन)**

इस ओर इंगित किये जाने पर जिला योजना अधिकारियों द्वारा (अप्रैल से दिसम्बर 2010) बताया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित किये जाने कि आवश्यकता बताते हुए निर्देश जारी किये जा चुके थे। निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्ण कार्यो के मामलों में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मंगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

### *1.1.8.6 पर्यवेक्षण शुल्क का अनियमित भुगतान*

**निर्देशों के प्रतिकूल कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करना।**

आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 1999) के अनुसार, योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो पर कोई पर्यवेक्षण शुल्क एजेंसियों द्वारा प्रभारित नहीं किया जाना था।

तीन चयनित जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि स्थायी निर्देशों का उल्लघंन कर 41[10] कार्यों पर राशि ₹ 6.56 लाख पर्यवेक्षण/आकस्मिक प्रभार एजेंसियों (लो.नि.वि,म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल तथा जनपद पंचायतें) को भुगतान किया गया था।

9 *बालाघाट, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ, और उमरिया।*

10 *बालाघाट 12 कार्य (1.92 लाख), बुरहानपुर 23 कार्य (4.46 लाख) तथा झाबुआ 06 कार्य (0.18 लाख)।*

इस ओर इंगित किये जाने पर जिला योजना अधिकारियों द्वारा (मार्च से दिसम्बर 2010) बताया गया कि प्रकरणों की समीक्षा की जा कर वसूली हेतु समुचित कार्यवाहीं की जावेगी। निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान किये गये पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके थे।

## 1.1.9 परिसंपत्ति प्रबन्धन

### *1.1.9.1 कार्यों की जानकारी संधारित न होना*

**कार्यों की जानकारी संधारित न होना।**

योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.3 के अनुसार आयुक्त को योजनान्तर्गत पूर्ण कार्यों से संबंधित अद्यतन जानकारी रखनी चाहिये थी। आगे, आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 1996) के अनुसार जिला स्तर पर योजनान्तर्गत पूर्ण कार्यों से संबंधित संपूर्ण डाटा बेस राट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) में तैयार किया जाना चाहिये था।

आयुक्त के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2005-10 तक की अवधि में इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की गई थी। आगे 12 चयनित जिलों[11] के अभिलेखों की समीक्षा में जिला स्तर पर भी आवश्यक डाटा बेस बनाया जाना नहीं पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर आयुक्त द्वारा (मार्च 2010) बताया गया कि राज्य स्तर पर सभी विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित संकलित जानकारी रखा जाना संभव नहीं था उत्तर दिशानिर्देशों के प्रतिकूल होने से स्वीकार योग्य नहीं था।

जिलों में पूर्ण कार्यों के मामले में डाटा बेस तैयार किया जाना प्रमुख आवश्यकता है जिससे जन सामान्य को उनके जिले में किये गये कार्यों की जानकारी मिल सके। डाटा-बेस तैयार न किये जाने के कारण जिला स्तर पर योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के संबंध में जनता बहुतयः अनभिज्ञ रहीं।

निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को जिला स्तर पर डाटा बेस संधारित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

### *1.1.9.2 योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को न तो लेखांकित किया गया न ही प्रमाणित किया जा सका*

आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 2003) के अनुसार, योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को पृथक से परिसंपत्तियों की पंजी में लेखांकित किया जाना आवश्यक था तथा परिसंपत्तियों को संबंधित विभाग/एजेंसी को हस्तान्तरित किया जाना था।

11 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ और उमरिया।*

चयनित 12 जिलों[12] के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि जिला योजना अधिकारियों के पास परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार नौ जिलों[13] में जिला योजना अधिकारियों द्वारा परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की गई थी और तीन जिलों[14] में अपूर्ण पाई गई थी।

निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को परिसंपत्तियों की पंजी संधारित किये जाने और निर्मित परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण हेतु निर्देशित किया गया था।

## 1.1.10 निगरानी

### *1.1.10.1 निगरानी में कमी*

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 4 के अनुसार जिला स्तर पर जिला योजना अधिकारी को कार्यो के पर्यवेक्षण और संपूर्ण समन्वयन हेतु जिम्मेदार बनाया गया था तथा उनके अधिकार क्षेत्र में योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यो को कम से कम 10 प्रतिशत निरीक्षण करना आवश्यक था।

चयनित जिलों[15] के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि जिला योजना अधिकारियों द्वारा वास्तविक देखे गये तथा निरीक्षित किये गये कार्यो से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर, जिला योजना अधिकारियों द्वारा बताया (जून से दिसम्बर 2010) गया कि अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण योजना में अपेक्षित निगरानी नहीं की जा सकी थी। निर्गम बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे तथा जिला योजना अधिकारियों को भविष्य में समुचित निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

### *1.1.10.2 जिला स्तर पर त्रैमासिक बैठक आयोजित न होना*

आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 1996) के अनुसार यह आवश्यक था कि जिला कलेक्टर त्रैमासिक रूप से विधायकों और कार्यान्वयन अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनांतर्गत कराये जा रहे कार्यो के प्रगति के संबंध में विधायकों को जानकारी दें।

चयनित 12 जिलो[16] के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2005-10 अवधि की के दौरान इस प्रकार की कोई बैठकें आयोजित नहीं की गई।

---

12 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ और उमरिया।*

13 *भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, रतलाम, टीकमगढ और उमरिया।*

14 *बालाघाट, बैतूल और उमरिया।*

15 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ़ और उमरिया।*

16 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ़ और उमरिया।*

इस ओर इंगित किये जाने पर, जिला योजना अधिकारियों द्वारा (जून से दिसम्बर 2010) आश्वस्त किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से त्रैमासिक बैठक रखी जावेगी। निर्गम बैठक के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि नियमित बैठकें आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

### *1.1.10.3 जिला योजना अधिकारियों द्वारा एजेंसियों से व्यय पत्रक प्राप्त किये बिना प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना*

आयुक्त के निर्देशों (अप्रैल 1996) के अनुसार, जिला योजना अधिकारियों को निधियाँ विमुक्त किये जाने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों से मासिक आय-व्यय पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था जिसे आगे आयुक्त को प्रेषित किया जाना था।

चयनित 12 जिलों[17] के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 94 कार्यान्वयन एजेंसियों में से किसी ने भी आय-व्यय पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला योजना अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किये।

इस ओर इंगित किये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि जिला योजना अधिकारियों को भविष्य में कार्यान्वयन एजेंसियों से मासिक आय-व्यय पत्रक प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

## 1.1.11 निष्कर्ष

योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना (प्लानिंग) बनाये बिना कार्य कराये गये। योजनान्तर्गत उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। योजनान्तर्गत निधियों का कम/विलम्ब से जारी किया जाना व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों का अवरूद्ध रखना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से शेष राशि के वसूल न किये जाने संबधी प्रकरण पाये गये थे। कार्यो की स्वीकृतियों एवं पूर्ण किये जाने में विलम्ब होना पाया गया था। लगभग 43 प्रतिशत कार्यो के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वांछित थे। परिसंपत्तियो की पंजियां संधारित नहीं की गई थी। कार्यो के निरीक्षण के माध्यम से निगरानी में कमी पाई गई थी।

## 1.1.12 अनुशंसाएँ

- स्वीकृत किये गये कार्यों में से जन सामान्य के फायदे एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिये ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कार्यो का चयन करने में सुविधा हो सके।
- परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिये ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों को रख रखाव हेतु उपयोग करने वाले विभागों को हस्तान्तरण किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।
- कार्यो के विलम्ब से निष्पादन और पूर्ण होने पर समय सीमा में कार्यवाही किये जाने हेतु सीधे (आन लाइन) नजर रखने तथा निगरानी किये जाने के लिये प्रणाली बनाई जानी चाहिये।

17 *बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रतलाम, टीकमगढ़ और उमरिया।*

## जल संसाधन विभाग

### 1.2 बाणसागर परियोजना इकाई -II नहरों का निर्माण

*मुख्यांश*

*बाणसागर परियोजना के इकाई-I शीर्ष कार्य का निर्माण ₹ 91.31 करोड़ की लागत से प्रारंभ किया गया (1978), जो ₹ 1,251 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ(2006)। बाणसागर परियोजना इकाई -II नहर के 1463.27 कि.मी. नेटवर्क एवं 3,351 संरचनाओं का निर्माण 1987 तक पूर्ण करने हेतु प्रारंभ किया गया (1979)। मार्च 2010 तक ₹ 961.01 करोड़ व्यय करने के पश्चात मात्र 911.51 कि.मी. नहर नेटवर्क एवं 1,857 संरचनाएँ पूर्ण हुए थे। 1,23,634 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 81,701 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई थी। वास्तविक उपयोग की गई सिंचाई क्षमता, प्रस्तावित सिंचाई क्षमता का 4.19 प्रतिशत से 15.67 प्रतिशत तक कम थी।*

*इकाई-II नहर कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः*

खुदाई एवं संरचनाओं के प्राक्कलन उचित सर्वेक्षण के बिना तैयार किए गए थे। मात्राओं में परिवर्तन के कारण ₹ 13.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। बाणसागर नहर नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रावधानित ₹ 43.82 करोड़ राशि की निधियाँ व्यपवर्तित की गईं एवं उद्वहन सिंचाई योजनाओं (एल.आई.एस.) एवं बुड़वा तालाब की मगरदाहा नहर के निर्माण के लिए उपयोग की गई।

*(कंडिकाएँ 1.2.6.2 एवं 1.2.7.1)*

महिदलकलाँ वितरिका एवं नौबस्ता वितरिका का निर्माण बहुत अधिक विलंबित हुआ। उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग के साथ समन्वय के अभाव में ₹ 6.67 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ एवं ₹ 4.02 करोड़ का शासकीय धन अवरूद्ध हुआ। एक सीमेंट निर्माण कंपनी को ₹ 7.23 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

*(कंडिकाएँ 1.2.8.3, 1.2.8.4 एवं 1.2.8.5)*

₹ 5.67 करोड़ की लागत पर निर्मित माइल्ड स्टील (एम.एस.) पाईप एक्वाडक्ट रूपांकित जलनिकासी के योग्य नहीं थे। ₹ 53.17 लाख मूल्य का मिट्टी कार्य एवं ₹ 3.17 करोड़ के मूल्य की टो-वाल विशिष्टियों से निम्नतर थे।

*(कंडिकाएँ 1.2.8.6, 1.2.8.7 एवं 1.2.8.8)*

एक अनधिकृत एजेंसी से एम.एस. पैदलपुलों एवं एम.एस. साइनबोर्ड के क्रय के कारण ₹ 2.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई एवं ₹ 19.46 करोड़ मूल्य के एम.एस.पैदलपुल उचित रूपांकन के बिना क्रय किए गए। 1,317 पैदलपुलों का अधिक क्रय था, जिनमें से 593 पैदलपुल संस्थापित नहीं हुए थे।

*(कंडिकाएं 1.2.8.10 एवं 1.2.8.11)*

**संहितीय आवश्यकताओं के विपरीत व्ही.टी. पंप के रूपांकन, प्रदाय, निर्माण एवं संस्थापन एवं ₹ 50.15 करोड़ मूल्य की उद्वहन सिंचाई योजनाओं एवं ₹ 57.69 करोड़ के एम.एस.पाईप राइजिंग मेन एवं एक्वाडक्ट के कार्य मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से एक प्रदायकर्ता को खुली निविदा आमंत्रित किए बिना सौंपे गए । एम.एस.पाईप के उच्चतर दर पर क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 16.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई ।**

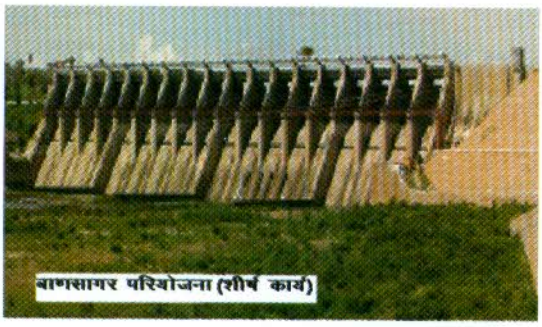
*(कंडिका 1.2.8.9)*

**₹ 2.10 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति एवं ₹ 1.19 करोड़ के प्रतिभूति जमा अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत मुक्त किए गए थे । अनुचित निविदा प्रबंधन के परिणामस्वरूप रेखांकन एवं रूपांकन के लिए एवं अतिरिक्त मात्राओं के लिए ₹ 6.11 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।**

*(कंडिकाएँ 1.2.9.1, 1.2. 9.2 एवं 1.2.9.3)*

## 1.2.1 प्रस्तावना

सोन नदी पर बाणसागर बहुउद्देश्यीय परियोजना बिहार, मध्य प्रदेश (म.प्र.), उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) की एक अंतर्राज्जीय परियोजना है । म.प्र. में 125 प्रतिशत सिंचाई तीव्रता से 2.49 लाख हेक्टेयर (हे.), उ.प्र. में 1.50 लाख हे. एवं बिहार की पुरानी सोन नहर प्रणाली के 94000 हे. की सिंचाई आवश्यकताओं को सुदृढ़ करना परियोजना में परिकल्पित था । परियोजना में, म.प्र. के लिए 425 मेगावॉट का जल-विद्युत उत्पादन भी परिकल्पित था । शीर्षकार्य का निर्माण जो इकाई-। में समाविष्ट था, ₹ 91.31 करोड़ की लागत से 1978 में प्रारंभ किया गया था एवं ₹ 1251 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2006 में पूर्ण हुआ था। प्रत्येक राज्य में परियोजना की इकाई -।। के अंतर्गत नहर प्रणाली का निर्माण उस राज्य का उत्तरदायित्व था ।


बाणसागर परियोजना (शीर्ष कार्य)

म.प्र. में बाणसागर परियोजना इकाई-।। नहरों का निर्माण ₹ 10.06 करोड़ की लागत से 1979 में प्रारंभ किया गया एवं ₹ 961.01 करोड़ व्यय करने के पश्चात मार्च 2010 तक प्रगति पर था । नहर प्रणाली में दो उद्वहन सिंचाई योजनाओं (एल.आई.एस.) सहित सात नहरें सम्मिलित थीं। इससे 1,99,487 हे. सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र (आई.सी.ए.) आच्छादित होता था । इकाई-।। नहरों में 445.52 कि.मी. लम्बाई की मुख्य नहरों, प्रत्येक नहर की वितरिकाओं एवं लघु नहरों का निर्माण सम्मिलित था । एक दृष्टि में नहर नेटवर्क **तालिका-1.11** में दिया गया है ।

**तालिका-1.11 बाणसागर में नहरों का नेटवर्क**

| स. क. | मुख्य नहर का नाम | लम्बाई कि.मी. | निकास बिंदु | सिंचाई क्षेत्र हेक्टेयर में | | प्रस्तावित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नहरों द्वारा | भू-जल द्वारा | |
| | संयुक्त जल वाहिनी (सी.डब्लू.सी.) 30.37 कि.मी.[18] | | शीर्ष कार्य से | - | - | - |
| 1. | दार्यी तट नहर | 32.20 | बाँध् के दाँए तट से | 4047 | 1600 | 7059 |
| 2. | भितरी नहर | 13.20 | सेडल बाँध से | 2184 | 1500 | 4605 |
| 3. | सिहावल नहर | 75.27 | सी.डब्लू.सी. के 22 कि.मी. से | 21714 | 17800 | 49392 |
| 4. | क्योटी नहर | 90.00 | सी.डब्लू.सी. के 28.96 कि.मी. से | 36422 | 8000 | 55527 |
| 5. | पूरवा नहर | 128.89 | सी.डब्लू.सी. के 37.30 कि.मी. से | 59267 | 8000 | 84084 |
| 6. | त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना | 40.96 | टोंस नदी के दाँए तट से | 11330 | 4400 | 19662 |
| 7. | गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना | 65.00 | क्योटी नहर के 4.13 कि.मी. से | 19723 | 3500 | 29029 |
| | **योग** | **445.52** | | **154687** | **44800** | **249358** |

**स्रोतः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन**

## 1.2.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, राज्य के जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) के प्रमुख हैं । प्रमुख अभियंता (प्र.अ.) शीर्ष स्तर पर क्षेत्र अधिकारी हैं । वे, बाणसागर परियोजना के लिए एक मुख्य अभियंता (मु.अ.), गंगा कछार रीवा एवं दो अधीक्षण यंत्रियों (अ.यं.), बाणसागर नहर मंडल एवं मेसनरी बाँध मंडल जो समग्र आयोजना, कार्यान्वयन एवं कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी हैं, से सहयोगित हैं । क्षेत्र स्तर पर कार्यों के निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री के निर्देश एवं नियंत्रण में छह कार्यपालन यंत्री (का.यं.) उत्तरदायी हैं । विभाग के संगठन आरेख **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है ।

## 1.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए संचालित की गई थी किः

- परियोजना उचित रूप से आयोजनाबद्ध थी;
- वित्तीय प्रबंधन एवं निधियों का उपयोग उचित एवं प्रभावी था;
- परियोजना का कार्यान्वयन मितव्ययिता से एवं दक्षतापूर्वक किया गया;
- परियोजना के कार्य, योजना, मानक रूपांकन एवं विशिष्टियों के अनुसार निष्पादित किए गए एवं निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण हुए थे एवं
- मॉनीटरिंग प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी थी ।

18 *सी.डब्लू.सी. सिंचाई के लिए नहीं थी एवं एम.पी.एस.ई.बी. द्वारा मात्र पानी को ले जाने के लिए निर्मित की गई थी एवं एम.पी.एस.ई.बी.के अधिकार में है ।*

### 1.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न मानदण्डों पर आधारित थे:

- निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान एवं शासन एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश/ अनुदेश ।
- नहरों के निर्माण के लिए शासन द्वारा जारी किए गए अनुमोदित रूपांकन एवं सिंचाई विशिष्टियाँ ।
- भारतीय मानक ब्यूरो के मानक कोड ।

### 1.2.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र बाणसागर परियोजना की इकाई-।। नहरों तक सीमित था। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र की अवधि 2005-06 से 2009-10 तक थी । विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की सीमा तक, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं समस्त संभागों के कार्यालयों के अभिलेखों की जुलाई एवं अक्तूबर 2010 के मध्य समीक्षा की गई । 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए कुछ अभिलेख जैसे प्रदाय आदेश एवं क्रय के प्रमाणक, माप पुस्तिकाएँ रोकड़ बहियाँ इत्यादि आर्थिक अपराध शाखा (ई.ओ.डब्लू.) एवं लोकायुक्त, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जब्त किए गए थे ।

प्रमुख सचिव एवं जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया (अप्रैल 2010) एवं अतिरिक्त सचिव एवं जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ निकासी सम्मेलन आयोजित किया गया (दिसम्बर 2010) । विभाग के दृष्टिकोण, समीक्षा में उचित स्थानों पर सम्मिलित किए गए है ।

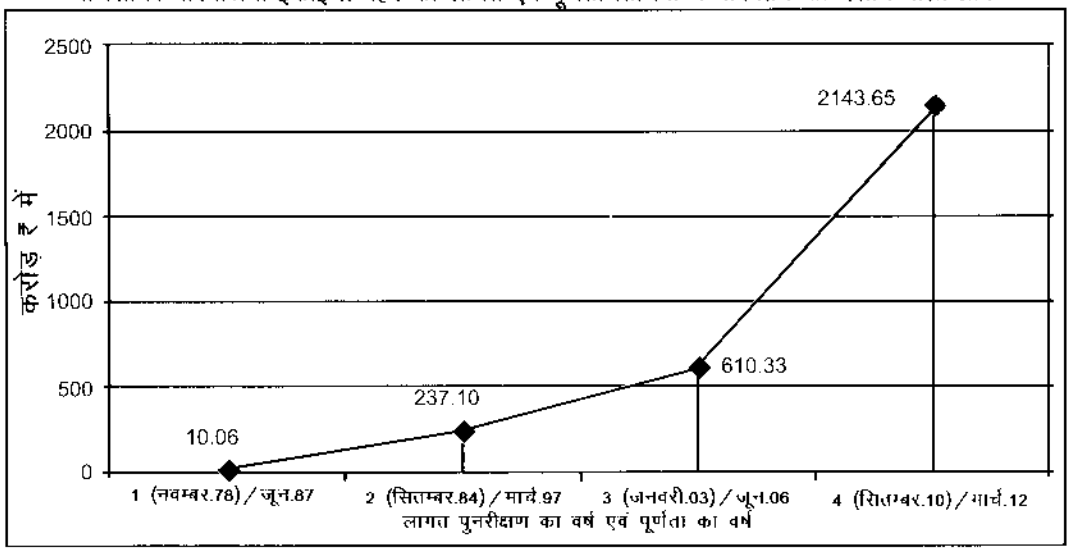
निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है ।

### 1.2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### *1.2.6.1 आयोजना*

बाणसागर नहर (इकाई-।।) का कार्यक्षेत्र, कृषि क्षेत्र (2.49 लाख हे.) को मुख्य नहरों, वितरिका नहरों एवं लघु नहरों के माध्यम से जल की पूर्ति करने तक सीमित था । शासन द्वारा परियोजना ₹ 10.06 करोड़ पर अनुमोदित की गई (1978) जो जून 1987 तक पूर्ण होनी थी । यद्यपि इसे 1991 मूल्य स्तर पर ₹ 344.66 करोड़ के लिए योजना आयोग से अनुमति नवम्बर 2001 में मिली । लागत में समय-समय पर हुए पुनरीक्षण एवं पूर्णता की लक्षित तिथियों में परिवर्तन को निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:

**बाणसागर परियोजना इकाई-II नहर की लागत एवं पूर्णता तिथियों में परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ**




**स्रोतः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के लिए सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्र 1 की कंडिका 1.1**

### *1.2.6.2 आयोजना प्रक्रिया में कमी*

निर्माण विभाग (डब्लू.डी.) नियमावली की कंडिका 2.017 एवं 2.025 के अनुसार कार्यों के लिए प्राक्कलन, विस्तृत सर्वेक्षणों एवं कार्य की विभिन्न मदों को कार्यान्वित करने की मात्राओं को यथासंभव यथार्थ रूप से निर्धारित करने हेतु जाँच गढ्ढों के आधार पर तैयार किए जाने थे । निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.028 में आगे प्रावधानित है कि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी सभी मदों को सम्मिलित करते हुए रूपांकन की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी था ।

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, अनुपातहीन निविष्टियों के प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) के क्षेत्र से परे कार्यों के निष्पादन इत्यादि के दृटांत देखे गए जिनकी अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

**अनुचित प्राक्कलन के कारण ₹ 6.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

- पैकेज के.सी.पी.-3, पी.सी.पी.-6, पी.सी.पी.-10 एवं पी.सी.पी.-11ए के निर्माण के कार्य में, नहरों में खुदाई के लिए प्राक्कलन उचित सर्वेक्षण के बिना तैयार किए गए एवं परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की परतों की मात्राएँ प्राक्कलित मात्राओं की तुलना में असामान्य रूप से परिवर्तित हुईं जैसा **परिशिष्ट 1.4** में विवरण दिया गया है। परिणामस्वरूप, चार प्रकरणों में अधिक मात्राओं के कार्यान्वयन के लिए विभाग को ₹ 6.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (अगस्त 2007 से जून 2010)।

**त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के परिणामस्वरूप ₹ 6.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

- क्योटी मुख्य नहर के 32.95 कि.मी. से 41.41 कि.मी. के मध्य वितरिकाओं एवं लघु नहरों एवं 238 संरचनाओं[19] का निर्माण (पैकेज के.सी.पी.-9) ₹ 6.92 करोड़ की लागत से प्रारंभ किया गया (दिसम्बर 2006)। विस्तृत प्राक्कलन, संरचनाओं के नमूना रूपांकनों के आधार पर तैयार किए गए । कार्यों में खपत होने वाले संभावित सीमेंट कांक्रीट के

19 *संरचनाएँ जैसे नहर हेड रेग्यूलेटर, ग्राम सड़क पुल, एक्वाडक्ट, साइफन इत्यादि ।*

त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) 1:3:6 की 22318.48 घनमीटर की संपूर्ण मात्रा मात्र 84 संरचनाओं के निर्माण के लिए खपत हो गई (मार्च 2009)। कार्य पूर्ण करने के लिए, ₹ 6.55 करोड़ निहित 34,277.603 घनमीटर सीमेंट कांक्रीट की अतिरिक्त मात्रा पुनः प्राक्कलित की गई । यद्यपि पुनरीक्षित मात्राएँ जुलाई 2010 तक शासन द्वारा अनुमोदित नहीं हुई थी ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अगस्त 2010) कि प्रकरण की जॉच की जाएगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा । उत्तर दिसम्बर 2010 तक प्रतीक्षित था ।

**800 हे. सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र के अतिव्यापन के कारण मगरदाहा नहर का निर्माण हुआ जिससे ₹ 5.09 करोड़ का व्यपवर्तन हुआ ।**

- बुड़वा तालाब, शहडोल जिले में एक पुराना लघु सिंचाई तालाब (बाणसागर परियोजना के कार्यक्षेत्र से बाहर) 800 हे. के सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र (आई.सी.ए.) के लिए रूपांकित था । विभाग ने अप्रैल 2005 में देखा कि बाणसागर नहरों की दाँयी तट नहर (आर.बी.सी.) प्रणाली बुड़वा तालाब के 600 हे. आई.सी.ए. का अतिव्यापन[20] कर रही थी । इसे सुधारने के लिए, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बुड़वा तालाब को बाणसागर परियोजना में स्थानांतरित किया (अप्रैल 2005) । मुख्य अभियंता बाणसागर ने पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन में 600 हे. आई.सी.ए. की पुनः स्थापना के लिए बुड़वा तालाब पर आठ कि.मी. मगरदाहा नहर के निर्माण के लिए ₹ 10.50 करोड़ प्रावधानित किए (2009) एवं मगरदाहा नहर के निर्माण के लिए 2009 तक ₹ 5.09 करोड़ व्यय किए गए थे । इसके परिणामस्वरूप मगरदाहा नहर के निर्माण में बाणसागर नहर के लिए चिह्नांकित निधियों से ₹ 5.09 करोड़ का व्यपवर्तन हुआ ।

कार्यपालन यंत्री रॉकफिल बाँध संभाग, देवलोंद ने बताया (सितम्बर 2010) कि बुड़वा तालाब की मगरदाहा नहर प्रणाली के निर्माण का निर्णय उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा लिया गया ।

## 1.2.7 वित्तीय प्रबंधन

### *1.2.7.1 अपर्याप्त वित्तीय आयोजना*

यद्यपि प्रशासनिक रूप से 1978 में अनुमोदित, परियोजना की इकाई-II पर कार्य 1979 में प्रारंभ हुआ । तथापि निधियों की कमी के कारण, परियोजना अधिक प्रगति नहीं कर सकी। शीर्ष कार्यों सहित परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) में 1996-97 के दौरान सम्मिलित की गई । उद्वहन सिंचाई योजनाओं को छोड़कर इकाई-II नहर एक अलग घटक के रूप में 2003-04 में ए.आई.बी.पी. में प्रस्तावित की गई ।

योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, ऋण एवं अनुदान के रूप में दी जाना थी । समय-समय पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा सुधारे गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 2005-06 के दौरान भारत सरकार एवं शासन के मध्य अंश का अनुपात 2:1 था (70 प्रतिशत ऋण था एवं 30 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में माना गया था)। 2006-07 से आगे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत

20 *सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र का अतिव्यापन अर्थात एक सिंचाई परियोजना का सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र एक दूसरी सिंचाई परियोजना द्वारा भी सिंचित किया जाना ।*

केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधानित था । जुलाई 2007 को अद्यतन लागत ₹ 1898.65 करोड़ पर दोनों उद्वहन सिंचाई योजना को छोड़कर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा परियोजना को आर.आई.डी.एफ. XIII के अंतर्गत अनुमोदित किया गया (2007)। मार्च 2007 तक पहले से ही किए गए व्यय को घटाने के पश्चात शेष लागत ₹ 1324.33 करोड़ थी । नाबार्ड को 2007-08 से 2009-10 तक ₹ 943.58 करोड़ का ऋण प्रदान करना था एवं ₹ 331.08 करोड़ (25 प्रतिशत) की शेष लागत ए.आई.बी.पी. निधियों एवं शासन से (पाँच प्रतिशतः ₹ 49.67 करोड़) मिलनी थी ।

परियोजना पर 2004-05 तक व्यय ₹ 353.98 करोड़ था । 2005-10 की अवधि के दौरान परियोजना की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

**तालिका क्र. 1.12: बजट आवंटन एवं व्यय**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट प्रावधान | बजट आवंटन | | | व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्रीय अंश | राज्य अंश | कुल | |
| 2005-06 | 82.38 | 58.73 | 36.14 | 94.87 | 91.32 |
| 2006 07 | 148.98 | 87.55 | 50.91 | 138.46 | 134.31 |
| 2007-08 | 175.54 | 42.60 | 136.69 | 179.29 | 177.26 |
| 2008-09 | 178.81 | 33.49 | 110.64 | 144.13 | 143.48 |
| 2009-10 | 57.04 | 12.05 | 48.71 | 60.76 | 60.66 |
| **कुल (2005-2010)** | **642.75** | **234.42** | **383.09** | **617.51** | **607.03** |

**स्रोतः प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदान की गई जानकारी**

अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन एवं निधियों के व्यपवर्तन के कुछ दृटांतों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

**2005-10 के दौरान निधियाँ पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की गई थीं।**

यह अवलोकित किया गया कि 2005-10 के दौरान ₹ 617.51 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध ₹ 607.03 करोड़ का व्यय किया गया । इससे प्रदर्शित हुआ कि कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अनुदान पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए गए थे ।

**नहरों के निर्माण के लिए प्रदान की गई निधियाँ उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए उपयोग की गई।**

बाणसागर नहरों के लिए प्रदान किए गए प्रशासनिक अनुमोदन में शासन ने निर्देशित किया कि उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए विद्युत एवं रखरखाव के लिए निधियों की उपलब्धता के पश्चात ही गुढ़-मउगंज एवं त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजनाओं (₹ 155.85 करोड़ की प्राक्कलित लागत) के निर्माण शासन के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही प्रारंभ किए जाने थे । इन उद्वहन सिंचाई योजनाओं के निर्माण ए.आई.बी.पी. (2003-04) एवं नाबार्ड ऋण 2007-08 के कार्यों के क्षेत्र से निकाल दिए गए थे ।

इन आवश्यकताओं के विपरीत यद्यपि शासन ने दोनों उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए कार्य प्रारंभ करने को, उनके रखरखाव के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अनुमत किया (नवम्बर 2007) । फलस्वरूप, केन्द्रीय सहायता एवं नाबार्ड ऋण से उद्वहन सिंचाई योजनाओं (2008 से 2010) के निर्माण के लिए ₹ 38.73 करोड़[21] की राशि उपयोग की गई यथा इन उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए निधियों का कोई विशिष्ट आवंटन उपलब्ध नहीं था।

मुख्य अभियंता ने बताया (सितम्बर 2010) कि शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात व्यय किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नहरों के लिए प्रावधानित निधियों से कार्य प्रारंभ किया गया ।

## 1.2.8 परियोजना कार्यान्वयन

परियोजना से संबंधित कार्यों के प्रभावी एवं लागतक्षम कार्यान्वयन के लिए, विलंब से बचने एवं अभीष्ट लाभों का समयबद्ध बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए, क्रियान्वयन एवं विशिष्ट सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य एवं सीमाचिन्ह निर्धारित किए गए थे । कार्य मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली एवं प्रमुख अभियंता द्वारा जारी विशिष्टियों के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित होने थे ।

नियमावली के प्रावधान एवं विशिष्टियों से विचलन एवं कमियों के दृष्टांतों की नीचे चर्चा की गई है:

### *1.2.8.1 लक्ष्यों की उपलब्धि न होना*

गुढ़-मउगंज एवं त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजनाओं को छोड़कर मुख्य नहरों एवं वितरण प्रणाली के कार्यों को जून 2009 तक पूर्ण करने के लिए, इकाई-II नहर परियोजना तीन चरणों (जून 2005 तक चरण-I, जून 2008 तक चरण-II ए एवं जून 2009 तक चरण-II बी) में विभाजित की गई थी। परियोजना को नाबार्ड ऋण के लिए सम्मिलित करते समय पूर्णता की तिथि को जून 2009 से मार्च 2010 पुनरीक्षित किया गया । विभाग द्वारा प्रत्येक चरण के लम्बाई वार लक्ष्य अभिलिखित किए गए थे । तथापि, इसमें चरणवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां अभिलिखित नहीं हुईं। जब लेखापरीक्षा में जाँच की गई तो विभाग ने मात्र मार्च 2010 तक अंतिम उपलब्धियों (लम्बाई वार) के आंकड़े प्रदान किए । लम्बाई वार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

| | | |
|---|---|---|
| 21 | *गुढ़ मउगंज उद्वहन सिंचाई योजना.* | *₹ 5.10 करोड़* |
| | *त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना* | *₹ 33.63 करोड़* |
| | *कुल* | *₹ 38.73 करोड़* |

तालिका क्र. 1.13: लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

| नहर प्रणाली का नाम | नहर प्रणाली की लक्षित लम्बाई कि.मी. में | मार्च 2010 तक वास्तविक पूर्णता (कि.मी. में) | पूर्णता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| दाँयी तट नहर | 82.74 | 82.54 | 99.75 |
| भितरी नहर | 50.00 | 50.00 | 100 |
| सिहावल नहर | 443.74 | 355.70 | 80.16 |
| क्योटी नहर | 390.91 | 205.25 | 52.50 |
| पूरवा नहर | 495.88 | 218.47 | 44.06 |
| **कुल** | **1463.27** | **911.51** | |
| **संरचनाओं की संख्या** | **3351** | **1857** | **55.42** |

**स्रोतः मुख्य अभियंता, गंगा कछार रीवा द्वारा प्रदान की गई जानकारी**

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2010 तक, तीन नहर प्रणालियों नामतः सिहावल, क्योटी एवं पूरवा नहरों की प्रगति 44 से 80 प्रतिशत के मध्य थी एवं संरचनाओं का निर्माण 55.42 प्रतिशत रहा। धीमी प्रगति मुख्यतः निम्न कारणों से थीः

- नमूना जाँच किए गए 44 में से 20 प्रकरणों में कार्य विलंब से 2008-09 में सौंपे गए थे।
- नमूना जाँच किए गए 44 में 25 प्रकरणों में पूर्णता की नियत तिथियों के तुलना में ठेकेदारों द्वारा कार्यों की पूर्णता में विलंब एक से साढ़े चार वर्षों तक थे।
- पूरवा एवं क्योटी मुख्य नहरों के कार्य क्रमशः 2001 एवं 2003 में प्रारंभ किए गए। इन नहरों के लिए वितरिकाओं के निर्माण का कार्य हेतु वितरिका संभाग को नियत किया गया जो 2003 में स्थापित हुआ किन्तु इसका कार्य 2006 में प्रारंभ हुआ।

मुख्य अभियंता ने बताया (सितम्बर 2010) कि वर्ष वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां कार्य की मात्राओं के संदर्भ में संधारित किए गए हैं न कि नहरों की लम्बाई के अनुसार। उन्होंने आगे बताया कि कार्य जून 2012 तक पूर्ण होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिट्टी कार्य की मात्राएँ प्राक्कलित मात्राओं से पहले ही बढ़ीं हुईं थीं। 31787.601 हजार घनमीटर खुदाई की प्राक्कलित मात्रा की तुलना में 31966.81 हजार घनमीटर खुदाई मार्च 2010 तक पहले ही निपादित हो चुकी थी जबकि मार्च 2010 तक नहरों की लम्बाई की पूर्णता 44.06 प्रतिशत (पूरवा नहर) से 80.16 प्रतिशत (सिहावल नहर) तक के मध्य थी। इसलिए निष्पादित मात्राओं के संदर्भ में प्रगति से पूर्णता की वास्तविक स्थिति सूचित नहीं होती थी।

प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग के साथ अप्रैल 2010 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन के पश्चात शासन ने परियोजना की भौतिक स्थिति की समीक्षा के लिए, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की (जुलाई 2010)। नहर कार्यों के अवमानक निष्पादन एवं विशिष्टियों एवं रूपांकनों के अनुरूप न होने वाले कार्यों से संबंधित समीक्षा समिति के महत्वपूर्ण अवलोकनों (सितम्बर 2010 में शासन को प्रस्तुत) का एक सार **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है।

### 1.2.8.2 सिंचाई क्षमता का सृजन न होना

1,23,634 हे. की सिंचाई क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2004-05 तक निर्मित क्षमता मात्र 22,432 हे. थी । 2005-2010 की अवधि के दौरान विभिन्न नहरों से सिंचाई क्षमता के विकास के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां **तालिका 1.14** के अनुसार थे ।

**सिंचाई क्षमता के विकास में 33.92 प्रतिशत की कमी थी । वास्तविक सिंचाई 4.19 प्रतिशत से 15.67 प्रतिशत के मध्य थी ।**

**तालिका क्र. 1.14: विकसित एवं उपयोगित सिंचाई क्षमता**

*(सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र हे. में)*

| नहर का नाम | रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे.) | 2004-05 तक विकसित सिंचाई क्षमता | 2005-06 लक्ष्य<br>उपलब्धि | 2006-07 लक्ष्य<br>उपलब्धि | 2007-08 लक्ष्य<br>उपलब्धि | 2008-09 लक्ष्य<br>उपलब्धि | 2009-10 लक्ष्य<br>उपलब्धि | मार्च 2010 तक कुल उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दाँयी तट नहर | 4047 | -<br>4047 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | -<br>4047 |
| भितरी नहर | 2184 | -<br>2184 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | -<br>2184 |
| सिहावल नहर | 21714 | -<br>9566 | 11648<br>1484 | 10164<br>2640 | 7524<br>2800 | 4724<br>750 | 3974<br>200 | 21714<br>17440 |
| क्योटी नहर | 36422 | -<br>2536 | 23338<br>3500 | 20038<br>12695 | 7343<br>1463 | 5880<br>900 | 4980<br>7500 | 36422<br>28594 |
| पूरवा नहर | 59267 | -<br>4099 | 42276<br>1499 | 40777<br>16750 | 24027<br>4840 | 19187<br>1200 | 17987<br>1049 | 59267<br>29437 |
| **कुल लक्ष्य<br>उपलब्धि** | **123634** | **-<br>22432** | **77262<br>6483** | **70979<br>32085** | **38894<br>9103** | **29791<br>2850** | **26941<br>8749** | **123634<br>81702** |
| **प्रतिशत उपलब्धि** | | 18.14 | 15.33 | 45.20 | 23.40 | 9.60 | 32.47 | 66.08 |
| **सृजित संचयी सिंचाई क्षमता** | | 22432 | 28915 | 61000 | 70103 | 72953 | 81701 | |
| **वास्तविक सिंचाई** | | | **6482** | **9300** | **24221** | **24208** | **18064** | |
| **प्रस्तावित सिंचाई[22] से वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत** | | | **4.19** | **6.02** | **15.67** | **15.66** | **11.69** | |

**स्रोतः मुख्य अभियंता, गंगा कछार रीवा द्वारा प्रदान की गई जानकारी**

इस प्रकार, 1,23,634 हे. के लक्ष्य के विरूद्ध, मार्च 2010 तक सृजित सिंचाई क्षमता मात्र 81,701 हे. (66.08 प्रतिशत) थी इसके परिणामस्वरूप 41,933 हे. (33.92 प्रतिशत) की कमी थी । इसी प्रकार, उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित सिंचाई की तुलना में वास्तविक सिंचाई 2005-06 में 4.19 प्रतिशत एवं 2009-10 में 11.69 प्रतिशत तक कम रही । कृषकों को सिंचाई देने में न्यूनता 95.81 प्रतिशत से 84.33 प्रतिशत के मध्य थी । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सिंचाई में कमी (I) मध्य की दूरियों में अनिर्मित लम्बाई छोड़ते हुए आंशिक लम्बाई में नहरों का निर्माण (II)हेड रेग्यूलेटरों के 175 के लक्ष्य के विरूद्ध 105 का निर्माण न होना एवं (III) वितरिकाओं एवं लघु नहरों के 1036.98 कि.मी. लम्बाई के लक्ष्य के विरूद्ध 472.33 कि.मी. का निर्माण न होना, के कारण थी ।

22 *125 प्रतिशत सिंचाई तीव्रता पर 123634 हे. प्रस्तावित सिंचाई= 154543 हे.*

मुख्य अभियंता ने बताया (सितम्बर 2010) कि संभागीय कार्यालयों से जानकारी प्राप्त होने पर उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010) ।

### *1.2.8.3 संरेखण के परिवर्तन के कारण विलंब*

**महिदलकलाँ वितरिका एवं नौबस्ता वितरिका विलंबित हुई एवं एक सीमेंट निर्माण कम्पनी को ₹ 7.23 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।**

महिदलकलाँ वितरिका एवं नौबस्ता वितरिका का निर्माण दो विभिन्न ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 6.76 करोड़ एवं ₹ 8.92 करोड़ पर सौंपा गया (जून 2005 एवं दिसम्बर 2006) । ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 2.95 करोड़ एवं ₹ 2.07 करोड़ का भुगतान किया गया (जून 2010 एवं सितम्बर 2009)। भूमि अधिग्रहण पर ₹ 1.36 करोड़ एवं ₹ 2.76 करोड़ की राशि व्यय की गई थी । निर्माण के दौरान यह पाया गया कि महिदलकलाँ वितरिका के चार कि.मी. का एक भाग (कि.मी. 2.40 से कि.मी. 6.40) एवं नौबस्ता वितरिका, एक सीमेंट निर्माण कम्पनी की चूना पत्थर खदान की पट्टे वाली भूमि पर संरेखित की गई थी । कम्पनी के अनुरोध (मार्च 2007) पर, शासन ने इस शर्त के साथ नहरों के संरेखण में परिवर्तन का निर्णय लिया (अगस्त 2008) कि कम्पनी, नए संरेखण पर निर्माण के कुल व्यय साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण एवं पुराने संरेखण पर नहरों के निर्माण पर विभाग द्वारा पहले से ही किए गए व्यय को वहन करेगी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि यद्यपि दो वर्ा की अवधि व्यतीत हो गई थी, निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण पर व्यय किए गए ₹ 2.40 करोड़[23] एवं ₹ 4.83 करोड़[24] कम्पनी से नहीं मांगे गए थे एवं नहर के नए संरेखण पर सर्वेक्षण अभी होना शेष था । इस प्रकार नहर का निर्माण न केवल विलंबित हुआ बल्कि कम्पनी को ₹ 7.23 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (जुलाई एवं सितम्बर 2010) कि कम्पनी ने सर्वेक्षण कार्य हेतु ₹ 8.17 लाख एवं ₹ 6.58 लाख जमा किए (सितम्बर 2010)। किसानों की आपत्तियों के कारण महिलदकलाँ वितरिका का सर्वेक्षण लंबित था एवं नौबस्ता वितरिका के नए संरेखण पर सर्वेक्षण की प्रगति सूचित की जाएगी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले से ही किए गए व्यय को कम्पनी से नहीं मांगा गया था ।

### *1.2.8.4 समन्वय के अभाव के कारण परिहार्य व्यय*

**समन्वय के अभाव के कारण ₹ 6.67 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।**

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (जून 1980) तकनीकी परिपत्र 70/1 के अनुसार, जब एक परिरेखा (कंटूर) नहर उसके मार्ग की लम्बाई में अधिक नालियों को पार करती है तो उपयुक्त ड्रेनेज क्रासिंग प्रावधानित करना होता है । कुछ प्रकरणों में दो या अधिक नालियों को संयुक्त करना एवं केवल एक क्रासिंग निर्मित करना संभव है। एक नाली को साथ की एक नाली में मोड़ना है या नहीं, का निर्णय करने में प्रारंभिक तकनीकी परीक्षण के आधार पर विवेक सम्मत समझ-बूझ का उपयोग करना चाहिए ।

---

23 *महिदलकलाँ वितरिकाः निर्माण पर ₹ 1.04 करोड़ + भूमि अधिग्रहण पर ₹ 1.36 करोड़ = ₹ 2.40 करोड़*

24 *नौबस्ता वितरिकाः निर्माण पर ₹ 2.76 करोड़ + भूमि अधिग्रहण पर ₹ 2.03 करोड़ = ₹ 4.83 करोड़*

म.प्र. की सिहावल मुख्य नहर एवं उ.प्र. की उ.प्र. पोाक नहर (यू.पी.एफ.सी.) परिरेखा नहरें हैं। यू.पी.एफ.सी. सिहावल मुख्य नहर के 15.24 कि.मी. से निकलती है एवं उसके बाद कैमूर की पहाड़ियों में अधिक ऊँचाई पर सिहावल नहर से 150 मी. से 200 मी. की दूरी पर समांतर चलती है। सिहावल नहर का निर्माण फरवरी 1998 तक आंशिक रूप से पूर्ण हुआ था जबकि यू.पी.एफ.सी. का कार्य 1998 में प्रारंभ हुआ था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, शासन ने ₹ 14.05 करोड़ की लागत पर 15.25 कि.मी. से 75.27 कि.मी. के मध्य ड्रेनेज साइफन एवं ड्रेनेज कलवर्ट जैसी 108 संरचनाओं की आयोजना की थी जिनमें से मार्च 2009 तक ₹ 12.94 करोड़ पहले ही व्यय किए जा चुके थे। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग (यू.पी.आई.डी.) ने यू.पी.एफ.सी. पर मात्र 16 बड़ी संरचनाएँ निर्मित कीं किन्तु जो सिहावल नहर की संरचनाओं के सामने नहीं थीं। सिहावल नहर पर निर्मित छोटी संरचनाएँ यू.पी.एफ.सी. की बड़ी संरचनाओं से आ रहे पानी के अत्यधिक निकास को सिहावल नहर को क्षतिग्रस्त किए बिना पार करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा के अनुसार (अगस्त 2006) इस स्थिति में ₹ 5.50 करोड़ की प्राक्कलित लागत से 14 नई संरचनाओं का निर्माण एवं चार विद्यमान संरचनाओं का नवीनीकरण आवश्यक था। यदि कार्य की आयोजना, यू.पी.आई.डी. के साथ उचित समन्वय से, यह ध्यान में रखते हुए कि यू.पी.एफ.सी. उच्चतर स्तर पर स्थित है एवं यू.पी.एफ.सी. की संरचनाओं से आनेवाला पानी अंततः सिहावल नहर की संरचनाओं से गुजरेगा, की जाती तो ₹ 6.67 करोड़ का व्यय टाला जा सकता था।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (सितम्बर 2010) कि नई संरचनाओं का निर्माण यू.पी.एफ.सी. की संरचनाओं से आ रहे जल निकास को पार कराने हेतु आवश्यक था एवं कार्य उच्च प्राधिकारियों के अनुदेशों के अनुसार किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी परिपत्रों के प्रावधानों एवं यू.पी.एफ.सी. की योजना के अनुसार कार्य उचित रूप से योजनाबद्ध नहीं था एवं विभाग यू.पी.आई.डी. के साथ समन्वय में विफल रहा।

### *1.2.8.5 एक वितरिका के हेड रेग्यूलेटर का निर्माण न होने के कारण निधियों का अवरूद्ध होना*

**निकासद्वार के निर्णय को लंबित रखते हुए शिकारगंज वितरिका के निर्माण के कारण ₹ 4.02 करोड़ अवरूद्ध हुए।**

1999 के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में, 2762 हे. सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र (आई.सी.ए.) सृजित करने के लिए सिहावल मुख्य नहर के 0.21 कि.मी. से 4.68 कि.मी. लम्बी शिकारगंज वितरक नहर का निर्माण प्रावधानित था। कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया (मार्च 2001) ले-आउट के समय विभाग द्वारा यह पाया गया कि प्राक्कलन में अनुमोदित भूतल स्तर प्रारंभिक भूतल स्तरों से भिन्न थे। इसलिए, वितरिका की दक्षता एवं उपयोगिता विवादास्पद हुए। इसी कारण से, पूर्व की वितरिका के आई.सी.ए. को 1170 हे. कम करते हुए, 1454 हे. के लिए संयुक्त जल वाहिनी (सी.डब्लू.सी.) के कि.मी. 10.80 से एक अन्य 13.30 कि.मी. लम्बी वितरिका क्र.2 के निर्माण का निर्णय लिया गया (अप्रैल 2002)। वितरिका क्र.2 के हेड रेग्यूलेटर के निर्माण पर निर्णय लंबित रखते हुए कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया (दिसम्बर 2002) जिसे ₹ 4.02 करोड़ का भुगतान किया गया (अगस्त 2008)। एम.पी.एस.ई.बी. से, सी.डब्लू.सी. के 10.80 कि.मी. पर एक हेड रेग्यूलेटर के निर्माण की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया (जनवरी 2005) चूँकि सी.डब्लू.सी. उनके नियंत्रण में थी। एक अंतर्राज्यीय प्रकरण होने से, एम.पी.एस.ई.बी. को बाणसागर नियंत्रण

मंडल से अनुमति अपेक्षित थी (फरवरी 2005) । सितम्बर 2010 तक, मुख्य अभियंता गंगा कछार ने नियंत्रण मंडल से आवश्यक अनुमति लेने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी । इस प्रकार हेड रेग्यूलेटर के निर्माण के बिना, शिकारगंज वितरक नहर क्र.2 के निर्माण पर किए गए व्यय (₹ 4.02 करोड़) के परिणामस्वरूप शासकीय धन का अवरोध हुआ ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (सितम्बर 2010) कि शिकारगंज वितरिका क्र.2 का निर्माण प्रगति पर था एवं साइफन प्रणाली द्वारा नहर के शीर्ष पर पानी प्रदान किया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हेड रेग्यूलेटर को छोड़कर, साइफन के निर्माण के बारे में एम.पी.एस.ई.बी. के साथ कोई पत्राचार नहीं था एवं सी.डब्लू.सी. पर साइफन के लिए अनुमति एम.पी.एस.ई.बी. एवं नियंत्रण मंडल से प्राप्त नहीं की गई थी ।

### *1.2.8.6 अनुपयुक्त माइल्ड स्टील पाईपों का क्रय*

**आवश्यकता के अनुरूप न होने वाले एम.एस.पाईप के क्रय से ₹ 5.67 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।**

(i) मुख्य अभियंता, गंगा कछार रीवा ने ₹ 2.32 करोड़ से क्योटी मुख्य नहर के 60.06 कि.मी. पर एक एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट के निर्माण का प्राक्कलन अनुमोदित किया (जुलाई 2007)। प्राक्कलन में 10 मि.मी. मोटाई के 1800 मि.मी. व्यास के दो पंक्तियों में एम.एस.पाईप का उपयोग प्रावधानित था । नहर में 5.122 क्यूमेक का बहाव एवं नहरतल में 6000 में 1 का ढाल था किन्तु बहाव की गणना करते समय विभाग ने दो पाईपों से रूपांकित बहाव को तुल्य बनाने के लिए 1500 में 1 का अधिक ढाल चुना (जुलाई 2007)। क्रय के लिए ₹ 96.09 लाख का भुगतान किया गया था (फरवरी 2007)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नहर में 6000 में 1 के नहरतल के ढाल के आधार पर 1800 मि.मी. व्यास की दो पंक्तियों में एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट मात्र 2.75 क्यूमेक बहाव के निकास के योग्य था । इस प्रकार ₹ 96.09 लाख की लागत पर 1800 मि.मी. व्यास के पाईप का क्रय निष्फल था ।

(ii) मुख्य अभियंता ने, 5500 में 1 नहरतल के ढाल पर 5.309 क्यूमेक बहाव वाली पूरवा मुख्य नहर के 112.50 कि.मी. एवं 113.16 कि.मी. पर दो पंक्तियों में 10 मि.मी. मोटाई के 2000 मि.मी.व्यास के एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट के निर्माण को अनुमोदित किया (जनवरी एवं जुलाई 2007)। यद्यपि, विभाग ने रूपांकित बहाव के तुल्य करने के लिए 1500 में 1 के अधिक ढाल को अपनाते हुए रूपांकन तैयार किया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 5500 में 1 के नहरतल में ढाल के आधार पर 2000 मि.मी. व्यास के दो पंक्तियों में एम.एस. पाईप एक्वाडक्ट मात्र 3.812 क्यूमेक बहाव के निकास के योग्य था । इस प्रकार एम.एस.पाईप के क्रय पर किए गए (मार्च 2007 से मार्च 2010) व्यय ₹ 4.71 करोड़ की राशि निष्फल थी । आगे, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सी.टी.ई.) ने अवलोकित किया (अप्रैल 2010) कि 113.16 कि.मी. पर एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट के लिए प्रदाय किए गए पाईप विरूपित हो गए एवं इनमें जंग लग रहा था क्योंकि पाईपों का गुणवत्ता वाले पेंट से आवरण नहीं गया था ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2010) कि नहर अंतिम क्षेत्र (टेल एरिया) में थी जहाँ पानी का प्रदाय स्वतः ही घटा हुआ था एवं इस प्रकार घटे हुए नहर तल स्तर (सी.बी.एल.) को बनाए रखा जाएगा क्योंकि सी.बी.एल. में मात्र 30 से.मी. तक कमी होगी । उत्तर संबद्ध नहीं है क्योंकि नहर का सेक्शन 5.309 क्यूमेक के बहाव हेतु अनुमोदित था एवं नहर तल स्तर में कमी अंततः सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र (आई.सी.ए.) को कम करेगी ।

### *1.2.8.7 विशिटियों के अनुसार कार्यों का निपादन न होना*

**₹ 53.17 लाख का मिट्टी कार्य उचित संहतिकरण के बिना किया गया था ।**

अनुबंध के भाग के रूप में, सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार नहर तटबन्ध के मिट्टी कार्य, अनुकूलतम आर्द्रता धारिता पर अधिकतम शुष्क घनत्व तक सुदृढ़ कर, 15 से.मी. मोटाई में परत दर परत निपादित किया जाना आवश्यक था । दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.) के अनुसार, सुदृढ़ीकृत मिट्टी कार्य के भुगतान करने से पूर्व संकुचन अंश (श्रींकेज एलाउन्स) के कारण सुदृढ़ीकृत मिट्टी कार्य की मात्रा से 10 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए । आगे, यू.एस.आर. में यह भी प्रावधानित है कि यदि मिट्टी कार्य की मद न तो रोल्ड है न ही जल सिंचित है तो मिट्टी कार्य की निष्पादित मात्रा में से 20 प्रतिशत की कटौती करना था ।

पैकेज पी.सी.पी. 13 ए-I के निर्माण के लिए अनुबंध में उल्लिखित मिट्टी कार्य की मद के अनुसार, मिट्टी कार्य की निष्पादित एवं भुगतान की गई (जून 2010) 386704.61 घनमीटर मात्रा को 90 प्रतिशत तक सुदृढ़ीकृत किया जाना आवश्यक था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मिट्टी कार्य की 106339.64 घनमीटर का भुगतान 10 प्रतिशत संकुचन अंश के स्थान पर 20 प्रतिशत घटाने के पश्चात किया गया । 20 प्रतिशत संकुचन अंश की कटौती से प्रदर्शित हुआ कि मिट्टी कार्य रोलिंग एवं जल छिड़काव के बिना किया गया था जो संपूर्ण मिट्टी कार्य का एक आवश्यक भाग था । इस प्रकार ₹50 प्रति घनमीटर की दर से ₹ 53.17 लाख की राशि से किया गया मिट्टी कार्य जल छिड़काव एवं रोलिंग के बिना अवमानक था ।

कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा ने बताया (अगस्त 2010) कि मात्राओं पर रोक लगाने के लिए निष्पादित मात्रा में से 20 प्रतिशत की कटौती की गई । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दरों की एकीकृत अनुसूची के अनुसार ठेकेदार के भुगतान से "न तो रोल्ड न ही जल सिंचित" मिट्टी कार्य से 20 प्रतिशत की कटौती की जानी थी । इस प्रकार निष्पादित मात्रा से 20 प्रतिशत कटौती का अभिप्राय हुआ कि मिट्टी कार्य न रोल्ड था और न ही जल सिंचित था ।

### *1.2.8.8. अवमानक सीमेंट कंक्रीट टो वॉल का निर्माण*

यू.पी.एफ.सी., म.प्र. की सिहावल नहर के 15.24 कि.मी. पर बाएँ पार्श्व से निकलती है एवं कैमूर पहाड़ियों में अधिक ऊंचे स्तर पर 150 मी. से 200 मी. की दूरी पर समांतर संरेखित है । यू.पी.एफ.सी. के कार्य 1998 में प्रारंभ हुए थे एवं प्रगति पर थे । सिहावल नहर की खुदाई 2002 में प्रारंभ की गई थी । यू.पी.एफ.सी. की कार्यान्वयन करने वाली ऐजेंसी ने निर्माण के दौरान उत्खनित सामग्री उसके दाँए तट पर रखी जो सिहावल नहर में गिरी एवं नहर को क्षतिग्रस्त किया । संरक्षण के रूप में, यू.पी.आई.डी. ने यू.पी.एफ.सी. के 7.60 कि.मी. से 8.60 कि.मी. (सिहावल नहर के 22 कि.मी. से 23 कि.मी) पर एक पत्थर चिनाई की टो वॉल का निर्माण किया ।



यू.पी.एफ.सी. की पत्थर चिनाई की टो वॉल का दृश्य

चूँकि यू.पी.आई.डी. द्वारा निर्मित एक कि.मी. लम्बी टो वॉल म.प्र. की सिहावल नहर को पर्याप्त रूप से संरक्षित (बगल में निचले स्तर पर निर्मित होने से) नहीं करती थी, मुख्य अभियंता, बाणसागर ने सिहावल नहर के बाएँ तट पर, इसे यू.पी.एफ.सी. की फिसलन से बचाने के लिए, 14.1 कि.मी. लम्बी एवं एक से पाँच मीटर ऊँची सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) प्रबलित टो वॉल (15.24 कि.मी. से 75.27 कि.मी. के मध्य) के निर्माण के लिए ₹ 19.58 करोड़ का एक प्राक्कलन अनुमोदित किया (सितम्बर 2006) । कार्य एक ठेकेदार को ₹ 18.20 करोड़ पर सौंपा गया (2007-08) जिसने 8.50 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया (जून 2010) एवं जिसे ₹ 15.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया (जून 2010) ।

**₹ 3.17 करोड़ की राशि की अवमानक सीमेंट कंक्रीट टो वॉल का निष्पादन ।**

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2010) में प्रकट हुआ कि सिहावल मुख्य नहर के 15.24 कि.मी. से 75.27 कि.मी. तक सी.सी. टो वॉल के निर्माण के लिए ठेकेदार को 40 मि.मी. गिट्टी (40 प्रतिशत), 20 मि.मी. गिट्टी (35 प्रतिशत) एवं 10 मि.मी. गिट्टी (25 प्रतिशत) का उपयोग करते हुए सी.सी. 1:2:4 का प्रदाय करना था । 28 दिवसों में कंक्रीट की वांछित संपीड़न सामर्थ्य (कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ) 150 कि.ग्रा. प्रति वर्ग से.मी. होनी थी । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सहायक अनुसंधान अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा संचालित की गई गुणवत्ता नियंत्रण जाँच के परिणामों के अनुसार ठेकेदार ने 42.8 कि.मी. से 43.3 कि.मी. तक कंक्रीट में 80 मि.मी. तक अधिक माप की गिट्टी का उपयोग किया था । कंक्रीट (20.285 कि.मी. से 21.5 कि.मी, 25 कि.मी. एवं 42.8 कि.मी. से 43.3) की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 107 कि.ग्रा. प्रति वर्ग से.मी. से 145 कि.ग्रा. प्रति वर्ग से.मी. तक कम थी । कंक्रीट में उपयोग की गई गिट्टी एक प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक पानी अवशोाति करती थी । कार्यपालन यंत्री ने भी अवलोकित किया (अप्रैल से सितम्बर 2009) कि गिट्टी में धूल समाविट थी ।

इसलिए उक्त स्थान पर निष्पादित किया गया ₹ 3.17 करोड़ का कार्य अवमानक था । कार्यपालन यंत्री ने बताया (अगस्त 2010) कि ठेकेदार पर अधिक माप की गिट्टी के लिए शास्ती आरोपित की गई है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप से वसूली की गई शास्ति के विवरण देयक में उल्लिखित नहीं थे । सीमेंट कंक्रीट की कम सामर्थ्य के लिए कार्यपालन यंत्री ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की ।

### *1.2.8.9 एक समिश्र कार्य को उच्चतर दर पर निविदा आमंत्रित किए बिना सौंपा जाना*

निर्माण विभाग संहिता के कंडिका 2.077 में वांछनीय था कि ₹ दो लाख एवं अधिक की राशि के प्रत्येक कार्य के लिए विभाग को युक्तियुक्त दरें प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में प्रचार के माध्यम से पारदर्शी रीति से निविदाएं आमंत्रित करना चाहिए । म.प्र. भंडार क्रय नियमों के अनुसार, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (म.प्र.ल.उ.नि.), म.प्र. भंडार क्रय नियमों में उल्लिखित मात्र आरक्षित मदों के प्रदाय के लिए मांगपूर्ति एजेंसी थी । यद्यपि, विभाग को उनकी आवश्यकताओं के

**यद्यपि म.प्र.ल.उ.नि. क्रय के लिए एक मांगपूर्ति एजेंसी है, ₹ 50.15 करोड़ राशि का उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य खुली निविदाएँ आमंत्रित किए बिना म.प्र.ल.उ.नि. के माध्यम से सौंपा गया।**

उपयुक्त विशेष विशिष्टि की एक वस्तु की आवश्यकता के प्रकरण में म.प्र.ल.उ. नि. को तदनुसार निविदाएं आमंत्रित करना था । निविदाएं खोलने एवं दरों को अंतिम रूप देने के लिए संबद्ध क्रयकर्ता विभाग को अपने प्रतिनिधि म.प्र.ल.उ.नि. में नामित करना था । निर्माण कार्य एवं नए यांत्रिकीय कार्य की स्थापना, क्रय की परिधि में नहीं आते थे ।

इन संहितीय आवश्यकताओं के विपरीत, निम्न प्रकरणों में गुढ़-मउगंज उद्वहन सिंचाई योजना एवं त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के लिए व्ही.टी. पम्प एवं एम.एस. पाईप की राईज़िंग मेन के रूपांकन, प्रदाय, संस्थापन, स्थापना एवं चालू किए जाने के कार्य एवं विभिन्न नहरों पर एम.एस.पाइप एक्वाडक्ट का ठेका निविदा आमंत्रित किए बिना उच्चतर दरों पर म.प्र.ल.उ.नि. के माध्यम से प्रदायकर्ताओं को दिया गया:

- मुख्य अभियंता गंगा कछार, रीवा ने संस्थापन कार्य सहित गुढ़-मउगंज उद्वहन सिंचाई योजना के लिए समस्त सहायक उपकरणों को सम्मिलित करते हुए व्ही.टी.पम्प एवं मोटर के प्रदाय हेतु ₹ 6.25 करोड़ का प्राक्कलन अनुमोदित किया (नवम्बर 2007) । व्ही.टी. पम्प एवं मोटर की आयोजना, रूपांकन, निर्माण, उत्पादन, प्रदाय इत्यादि हेतु एक मुश्त निविदाएं आमंत्रित की गईं थीं (फरवरी 2008) एवं शासन को प्रस्तुत की गईं । प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने एक मुश्त निविदा के स्थान पर किसी अन्य पद्धति के माध्यम से कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता को निर्देशित किया (सितम्बर 2008) तथा बिना खुली निविदाएं (मूल्य बोली) लौटा दीं । मुख्य अभियंता के अनुदेशों पर, अधीक्षण यंत्री ने म.प्र.ल.उ.नि. को उनके दर ठेके पर कार्य कराने के लिए एक मांगपत्र जारी किया (जनवरी 2009) । म.प्र.ल.उ.नि. ने "व्ही.टी.पम्प, मोटर, एवं सहायक विद्युत उपकरणों के रूपांकन, प्रदाय, संस्थापन, निर्माण, चालू करने, संचालन एवं संधारण रूंपाकर्न का ₹ 26.22 करोड़ पर एक कार्य का एक सीधा प्रदाय आदेश एक मुश्त आधार पर इंदौर की एक फर्म को जारी किया (मई 2009)। इस प्रकार कार्य, विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित किए बिना एवं तिथि पर प्रचलित दरों के औचित्य या मूल निर्माता की दर सूची में उपलब्ध दरों के बिना, प्राक्कलित दरों की तुलना में ₹ 19.96 करोड़ उच्चतर दर पर सौंपा गया

- व्ही.टी. पम्प की मद म.प्र.ल.उ.नि. के माध्यम से क्रय हेतु एक आरक्षित मद[25] नहीं थी । अधीक्षण यंत्री ने कार्यपालन यंत्री को एक मुश्त निविदा दस्तावेज के लिए पूरक अनुबंध निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया (जून 2009)। यद्यपि कार्यपालन यंत्री ने अनुबंध निष्पादित नहीं किया एवं सूचित किया (जुलाई एवं अगस्त 2009) कि कार्य यांत्रिकीय प्रकृति का था एवं इसे विद्युत एवं यांत्रिकीय विभाग द्वारा किया जा सकता था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि म.प्र.ल.उ.नि. द्वारा आमंत्रित की गई निविदाएं अपूर्ण थीं क्योंकि इसमें कोई पूर्व अर्हता बोली, कार्य का क्षेत्र एवं भुगतान की रीति समाविष्ट नहीं

25 *म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुसार कुछ मदें केवल म.प्र.ल.उ.नि. के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित हैं ऐसी मदें आरक्षित मदे हैं।*

थे। फर्म ने उद्वहन सिंचाई योजना के केवल आरेखन एवं रूपांकन प्रदाय किए । आरेखन एवं रूपांकन के लिए 10 प्रतिशत (₹ 2.62 करोड़) के भुगतान के विरूद्ध कार्यपालन यंत्री ने फर्म को ₹ 28 लाख का भुगतान अनुबंध निष्पादित किए बिना किया (अगस्त 2009)।

- मुख्य अभियंता गंगा कछार, रीवा ने त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के पम्प गृह के लिए प्रत्येक 1050 हार्सपावर के सात व्ही.टी. पम्प के क्रय एवं स्थिति नियतन हेतु ₹ 7.35 करोड़ का एक प्राक्कलन भी अनुमोदित किया (अप्रैल 2008)। शासन ने आमंत्रित किए जाने वाले ठेकों के प्रकार का उल्लेख किए बिना एक निविदा कार्यक्रम अनुमोदित किया (जुलाई 2008)। यद्यपि, अधीक्षण यंत्री ने "व्ही.टी.पम्प, मोटर, एवं सहायक विद्युत उपकरणों के रूपांकन, प्रदाय, संस्थापन, निर्माण, चालू करने, संचालन एवं संधारण रूपांकन" के लिए म.प्र.ल.उ. नि. को एक मांगपत्र जारी किया (जनवरी 2009। म.प्र.ल.उ.नि. ने कार्य के लिए ₹ 23.93 करोड़ पर एक मुश्त आधार पर एक प्रदाय आदेश इंदौर की उसी फर्म को जारी किया (मई 2009) । आरेखन एवं रूपांकन के लिए 10 प्रतिशत (₹ 2.39 करोड़) के स्वीकार्य भुगतान के विरूद्ध आरेखन एवं रूपांकन के लिए ₹ 1.20 करोड़ का भुगतान किया गया (जून से अगस्त 2009) । इस प्रकार कार्य निविदाएं आमंत्रित किए बिना एवं दरों के औचित्य के बिना प्राक्कलित दरों की तुलना में ₹ 16.58 करोड़ की उच्चतर दर पर सौंपा गया ।

  कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ने बताया (जुलाई 2010) कि मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा द्वारा, व्ही.टी. पम्प का म.प्र.ल.उ.नि. के माध्यम से क्रय का निर्णय लिया गया किन्तु शासन द्वारा अनुमोदित नहीं था । म.प्र.ल.उ.नि. ने भी म.प्र. लोकायुक्त के समक्ष एक सुनवाई (जुलाई 2010) में निविदा की किसी जिम्मेदारी के बारे में इन्कार किया । मुख्य अभियंता के अनुसार, तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री, लाइट मशीनरी, टयूबवेल एवं गेट संभाग, रीवा म.प्र.ल.उ.नि. में बैठक में उपस्थित थे (मई 2009) किन्तु ठेके के मूल्यांकन से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

- अधीक्षण यंत्री, बाणसागर नहर मंडल, रीवा ने त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना, गुढ़-मउगंज उद्वहन सिंचाई योजना, की राईज़िंग मेन, विभिन्न नहरों पर सात उपरि मार्ग (सुपर पैसेज) एवं एक्वाडक्ट में उपयोग के लिए एम.एस.प्लेट से बने एम.एस.पाईप (आरक्षित मद) के प्रदाय, आरेखन, रूपांकन, फेब्रिकेशन एवं संस्थापन के लिए म.प्र.ल.उ.नि. को एक मांगपत्र जारी किया । तदनुसार, म.प्र.ल.उ.नि. ने विभिन्न व्यास के एम.एस. पाईप एवं एम.एस.बोल्ट, जैसा **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है, के प्रदाय के लिए ₹ 57.69 करोड़ के प्रदाय आदेश इंदौर के एक प्रदायकर्ता एवं नागपुर के एक अन्य प्रदायकर्ता को जारी किए (मार्च 2007 से अगस्त 2008)। म.प्र.ल.उ.नि. द्वारा आरोपित शर्त के अनुसार, संबद्ध कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मद दर आधार पर प्रदायकर्ता के साथ पूरक अनुबंध निष्पादित करने थे । जून 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रदायकर्ता को ₹ 39.77 करोड़ का भुगतान किया गया । इस प्रकार ₹ 57.69 करोड़ की राशि का कार्य बिना निविदाएं आमंत्रित किए सौंपा गया ।

**उद्वहन सिंचाई योजना के लिए माइल्ड स्टील पाईप एवं एक्वाडक्ट खुली निविदाएँ आमंत्रित किए बिना उच्चतर दरों पर क्रय किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 16.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई ।**

एम.एस.पाईप के लिए म.प्र.ल.उ.नि. की दरों में आरेखन एवं रूपांकन के लिए 10 प्रतिशत, संस्थापन प्रभार के लिए 15 प्रतिशत एवं एम.एस.प्लेट की लागत के लिए 75 प्रतिशत सम्मिलित थे । एम.एस.प्लेट के लिए सेल[26] की ₹ 31.50 प्रति कि.ग्रा. आधार दरों एवं अन्य प्रभारों के 74 प्रतिशत[27] जोड़कर दरों के विश्लेाण में प्रकट हुआ कि एम.एस.पाईप की प्रति कि.ग्रा. दर की गणना ₹ 55 प्रति कि.ग्रा. हुई एवं एक मीटर पाईप की लागत की गणना ₹ 8246 (750 मि.मी व्यास) से ₹ 27200 प्रति मीटर (2000 मि.मी. व्यास) हुई ।

इस प्रकार पाईप असामान्य रूप से उच्च दरों पर क्रय किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 16.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई जैसा निम्न **तालिका 1.15** में दर्शाया गया है:

**तालिका क्र. 1.15 एम.एस.पाईप की उच्चतर दरों का विवरण पत्रक**

| स.क्र. | कार्य का नाम | पाईप का आंतरिक व्यास मि.मी. में | प्रति मीटर भार | प्रदायित मात्रा मीटर | म.प्र.ल.उ.नि. की दर प्रति मीटर | ₹ 55 प्रति कि.ग्रा. पर दर प्रति मीटर | अतिरिक्त लागत (₹ लाख में) ((6)-(7)*(5)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना | 1000 | 198.77 | 1060 | **20599** | **10932** | 102.47 |
| | | 1600 | 396.82 | 5460 | **41196** | **21825** | 1057.65 |
| 2. | गुढ़-मउगंज उद्वहन सिंचाई योजना | 1200 | 237.85 | 1178.13 | **24719** | **13082** | 137.09 |
| 3. | क्योटी मुख्य नहर पर सात सुपर पैसेज | 1700 | 421.54 | 230.79 | **42089** | **23185** | 43.62 |
| 4. | पूरवा मुख्य नहर के 113.16 कि.मी. पर एम.एस. पाईप एक्वाडक्ट | 2000 | 494.55 | 514.45 | **49516** | **27200** | 114.80 |
| 5. | पूरवा मुख्य नहर के 112.35 कि.मी. पर एम.एस. पाईप एक्वाडक्ट | 2000 | 494.55 | 278.68 | **51497** | **27200** | 67.71 |
| 6. | पूरवा मुख्य नहर के 112.50 कि.मी. पर एम.एस. पाईप एक्वाडक्ट | 2000 | 494.55 | 278.60 | **49516** | **27200** | 62.17 |
| 7 | शिकारगंज वितरिका | 750 | 149.93 | 392.525 | **14854** | **8246** | 25.93 |
| 8 | शिकारगंज वितरिका की टेल माइनर | 900 | 178.98 | 121.11 | **17826** | **9844** | 9.66 |
| | | | | | | योग | **1621.10** |

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख अभियंता ने बताया (दिसम्बर 2010) कि दर विश्लेाण की जाँच की जा रही थी एवं क्रय में अवलोकित की गई अनियमितताओं पर कुछ विभागीय कार्रवाई की जा रही थी ।

### *1.2.8.10 एम.एस.पैदलपुलों एवं एम.एस. साइनबोर्ड का अनियमित क्रय*

➢ म. प्र. भण्डार क्रय नियम के नियम 14 के अनुसार, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (एम.पी.सी.सी.एफ.) लेखन सामग्री वस्तुओं जैसी कार्यालय के उपयोग की छोटी वस्तुओं के प्रदाय के लिए ही एक मांगपूर्ति एजेंसी है ।

26 *स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड*

27 *उत्पाद शुल्क-16 प्रतिशत, आरेखन एवं रूपांकन (अनुबंध के अनुसार)-10 प्रतिशत, फेब्रिकेशन (विभाग द्वारा अपनाया गया)-15 प्रतिशत, संस्थापन (अनुबंध के अनुसार)-15 प्रतिशत, परिवहन (प्रदायकर्ता की दरों के अनुसार)-5 प्रतिशत एवं लाभ एवं विविध (यू.एस.आर. के अनुसार)-13 प्रतिशत = 74 प्रतिशत ।*

**त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के लिए एम.एस. पैदलपुल एवं एम.एस. साइनबोर्ड एम.पी.सी. सी. एफ. से उच्चतर दरों पर क्रय किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई ।**

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, मुख्य अभियंता ने वर्षा के दौरान त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के जैक कूप स्थल तक सुगमता हेतु अपितु राईज़िंग मेन के निरीक्षण के लिए भी, ₹ 11,336 प्रति मीटर की दर से ₹ 2.38 करोड़ के एक पैदल पुल के प्रदाय हेतु एक प्राक्कलन अनुमोदित किया (अप्रैल 2008)। अधीक्षण यंत्री ने जब भोपाल में कैंप में थे, एम.पी.सी.सी.एफ को एम.एस. पैदलपुल के प्रदाय के लिए एक प्रदाय आदेश निविदाएं आमंत्रित किए बिना जारी किया (जनवरी 2009) । एम.पी.सी.सी.एफ. ने, ₹ 24,450 प्रति मीटर एवं परिवहन हेतु सामग्री की लागत का पाँच प्रतिशत पर 1.25 मी. चौड़ाई के एम.एस.पैदलपुल के प्रदाय एवं स्थापना के लिए एक इंदौर मूल की एक फर्म को कार्यादेश सौंपा (फरवरी 2009)। फर्म ने 1,998 मीटर लम्बे पैदल पुल का प्रदाय किया जिसके लिए ₹ 3.66 करोड़ की 75 प्रतिशत (फेब्रिकेशन एवं स्थापना को छोड़कर) राशि का भुगतान किया गया (मार्च 2009)।

यह अवलोकित किया गया कि उसी समय म.प्र.ल.उ.नि. ने 1.33 मी. चौड़ाई के पैदल पुल ₹ 15,800 प्रति मीटर पर प्रदाय किए थे (2008-09)। प्रदायकर्ता की दर के अनुसार 15 प्रतिशत स्थापना प्रभारों को जोड़ने पर एक मीटर पैदल पुल की दर की गणना ₹ 18,170 हुई, इस प्रकार ₹ 1.25 करोड़[28] की अतिरिक्त लागत अंतर्निहित करते हुए म.प्र.ल.उ.नि. से भी उच्च दर पर क्रय किया गया ।

कार्यपालन यंत्री, पूरवा नहर संभाग, रीवा ने बताया (जुलाई 2010) कि अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार फर्म को भुगतान किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.पी.सी.सी.एफ. पैदल पुलों के क्रय हेतु अधिकृत एजेंसी नहीं थी । निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही क्रय किया गया था ।

- मुख्य अभियंता ने, 'उच्च तीव्रता के परिसंपुटित लैन्स प्रकार की परत वाले बाहुधारक साइनबोर्ड (हाई इंटेन्सिटी इनकेप्सुलेटेड लैंस टाइप शीटिंग केन्टीलीवर साईनबोर्ड)' के क्रय की अनुमति दी (जनवरी एवं जून 2009) । उसी समय, ₹ 1.45 लाख की दर से प्रत्येक तीन वर्ग मीटर माप वाले 109 साइनबोर्ड[29], ₹ 1.58 करोड़ की लागत पर प्रदाय हेतु अधीक्षण यंत्री ने एम.पी.सी.सी.एफ. को प्रदाय आदेश सौंपे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राट्रीय राजमार्ग की अप्रैल 2009 से प्रभावी दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) में, इन साइनबोर्ड की दरें ₹ 12,923 प्रति वर्ग मी. पर सम्मिलित थीं । स्वीकृत निविदा के अनुसार प्रचलित बाजार दरों के 13.87 प्रतिशत घटाने के पश्चात एक साइनबोर्ड की दर की गणना ₹ 33,392 होती है । इस प्रकार उच्च दर पर क्रय से ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त लागत अंतर्निहित हुई।

  कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा ने बताया (अगस्त 2010) कि क्रय अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृत था एवं तदनुसार भुगतान किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.पी.सी.सी.एफ. पैदलपुलों के क्रय हेतु अधिकृत एजेंसी नहीं है । निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही क्रय किया गया था ।

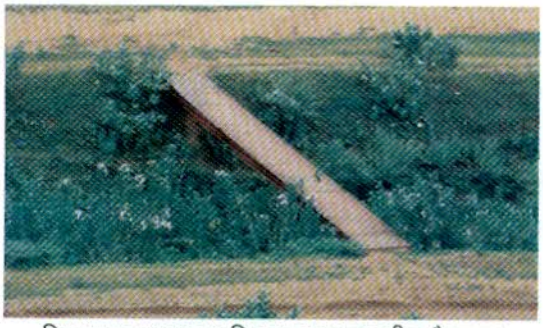
---

28 *1998 (24450-18170) = ₹ 1.25 करोड़*

29 *वितरिका नहर संभाग, रीवा-50, लोअर सिहावल संभाग चुरहट' 24, पूरवा संभाग 2 सतना- 20 एवं अपर पूरवा नहर संभाग, रीवा- 15 = संख्या 109*

### 1.2.8.11 एम.एस.पैदलपुलों का अनुचित क्रय

**नहरों पर आर.सी.सी. पैदल पुलों का निर्माण करने के स्थान पर ₹ 19.46 करोड़ के एम.एस. पैदल पुल क्रय किए गए ।**



सिहावल नहर पर स्थापित एक माइल्ड स्टील पैदलपुल

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (जून 1980) तकनीकी परिपत्र 70/1 में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आर.सी.सी.) से पैदल पुलों का निर्माण निर्धारित है । इसमें आगे प्रावधानित है कि दो पैदल पुलों के मध्य तीन कि.मी. की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए । जल संसाधन विभाग की विशिटियों में भी निर्धारित है कि नहर पारण 1.50 मी. चौड़ाई के साथ आर.सी.सी. से निर्मित किए जाने चाहिए एवं पैदल पुल के लिए रूपांकित भार 500 कि.ग्रा. प्रति वर्ग मी. के चल भार (लाइव लोड) हेतु होना चाहिए किन्तु प्राक्कलन किसी रूपांकन के बिना अनुमोदित किए गए थे ।

2005-06 से 2007-08 के दौरान ग्वालियर एवं छतरपुर की विभिन्न फर्म के माध्यम से 10 मीटर, आठ मीटर एवं छह मीटर लम्बाई के क्रमशः ₹ 1,42,000, ₹ 99,756 एवं ₹ 65,870 की दर पर एम.एस. पैदल पुलों के प्रदाय हेतु अधीक्षण यंत्री ने तकनीकी परिपत्र के उल्लंघन में, म.प्र.ल.उ.नि. को प्रदाय आदेश जारी किए । यद्यपि 'पैदल पुल' म.प्र.ल.उ.नि. की आरक्षित मदों में समाविष्ट नहीं था। फर्मों ने ₹ 19.46 करोड़ की लागत के 1,648 एम.एस. पैदल पुल प्रदाय किए, जैसा **परिशिष्ट 1.7** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त 1,648 पैदल पुलों की चौड़ाई मात्र 1.33 मी (विशिष्टि में प्रावधानित 1.50 मी. के विरूद्ध) थी । एम.एस. पैदल पुल, नहर के तटों पर दोनों ओर किसी आधार के बिना उर्ध्वाधर एम.एस. स्तंभ के एकल आधार पर रखे गए थे । इस प्रकार विभाग द्वारा क्रय किए गए पैदल पुल नहर विशिष्टियों के पुष्टिकारक नहीं थे एवं ढहने या दुर्घटना के लिए संभावित थे । प्रमुख अभियंता द्वारा निर्धारित आर.सी.सी. पैदल पुल, एम.एस. पैदल पुलों की तुलना में किफायती भी थे एवं कुछ लाभदायक थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

| स.क्र. | आर.सी.सी. पैदल पुल | एम.एस. पैदल पुल |
|---|---|---|
| 1 | अधिक टिकाऊ | कम टिकाऊ |
| 2 | जंग से प्रतिरोधी | जंग से प्रतिरोधी नहीं एवं नियमित पेंटिग एवं संधारण की आवश्यकता होती है । |
| 3. | क्षति से प्रति अधिक प्रतिरोधी एवं चुराया नहीं जा सकता | क्षति एवं चोरी के प्रति प्रवृत्त |
| 4. | किफायती (1.33 मी. चौड़ाई के साथ ₹ 6011 प्रति मीटर) | महंगा (लागत ₹ 10,978 से ₹ 14,200 प्रति मीटर के मध्य 1.33 मी. चौड़ाई के साथ) |
| 5. | सुदृढ़ रूप से बना हुआ एवं सुरक्षित | नहर पर केवल रखा हुआ एवं अत्यंत असुरक्षित |

**1317 पैदल पुलों का अधिक क्रय था जिनमें से 593 पैदल पुल संस्थापित नहीं हुए थे ।**

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया गया निष्पादन हेतु प्रारंभ किए गए 1,463 कि.मी. लम्बाई के नहर कार्यों में से मात्र 991.51 कि.मी. नहरें ही आंशिक रूप से पूर्ण थीं । प्रमुख अभियंता द्वारा (1980 का तकनीकी परिपत्र 70/1) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, एक दूसरे से तीन कि.मी. की दूरी पर मात्र 331 पैदल पुल संस्थापित होने की आवश्यकता थी । तथापि, आवश्यकता से अधिक 1,317 एम.एस. पैदल पुल क्रय किए गए थे । आगे, क्रय किए गए 1,648 पैदल पुलों में से 593 पैदल पुल[30] अब तक संस्थापित होना शेष थे ।

कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा ने बताया (जुलाई 2010) कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार पैदल पुल क्रय किए गए थे एवं सिविल कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात शेष पैदल पुल संस्थापित किए जाऐंगे । उत्तर स्वीकार्य नहीं हे क्योंकि प्रस्ताव, तकनीकी परिपत्र एवं मानदण्डों के उल्लंघन में एवं दर विश्लेषण के बिना कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ही तैयार किए गए थे जो तदनन्तर अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किए गए ।

### *1.2.8.12 एम.एस. रेलिंग का उच्चतर दरों पर क्रय*

**भिन्न विशिष्टियों की एम.एस. रेलिंग के क्रय के फलस्वरूप ₹ 28.20 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ ।**



जल संसाधन विभाग की दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.) 2007 में,तीन पंक्तियों में 40 मि.मी. व्यास के जी.आई.पाईप के साथ एक मीटर ऊँची पाईप रेलिंग को स्थिति में लगाने के लिए ₹ 777 प्रति मीटर प्रावधानित है ।

इन आवश्यकताओं के विपरीत, लोअर सिहावल संभाग, चुरहट ने म.प्र.ल.उ.नि. के माध्यम से ₹ 3280 प्रति मीटर की दर से एम.एस. एंगल आयरन रेलिंग क्रय किए (जनवरी 2008)। प्रचलित दरों पर 15.97 प्रतिशत जोड़ने से एक मीटर रेलिंग की दर की गणना ₹ 901.10[31] हुई । इस प्रकार 1185 मीटर एंगल आयरन रेलिंग के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 28.20 लाख {1185 X(3,280-901.10) } की अतिरिक्त लागत आई ।

कार्यपालन यंत्री लोअर सिहावल संभाग, चुरहट ने बताया (अगस्त 2010) कि क्रय मुख्य अभियंता के आदेशों के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय उच्चतर दरों पर किया गया था ।

30 *वितरिका नहर संभाग रीवा- 484, क्योटी नहर संभाग, रीवा- 24, अपर पूरवा नहर संभाग, रीवा - 27, एवं पूरवा संभाग 2, सतना- 58 = संख्या 593*

31 *₹ 777 +15.97 प्रतिशत= ₹ 901.10 प्रति मीटर*

## 1.2.9 ठेका प्रबंधन

निर्माण के लिए एवं ठेकेदार को सौंपे गए अन्य कार्य, निष्पादन एवं भुगतान, अनुबंध के प्रावधानों, म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए संबद्ध अनुदेशों द्वारा भी शासित होने थे । अनुबंध एवं नियमों में निर्धारित रीति से ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा एवं निष्पादन प्रतिभूति जमा प्राप्त किया जाना आवश्यक था ।

अनुबंध के प्रावधानों एवं नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में होने वाले अस्वीकार्य भुगतानों में परिणीत दृटांतों की अनुवर्ती कंडिका मे चर्चा की गई है ।

### *1.2.9.1 ठेकेदार को अनुचित लाभ*

**₹ 2.10 करोड़ राशि की निष्पादन प्रतिभूति एवं ₹ 1.19 करोड़ मूल्य के प्रतिभूति जमा को मुक्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ की हानि हुई ।**

➢ अनुबंध की धारा 2.8, 4.2.1 एवं 4.3 के अनुसार, ठेकेदार को, जिसकी निविदा स्वीकृत होती है, स्वीकृति का पत्र प्राप्त करने के 30 दिवसों के भीतर या अनुबंध निष्पादित करने से पूर्व, ठेका मूल्य के पाँच प्रतिशत के तुल्य प्रारंभिक निष्पादन प्रतिभूति जमा देना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चलित देयक से, प्रत्येक देयक के पाँच प्रतिशत के तुल्य प्रतिभूति जमा की कटौती की जाना थी। यद्यपि, ठेकेदार प्रतिभूति जमा को ब्याज धारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत था। निष्पादन प्रतिभूति की वैधता, कार्यों की पूर्णता की नियत तिथि के बाद 30 माह तक थी। प्रतिभूति जमा को, अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र के जारी होने से 12 माह की समाप्ति के पश्चात लौटाना था । ठेकेदारों ने निर्माण के दौरान, इस आधार पर कि शासन के आदेशों (मई 2003) के अनुसार पाँच प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान केवल प्रतिशत दर निविदा पर लागू था, निष्पादन प्रतिभूति को मुक्त करने की मांग की (2005)। प्रमुख अभियंता ने निष्पादन प्रतिभूति को मुक्त करने का निर्णय लिया (जनवरी 2006) एवं तदनुसार जनवरी एवं नवम्बर 2006 के मध्य ₹ 2.10 करोड़ (**परिशिष्ट 1.8** में दर्शाया गया है) की राशि मुक्त की गई । इसी प्रकार, प्रतिभूति जमा के कारण काटे गए एवं विभिन्न बैंकों की सावधि जमा रसीदों (एफ.डी.आर.)/ मियादी जमा रसीदों (टी.डी.आर.) में परिवर्तित किए गए ₹ 1.19 करोड़ (जैसा **परिशिष्ट 1.9** में दर्शाया गया है) भी कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदारों को मुक्त किए गए थे ।

प्रमुख अभियंता की कार्रवाई त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि उनके मई 2003 के आदेशों में, प्रतिशत दर निविदा में एक स्पटीकरण मात्र दिया गया था जिसके अनुसार पाँच प्रतिशत की प्रतिभूति जमा को 10 प्रतिशत पुनरीक्षित किया गया था (निष्पादन प्रतिभूति पाँच प्रतिशत एवं देयकों से काटी जाने वाली प्रतिभूति जमा पाँच प्रतिशत)। मद दर निविदाओं के संबंध में, 10 प्रतिशत की कुल कटौती का प्रावधान पहले ही विद्यमान था ।

आगे यह देखा गया कि एक पैकेज (के.सी.पी.-3) का ठेका अनुबंध के अनुसार उसकी निष्पादन प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा को राजसात करते हुए, ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर निरस्त किया गया था (जून 2010) । यद्यपि, दोनो ही जमा, समय के पहले ही

मुक्त किए गए थे । इस प्रकार निष्पादन प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा के असामयिक मुक्त करने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.60 करोड़ की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 1.8 एवं 1.9** की पहली मद में दर्शाया गया है ।

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ने बताया (जुलाई 2010) कि संबंधित ठेकेदारों को प्रतिभूति जमा को लौटाने हेतु कहा जाएगा जो उन्हें अनियमित रूप से मुक्त की गई थी । मुख्य अभियंता गंगा कछार ने बताया (दिसम्बर 2010) कि कार्यपालन यंत्री, संभागीय लेखाधिकारी (डी.ए.ओ.) एवं वरिठ लेखा लिपिक (एस.ए.सी.) को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे थे ।

**₹ 5.74 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई ।**

- अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत, सिहावल नहर, क्योटी नहर, पूरवा नहर, एवं उनकी वितरिकाओं के निर्माण के ₹ 133.40 करोड़ राशि के 31 प्रकरणों में ₹ 5.74 करोड़ राशि की निष्पादन प्रतिभूति ठेकेदारों से अनुबंध हस्ताक्षरित (2006-07 से 2009-10) करने से पूर्व प्राप्त नहीं की गई थी । ठेकेदार नियत तिथि के भीतर (दिसम्बर 2007 से जून 2010) कार्य सम्पन्न करने में विफल रहे एवं इस प्रकार अनुबंधों का निष्पादन सुरक्षित नहीं था ।

  कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल संभाग, चुरहट ने बताया (सितम्बर 2010) कि प्रमुख अभियंता के आदेशों के अनुसार मद दर निविदाओं पर कोई निष्पादन प्रतिभूति आवश्यक नहीं थी । अनुबंध में विद्यमान शर्त को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है ।

### *1.2.9.2 आरेखन एवं रूपांकन के लिए ठेकेदार को अधिक भुगतान*

**यांत्रिकीय कार्यों के लिए दरों में कमी न करने एवं सिविल कार्य के आरेखन एवं रूपांकन के लिए अस्वीकार्य भुगतान के कारण ₹ 4.35 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।**

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की राइज़िंग मेन के लिए एम.एस.पाईप प्रदाय करने एवं बिछाने का कार्य इंदौर के एक प्रदायकर्ता को दिया गया (जुलाई 2008)। ठेके में ₹ 27.44 करोड़ के यांत्रिकीय कार्य मद दर आधार पर एवं ₹ नौ करोड़ के सिविल कार्य एक मुश्त आधार पर सम्मिलित थे । अनुबंध के अनुसार, यांत्रिकीय कार्यों की दरें मात्र यांत्रिकीय कार्यों के आरेखन एवं रूपांकन के लिए 10 प्रतिशत सहित थीं जो आरेखन एवं रूपांकन की प्रस्तुति एवं अनुमोदन के पश्चात भुगतान योग्य थीं । यद्यपि विभाग ने आरेखन एवं रूपांकन के लिए ₹ 3.64 करोड़ (यांत्रिकीय कार्यों के लिए ₹ 2.74 करोड़ एवं सिविल कार्यों के लिए ₹ 90 लाख) की राशि का भुगतान किया (अगस्त 2008 से मार्च 2009)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अनुबंध के अनुसार, सिविल कार्य पर आरेखन एवं रूपांकन के लिए कोई अदायगी भुगतान योग्य नहीं थी । इसलिए, सिविल कार्य पर आरेखन एवं रूपांकन के भुगतान के परिणामस्वरूप प्रदायकर्ता को ₹ 90 लाख का अधिक भुगतान हुआ ।

आगे, पाईप की दरों में भी आरेखन एवं रूपांकन के लिए 10 प्रतिशत सम्मिलित थे जो प्रदायकर्ता को अलग से पहले ही भुगतान किए गए थे (अगस्त 2008 एवं मार्च 2009)। इसलिए, दरों को 10 प्रतिशत तक कम किया जाना था जो नहीं किया गया। इस प्रकार पाईप की दरों को 10 प्रतिशत कम न करने के परिणामस्वरूप प्रदायकर्ता को ₹ 2.74 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अगस्त 2010) कि ऐजेंसी ने आरेखन एवं रूपांकन प्रस्तुत किए थे जिसके लिए 10 प्रतिशत का भुगतान किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंध के अनुसार सिविल कार्यों के लिए आरेखन एवं रूपांकन हेतु भुगतान स्वीकार्य नहीं था ।

- अधीक्षण यंत्री, बाणसागर नहर मंडल, रीवा के मांग पत्र के विरूद्ध क्योटी एवं पूरवा नहरों के सात सुपर पैसेज में एम.एस.पाईप एवं शिकारगंज वितरिका की लघु नहरों पर दो एम.एस.पाइप एक्वाडक्ट के रूपांकन, प्रदाय एवं स्थापना हेतु म.प्र.ल.उ.नि. ने नागपुर के एक प्रदायकर्ता को प्रदाय आदेश जारी किए (मार्च 2007 एवं अप्रैल 2008)। प्रदाय आदेश के अनुसार, फर्म, आरेखन एवं रूपांकन तैयार करने एवं विभाग से उनके अनुमोदन हेतु जिम्मेदार थी । प्रदाय आदेश की दरों में आरेखन एवं रूपांकन के लिए 10 प्रतिशत सम्मिलित थे ।

- लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्य हेतु आरेखन एवं रूपांकन विभाग द्वारा तैयार किए गए थे । इसलिए दरों को 10 प्रतिशत कम करना आवश्यक था । यद्यपि, जून 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य दरों को 10 प्रतिशत कम किए बिना प्रदायकर्ता को ₹ 7.13 करोड़ का भुगतान किया गया । इस प्रकार दरों को कम न करने के परिणामस्वरूप न किए गए कार्य के लिए ₹ 71.32 लाख अधिक भुगतान हुआ ।

- कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा ने बताया (अगस्त 2010) कि तथ्यों के पुष्टिकरण के उपरांत प्रदायकर्ता से राशि वसूली की जाएगी । यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2010) कि अधिक भुगतान वसूल करने के लिए संभाग के पास फर्म के विरूद्ध कोई भुगतान योग्य राशि नहीं थी ।

### *1.2.9.3 त्रुटिपूर्ण दरों के लागू किए जाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान*

**अतिरिक्त मात्राओं के लिए दरों के त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किए जाने से ₹ 1.76 करोड़ का अधिक भुगतान ।**

पूरवा मुख्य नहर के कि.मी. 46.17 से कि.मी. 68.22 (पैकेज पी.सी.पी.-10) ₹ 12.79 करोड़ की लागत पर प्राक्कलित एवं कि.मी. 68.22 से कि.मी. 84 (पैकेज पी.सी.पी.-11ए) ₹ 21.08 करोड़ की लागत पर प्राक्कलित निर्माण कार्य दो विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गए (2004-05 एवं 2006-07)। उनके ₹ 16.49 करोड़ एवं ₹ 20.67 करोड़ के चलित देयक क्रमशः मार्च 2009 एवं जून 2010 में भुगतान किए गए । कार्यान्वयन के दौरान, प्रथम प्रकरण में कड़ी चट्टान की खुदाई एवं द्वितीय प्रकरण में डिसइंटीग्रेटेड चट्टान की प्राक्कलित मात्रा क्रमशः 50190.63 प्रतिशत एवं 202.32 प्रतिशत तक बढ़ीं थीं । अनुबंध के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक मात्राओं के लिए दरें यू.एस.आर.2003 के आधार पर स्वीकृत निविदाओं की प्राक्कलित दरों मे स्वीकृत निविदा का प्रतिशत जोड़कर या घटाकर भुगतान योग्य थीं । तदनुसार, उपरोक्त मदों की स्वीकार्य दरों की गणना क्रमशः ₹ 155.97 प्रति घनमीटर एवं ₹ 69.48 प्रति घनमीटर हुई ।

अनुबंध के प्रतिकूल, मुख्य अभियंता ने यू.एस.आर. 2007 के आधार पर ₹ 200 एवं ₹ 107.64 प्रति घनमीटर की दरों को प्रमुख अभियंता के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया (दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2009) एवं कार्यपालन यंत्री को अनुबंध के अनुसार अनुमत्य दरों पर 75 प्रतिशत भुगतान करने हेतु निर्देशित किया (जनवरी 2009 एवं मार्च 2009)। मुख्य अभियंता ने केवल पैकेज पी.सी.पी.-10 के प्रकरण में कड़ी चट्टान की 75 प्रतिशत मात्राओं के भुगतान के लिए भी अनुमति दी (मार्च 2009)। प्रमुख अभियंता ने दरों का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि वे विविधता के लिए कारणों से संतुट नहीं थे एवं तदनुसार प्रकरणों को अनिर्णीत लौटा दिया (अप्रैल 2010)।

यद्यपि, कार्यपालन यंत्री ने पूर्ण अनुशंसित दरों पर ₹ 3.93 करोड़[32] का भुगतान किया (मार्च 2009 एवं जून 2010)। 75 प्रतिशत की स्वीकार्य दरों पर भुगतान योग्य राशि ₹ 2.17 करोड़[33] होती थी। इस प्रकार दरों के त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यपालन यंत्री पूरवा नहर संभाग, सतना ने बताया (सितम्बर 2010) कि अधिक मात्राओं के मात्र 75 प्रतिशत के लिए भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियंता ने अधिक मात्राओं के विषय में स्वीकार्य दरों की मात्र 75 प्रतिशत दर पर भुगतान की अनुमति दी थी (जनवरी 2009 एवं मार्च 2009) न कि पूर्ण दरों पर। आगे, पैकेज पी.सी.पी.-10 के प्रकरण में मुख्य अभियंता ने मात्राओं के मात्र 75 प्रतिशत भुगतान को सीमित किया था जो स्वीकार्य दरों के 75 प्रतिशत पर भुगतान होनी थी।

### 1.2.10 मॉनीटरिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं मुख्य अभियंता बाणसागर परियोजना, परियोजना की प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी थे। वे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना के विभिन्न कार्य विनिर्दिष्ट समय अनुसूची एवं स्वीकृत लागत के अनुसार निष्पादित होते थे अपितु कार्यान्वयन की गुणवत्ता निर्धारित आवृत्तियों से निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण संचालित कर सुनिश्चित करने हेतु भी उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा में अवलोकित किए गए अपर्याप्त मॉनीटरिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण के दृष्टांतों की चर्चा नीचे की गई है:

2005-10 की अवधि के दौरान कार्य की मात्राओं (नहर की लम्बाई के लिए) एवं गुणवत्ता की मॉनीटरिंग संबंधी अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। यद्यपि, खुदाई एवं सीमेंट कंक्रीट कार्यों की मात्राओं में अत्यधिक विभिन्नताओं के दृष्टांत थे, नहर की वांछित लम्बाई की उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई थी। विभिन्न प्रकरणों में किए गए कार्य की गुणवत्ता भी अवमानक पाई गई थी एवं कार्यों के निष्पादन में नहर विशिटियों का अनुसरण नहीं किया गया था। प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुदेश के अनुसार अतिरिक्त सचिव जल संसाधन विभाग ने जुलाई 2010 से कार्य की प्रगति की मॉनीटरिंग प्रारंभ की।

---

32 *पैकेज पी.सी.पी.-10- 110397.39 घनमीटर X200=₹ 220.79 लाख*
*पैकेज पी.सी.पी.-11ए- 122502.12 धनमीटर X 100.4=₹ 122.99 लाख*
*45828.84 घनमीटर X 107.64=₹ 49.33 लाख*
*कुल 1683330.96 घनमीटर –₹ 393.11 लाख (यथा ₹ 3.93 करोड़)*

33 *पैकेज पी.सी.पी.-10 110397.39 घनमीटर X155.97 X 75 प्रतिशत –₹ 129.14 लाख*
*पैकेज पी.सी.पी.-11ए- 168330.96 घनमीटर X69.48 X 75 प्रतिशत –₹ 87.72 लाख*
*कुल ₹ 216.86 लाख (यथा ₹2.17 करोड़)*

- जल संसाधन विभाग की यू.एस.आर. में वांछित है कि सीमेंट कंक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का परीक्षण कंक्रीट के प्रति 50 घनमीटर के लिए चार टेस्ट एवं उसके बाद एक टेस्ट प्रति 50 घनमीटर की आवृति से किया जाना चाहिए । तदनुसार, क्योटी नहर संभाग, रीवा एवं पूरवा नहर संभाग, रीवा के पैकेज के.सी.पी.-4 एवं पी.सी.पी.- 2 के अंतर्गत निष्पादित सी.सी.1:3:6 के 8908.75 घनमीटर एवं सी.सी. 1:2:4 के 6749.679 घनमीटर के लिए 323 टेस्ट की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 98 टेस्ट कार्यान्वित किए गए । इस प्रकार कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण टेस्ट आवश्यक आवृति पर नहीं किए गए थे ।

  कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2010) गुणवत्ता नियंत्रण इकाई से आवृत टेस्ट हेतु अनुरोध किया जाएगा ।

### 1.2.11 निष्कर्ष

2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए बाणसागर परियोजना (इकाई-।।) के निर्माण के दौरान, अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण निविदा की मात्राओं में अत्यधिक विभिन्नता हुई । धीमी प्रगति के कारण नहर निर्माण कार्य नियत तिथि के भीतर पूर्ण नहीं हुए थे, यद्यपि जल संसाधन विभाग में कोई वित्तीय बाधाएं नहीं थीं। निधियाँ ऐसे कार्यों के लिए व्यपवर्तित की गईं जो परियोजना के कार्यक्षेत्र से बाहर थे । वास्तविक उपयोग की गई सिंचाई क्षमता, सृजित सिंचाई क्षमता से बहुत परे थी । परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे हेड रेग्यूलेटर के बिना नहर का निर्माण एवं अधिक अंतर से खण्डों में निर्माण से परियोजना का समकालिक कार्यान्वयन पिछड़ गया । विगत तीन वर्षों के दौरान विभाग ने वास्तविक कार्यान्वयन की अपेक्षा क्रय पर अधिक बल दिया । क्षेत्र स्तर पर ठेका प्रबन्धन दोषपूर्ण था एवं परिणामतः सुनिश्चित प्रगति प्राप्त नहीं हुई । ठेकेदारों को अधिक भुगतान अवलोकित हुए । सिविल कार्यों के निर्माण के लिए मद दर के स्थान पर एक मुश्त निविदाएं उपयोग की गईं जिससे बढ़ी हुई दरों पर भुगतान हुए । निष्पादन प्रतिभूतियाँ/ प्रतिभूति जमा, कार्यों के पूर्ण होने से पूर्व आवृत्त रूप से मुक्त की गईं। कार्य की गुणवत्ता का उचित रूप से मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। नहरों के निर्माण हेतु तकनीकी विशिष्टियों का अनुसरण भी नहीं किया गया था ।

### 1.2.12 अनुशंसाएँ

- शासन को उचित सर्वेक्षणों एवं प्राक्कलनों के बारे में प्रभावी नियम बनाने चाहिए ताकि प्राक्कलित मात्राओं एवं वास्तविक मात्राओं के बीच विसंगतियों से बचा जा सके ।
- आयोजना के अनुसार निधियों का उपयोग होना चाहिए।
- कार्य वास्तव में जल संसाधन विभाग की विशिष्टियों के अनुसार निष्पादित होने चाहिए एवं तदनुसार क्रय को भी विनियमित होना चाहिए ।
- ठेका प्रबंधन शासित करने वाले नियमों का कड़ाई से अनुसरण होना चाहिए ताकि ठेकेदारों को अधिक भुगतान/ अनुचित लाभ से बचा जा सके ।
- मॉनीटरिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत होना चाहिए।

# जल संसाधन विभाग

## 1.3 मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना

*मुख्यांश*

*एकीकृत दृष्टि से वॉटर सेक्टर के विकास एवं उसके प्रबंधन, लाईन विभागों जैसे कृषि, बागवानी, पशुधन एवं मत्स्य विभाग तथा अन्य संस्थानों के सहयोग के लिए म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) द्वारा मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू. एस. आर.पी.) प्रस्तावित (मई 2004) थी। एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर. पी. हेतु जल संसाधन विभाग को विश्व बैंक से ₹ 1,919 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ । परियोजना कार्यान्वयन की भौतिक के साथ आर्थिक प्रगति भी अत्यधिक धीमी थी । सलाहकार की विलम्ब से नियुक्ति, सूचना तकनीकी प्रणाली का अपर्याप्त कार्यान्वयन, खराब वित्तीय प्रबंधन, लक्षित सिंचाई क्षमता का प्राप्त न होना, निर्धारित क्षतिपूर्ति एवं अग्रिमों की वसूली न होना, समय एवं लागत में बढ़ोतरी तथा ठेकेदारों को अदेय लाभों के प्रकरण थे ।*

*एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर.पी. की निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं-*

**सलाहकार की 13 से 44 माह तक विलम्ब से नियुक्ति तथा सेवाओं की सुपुर्दगी में 15 से 35 महीने तक का विलम्ब संपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारण थे।**

*(कण्डिका 1.3.6.1)*

**वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान प्रगति बहुत धीमी थी। छह वर्ष की परियोजना अवधि के विरूद्ध पांच वर्षों के दौरान परियोजना लागत ₹ 1,919 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 688.25 करोड़ (38 प्रतिशत) ही उपयोग किए गए। निधियों का उपयोग न होने के कारण ₹ 8.26 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों का परिहार्य उत्तरदायित्व परिलक्षित हुआ।**

*(कण्डिकाएँ 1.3.7.2 एवं 1.3.7.3)*

**लक्षित सिंचाई क्षमता 6.20 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध केवल 0.69 लाख हेक्टेयर सृजित किए गए थे ।**

*(कण्डिका 1.3.8.2)*

**चार योजनाओं में, सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग के कोर टेस्ट न किए जाने के कारण ₹ 26.65 करोड़ का अनियमित भुगतान परिलक्षित हुआ ।**

*(कण्डिका 1.3.9.2)*

**₹ 23.73 करोड़ के कार्य को खुली निविदा के आमंत्रण के बिना अनियमित रूप से सौंपे जाने के कारण ₹ एक करोड़ की अतिरिक्त लागत आई ।**

*(कण्डिका 1.3.9.3)*

**15 असंतुलित बोलियों (बिड्स) के विरूद्ध अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के ₹ 57.51 करोड़ प्राप्त नहीं किए गए तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति के ₹ 20.93 करोड़ भी वसूल नहीं किए गए ।**

*(कण्डिकाएँ 1.3.10.1 ,एवं 1.3.10.3)*

**प्रथम आमंत्रण में निविदाओं को अनियमित रूप से अस्वीकृत किए जाने के कारण न केवल विश्व बैंक से ₹ 28 करोड़ के ऋण की उपलब्धता नहीं हुई बल्कि लागत में भी ₹ 4.61 करोड़ वृद्धि हुई ।**

*(कण्डिका 1.3.10.8)*

### 1.3.1 प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.), मध्यप्रदेश शासन (शासन) द्वारा 2004 में, मार्च 2011 में पूर्णता के लक्ष्य के साथ विश्व बैंक (डब्ल्यू.बी.) की सहायता से मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) को प्रारंभ किया गया ।

म.प्र. जल संसाधन विभाग को आधुनिकीकरण योजना में एक एकीकृत दृष्टि से लाईन विभागों[34] एवं विभिन्न संस्थानों[35] के सहयोग से वॉटर सेक्टर के विकास एवं उसके प्रबंधन हेतु विश्व बैंक से एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर. पी. के लिए ₹ 1,919 करोड़ का ऋण (2004) प्राप्त हुआ ।

समीपस्थता, गरीबी के आधिक्य, जल प्रबंधन चुनौतियों की विभिन्नताओं तथा काल प्रभावित सिंचाई योजनाओं की उपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश के पांच नदी कछारों[36] को एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर. पी. हेतु चयनित किया गया। परियोजना का उद्देश्य लगभग 6.20 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में विद्यमान सिंचाई एवं ड्रेनेज परिसम्पत्तियों का आधुनिकीकरण करना था। जिसमें 654 योजनाओं (वर्ष 2009 में संशोधित 505) में 5 वृहद, 33 मध्यम तथा 616 लघु योजनाएं सम्मिलित थीं। एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर. पी. के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले योजना कछारों को दर्शाने वाला मानचित्र **परिशिष्ट 1.10** में दिया गया है।

---

34 *लाईन विभागों में कृषि, बागवानी, पशुधन तथा मत्स्य विभाग सम्मिलित हैं।*

35 *जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जल उपभोक्ता संस्थान, प्रशासनिक अकादमी भोपाल, भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान*

36 *चम्बल बेतवा, नर्मदा ताप्ती, धसान केन, यमुना सिंध, टोन्स एवं वेनगंगा कछार। इनमें से अंतिम कछार. मार्च 2008 में शामिल किया गया।*

### 1.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव तथा सचिव, जल संसाधन विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासकीय प्रमुख हैं। एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर. पी. की सम्पूर्ण आयोजना, समन्वय, अधिप्राप्ति, क्रियान्वयन, आर्थिक नियंत्रण, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, परियोजना निदेशक (पी.डी.), विश्व बैंक परियोजना (डब्ल्यू.बी.पी.) द्वारा किए जाते हैं । जल संसाधन विभाग के संबद्ध संभागों के मुख्य अभियंता (मु.अ.), अधीक्षण यंत्री (अ.यं.) तथा कार्यपालन यंत्री (का.यं.) परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं । इसके अलावा कार्यपालन यंत्री, लाईन विभागों तथा अन्य संस्थानों द्वारा सहायतित हैं। उच्च स्तर पर, एम.पी.डब्ल्यू. एस.आर.पी. की प्रगति की समीक्षा हेतु मार्च 2005 में, अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) का गठन किया गया, जिसके प्रमुख मुख्य सचिव थे । विभाग से संबंधित संगठन आरेख **परिशिष्ट 1.11** में दी गई है।

### 1.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आँकलन करना था कि क्याः

- आयोजना उपयुक्त एवं विश्व बैंक के दिशा निर्देर्शों के अनुरूप थी;
- पर्याप्त निधियाँ समय पर उपलब्ध थीं तथा उनका समुचित उपयोग किया गया था;
- परियोजना का क्रियान्वयन मितव्ययिता तथा दक्षता से किया गया था;
- परियोजना नियत समय पर पूर्ण हुई थी तथा इससे जल संसाधन प्रबंधन और सिंचाई सुविधा का सुधार हुआ था तथा
- एक प्रभावी मॉनीटरिंग प्रणाली के साथ- साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी ।

### 1.3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न मानदण्डों पर आधारित थेः

- विश्व बैंक से किए गए ऋण अनुबंध के नियम एवं शर्तें
- शासन द्वारा जारी किए गए मध्यप्रदेश निर्माण नियमावली एवं सिंचाई विशिष्टियाँ
- शासन द्वारा जारी किए गए संविदा दस्तावेज, नियम एवं आदेश
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भारतीय मानक (आई.एस.) कोड

### 1.3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए, परियोजना के अभिलेखों की निष्पादन लेखापरीक्षा मई से सितम्बर 2010 के दौरान की गई जिसमें दो नियंत्रण कार्यालयों[37] के अंतर्गत कार्यरत 12 जल संसाधन संभागों[38] (43 संभागों में से) के अधीन क्रियान्वित तीन वृहद, चार मध्यम तथा छह लघु योजनाओं की नमूना जांच सम्मिलित थी। योजनाओं का नमूना चयन यादृच्छिक प्रतिचयन स्तर विधि से किया गया था। नमूना चयन का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.12** में दर्शित है।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना निदेशक (पी.डी.) के साथ अप्रैल 2010 में एक प्रवेश सम्मेलन के पश्चात अतिरिक्त सचिव, ज.स.वि. तथा परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना के साथ दिसम्बर 2010 में निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान किए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है ।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 1.3.6 आयोजना

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का उद्देश्य मौजूदा सिंचाई योजनाओं, परिसम्पतियों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण तथा आधुनिकीकरण योजना में लाईन विभागों का एकीकरण करना था। जल संसाधन विभाग को परियोजना हेतु उपयुक्त आधुनिक उपकरण (कम्प्यूटरीकरण तथा आधारभूत संचार संरचना जैसे लैन/ वैन, निर्णय सहायक प्रणाली इत्यादि) के संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा प्रभावी संस्थागत सहयोग प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया। विश्व बैंक के ऋण की शर्तों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन आयोजना (पी.आई.पी.) एवं परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (पी.ए.डी.), जल संसाधन विभाग ने 2004 में तैयार किए जिनमें एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यान्वयन के लिए मुख्य प्रसंविदाओं का निर्माण एवं सलाहकारों की नियुक्ति हेतु विभिन्न कार्यनीतियॉं एवं माइलस्टोन समाविष्ट थे ।

पी.आई.पी का पालन न किए जाने के कारण सलाहकार की नियुक्ति में गंभीर विलंब होना तथा दो प्रमुख प्रसंविदा दस्तावेजों का निर्माण न किया जाना लेखापरीक्षा में पाया गया जिनकी अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है ।

---

37 *मु.अ. यमुना कछार, ग्वालियर और मु.अ., चम्बल बेतवा कछार, भोपाल*

38 *सम्राट अशोक सागर विदिशा, ज.सं.सं. श्योपुर, ज.स.वि. डबरा, ज.सं.सं.जौरा, ज.सं.सं.मुरैना, ज.सं.सं.सबलगढ़, डेम सेफ्टी ग्वालियर, ज.सं.सं.भोपाल, ज.सं.सं. गंजबासौदा, ज.सं.सं.नसरूल्लागंज, ज.सं.सं.सीहोर, बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएँ (बी.वी.पी.पी.) भोपाल*

### *1.3.6.1 सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब*

**सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब के पश्चात सलाहकारों द्वारा सुपुर्दगी में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना का कार्यान्वयन विलंबित हुआ ।**

सम्पूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार की नियुक्ति पी.आई.पी. के महत्वपूर्ण घटकों में से एक थी । पी.आई.पी. में 15 सलाहकारों की नियुक्ति उल्लिखित थी, जिन पर परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का सीधा भार होगा । सलाहकारों की नियुक्ति परियोजना के प्रारंभिक चरण में अपेक्षित थी क्योंकि सलाहकार के कार्य अंततः जल संसाधन विभाग में सुधारीकरण में सहायता करते । सलाहकारों की नियुक्ति तथा उनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित विवरण **परिशिष्ट 1.13** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2010) कि:

- कुछ कार्य जैसे स्थलाकृति एवं केडेस्ट्रल सर्वेक्षण, योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना (योजना आधुनिकीकरण आयोजना (एस.एम.पी.) की भाँति परिभाषित) इत्यादि जो योजना के प्रारंभ में किए जाने थे, वास्तव में लगभग 20 से 34 माह के विलम्ब के पश्चात प्रारंभ हुए।

- पी.आई.पी. में विनिर्दिष्ट माईलस्टोन के संदर्भ में 10 सलाहकार 13 से 44 माह तक के विलम्ब से नियुक्त किए गए थे ।

- पी.आई.पी. में उल्लिखित माईलस्टोन की तुलना में चार सलाहकारों ने सेवाओं को प्रदान करने में 15 से 35 माह का विलंब किया । विश्व बैंक परियोजना द्वारा एक सलाहकार को समाप्त किया गया ।

प्रदाययोग्यों (जैसे सर्वेक्षण एवं एस.एम.पी. को तैयार करना) में विलंब और सलाहकारों का अल्प निष्पादन से योजना के सम्पूर्ण निष्पादन पर प्रभाव पड़ा । सेवा में विलम्ब का प्रभाव अन्य गतिविधियों पर हुआ जो परस्पर संबद्ध थीं एवं इसके परिणामस्वरूप परियोजना के क्रियान्वयन में समग्र विलम्ब हुए ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.बी.पी. ने बताया (दिसम्बर 2010) कि विश्व बैंक द्वारा बहुस्तरीय मूल्यांकन के कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक समय लगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग को विश्व बैंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कोई अनुभव नहीं था इसलिए विश्व बैंक अधिप्राप्ति प्रक्रिया एवं इसकी शर्तों के अनुवर्तन के कारण विलम्ब नियंत्रण से परे था।

- योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक 18 माह (दिसम्बर 2005) के दौरान 'कार्यों की तकनीकी जाँच', 'आंतरिक लेखापरीक्षा' तथा 'मॉनीटरिंग एवं शिक्षण प्राप्ति गतिविधि' हेतु तीन महत्वपूर्ण सलाहकारों की नियुक्ति की जानी थी जो अब तक (दिसम्बर 2010) नियुक्त नहीं किए गए थे। 'जलाशय मत्स्य उत्पादन संवर्धन पर अनुसंधान कार्यक्रम' एवं 'उन्नत पूरक आपूर्ति एवं आपूर्तियों' के लिए दो सलाहकारों की नियुक्ति विश्व बैंक द्वारा स्थगित की गई थी ।

'कार्यों की तकनीकी जांच' तथा 'मॉनीटरिंग एवं लर्निंग गतिविधि' हेतु सलाहकारों की नियुक्ति न होने के कारण गुणवत्ता संबंधी मुद्दे सुनिश्चित नहीं थे तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परियोजना की दक्षता एवं प्रभाव का निरंतर मूल्यांकन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2010) के दौरान परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना ने बताया कि 'कार्यों की तकनीकी जांच' तथा 'मॉनीटरिंग एवं लर्निंग गतिविधि' हेतु सलाहकारों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी। विश्व बैंक प्रक्रिया ने विचारणीय विषयों को सुनिश्चित करने में अधिक समय लिया जिसके कारण समग्र विलम्ब की पराकाष्ठा हुई ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना अवधि की समाप्ति पर सलाहकार की नियुक्ति से योजना के उद्देश्य पूरा नहीं होता था ।

- निर्धारित समय अनुसूची के कड़ाई से अनुवर्तन हेतु, सलाहकारों द्वारा निम्न निष्पादन एवं सेवाओं के प्रदाय में विलंब के लिए अनुबंध में शास्ति का प्रावधान नहीं था ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित दस्तावेजों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन विभाग बाध्य था जहाँ ऐसी कोई शास्ति की धारा नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अल्प निष्पादन हेतु शास्ती धारा सम्मिलित न किए जाने के कारण निर्धारित समय अनुसूची का कड़ाई से अनुवर्तन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इससे परियोजना के समय आधिक्य एवं लागत आधिक्य में भी योगदान हुआ ।

### *1.3.6.2 मुख्य प्रसंविदाओं को न बनाना*

परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (पी.ए.डी.) की शर्तों के अनुसार जल संसाधन विभाग को 14 मुख्य प्रसंविदाओं[39] को दिसम्बर 2005 तक सुस्थापित करना था । लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2010) कि विभाग ने 12 मुख्य प्रसंविदाएं बनाई (दिसम्बर 2005) जबकि नीचे दी गई दो मुख्य प्रसंविदाएं अभी तक नहीं बनाई गईं थीं।

- राज्य जल दर नियामक आयोग (एस.डब्ल्यू.टी.आर.सी.)

- आंकड़े तथा ध्वनि दोनों के लिए, कम्प्यूटर प्रणाली तथा दूरसंचार ढांचों (वैन/लैन) का संस्थापन एवं परीक्षण

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि एस.डब्ल्यू.टी.आर.सी. का निर्माण राज्य विधान सभा द्वारा किया जाना था तथा राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) का निर्माण राज्य द्वारा करने के कारण दोहराव से बचने हेतु विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) को स्थगित किया गया ।

---

39 *आधारभूत प्रसंविदाओं से आशय परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष उल्लेखित 14 औपचारिक अनुबंधों के बनाने से है ।*

## 1.3.7 वित्तीय प्रबंधन

पी.आई.पी. के अनुसार, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य परियोजना प्रबंधन प्रणाली के उत्तरदायित्व में वृद्धि करना, समय पर तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी देना, व्यय विवरण (एस.ओ.ई.) और वित्तीय मॉनीटरिंग प्रतिवेदन (एफ.एम.आर.) समय पर तैयार तथा प्रस्तुतीकरण करना था। निधियों के कम उपयोग तथा व्यय न की गई राशि पर ब्याज के भुगतान को टालने के लिए जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा उचित आवंटन एवं व्यय किया जाना आवश्यक था।

### *1.3.7.1 निधि प्रवाह*

विश्व बैंक ऋण के माध्यम से निधियों का प्रवाह पात्र व्यय पर आधारित था, जो प्रतिपूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त था । परियोजना भारत शासन (जी.ओ.आई.) के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करती है जिन्हें बाद में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) को वितरित किया गया। विश्व बैंक परियोजना द्वारा मासिक आधार पर तैयार तथा प्रस्तुत किए गए व्यय विवरण, विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति का आधार हैं। परियोजना हेतु ₹ 1,919 करोड़ का ऋण विश्व बैंक द्वारा 2004 में अनुमोदित था जिसका 20 वर्षों में पुनर्भुगतान किया जाना था । ऋण अनुबंध में ऋण के कम उपयोग हेतु शास्ती (प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में) का प्रावधान सम्मिलित था।

निधियों के प्रबंधन में कमियों के कुछ दृष्टांतों की चर्चा नीचे की गई है:

**छह वर्ष की परियोजना अवधि के विरूद्ध पाँच वर्षों में परियोजना लागत का केवल 38.45 प्रतिशत ही उपयोग किया गया था ।**

### *1.3.7.2 निधियों का कम उपयोग*

परियोजना पर मार्च 2010 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के निधियों के आवंटन एवं व्यय से प्रकट हुआ कि ₹ 1789.98 करोड़ की निधियों के प्रतिबद्ध वितरण के विरूद्ध विभाग द्वारा केवल ₹ 688.25 करोड़ का व्यय किया गया जो कि **तालिका क्र. 1.16** दर्शाया गया है ।

**तालिका क्र. 1.16 आवंटन एवं व्यय का वर्षवार विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | निधियों का प्रतिबद्ध वितरण | मूल आवंटन | पुनरीक्षित आवंटन | व्यय | पुनरीक्षित आवंटन के विरूद्ध निधियों का कम उपयोग | प्रतिबद्धता प्रभार का कम उपयोग | प्रतिबद्धित वितरण के विरूद्ध उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत | अग्रिम अनुबंध की धारा 2.05 अनुसार आरोपित प्रतिबद्धता प्रभार(एक प्रतिशत का 3/4 भाग प्रतिवर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 ऋण 5) | 7 (2 ऋण 5) | 8 (5/2*100) | 9 (7 का 0.75 प्रतिशत) |
| 2005-06 | 154.76 | 125.00 | 60.96 | 15.67 | 45.29 | 139.09 | 10.12 | 1.04 |
| 2006-07 | 306.61 | 147.49 | 50.85 | 50.38 | 0.47 | 256.23 | 16.43 | 1.92 |
| 2007-08 | 366.93 | 300.93 | 130.93 | 120.39 | 10.54 | 246.54 | 32.81 | 1.85 |
| 2008-09 | 484.76 | 350.05 | 269.05 | 239.81 | 29.24 | 244.95 | 49.47 | 1.84 |
| 2009-10 | 476.92 | 350.00 | 347.42 | 262.00 | 85.42 | 214.92 | 54.94 | 1.61 |
| | **1789.98** | **1273.47** | **859.21** | **688.25** | **170.96** | **1101.73** | **38.45** | **8.26** |
| 2010-11 | 128.60 | | | | | | | |
| योग | **1918.58** | | | | | | | |

**(स्रोतः -परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.वी.पी. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- निधियों के प्रतिबद्ध वितरण के विरूद्ध पिछले पांच वर्षों में केवल 38.45 प्रतिशत ही व्यय किया गया;
- विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त पांच वर्षों में मूल आवंटन को कम किया गया। पुनरीक्षित आवंटन का भी उपयोग (2005-06 से 2009-10) न होने के परिणामस्वरूप ₹ 170.96 करोड़ का कम उपयोग हुआ; और
- प्रमुख सलाहकारों की नियुक्ति न होना तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन न होना, प्रथम दो वर्षों में धीमे व्यय के लिए प्रमुख कारण थे। अनुवर्ती तीन वर्षों में यह, एस.एम.पी. की धीमी प्रक्रिया, सिविल कार्यों के निविदा एवं सौंपे जाने में विलंब तथा सुधारीकरण कार्यों का अकार्यान्वयन/विलम्ब से निष्पादन के कारण था।

### *1.3.7.3 प्रतिबद्धता प्रभारों हेतु परिहार्य उत्तरदायित्व*

**ऋण का उपयोग न किए जाने के कारण ₹ 8.26 करोड़ के परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभारों का उत्तरदायित्व सृजित हुआ ।**

विश्व बैंक ऋण अनुबंध के अनुच्छेद-II की धारा 2.05 अनुसार, उधारकर्ता को सहमत अनुसूची के अनुसार ऋण न निकालने पर मूलधन के एक प्रतिशत का तीन चौथाई भाग प्रतिवर्ष प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में भुगतान करना था।

पिछले पांच वर्षों के आवंटन एवं व्यय की संवीक्षा में पाया गया कि कुल व्यय, निधियों के प्रतिबद्ध वितरण का 38.45 प्रतिशत तक कम था । इससे विश्व बैंक परियोजना की ओर से कमजोर वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शित हुआ जिसके कारण ₹ 8.26 करोड़ के परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभारों का संचय हुआ जैसा कि **तालिका क्र. 1.16** में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि निधियों के समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने में सबसे बड़ा अवरोध विश्व बैंक द्वारा एस.एम.पी. की अनापत्ति में विलंब था।

### *1.3.7.4 लाईन विभागों द्वारा निधियों का कम उपयोग*

**पांच वर्षों में लाईन विभाग द्वारा केवल 50 प्रतिशत का व्यय किया गया था।**

पिछले पांच वर्षों के आवंटन एवं व्यय की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि लाईन विभागों द्वारा निधियों के कम उपयोग (लगभग 50 प्रतिशत) के कारण आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत लाईन विभागों के एकीकरण की प्रक्रिया विफल हुई । पिछले पांच वर्षों के निधियों के प्रतिबद्ध वितरण के विरूद्ध वर्ष 2005-06 में 7.3 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 में 74.95 प्रतिशत का बहुत कम व्यय हुआ था।

उपनिदेशक (कृषि) ने मई 2010 में बताया कि वर्ष 2009-10 हेतु लक्ष्यों का निर्धारण न होने तथा समय पर आवंटन प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। उप निदेशक(कों), पशुचिकित्सा तथा मत्स्यपालन ने बताया (मई 2010) कि स्टॉफ की कमी तथा उच्च अधिकारियों से स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण आवंटित निधियाँ अनुपयोगित रहीं।

विभाग ने आगे बताया (दिसम्बर 2010) कि निधियों के बेहतर उपयोग हेतु लाईन विभागों द्वारा डब्ल्यू.बी.पी. को एक पुनरीक्षित वित्तीय वितरण प्रणाली हेतु अनुरोध किया गया था।

## 1.3.8 परियोजना कार्यान्वयन

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत आधुनिकीकरण तथा सुधारीकरण हेतु 654 सिंचाई योजनाएँ प्रारंभ की गई थीं। परियोजना में, परिसम्पत्ति आधुनिकीकरण, ड्रेनेज तथा सेवाओं में पहुँच संबंधी परिसंपत्तियों में सुधार, सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग, आधुनिकीकरण योजना में लाईन विभागों को एकीकरण तथा चयनित नदी कछारों का संस्थागत सुदृढीकरण करना परिकल्पित था।

### *1.3.8.1 लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी*

पी.आई.पी. के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने आधुनिकीकरण कार्य के लिए 654 योजनाओं (पाँच वृहद, 33 मध्यम तथा 616 लघु योजनाओं) की पहचान की गई (2004) । यह, 505 योजनाओं (पाँच वृहद, 27 मध्यम तथा 473 लघु योजनाओं) में 2009 के दौरान पुनरीक्षित हुईं । लक्षित तथा वास्तव में ली गई योजनाओं का वर्षवार विवरण **तालिका क्र. 1.17** में दर्शाया गया है।

**तालिका क्र.1.17- लक्ष्य एवं प्रारंभ की गई योजनाओं का वर्षवार ब्यौरा**

| कछार का नाम | वर्ष 1 (2005-06) | | वर्ष 2 (2006-07) | | वर्ष 3 (2007-08) | | वर्ष 4 (2008-09) | | वर्ष 5 (2009-10) | | वर्ष 6 (2010-11) | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ल. | प्रा. | ल. | प्रा. | ल. | प्रा. | ल. | प्रा. | ल. | प्रा. | ल. | प्रा. | ल. | प्रा. |
| बेतवा | 150 | - | 51 | - | 33 | 14 | 12 | 36 | 02 | 08 | 02 | - | 250 | 58 |
| चंबल | 93 | - | 24 | 03 | 12 | 08 | 08 | 06 | - | 01 | 01 | - | 138 | 18 |
| सिंध | 23 | - | 13 | - | 13 | 02 | 03 | 01 | - | 01 | 01 | - | 53 | 04 |
| केन | 62 | - | 32 | - | 22 | 01 | - | - | 01 | 04 | 01 | - | 118 | 05 |
| टोंस | 44 | - | 26 | 02 | 18 | 01 | 06 | - | 01 | 12 | - | - | 95 | 15 |
| | **372** | - | **146** | **05** | **98** | **26** | **29** | **43** | **04** | **26** | **05** | - | **654** | **100** |

**लक्ष्य (ल.); प्रारंभ की गई (प्रा.)**
**(स्रोतः परियोजना कार्यान्वयन योजना एवं पी.डी., डब्ल्यू.बी.पी. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

**छह वर्षों की योजनावधि के विरूद्ध पाँच वर्षों में केवल 100 योजनाएं (15 प्रतिशत) प्रारंभ की गई थीं।**

- प्रथम तीन वर्षों में कुल योजनाओं में से केवल चार प्रतिशत तथा पाँच वर्षों (2005-10) में कुल 15 प्रतिशत योजनाएं ही आरंभ की गईं;
- जल संसाधन विभाग द्वारा 2009 में एक सौ उनचास योजनाओं को असंभाव्य पाए जाने के कारण स्थगित किया गया;
- जल संसाधन विभाग मार्च 2010 तक, विश्व बैंक को 213 योजनाओं के एस.एम.पी. तैयार कर एवं प्रस्तुत कर सका जिसमें से 179 योजनाओं की अनुमति हुई;

- विश्व बैंक द्वारा अनुमत 179 योजनाओं में से विभाग द्वारा केवल 100 योजनाएं (तीन वृहद, 13 मध्यम तथा 84 लघु) ही मार्च 2010 तक ली गईं;

- ₹ 4.60 करोड़ के व्यय करने के पश्चात 18 योजनाओं[40] (दो मध्यम तथा 16 लघु) को समाप्त कर दिया गया था;

**छह वर्षों की योजनावधि के विरूद्ध पाँच वर्षों में केवल नौं योजनाएं पूर्ण की गई थीं ।**

- लक्षित उपलब्धि से भौतिक उपलब्धि (मार्च 2010) कम थी, क्योंकि केवल नौ योजनाएँ (एक वृहद तथा आठ मध्यम ) योजनाएं ही पूर्ण (मार्च 2010) हुई।

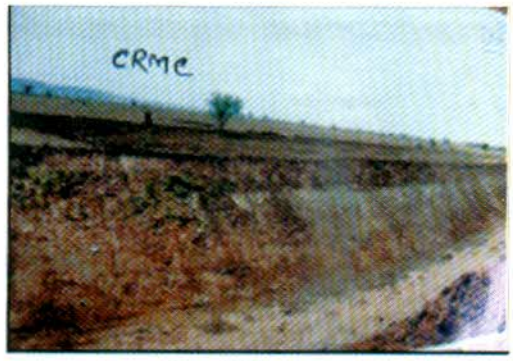
नमूना चयन के अंतर्गत चुनी गई तीन वृहद योजनाओं में से ग्वालियर जिले में 68,392 हे. के कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) की केवल हरसी परियोजना ही पूर्ण हुई थी (मार्च 2009)।



हरसी मुख्य नहर

शेष दो परियोजनाओं की स्थिति नीचे चर्चा की गई है:

- श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड जिले में 1,86,000 हे. कृषि योग्य कमान क्षेत्र की 169 कि.मी. लम्बी चम्बल दायीं मुख्य नहर (सी.आर.एम.सी.), ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति एवं विभाग द्वारा निर्धारित माइलस्टोन को प्राप्त न करने के कारण मार्च 2010 तक अपूर्ण (53 प्रतिशत) रही,




चंबल दाँयी मुख्य नहर

- भोपाल एवं विदिशा जिले में 27,924 हे. सी.सी.ए. की सम्राट अशोक सागर की पुनर्संरचना प्रारंभ की गई (फरवरी 2010) और केवल 13 प्रतिशत ही पूर्ण हुई थी (मार्च 2010),

- वृहद (हरसी परियोजना को छोड़कर) एवं मध्यम योजनाओं हेतु वितरण नेटवर्क का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था (मार्च 2010),

---

40 *मध्यम योजनाएं - सकारा एवं केरवां*
*लघु योजनाएं - देवेन्द्र नगर, ब्रिजपुर, आमखेडा, नंदगांव, भिराटा, माटेगांव, जेरान, झिझांन, धूबेला, गकरिया, पनवारी, बंधा, फुटवारी, कमोदपुरा, सिंध सागर एवं तगोडा*

- लक्षित 27 मध्यम योजनाओं के विरूद्ध 46,076 सी.सी.ए. में फैली केवल 13 योजनाओं को ही प्रारंभ किया गया (मार्च 2010)। 13 योजनाओं मे से 11 योजनाएं अपूर्ण (मार्च 2010) रही, और

- लक्षित 473 लघु योजनाओं के विरूद्ध केवल 84 योजनाएं ही ली गईं (मार्च 2010)। इनमें से मात्र आठ योजनाएं पूर्ण हुई थीं।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि एक ठेके के निरूपण में अनेक विभागों की भागीदारी तथा विभिन्न सलाहकारों की परस्पर निर्भरता के कारण विलम्ब अपरिहार्य था । विभाग ने यह भी बताया कि प्रथम तीन वर्षों में प्रारंभ की गई योजनाओं की संख्या छह प्रतिशत होना बहुत कम उपयोगी प्रतीत हुआ, यद्यपि इन योजनाओं में परियोजना में लक्षित क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र शामिल था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को आच्छादित करने वाली योजनाएं भी अभी तक अपूर्ण थी (दिसम्बर 2010)।

### *1.3.8.2 सिंचाई क्षमता का सृजन न होना*

**लक्षित 6.20 लाख हे. की सिंचाई क्षमता के विरूद्ध पांच वर्षों में केवल 0.69 लाख हे. (11 प्रतिशत) की क्षमता उत्पन्न की गई**

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी .शुरू होने से पहले 2004 में, विभिन्न कारणों अर्थात बांधों एवं नहरों की निम्नतर दशा, खराब सिंचाई प्रबंधन तथा जल पहुंच सेवा, फील्ड (खेत) स्तर में अपव्यय के कारण पानी की कम उपयोग दक्षता एवं पेयजल उद्देश्य के लिए संग्रहित पानी का पुनर्निर्धारण से सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के मध्य पर्याप्त अंतर (लघु योजनाओं में 70 प्रतिशत, मध्यम में 50 प्रतिशत तथा वृहद में 40 प्रतिशत) था। स्थिति को ठीक करने एवं राज्य में सिंचाई प्रणाली के निष्पादन में सुधार हेतु परियोजना प्रारंभ की गई थी।

यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2010) कि 6.20 लाख हे. की लक्षित सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के विरूद्ध मात्र 69,286 हे. सिंचाई क्षमता (68,392 हे.वृहद, 894 हे. लघु) जो 11.17 प्रतिशत थी, सृजित की गई । इस प्रकार 38 प्रतिशत व्यय करने के बाद भी परियोजना का मूल उद्देश्य अप्राप्त रहा।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि कम वर्षा एवं परियोजना के पूर्ण न होने के कारण सिंचाई क्षमता अनुपयोगी रही ।

### *1.3.8.3 लाईन विभागों का एकीकृत न होना*

परियोजना के उद्देश्यों में से एक, आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत लाईन विभागों का एकीकरण करना भी था । लाईन विभागों को संबद्ध क्षेत्रों जैसे कृषि, मत्स्यपालन विकास, पशुधन प्रबंधन एवं उद्यानिकी विकास, आधुनिकीकरण योजना के तहत उपयोगकर्ता एवं उपयोगकर्ता भागीदारी का विकास एवं प्रशिक्षण के लिए अनुकूलतम उपयोग को सुदृढ़ करना था।

विश्व बैंक द्वारा (मई 2010) आधुनिकीकरण योजना में लाईन विभागों के अपर्याप्त एकीकरण को प्रतिवेदित किया गया । लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि लाईन विभागों का प्रबंधन, परियोजना के घटक एवं कार्यक्षेत्र से पूरी तरह अवगत नहीं था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि विश्व बैंक तथा संबद्ध लाईन विभाग यह जानते थे कि उनकी ऐसी वृहद परियोजना को संभालने की क्षमता अपर्याप्त थी।

### *1.3.8.4 सूचना तकनीकी प्रणाली का अपर्याप्त कार्यान्वयन*

परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (पी.ए.डी.) में परिकल्पित था कि परियोजना के प्रथम 18 माह (यथा दिसम्बर 2005 के भीतर) के दौरान कम्प्यूटर सहायक उपकरणों के क्रय के लिए ठेकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई.सी.बी.) प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। इस पर भी महत्व दिया गया था कि विभाग ने विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलनों के पुष्टिकारक, एक कम्प्यूटर प्रणाली और दूरसंचार आधारिक संरचना (लैन/वैन) की स्थापना एवं परीक्षण पूर्ण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि क्रय दो वर्ष के विलम्ब के पश्चात वर्ष 2007-08 में किया गया तथा लैन की स्थापना पांच वर्षों के विलंब से वर्ष 2010 में की गई।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि विलंब अपरिहार्य था क्योंकि आंतरिक समस्याओं, जो नियंत्रण से बाहर थी, के कारण प्रथम आमंत्रण अनुबंध नहीं किया जा सका ।

#### *(i) वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण न होना*

कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास का कार्य अक्टूबर 2007 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक था । यद्यपि, कम्प्यूटरीकरण हेतु सलाहकार की नियुक्ति विलंब से मार्च 2006 में की गई। फलस्वरूप, कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास का कार्य सितम्बर 2010 तक अपूर्ण रहा। ₹ 57.04 लाख के व्यय के पश्चात उपलब्धि मात्र 60 प्रतिशत थी।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि विभाग में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की जटिल प्रकृति तथा अन्य कारणों जैसे बजट तथा भुगतान प्रकिया में परिवर्तन एवं आशोधन के कारण कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ।

#### *(ii) कम्प्यूटर उपयोग हेतु बुनियादी प्रशिक्षण का कार्यान्वयन न होना*

**विभिन्न कार्यों के समकालिक न होने के कारण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।**

कम्प्यूटर उपयोग के बुनियादी प्रशिक्षण हेतु सलाहकार की नियुक्ति 30 माह के विलम्ब से दिसम्बर 2008 में की गई। यद्यपि सितम्बर 2010 तक 5000 कर्मचारियों के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2000 कर्मचारी ही प्रशिक्षित हुए थे। ₹ 96.40 लाख के व्यय उपरांत उपलब्धि मात्र 40 प्रतिशत रही। इसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय परिव्यय एवं परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों मे से एक, विलंबित हुआ ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि 3300 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किए गए थे तथा सलाहकार द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची दी गई थी जबकि कार्यक्रम मई 2011 तक पूर्ण होना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.टी. प्रणाली का कार्यान्वयन, परियोजना के मुख्य घटकों में से एक है। पी.ए.डी. के अनुसार, हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय, सी.एफ.एम.एस. का कार्यान्वयन एवं कम्प्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्य दिसम्बर 2005 तक समकालिक होने आवश्यक थे जो बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण में पिछड़ने के कारण सम्पन्न नहीं हो सके । इसलिए परियोजना अवधि के अंत में आई.टी. प्रणाली के कार्यान्वयन के फलस्वरूप परियोजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

### 1.3.9 परियोजना क्रियान्वयन

जैसा कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य विश्व बैंक ऋण की मदद से निष्पादित किए गए थे, परियोजना पर किसी वित्तीय भार को टालने हेतु प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए अधिकतम सावधानी आवश्यक थी । लेखापरीक्षा में अवलोकित हुआ कि इनमें सावधानी नहीं रखी गई जैसा अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है:

#### *1.3.9.1 चिपकने एवं न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) के अनुचित निष्पादन के फलस्वरूप अतिरिक्त लागत*

**चिपकने न फूलने वाली मिट्टी के अनुचित निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत का व्यय हुआ ।**

तकनीकी परिपत्र (बोधी[41] का क्रं. 17/डी.एस.) और अनुबंध में संलग्न विशिष्टियों के अनुसार यदि सबग्रेड (मिट्टी) का वृद्धि दाब (स्वेलिंग प्रेशर) 50 कि.न्यू./मी.$^2$ (0.5 किग्रा/ से.मी. $^2$) से कम पाया जाता है तो चिपकने एवं न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.[42]) से सबग्रेड का प्रबलन आवश्यक नहीं था ।

तीन वृहद परियोजनाओं की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, चंबल दाँयी मुख्य नहर (सी.आर.एम.सी.) के 0 से 21 कि.मी. की दूरी में वृद्धि का दाब 40 कि.न्यू./मी.$^2$ (अधिकतम) था किन्तु ठेकेदार ने 11.81 कि.मी. से 18 कि.मी. की दूरियों में 2.45 लाख घन. मी. सी.एन.एस. बिछाई एवं उसे ₹ 200 प्रति घन मी की दर से भुगतान किया गया यद्यपि यह कार्य अनुचित था एवं कुछ भी भुगतान योग्य नहीं था क्योंकि वृद्धि दाब अनुमत्य सीमा के भीतर था । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ (₹ 200 प्रति घन.मी. की दर से 244966.7 घनमीटर) की अतिरिक्त लागत आई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, परियोजना निदेशक, विश्व बैंक परियोजना ने बताया (दिसम्बर 2010) कि चयनित दूरियों में कार्य के निष्पादन से पहले लिए गए नमूनों के दूसरे परीक्षण में सी.एन.एस. की आवश्यकता की पुष्टि हुई थी ।

---

*41 जल सिंचाई परियोजनाओं के लिए रूपांकन ब्यूरो, जल संसाधन विभाग*

*42 सबग्रेड की फूलने वाले गुणधर्म को रोकने के लिए सी.एन.एस. (चिपकने एवं न फूलने वाली मिट्टी) मुरम जैसी सामग्री है ।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग, चयनित दूरियों, जहाँ सबग्रेड का वृद्धि दाब 50 कि.न्यू./मी.$^2$ से कम था, में सी.एन.एस. के पुष्टिकारक के अनुवर्ती परीक्षण प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2010) को प्रस्तुत करने में विफल रहा ।

### *1.3.9.2 कोर परीक्षण न किए जाने के लिए अनियमित भुगतान*

अनुबंध के अनुसार (अध्याय-III, नहर लाईनिंग हेतु विशिष्टि, की धारा 14), संबद्ध दूरियों में बिछाई गई नहर लाईनिंग के गुणवत्ता, घनत्व एवं मोटाई के मूल्यांकन के लिए कोर परीक्षण[43] संचालित किया जाना अनिवार्य था । यह धारा 16 में भी उपबंधित है कि चलित भुगतान स्वीकृत इकाई दर के 80 प्रतिशत से किए जाने थे एवं 100 प्रतिशत दर पर अंतिम भुगतान कोर के जाँच परिणामों के पश्चात किए जाने थे ।

**कोर परीक्षण संचालित न होने से कार्य के गुणवत्ता पक्ष अनाश्वासित रहे।**

दो वृहद, एक मध्यम एवं एक लघु योजना की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कोर परीक्षण संचालित किए बिना सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग के लिए पूर्ण दरों पर भुगतान किए गए थे । इस प्रकार, कार्य की गुणवत्ता अनाश्वासित रही एवं इसलिए ₹ 26.65 करोड़ का भुगतान (जैसा **परिशिष्ट 1.14** विवरण दिया गया है) अनियमित हुआ। विश्व बैंक ने भी अवलोकित किया (जनवरी 2010) कि ठेकेदार अनिवार्य कोर परीक्षण संचालित करने में विफल थे एवं पूर्ण दर पर भुगतान से शासन के लिए एक देयता सृजित हुई। लेखापरीक्षा में भी अवलोकित हुआ कि 'कार्यों की तकनीकी जाँच' के लिए सलाहकार की नियुक्ति न होने (दिसम्बर 2010) के कारण सुधारीकरण कार्य (पहचानी गई पुरानी परियोजनाओं के) के गुणवत्ता पक्ष अनाश्वासित रहे ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि ठेकेदारों को कोर परीक्षण सम्पन्न करने की सलाह दी गई थी, जिसके विफल होने पर चल देयकों से अथवा विभाग के पास की सुरक्षा निधियों से अपेक्षित लागत के समायोजन किए जाएंगे ।

### *1.3.9.3 मूल आयोजना से विचलन के परिणामस्वरूप अनियमित रूप से कार्य सौंपा जाना*

**निविदा के आमंत्रण के बिना कार्य को अनियमित रूप से सौंपा जाना।**

म.प्र.निर्माण विभाग के अनुदेशों के अनुसार, निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जारी किए जाने के पूर्व उचित आयोजना एवं सही प्राक्कलन किसी परियोजना की पूर्वापेक्षाएँ हैं। यह भी उपबंधित है (कंडिका 2.075 ब) कि ठेके पर दिए जाने वाले किसी भी प्रस्तावित कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए । चंबल निचली मुख्य नहर (सी.एल.एम.सी.) के अतिरिक्त 11 कि.मी. में नहर लाईनिंग का कार्य, कार्य के मूल कार्यक्षेत्र में नहीं था । लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जल संसाधन विभाग द्वारा, कि.मी. 0 से 50 में सी.एल.एम.सी. की अन्य दूरियों (11 कि.मी. के) के अतिरिक्त कार्य ₹ 23.73 करोड़ की लागत पर अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किए गए एवं विद्यमान एजेंसी को जनवरी 2010 में सौंपे गए थे ।

---

43 *पद, कोर परीक्षण का उपयोग, लाईनिंग की मोटाई, घनत्व, दृढ़ता एवं गुणवत्ता की जाँच करने के लिए 28 दिवसों के पश्चात लाईनिंग कार्य से टुकड़ा लेकर सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग की जाँच के लिए होता है।*

- सी.एल.एम.सी. के 11 कि.मी. में लाईनिंग के अतिरिक्त कार्य के भुगतान के लिए उच्चतर दरें स्वीकृत थीं जिसके परिणामस्वरूप कार्य में ₹ एक करोड़ की अतिरिक्त लागत आई जैसा **परिशिष्ट 1.15** में दर्शाया गया है ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि स्थल की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कार्य को मूल कार्य में ही सम्मिलित किया गया एवं तदनन्तर निविदा प्रक्रिया में उच्च दरों की प्रत्याशा में यह कार्य उसी ठेकेदार को दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इतनी अधिक मात्रा (71 प्रतिशत) के साथ कार्य को उसी ठेकेदार को सौंपा जाना म.प्र.निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था एवं जिसके लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थीं ।

### *1.3.9.4 अनुबंध राशि का परिशोधन न करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत*

एस.एम.पी. को तैयार करने के लिए ₹ 13.50 करोड़ की लागत से एक ठेका एक सलाहकार को 34 माह के विलंब के पश्चात सौंपा गया (जनवरी 2008)। यह पाया गया कि कुल 654 एस.एम.पी. में से जल संसाधन विभाग द्वारा पहले ही 167 एस.एम.पी. तैयार किए जा चुके थे एवं कार्य सौंपे जाने से पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा 149 योजनाओं (एल.आई.एस. एवं अन्य लघु) को छोड़ दिया गया था । इसलिए सलाहकार को मात्र 338 एस.एम.पी. यथा कुल एस.एम.पी. का 52 प्रतिशत तैयार करने थे । सलाहकार ने वास्तव में सेवाओं का 33 प्रतिशत सौंपा एवं उसे जून 2010 तक ₹ 6.01 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार ठेका लागत का पुनरीक्षण न होने के कारण विभाग को परामर्श सेवा के लिए ₹ 3.07 करोड़ (यथा 149 योजनाओं की लागत) की अतिरिक्त लागत का भुगतान करना था ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि 149 योजनाओं को छोड़ा गया था क्योंकि इनको जलविज्ञान एवं जलग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण संभाव्य नहीं पाया गया था । सलाहकार द्वारा एस.एम.पी. को तैयार किए जाने की आयोजना थी । विश्व बैंक अधिप्राप्ति पद्धति के अनुसार सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया, एक लम्बी प्रक्रिया थी । इसलिए जल संसाधन विभाग ने अपनी सीमित क्षमता से 167 एस.एम.पी. तैयार किए । इन सभी एस.एम.पी. को सलाहकार के समीक्षा के अधीन विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा तैयार किए गए एस.एम.पी. विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सलाहकार के माध्यम से भेजे गए । छोड़ी गई योजनाओं के 149 एस.एम.पी. का अपेक्षित लागत समायोजन विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

### *1.3.9.5 प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीक स्थानान्तरण का संचालन न होना*

सलाहकार एवं जल संसाधन विभाग के मध्य अनुबंध (धारा 13 का परिशिष्ट अ) में, भविष्य की परियोजनाओं के लिए परिणामों को सीखने एवं पुनरावृत्ति हेतु मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग एवं परियोजना में संबद्ध अन्य कर्मचारी सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए परामर्श अवधि की संपूर्ण

समय सीमा में प्रशिक्षण एवं तकनीक स्थानांतरण एक नियमित गतिविधि की भाँति प्रावधानित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ठेकों में प्रशिक्षण प्रदान करने की ₹ 2.70 करोड़ की लागत सम्मिलित थी, पाँच वर्ष से अधिक व्यपगत होने के पश्चात भी तीन सलाहकारों[44] द्वारा प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया था (अगस्त 2010)। इन सलाहकारों के अनुक्रियाशील अनुवृत्ति न होने एवं विश्व बैंक परियोजना द्वारा नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग अभाव के कारण योजना के वांछित लाभों (2289 स्लाट के लिए प्रशिक्षण) का वंचन हुआ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि प्रशिक्षण राज्य एवं देश में संचालित किया गया था किन्तु इसे विदेश में संचालित नहीं किया जा सकता था। प्रशिक्षण अपेक्षाओं के संचालन न होने की दशा में लागत का समायोजन किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना अवधि के अंत में म.प्र. जल संसाधन विभाग एवं अन्य स्टॉफ को प्रशिक्षण एवं तकनीक स्थानांतरण के लिए अल्प रूप से लागत के समायोजन मात्र से प्रशिक्षण एवं तकनीक स्थानांतरण के अभीष्ट लाभों का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, पर विचार नहीं किया गया था।

### 1.3.10 ठेका प्रबंधन

विश्व बैंक की ऋणदात्री नीति के अनुसार, ठेके, विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (एन.सी.बी.) और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई.सी.बी.) के विषय में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निष्पादित किए गए थे। इस परियोजना के लिए एन.सी.बी. एवं आई.सी.बी. कुछ विशेष शर्तों अर्थात बीमा कवरेज, असंतुलित बोलियों के लिए सुरक्षा के प्रति अग्रिम रूप से बैंक गारंटी (बी.जी.) जमा करना, उल्लिखित माईलस्टोन को प्राप्त न करने के लिए शास्ती का आरोपण, मशीनरी अग्रिम का भुगतान एवं परियोजना की पूर्णता तक समस्त प्रतिभूति जमा का अवरोधन, के साथ लागू किए गए थे।

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विसंगतियाँ, चूकें एवं ठेका शर्तों का उल्लंघन लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित किए गए। इनमें से कुछ प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं:

---

**44**

| *सलाहकार का नाम* | *स्लाट की संख्या* | *राशि* |
|---|---|---|
| *मेसर्स सी.ई.एस. नईदिल्ली* | *2175* | *₹ 206 लाख* |
| *मेसर्स थ्योवेल बंगलौर* | *30* | *₹ 30 लाख* |
| *मेसर्स डी.एच.व्ही. बी.व्ही.* | *84* | *₹ 34.50 लाख* |
| | *2289* | *₹ 270.50 लाख* |

### 1.3.10.1 ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ

**विभाग ने असंतुलित बोलियों के लिए कम अतिरिक्त प्रतिभूति जमा स्वीकार की गई ।**

अनुबंधों की धारा 29.5 के अनुसार, असंतुलित बोलियों[45] के प्रकरण में चूक की अवस्था में नियोजक को सुरक्षित करने के लिए वित्तीय हानि के विरूद्ध ठेकेदार को पर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करना आवश्यक था। जमा की यह राशि, कुल ठेका मूल्य के पाँच प्रतिशत की सामान्य निष्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त आवश्यक थी ।

तीन वृहद, तीन मध्यम एवं पाँच लघु योजनाओं की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 15 अर्हता प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन के समय ई.सी. ने बोलियों को ₹ 57.51 करोड़ के मूल्य पर असंतुलित निश्चित किया । तदनुसार, बोलीकर्ताओं द्वारा ₹ 57.71 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था । यद्यपि, ठेकेदारों ने, मात्र ₹ 2.72 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा प्रस्तुत की जिसके परिणामस्वरूप असंतुलित बोलियों के लिए ₹ 54.79 करोड़ की कम सुरक्षा निधि प्राप्त हुई जैसा **परिशिष्ट 1.16** में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि मानक पद्धति के अनुसार ठेकेदारों से कुल असंतुलित राशि का पाँच प्रतिशत बैंक गारंटी ली गई थी । यदि विभाग ठेकेदारों से असंतुलित बोली की 100 प्रतिशत राशि को सुरक्षित करने का प्रयास करता तो वे अंततः उच्चतर दरें उद्धृत करना प्रारंभ करते इस प्रकार ठेके की लागत बढ़ती ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियोजक के जोखिम को सुरक्षित करने के लिए, अनुबंध के अनुसार असंतुलित बोलियों की कुल राशियों के लिए बैंक गारंटी प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

### 1.3.10.2 बीमा का कवरेज कम /न होना

**कार्य बीमित नहीं थे जैसा कि अनुबंधों की धारा 13 के अंतर्गत वांछित था ।**

ठेके की शर्तों की धारा 13 के अनुसार, विभिन्न जोखिमों को कवर करने के लिए ठेके में विनिर्दिष्ट राशियों के लिए ठेकेदार को ठेका प्रारंभ होने की तिथि से त्रुटि दायित्व अवधि[46] के अंत तक बीमा कवर का प्रावधान करना आवश्यक था ।

तीन वृहद, तीन मध्यम और पाँच लघु योजनाओं के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 अनुबंधो में, ₹ 3.75 करोड़ की सीमा तक बीमा प्रीमियम के भुगतान की संविदागत आवश्यकताओं के बावजूद केवल तीन ठेकेदारों द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया एवं शेष 11 ठेकेदार कोई भी बीमा कवर प्रस्तुत करने में विफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 3.68 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ जैसा **परिशिष्ट 1.17** में दर्शाया गया है ।

---

45 *असंतुलित बोलियाँ वे बोलियाँ हैं जहाँ प्राक्कलित दरों की तुलना में ठेकेदारों द्वारा उद्धृत मदवार दरें बहुत अधिक होती हैं ।*

46 *त्रुटि दायित्व अवधि, कार्य पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष की वह अवधि है जिसमें ठेकेदार, इस अवधि के दौरान नियोजक द्वारा अवलोकित की गई समस्त त्रुटियों को उसकी लागत पर सुधारेगा।*

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि ठेकेदारों से बीमा कवर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है अन्यथा वसूलियां की जानी थीं । उत्तर कारण स्पष्ट नहीं करता है कि ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ क्यों दिए गए थे एवं अनुरूप वसूलियां प्रभावी नहीं की गई थीं। न तो ठेकेदारों द्वारा बीमा संरक्षण हेतु ₹ 3.68 करोड़ दिए गए और न ही राशि वसूल की गई ।

### *1.3.10.3 निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना*

अनुबंध के धारा 49.1 में प्रावधानित है कि विनिर्दिष्ट प्रगति को प्राप्त करने में विफल होने की अवस्था में ठेकेदार, ठेका आँकड़ों (कांट्रेक्ट डाटा) में विनिर्दिष्ट एक दैनिक दर पर नियोजक को निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु जिम्मेदार था । प्रत्येक अनुबंध में विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट थीं ।

**लक्ष्यों की उपलब्धि न होने से ₹ 20.93 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति।**

दो वृहद, दो मध्यम एवं एक अवर्गीकृत[47] योजनाओं के नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ अनुबंधो में ठेकेदार वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे । इन ठेकेदारों से ₹ 27.41 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति वसूली योग्य थी किन्तु उनके देयकों से मात्र ₹ 6.48 करोड़ रोके गए थे । इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.93 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं हुई, जैसा **परिशिष्ट 1.18** मे विवरण दिया गया है ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि निर्धारित क्षतिपूर्ति उन ठेकेदारों से वसूल की जाएगी, जो वांछित लक्ष्य पाने मे विफल रहे ।

### *1.3.10.4 पी.पी.सी. सीमेन्ट के उपयोग के कारण अधिक भुगतान*

**विशिष्टियों के प्रतिकूल लाईनिंग कार्य में ओ.पी.सी. के स्थान पर पी.पी.सी. के उपयोग के कारण ₹ 3.01 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।**

सिंचाई विशिष्टियाँ, अनुबंध में संलग्न, अनुबंध के भाग के रूप में हैं। विशिष्टियों के अध्याय III की धारा 9 में प्रावधानित है कि नहर लाईनिंग कार्य में, 'आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट' (ओ.पी.सी.) 43 ग्रेड का उपयोग किया जाना चाहिए।

तीन वृहद योजनाओं की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि छह अनुबंधो में सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग के लिए ओ.पी.सी. 43 ग्रेड के स्थान पर 'पोझोलोना पोर्टलैंड सीमेंट' (पी.पी.सी.) का उपयोग करते हुए मिश्रित रूपांकन (मिक्स्ड डिज़ाईन) तैयार किए गए थे । पी.पी.सी., ओ.पी.सी. 43 ग्रेड की तुलना में ₹ 200 प्रति मीट्रिक टन सस्ता था । वसूली योग्य दर अन्तर, किए गए कार्य के लिए भुगतान करते समय ठेकेदारों से वसूल नहीं किए गए थे । इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 3.01 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.19** में दिया गया है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि नहर लाईनिंग के लिए विशिष्टियों के अध्याय II ए के अनुसार नहर लाईनिंग के लिए किसी भी ग्रेड का सीमेंट उपयोग किया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विशिष्टियों का अध्याय II ए, कंक्रीट मिश्रण संघटकों के लिए एक सामान्य प्रावधान था जबकि नहर लाईनिंग के लिए विशिष्टियों के अध्याय IV में, लाईनिंग कार्य में ओ.पी.सी. 43 ग्रेड के सीमेंट का उपयोग स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था ।

47 *स्वर्णरेखा नदी का जल गुणवत्ता संवर्धन (डेम सेफ्टी संभाग ग्वालियर)।*

### 1.3.10.5 अतिरिक्त कार्य की अनियमित स्वीकृत

**अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में मुख्य अभियंता द्वारा अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किया गया था ।**

अनुबंध के अनुसार, नियोजक (यथा मुख्य अभियंता) पूर्णयोग के 10 प्रतिशत के अधीन, एक समय में ठेका मूल्य के एक प्रतिशत तक विभिन्नताओं को अनुमत करने हेतु समर्थ था । इन मात्राओं से अधिक विभिन्नताएँ परियोजना निदेशक (डब्ल्यू.बी.पी.) द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हरसी मुख्य नहर, डबरा के पुर्नसंरचना कार्य (अनुमानित लागत ₹ 57.42 करोड़) में, मुख्य अभियन्ता, यमुना कछार, ग्वालियर द्वारा, अनुबंध की परिधि से परे अतिरिक्त दूरियों के लिए ₹ 11.90 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त मात्राएँ (20.72 प्रतिशत), विश्व बैंक के अनुमोदन के बिना स्वीकृत की गई (जुलाई 2009 और मार्च 2010)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.90 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि मुख्य अभियन्ता यमुना कछार, ग्वालियर द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता की स्वीकृति अनुबंध के प्रावधानों से परे थी एवं सम्पूर्ण राशि ₹ 11.90 करोड़ की स्वीकृति शासन की परिधि में आती थी। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति के आदेश की प्रतिलिपी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

### 1.3.10.6 प्रतिधारण राशि का अनियमित रूप से वापसी एवं परिवर्तन

**कार्यों के पूर्ण होने से पूर्व प्रतिधारण राशि का समयपूर्व परिवर्तन/ वापसी होना।**

अनुबंध की धारा 48 में प्रावधानित था कि संपूर्ण कार्य के पूर्ण होने तक प्रतिधारण राशि[48] (प्रतिभूति जमा) की कटौती करना तथा रोक कर रखना था। संपूर्ण कार्य की पूर्णता पर रोकी गई कुल राशि का केवल आधा ठेकेदार को वापसी योग्य था एवं त्रुटि दायित्व अवधि का एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात शेष राशि इस शर्त के अधीन भुगतान योग्य थी कि अभियंता ने प्रमाणित किया हो कि ठेकेदार को सूचित की गई समस्त त्रुटियाँ ठीक कर दी गईं । संपूर्ण कार्य के पूर्ण होने पर किन्तु त्रुटि दायित्व अवधि की पूर्णता से पहले, ठेकेदार के पास प्रतिधारण राशि को एक बैंक गारंटी से प्रतिस्थापित करने का विकल्प था।

तीन वृहद योजनाओं की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अनुबंध की अनुबंधित, निबंधन और शर्तों के उल्लंघन में कार्य के लगभग 43 प्रतिशत पूर्ण होने पश्चात ही, ठेकेदार[49] को प्रतिधारण राशि के ₹ 60.86 लाख की अनियमित रूप से वापसी की गई ।

इसी प्रकार, जल संसाधन हरसी संभाग डबरा के दो प्रकरणों[50] में ₹ 1.97 करोड़ की प्रतिधारण राशि जो नकद जमा के रूप में रोकना था को सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) से प्रतिस्थापित

---

48 *ठेका राशि के अधिकतम पाँच प्रतिशत के अधीन, प्रत्येक चलित देयक की कुल राशि का छह प्रतिशत की दर से ।*

49 *अनुबंध क्र. 25/07-08 प्रमाणक क्र.4 दिनांक 04 सितम्बर 2009, सी.आर.एम.सी.60-93, का.यं. ज.सं.वि.श्योपुर ।*

50 *अनुबंध क्र. प्रतिधारण राशि एफ.डी.आर. में परिवर्तित राशि*

| | |
|---|---|
| *01/2007-08* | *₹ 55,74,800* |
| *04/2007-08* | *₹ 1,40,80,000* |
| | *₹ 1,96,54,800* |

किया गया जबकि इस प्रकार के प्रतिस्थापन हेतु अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था। यह कार्रवाई न केवल अनुबंध के सुनिश्चित प्रावधानों के उल्लंघन में थी अपितु शासन के वित्तीय हित के प्रतिकूल भी थी।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि ₹ 30 लाख वसूल किए जा चुके थे और शेष राशि चलित देयको से वसूल की जाएगी ।

### *1.3.10.7 बिटुमिन घटक के लिए मूल्यवृद्धि का अनियमित भुगतान*

**कार्य के क्षेत्र से परे बिटुमिन घटक के लिए मूल्य वृद्धि का अनियमित भुगतान हुआ ।**

नमूना जांच किए गए 14 कार्यों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि दो अनुबंधों[51] के कार्यक्षेत्र में बिटुमिनस कार्य नहीं था, ठेकेदार को बिटुमिनस घटक के लिए मूल्य समायोजन के ₹ 25.84 लाख की राशि का भुगतान किया गया था ।

विभाग ने स्वर्णरेखा नदी से कार्य से संबंधित ₹ 4.42 लाख की राशि वसूल करना प्रतिवेदित किया एवं आश्वासन दिया (दिसम्बर 2010) कि अम्बाह शाखा नहर के कार्य के लिये बिटुमिन घटक अगले मूल्यवृद्धि देयकों से समायोजित किए जाएंगे ।

### *1.3.10.8 प्रथम आमंत्रण में निविदाओं का अनियमित रूप से रद्द करना*

**प्रथम आमंत्रण में निविदाओं को निरस्त करने के कारण विश्व बैंक ऋण की अनुचित अधिप्राप्ति एवं लागत वृद्धि हुए।**

मुख्य अभियन्ता, यमुना कछार, ग्वालियर द्वारा ₹ 28.14 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर 'चंबल निचली मुख्य नहर (सी.एल.एम.सी.) के कि.मी. 0.00 से 50.00 स्लाईस क्र. 3 के रीसेक्शनिंग एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य' हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं (दिसम्बर 2006) । 22 अगस्त 2007 को निविदाएं खोली गईं एवं चार निविदाकारों ने उनके प्रस्ताव प्रस्तुत किये जैसा **तालिका क्र. 1.18** में विवरण दिया गया है।

**तालिका क्र. 1.18 निविदाकरण का विवरण**

*(₹करोड़ में)*

| स. क्र. | निविदाकार का नाम | प्राक्कलित लागत | निविदाकारों द्वारा प्रस्तावित दरें | यू.एस.आर. (1 जुलाई 2007) से अधिक प्रतिशत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अ | 28.14 | 29.89 | 6.22 | **निविदाकार अ** ने दोनों बोलियों यथा स्लाईस 3 एवं 4[52] में एक न्यूनतम निविदाकार की भाँति भाग लिया था । इसलिए स्लाईस 3 के लिए **निविदाकार अ** के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। |
| 2 | ब | 28.14 | 32.42 | 15.24 | |
| 3 | स | 28.14 | 32.71 | 16.63 | |
| 4 | द | 28.14 | 35.94 | 27.73 | |

**'अ'** की न्यूनतम निविदा, जो प्राक्कलित लागत से 6.22 प्रतिशत अधिक थी, को निविदा मानदण्ड के अनुसार, निरस्त किया गया क्योंकि **'अ'** को पहले ही स्लाईस क्र. 4 का कार्य सौंपा गया था। द्वितीय न्यूनतम निविदाकार **'ब'** का प्रस्ताव प्राक्कलित लागत से 15.24 प्रतिशत अधिक था । जब

51 *अम्बाह ब्रांच नहर* ₹ *21,41,415*
*स्वर्णरेखा नदी* ₹ *4,42,667*
***कुल*** ₹ ***25,84,082***

52 *मुरैना शाखा नहर, जल संसाधन संभाग जौरा ।*

विश्व बैंक को उच्च दरों के बारे में सूचित किया गया (18 अक्टूबर 2007) तो यह सूचित किया गया (5 नवम्बर 2007) कि **'ब'** की दरें युक्तियुक्त थीं एवं परियोजना प्राधिकारियों को मुद्दे का समाधान करने हेतु अनुदेशित किया। विश्व बैंक ने यह भी बताया (19 मई 2008) कि यदि न्यूनतम योग्य निविदाकार की बोली को स्वीकृत नहीं किया जा सका तो ऋण अनुचित अधिप्राप्ति (मिस-प्राक्योरमेंट) की भाँति घोषित होगा एवं इसके फलस्वरूप यह सात मिलियन यू.एस. $ (लगभग ₹ 28 करोड़) के ऋण में कमी या रद्दीकरण को आवश्यक बनाएगा।

यद्यपि, मुख्य अभियन्ता द्वारा **'ब'** की निविदा, इस तर्क पर कि दरें प्रचलित दरों (यथा 9.16 प्रतिशत अधिक) की तुलना में उच्चतर हैं, अंततः रद्द की गई (10 जुलाई 2008)। जल संसाधन विभाग ने चंबल निचली मुख्य नहर का कार्य एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के राज्य अंश से निष्पादित किए जाने का निश्चय किया। इसलिए, मुख्य अभियन्ता, ग्वालियर द्वारा निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई (11 जुलाई 2008) एवं अधिकार प्राप्त समिति द्वारा ठेकेदार 'ई' का न्यूनतम प्रस्ताव (दरों की एकीकृत अनुसूची से 17.73 प्रतिशत अधिक) स्वीकार किया गया (8 अक्टूबर 2008) ।

इस प्रकार, 'ब' की न्यूनतम बोली के रद्दीकरण हेतु ई.सी. द्वारा दिए 'उच्च दरों' का कारण त्रुटिपूर्ण था । प्रथम आमंत्रण में निविदा का अनियमित रद्दीकरण एवं अनुवर्ती आमंत्रण में महंगे ठेके को स्वीकार करने से न केवल परियोजना को ₹ 28 करोड़ के विश्व बैंक ऋण से वंचित होना पड़ा अपितु इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.70 करोड़[53] की अतिरिक्त लागत हुई ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि सफल निविदाकार को कार्य आवंटित नहीं किया गया क्योंकि निविदाकार ने प्रस्ताव की वैधता की अवधि को बढ़ाने से इंकार किया । इसलिए, कार्य एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के राज्य अंश से निष्पादित किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्व बैंक ने स्पष्ट रूप से मुद्दे के समाधान हेतु अनुदेशित किया था (पात्र निविदा को छोड़कर) फिर भी विभाग ने ठेका रद्द किया ।

इसी प्रकार, 'ईटखेड़ी तालाब, चांचेड़ बराज, परवलिया तालाब एवं कदमपुर तालाब की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण कार्य' के सम्मिश्र कार्य के प्रकरण में, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने न्यूनतम योग्य निविदाकार की ₹ 1.75 करोड़ की लागत की बोली उच्चतर होने से निरस्त की थी (मार्च 2007)। तदनन्तर, पुनः निविदा आमंत्रण के पश्चात परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.बी.पी. द्वारा एक अन्य ठेकेदार की ₹ 5.65 करोड़ लागत की बोली स्वीकृत की गई (फरवरी 2010)। इस प्रकार कार्य के सौंपे जाने में तीन वर्ष के विलंब के कारण लागत ₹ 1.75 करोड़ से ₹ 5.66 करोड़ तक बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों की समय वृद्धि एवं ₹ 3.91 करोड़ की लागत वृद्धि हुई ।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग भोपाल ने बताया (अगस्त 2010) कि यू.एस.आर. में पुनरीक्षण के कारण लागत में वृद्धि हुई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लागत में वृद्धि मुख्यतः कार्य के सौंपे जाने में तीन वर्ष के विलम्ब के कारण हुई थी ।

---

53 *(₹ 28.14 करोड़ का 17.73 प्रतिशत ऋण 15.24 प्रतिशत)*

### *1.3.10.9 संविदागत प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य का अनियमित रूप से सौंपा जाना*

**निष्पादन प्रतिभूति के विलंबित प्रस्तुतिकरण के कारण ठेके का उल्लंघन हुआ ।**

'स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर के आधुनिकीकरण के कार्य' हेतु अनुबंध की धारा 29.5 और 34.1 प्रावधानित है कि सफल निविदाकार को स्वीकृति का पत्र प्राप्त होने के 21 दिवसों के भीतर, किसी भी रूप में ठेका मूल्य के पाँच प्रतिशत की निष्पादन प्रतिभूति एवं असंतुलित बोलियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि को जोड़कर तुल्य राशि सौंपना था । उपधारा 34.1 की आवश्यकताओं के पालन में सफल निविदाकार की विफलता, अनुबंध का उल्लंघन होती जो स्वीकृति के पत्र के निष्प्रभावीकरण एवं बोली सुरक्षा निधि की जब्ती का एक कारण होती । नियोजक ठेके को अगले निविदाकार को सौंपता ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 'स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर के आधुनिकीकरण' के लिए ई.सी. द्वारा न्यूनतम ठेकेदार की बोली 25 फरवरी 2008 को स्वीकृत की गई थी एवं ठेकेदार को 27 फरवरी 2008 को संसूचित की गई थी । यद्यपि ठेकेदार द्वारा 33 दिवसों के व्यपगत होने के पश्चात 31 मार्च 2008 को अनुबंध निष्पादित किया गया । ठेके के प्रारंभ होने के पश्चात, ठेकेदार ने ₹ 1.26 करोड़ की सावधि जमा रसीद प्रस्तुत की, जो ₹ 0.73 करोड़ से कम थे । विभिन्न स्मरण पत्रों के पश्चात, अंततः ठेकेदार ने 28 अप्रैल 2008 को निष्पादन सुरक्षा निधि के लिए ₹ 1.99 करोड़ की एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की । निष्पादन सुरक्षा निधि के विलंबित प्रस्तुतीकरण से ठेके का उल्लंघन हुआ । इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.10 लाख की बोली सुरक्षा निधि जब्त नहीं हुई एवं ₹ 37.84 करोड़ राशि का कार्य का अनियमित रूप से सौंपा गया ।

ठेकेदार द्वारा निष्पादन सुरक्षा निधि के प्रस्तुतीकरण में विलंब को विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2010) जिससे ठेके का उल्लंघन हुआ ।

### *1.3.10.10 चूककर्ता ठेकेदार से वसूली न होने के कारण हानि*

**चूककर्ता ठेकेदारों से वसूली न होने के कारण हानि।**

₹ 2.65 करोड़ की प्राक्कलित लागत से कार्य को 18 माह में पूर्ण करने (मई 2010) की शर्त के साथ 'जल संसाधन संभाग, भोपाल के अन्तर्गत केरवाँ मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण' का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया (नवम्बर 2008)। कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी एवं इसलिए इसे कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग भोपाल द्वारा निरस्त किया गया (अप्रैल 2009)।

ठेके की शर्तों (धारा 59.1 एवं 60.1) के अनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा, चूककर्ता ठेकेदार से निर्धारित क्षतिपूर्ति (₹ 26.5 लाख), मोबिलाईजेशन अग्रिम (₹ 16.43 लाख) एवं अन्य वसूलियों (₹ 38.69 लाख) के कारण ₹ 81.62 लाख की वसूली नहीं की गई थी (जुलाई 2010)। मात्र ₹ 37.10 लाख की निष्पादन सुरक्षा निधि को जब्त किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.52 लाख की ठेकेदार से कम वसूली हुई ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि शासन के अनुदेशों के अनुसार प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने उनके क्षेत्राधिकार में उसी ठेकेदार के चल रहे कार्यों से शेष राशि वसूल करने हेतु आश्वस्त किया (अप्रैल 2010) । वसूली की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

### 1.3.11 मॉनीटरिंग एवं आंतरिक नियंत्रण

पी.आई.पी. के अनुसार, परियोजना की प्रारंभिक अवस्था के दौरान परियोजना के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए संकेतकों एवं बेंचमार्क को समाविष्ट करते हुए एक प्रभावी मॉनीटरिंग एवं लर्निंग प्रणाली कार्यान्वित करनी चाहिए । मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ अवलोकित हुईं:

- परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज के अनुसार 'मॉनीटरिंग एवं लर्निंग गतिविधि' के कार्य को प्रारंभ करने के लिए सलाहकार दिसम्बर 2005 तक नियुक्त होना था। यद्यपि इसे दिसम्बर 2010 तक नियुक्त नहीं किया गया था ।

- परियोजना निदेशक, (डब्ल्यू.बी.पी.) के आदेशों (जुलाई 2010) के अनुसार सलाहकारों द्वारा पूर्ण किए गए विभिन्न कार्यों के साप्ताहिक आधार पर अनुवीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों वाले प्रतिरूप दल बनाए गए थे (सितम्बर 2010)। परियोजना के अंत में मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए दलों के गठन से उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

- आई.टी.प्रणाली का कार्यान्वयन पाँच वर्षों तक विलंबित हुआ जिससे मॉनीटरिंग व्यवस्था में अधिक बाधा हुई ।

- विश्व बैंक मिशन ने परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों के स्थल निरीक्षण सहित एक व्यापक अध्ययन संचालित किया (नवम्बर 2009)। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा की गई पहल को विश्व बैंक ने 'औसत रूप से असंतोषजनक' निर्धारित किया था। निष्पादन के विभिन्न घटकों के विरूद्ध विश्व बैंक मिशन के मुख्य निष्कर्षों का सार **परिशिष्ट 1.20** में दर्शाया गया है।

- विभाग ने बताया (दिसम्बर 2010) कि परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.बी.पी. द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर मासिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रहीं थीं ।

### 1.3.12 निष्कर्ष

परियोजना का लगभग 83 प्रतिशत समय पूर्ण हो गया था किन्तु विभाग, समयबद्ध रीति से परियोजना का कार्यान्वयन करने में विफल रहा । योजनाओं का कार्यान्वयन न होने के कारण 6.20 लाख हे. की लक्षित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध मात्र 69,286 हे. (11.17 प्रतिशत) की सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी (मार्च 2010)। परियोजना लागत ₹ 1,919 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 688.75 करोड़ (38 प्रतिशत) व्यय करने के पश्चात 654 योजनाओं में से मात्र नौ योजनाएँ (एक वृहद एवं आठ लघु) पूर्ण हुईं थीं । सलाहकारों की नियुक्ति एवं सुपुर्दगियों में विलंब ने परियोजना की पूर्णता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया । निविदा दस्तावेज उचित सावधानी से

तैयार नहीं किए गए थे एवं दोषपूर्ण धाराओं से वित्तीय हानि एवं संविदागत/ विधिक जटिलताओं के जोखिम उत्पन्न हुए। निर्धारित क्षतिपूर्तियों एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली न होने, ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करना इत्यादि के प्रकरण थे । अपूर्ण आंतरिक नियंत्रण, अपर्याप्त मॉनीटरिंग एवं आधुनिकीकरण आयोजना में लाईन विभागों का असंतोषजनक निष्पादन ने मुद्दे को और गंभीर बना दिया ।

## 1.3.13 अनुशंसाएँ

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सलाहकार दिशानिर्देशों एवं नीति निर्देशों का पालन करते हैं अनुबंध में सलाहकारों द्वारा निम्न निष्पादन या विलंबित निष्पादन के लिए एक शास्ती धारा सम्मिलित होना चाहिए ।
- समय एवं लागत वृद्धियों और प्रतिबद्धता प्रभारों को टालने के लिए निर्धारित अनुसूची के ठोस अनुवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- अनुबंध की शर्तों का अनुवर्तन होना चाहिए एवं विधिक जटिलताओं को टालने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ।
- परियोजना के आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए ।

# दूसरा अध्याय
## लेनदेन लेखापरीक्षा

# दूसरा अध्याय

# लेनदेन लेखापरीक्षा

## 2.1 कपट/ गबन /हानियां

### आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

### 2.1.1 शासकीय धन का संदिग्ध गबन/दुर्विनियोग

आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल के कार्यालय में संहितागत प्रावधानों तथा शासकीय आदेशों के पालन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ का गबन/दुर्विनियोग करने में सुविधा हुई।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, खण्ड 1 में यह प्रावधान है कि सरकारी धन के लेन-देन जैसे ही घटित होते हैं वैसे ही रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि किए जायें और उनकी जांच के प्रमाण स्वरूप रोकड़ पुस्तक के प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिये। कोषालय से कपटपूर्ण आहरणों की रोकथाम के लिये सरकार ने दिसम्बर 2000 में आगे आदेश जारी किये थे कि माह के दौरान आहरित समस्त चेकों की एक सूची कोषालय अधिकारी द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए और आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन का प्रमाण-पत्र अंकित कर सूची उसी माह की 20 तारीख तक कोषालय अधिकारी को वापस कर दी जानी चाहिए। आगे वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये (नवम्बर 2003) कि अर्द्ध/गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान के संबंध में, देयक उनके पक्ष में पृष्ठांकित किये जाएं जिससे कोषालय अधिकारी द्वारा चेक संबंधित संस्थान के पक्ष में जारी किये जा सके।

आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के अभिलेखों तथा रोकड़ बही की जांच (अप्रैल 2010) के दौरान पाया गया कि ₹ 1.22 करोड़ के तीन आहरण न तो देयक पंजी में और न ही रोकड़ वही में दर्ज किये गये थे। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त प्रमाणकों की आगे जांच (अप्रैल 2010) में एक मामले में दिसम्बर 2009 में जारी एक स्वीकृति के विरूद्ध ₹ 80 लाख का दोहरा आहरण देखा गया।

यह इंगित (जून 2010) किये जाने पर, आयुक्त द्वारा ₹ 80 लाख के दोहरा आहरण की पुष्टि की (जुलाई 2010) तथा दो अन्य मामलों में इसी प्रकार ₹ 42 लाख (₹ 29,42,885+12,51,300) के दोहरे आहरण सूचित किये जिनकी स्वीकृति मई 2009 में जारी की गई थी। कोषालय से किये गये आहरणों का विवरण तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 2.1: ₹ 2.44 करोड़ के आहरणों का विवरण

| स. क. | स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक | देयक क्रमांक एवं दिनांक | कोषालय प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक | कोषालय द्वारा जारी चेक क्रमांक एवं दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्र. शिक्षा-3/2009-10/8635 दिनांक 15 दिसम्बर 2009 | 351 16 दिसम्बर 2009 | 62 07 जनवरी 2010 | 285064/ 07 जनवरी 2010 | 80,00,000 |
| 2 | क्र. शिक्षा-3/2009-10/8635 दिनांक 15 दिसम्बर 2009 | 493 26 मार्च 2010 | 402 31 मार्च 2010 | 297911/ 31 मार्च 2010 | 80,00,000 |
| 3 | क्र. शिक्षा-4/2008-09/808 दिनांक 1 मई 2009 | 61 11 मई 2009 | 72 18 मई 2009 | 248943/ 18 मई 2009 | 29,42,885 |
| 4 | क्र. शिक्षा- 4/प्रशिक्षण /2008-09/828 दिनांक 4 मई 2009 | 51 04 मई 2009 | 139 29 जून 2009 | 257823/ 29 जून 2009 | 29,42,885 |
| 5 | क्र. शिक्षा-4/2009-10/800 दिनांक 1 मई 2009 | 56 11 मई 2009 | 67 18 मई 2009 | 248938/ 18 मई 2009 | 12,51,300 |
| 6 | क्र. शिक्षा-4/प्रशिक्षण/2008-09/860 दिनांक 7 मई 2009 | 88 04 जून 2009 | 168 31 जून 2009 | 262067/ 31 जुलाई 2009 | 12,51,300 |
| | | | | योग | 2,43,88,370 |
| | | | | अर्थात | ₹ 2.44 करोड़ |

आयुक्त द्वारा आगे बताया गया कि प्रकरण को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौपने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है (जून 2010)जो अभी भी विचाराधीन था (सितम्बर 2010)। कैशियर एवं दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निलम्बित किया गया है।

इन प्रकरणों में अपनायी गई कार्य प्रणाली में जावक क्रमांक तथा स्वीकृति दिनांक से छेड़छाड़ (₹ 29,42,885 तथा ₹ 12,51,300 के दो प्रकरण) तथा लेखे के लघुशीर्ष में बदलाव (₹ 80,00,000 का एक प्रकरण) शामिल था। आगे, ₹ 2.44 करोड़ के कुल आहरण में से ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान (₹ 80,00,000 + ₹ 29,42,885) उपयुक्त अनुदानग्राहिताओं को किया गया तथा ₹ 1.35 करोड़ की शेष राशि हेतु असंबद्ध पार्टियों के नाम बैंकर चेक तैयार किए गए। यदि अर्द्ध/गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इन संस्थाओं के पक्ष में बिल पृष्ठांकित किए जाते तो असंबद्ध पार्टियों के नाम बैंकर चेक तैयार करने की संभावना न बन पाती।

इस प्रकार संहितागत प्रावधानों तथा संबंधित शासकीय आदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ के गबन/दुर्विनियोग में सुविधा हुई।

मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (जून 2010)। प्रमुख सचिव ने गबन की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था तथा उनके विरूद्ध विभागीय जाँच कराई जा रही थी (अक्टूबर 2010)।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### 2.1.2 सेवा प्रभारों का गबन

अभिलेखों में कपटपूर्ण काट छाँट सह सुपरवीजन की कमी के परिणामस्वरूप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में ₹ 12.32 लाख का गबन हुआ।

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा एक स्वशासी समिति है जो मरीजों से सेवा प्रदाय के एवज में सेवा प्रभार प्राप्त करती है तथा राशि को समिति के बैंक खाते में जमा करती है । मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम-53 के अनुसार जहाँ रोकड़ लेन देनों का विवरण पृथक राजस्व पंजियों में रखा जाता है, किसी जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा ऐसी पंजियों की प्रविष्टियों का मिलान रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों से किया जाना चाहिए तथा संबंधित राजस्व पंजियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए।

चिकित्सा महाविद्यालय के रेडियोडायग्नोसिस विभाग के जनवरी 2004 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2010) तथा आगे अगस्त 2010 में संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि रेडियोडायग्नोसिस सेवा प्रभारो के संग्रहण के बाबत जारी की गयी अधिकांश रसीदों की कार्बन कापी में कपटपूर्ण काटछांट, ओवर राइटिंग की गई। चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जनवरी 2004 से दिसम्बर 2009 के दौरान ₹ 25.68 लाख का शुल्क एकत्र किया जबकि संग्रहित प्राप्तियाँ सिर्फ ₹ 23.40 लाख दर्शाई गई, उक्त राशि में से परिशिष्ट-2.1 में दर्शाये अनुसार ₹ 10.04 लाख की राशि लेखा शाखा में जमा नहीं की गई थी। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी द्वारा रसीद पुस्तिका की कुल राशि का मिलान धन प्राप्ति रजिस्टर से नहीं किया तथा उक्त आशय का प्रमाण-पत्र अंकित नहीं किया गया।

इस प्रकार मरीजों से प्राप्त सेवा प्रभारो के अभिलेख का उचित संधारण करने/समय पर समिति के खाते में राशि को जमा करने में विभाग की विफलता तथा विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा रसीद पुस्तिका की राशि का मिलान धन प्राप्ति रजिस्टर से न करने से ₹ 12.32 लाख का गबन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (अगस्त 2010) किये जाने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया (नवम्बर 2010) कि अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा एक पांच सदस्यीय समिति के माध्यम से मामले की जाँच कराई गई (अगस्त 2010) तथा दोषी कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । दोषी कर्मचारी द्वारा ₹ 2.50 लाख स्वशासी समिति के खाते में जमा किया जाना सूचित किया गया तथा शेष राशि की वसूली के संबंध में सहमति दी गई।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था (अगस्त 2010), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

## पशुपालन विभाग

### 2.1.3 हितग्राहियों को प्रशिक्षण न देने के कारण हानि

**गायों की मृत्यु की सूचना देने संबंधी हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने में कमी के कारण सरकार को ₹ 75.74 लाख की हानि हुई।**

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, भोपाल की एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना, छिन्दवाड़ा (मई 2005) के अन्तर्गत 17 ग्रामों में 350 लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना की जाना थी। अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों को ₹ 0.72 लाख प्रति इकाई की दर से विशेष केन्द्रीय सहायता की पात्रता थी (तीन दुधारू गाय प्रदाय करने हेतु ₹ 50,000, पशु शेड के निर्माण हेतु ₹ 10,000, प्रथम 90 दिन हेतु पशु आहार हेतु ₹ 10,000 तथा हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु ₹ 2,200)। दुग्ध व्यवसाय में इच्छुक हितग्राहियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना था तथा दुग्ध इकाइयों की स्थापना हेतु पर्याप्त स्थान की उपलब्धता तथा गायों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी। चयनित हितग्राहियों को दुग्ध संघ[1] द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था।

उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2010) तथा उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ छिन्दवाड़ा व परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना, छिन्दवाड़ा से आगे संग्रहीत जानकारी (जून तथा सितम्बर 2010) में प्रकट हुआ कि 2006-10 के दौरान 17 गाँवों में हितग्राहियों को 1050 गायें प्रदाय की गई थीं। इनमें से ₹ 81.50 लाख में खरीदी गयी 489 गायों की मृत्यु हो गई । बीमा कम्पनी को केवल 284 गायों का बीमा दावा प्रस्तुत किया गया जिनमें से बीमा कम्पनी द्वारा ₹ 5.76 लाख के केवल 66 दावे आंशिक रूप से स्वीकृत किये गए। शेष प्रकरणों में हितग्राहियों द्वारा गायों की मृत्यु की जानकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों को गायों के मृत्यु प्रमाण-पत्रों तथा पंचनामों[2] के साथ न दे पाने के कारण दावे बीमा कम्पनी को प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ ने बड़ी संख्या में हुई गायों की मृत्यु का कारण पशु आहार तथा उचित देखभाल की कमी बताया (फरवरी 2010)। आगे परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना, छिन्दवाड़ा द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2010) कि गायों के गर्भाधान को सम्मिलित करते हुए अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा अपर्याप्त आहार व हितग्राहियों द्वारा अनुचित देखभाल मृत्यु की उच्च दर का कारण बनी। उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास

1 *मध्यप्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन एक संस्था है जो दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, संग्रहण, प्रोसेसिंग, मेन्युफेक्चरिंग एवं मार्केटिंग को बढ़ावा देता है।*

2 *व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थल पर बनाया गया जांच प्रतिवेदन जिसमें वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई हो।*

परियोजना, छिन्दवाड़ा के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि हितग्राहियों द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों को गायों की मृत्यु की सूचना वांछित दस्तावेजों के साथ भेजनें में विफलता यह दर्शाती है कि हितग्राहियों को गायों की मृत्यु के पश्चात् अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण देने में दुग्ध संघ विफल रहा ।

अतः हितग्राहियों को गायों की मृत्यु के संबंध में समुचित सूचना देने की प्रणाली के विषय में जानकारी देने में विभाग तथा दुग्ध संघ के निरूत्साही रवैये के कारण शासन को ₹ 75.74 लाख[3] की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2010)। प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया (नवम्बर 2010) कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है तथा समिति द्वारा जाँच प्रक्रियाधीन है।

## उच्च शिक्षा विभाग

### 2.1.4 संशोधित फीस संरचना अनुसार फीस वसूली न करने के परिणामस्वरूप हानि

**मास्टर ऑफ बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स (दूरस्थ शिक्षा) हेतु संशोधित फीस संरचना अनुसार फीस की वसूली न करने के परिणामस्वरूप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को ₹ 70.36 लाख की हानि ।**

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2006-07 तथा 2007-08 से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस संरचना को क्रमशः मई 2006 तथा जुलाई 2007 में संशोधित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2006-08 हेतु मास्टर ऑफ बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स (दूरस्थ शिक्षा) के लिए फीस संरचना नीचे दर्शित **तालिका क्रमांक 2.2** में दर्शाये अनुसार थी।

**तालिका क्रमांक 2.2: फीस संरचना का विवरण**

| स.क्र. | शैक्षणिक सत्र | शैक्षणिक फीस (प्रति वर्ष) (₹) | विकास/रख-रखाव फीस (प्रति वर्ष) (₹) | अन्य विविध फीस(प्रति वर्ष) (₹) | *योग (₹)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006-07 | 14,000 | 2,000 | 2,000 | 18,000 |
| 2. | 2007-08 | 14,000 | 2,000 | 2,000 | 18,000 |

अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2010) तथा विश्वविद्यालय से आगे संग्रहीत जानकारी (अगस्त एवं सितम्बर 2010) में प्रकट हुआ कि शैक्षणिक सत्र 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान भर्ती विद्यार्थियों से उपरोक्त फीस संरचना में से विकास/रख रखाव फीस तथा अन्य विविध फीस की वसूली नहीं की गई थी इस कारण विश्वविद्यालय को नीचे **तालिका क्रमांक 2.3** में अंकित अनुसार ₹ 70.36 लाख की हानि हुई।

3 *तीन गायों के लिए ₹ 50,000 की दर से 489 गायों की लागत = 81.50 लाख - बीमा दावे की राशि ₹ 5.76 लाख ।*

तालिका क्रमांक 2.3 : विश्वविद्यालय को हुई हानि का विवरण

*(₹ लाख में)*

| स. क्र. | शैक्षणिक सत्र | विद्यार्थियों की संख्या | सेमेस्टर | विकास एवं रख-रखाव फीस ₹ 2000 प्रति वर्ष की दर से | अन्य विविध फीस ₹ 2000 प्रति वर्ष की दर से | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-07 | 795 | प्रथम | 15.90 | 15.90 | 31.80 |
| 2 | 2007-08 | 653 | प्रथम | 13.06 | 13.06 | 26.12 |
| | | 311 | तृतीय | 6.22 | 6.22 | 12.44 |
| | | | | | योग | 70.36 |

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित (अप्रैल 2010) किये जाने पर संचालक दूरस्थ शिक्षा ने बताया (अगस्त 2010) कि विद्यार्थियों से संशोधित फीस संरचना अनुसार विकास/रखरखाव फीस तथा अन्य विविध फीस की वसूली से संबंधित आदेश विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा संचालनालय में प्राप्त नहीं हुये थे ।

उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि संशोधित फीस संरचना संबंधित निर्देश विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/संचालकों को मई 2006 तथा जुलाई 2007 में भेज दिये गये थे। इस प्रकार संशोधित फीस संरचना अनुसार फीस की वसूली न करने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को ₹ 70.36 लाख की हानि हुई।

मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (जून 2010) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2010)।

## श्रम विभाग

### 2.1.5 उपकर की वसूली न किए जाने के कारण हानि

**भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार उपकर नियमों के प्रावधानों को लागू करने में श्रम विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को ₹ 45.17 लाख की हानि उठानी पड़ी और हितग्राही वांछित लाभ पाने से वंचित रहे।**

केन्द्र सरकार ने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 बनाये। नियमावली के नियम 3 से 5 के अनुसार नियोक्ता द्वारा निर्माण कार्य के अदायगी देयक से नोटीफाइड दर से उपकर की कटौती कर, शासन द्वारा स्थापित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल को स्थानान्तरित की जाना थी। भारत सरकार द्वारा 26 सितम्बर 1996 से प्रभावी उपकर की दर निर्माण कार्य की लागत का एक प्रतिशत निर्धारित की गयी थी (सितम्बर 1996)। आगे, नियम 6 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता कार्य के प्रारम्भ होने अथवा उपकर के संदाय के तीस दिन के

भीतर जैसा भी प्रकरण हो निर्धारण अधिकारी को सूचित करेगा। अधिनियम 1996 में प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा श्रम विभाग के मनोनीत अधिकारियों को उपकर संग्राहक तथा निर्धारण अधिकारियों के रूप में नामित किया (फरवरी 2001 तथा जनवरी 2003) ।

निदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2009) में प्रकट हुआ कि संस्थान द्वारा एज्युकेशनल कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटैड (एड. सिल) को संस्थान के निर्माण कार्य करवाने हेतु परियोजना प्रबंधक एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया (मार्च 2000)। संस्थान द्वारा 2005-06 से 2007-08 के मध्य कराये गए निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों को एड. सिल. के माध्यम से ₹ 52.64 करोड़ का भुगतान किया गया लेकिन संस्थान श्रम विभाग को सूचना देने तथा ठेकेदारों से ₹ 52.64 लाख की वसूली करने में विफल रहा। यद्यपि एड.सिल. द्वारा संस्थान की अन्य मदों में से केवल ₹ 7.47 लाख श्रम विभाग को जमा किये गए (मार्च 2009)। सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, ग्वालियर द्वारा सूचना न पहुँचाने तथा उपकर का भुगतान न करने के संबंध में संस्थान को एक नोटिस जारी किया (जुलाई 2005)। लेकिन प्रकरण का आगे अनुसरण नहीं किया गया। अतः ठेकेदारों के रनिंग लेखा देयको से कल्याण उपकर की राशि की कटौती की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मण्डल को ₹ 45.17 लाख की हानि हुई तथा ठेकेदारों को ₹ 52.64 लाख का अनुचित लाभ हुआ। हितग्राही उस सीमा तक वांछित लाभ से वंचित रहें ।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2009) निदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी व प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर ने बताया (जुलाई 2010) कि उपकर का भुगतान करने हेतु एड. सिल. उत्तरदायी था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एड. सिल. व संस्थान के मध्य हुए अनुबंध पत्र की धारा 6.3.4 के अनुसार एड.सिल. द्वारा संस्थान को सूचित करते हुए ठेकेदार के देयकों में से कटौतियाँ की जानी थीं। उपकर की कटौती करने में विफलता के मामले में संस्थान द्वारा उपकर की कटौती करने हेतु एड. सिल. को अनुदेशित किया जाना था। सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, ग्वालियर ने बताया (अगस्त 2010) कि संस्थान से निर्माण कार्यों की सूचना प्राप्त न होने के कारण उपकर का निर्धारण नहीं किया जा सका तथा जुलाई-2005 में जारी किये गये नोटिस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में सूचना प्राप्त करने हेतु तथा उपकर निर्धारण हेतु प्रयास किये जायेंगे । सहायक आयुक्त, श्रम विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने में असफल रहे तथा संस्थान को नोटिस जारी किये जाने के पाँच साल बाद भी वसूली की कार्यवाही नहीं कर सके।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2010)। उनका उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2010)।

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.1.6. दवाईयों का कालातीत दिनांक से पूर्व उपयोग न करने से हानि

**अधिक दवाईयों तथा दवाईयॉ जिनकी शेल्फ लाईफ कम रह गई थी के खपत/वितरण से संबंधित निर्देशों का पालन न करने से कालातीत दवाईयों पर ₹ 56.26 लाख की हानि हुई।**

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जून 2006[4] में एक नई दवा नीति स्वीकृत की जिसके तहत सम्पूर्ण राज्य हेतु कुल आवश्यक दवाईयों के 80 प्रतिशत तक केन्द्रीयकृत रूप से संचालक स्वास्थ्य सेवाये द्वारा 27 जिला स्तरीय दवा भंडारो को जिनका प्रबंधन प्रायवेट कम्पनियों द्वारा किया जा रहा था को सौपने हेतु दवाइयाँ खरीदी जानी थी। जिला/सिविल अस्पतालो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, आदि के लिये सूचीबद्व आवश्यक दवाईयों की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन प्रथम वर्ष में पिछले तीन सालों के बजट प्रावधान एवं व्यय के आधार पर तथा आगामी वर्षों में पिछले वर्ष की खपत तथा विभागों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना था। संचालक लोक स्वास्थ्य द्वारा फर्मो के पास त्रैमासिक प्रदाय आदेश देने थे। जिले की स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा संबंधित जिला स्तरीय दवा भंडार से उनकी आवश्यक्तानुसार दवाईयाँ उठाई जाना थी । शासन द्वारा जिला स्तर पर प्रायवेट कम्पनियों द्वारा प्रबंधित दवा भंडारो को 1 जून 2009 से बंद करने का निर्णय (मई 2009) लिया । तदनुसार संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा दवा भंडारों का स्वामित्व एवं अभिलेख बकाया दवाईयों के भंडार सहित संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो को सौंपने हेतु प्रायवेट कम्पनियों को निर्देशित (मई 2009) किया। संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा सभी संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जनो को भी अधिक दवाइयों तथा उन दवाइयों जिनकी शेल्फ लाईफ कम रह गई है को ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रो को जिन्हे उनकी आवश्यकता है पुनर्वितरण की व्यवस्था करनें के निर्देश दिये (जनवरी-अप्रैल 2009) ताकि दवाईयों का उपयोग कालातीत दिनांक से पहले हो सके।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदा, इन्दौर, सिहोर तथा शल्य विशेषज्ञ नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर के अभिलेखो की नमूना जांच (अगस्त 2009 से फरवरी 2010) तथा आगे इन इकाईयों तथा संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल से जुलाई 2010 में संग्रहित जानकारी से प्रकट हुआ कि मई 2009 के निर्देशों के पालन में जिला स्तरीय भंडारो द्वारा दवाईयों का बकाया भंडार संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित दवाईयों में ₹ 27.49[5] लाख की ऐसी दवाईयां जो पहले ही कालातीत हो चुकी थी तथा ₹ 28.77 लाख[6] की दवाईयाँ जो जुलाई 2009 एवं जून 2010 के मध्य कालातीत हुई सम्मिलित थी।

---

4 *म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-66/2000/सत्रह/मेडी-3/दिनांक 6 जून 2006 से नई दवानीति अनुमोदित हुई।*

5 *शल्य विशेषज्ञ नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर- ₹ 0.24 लाख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा- ₹ 2.78 लाख, इंदौर- ₹ 22.85 लाख एवं सीहोर- ₹ 1.62 लाख।*

6 *शल्य विशेषज्ञ नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर- ₹ 3.32 लाख, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा- ₹ 23.52 लाख एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर- ₹ 1.93 लाख।*

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, हरदा, इंदौर, सीहोर, एवं शल्य विशेषज्ञ नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर ने बताया (अगस्त 2009 से जुलाई 2010) कि ऐसी दवाईयाँ जिनकी शेल्फ लाईफ कम रह गई थी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई और इसी वजह से उनका वितरण कालातीत दिनांक से पूर्व नहीं हो सका।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के उत्तर दर्शाते है कि संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा दवाईयों के कालातीत दिनांक से पूर्व उपयोग से संबंधित जारी निर्देशों (जनवरी-अप्रैल 2009) पालन नहीं किया क्योंकि संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण उन इकाईयों का पता लगाने में असफल रहे जिन्हे उन दवाइयों की आवश्यकता थी।

यदि निर्देशों का पालन किया जाता, दवाईयों के कालातीत दिनांक से पूर्व उपयोग न हो सकने को टाला जा सकता था। अतः विभाग के निरूत्साही रवैये के कारण न सिर्फ दवाईयों के कालातीत दिनांक से पूर्व उपयोग न हो सकने से ₹ 56.26 लाख की हानि हुई बल्कि अन्य स्थानो के जरूरतमंद मरीजों को वंचित रहना पड़ा।

मामला शासन को सूचित किया गया (मार्च 2010)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका (नवम्बर 2010)

## नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

### 2.1.7 बैंक की निर्धनता के कारण हानि

**बैंक की निर्धनता के कारण योजनाओं की राशि ₹ 30.98 लाख की हानि के परिणामस्वरूप योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ।**

शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार योजनाओं की प्राप्त राशि को सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंको में रखा जाना था, आगे सचिव शहरी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में मई 1998 में हुई योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह दोहराया गया था कि योजनाओं से संबंध राशियों को सहकारी या ग्रामीण बैंको में जमा नहीं किया जाना चाहिये।

अभिलेखो की छानबीन (सितम्बर 2007) मे पाया गया कि नगर निगम बुरहानपुर ने विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं तथा निगम से संबंधित राशियों को सितम्बर 2004 तक सिटीजन को-आपरेटिव बैंक बुरहानपुर में जमा कराया। चूंकि सिटीजन को-आपरेटिव बैंक का क्रियान्वयन अविश्वसनीय तथा दुविधापूर्ण पाया गया, रिजर्व बैंक ने बैंक को 15 जनवरी 2005 से बैंकिग व्यवसाय करने से रोक दिया। जिसके परिणामस्वरूप सिटीजन को-आपरेटिव बैंक का बैंकिग लेन देन बंद हो गया तथा ₹ 30.98 लाख (योजनाओं की राशि ₹ 22.48 लाख[7] एवं निगम राशि ₹ 8.50 लाख) बैंक में जमा रह गये और उन्हे निर्धारित प्रयोजन हेतु नहीं निकाला जा सका।

7 *राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम ₹ 13.81 लाख, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम ₹ 4.95 लाख एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार ₹ 3.72 लाख ।*

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इस आधार पर कि बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्णतः भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, बैंक को बैंकिग व्यवसाय हेतु दिया गया लायसेंस मई 2009 में निरस्त कर दिया । इस कारण राशियों की अंशतः या पूर्णतः वसूली संदिग्ध हो गई।

अतः योजनाओं की राशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखने के विभागीय निर्देशों का पालन न करने से ₹ 30.98 लाख का नुकसान हुआ तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भी नहीं हुआ तथा हितग्राही निर्धारित लाभ से वंचित रहे।

आयुक्त ने (अगस्त एवं दिसम्बर 2010) यह तथ्य स्वीकार करते हुए कि योजनाओं की राशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जानी चाहिये थी कहा कि चूंकि सिटीजन को-आपरेटिव बैंक में पहले से खाते थे अतः राशियाँ उन्ही खातो में जमा की गई। उन्होने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि आर.बी.आई. द्वारा सिटीजन को-आपरेटिव बैंक को बैंकिग व्यवसाय करने से रोकने के कारण राशियाँ नहीं निकाली जा सकी जिसके परिणाम स्वरूप शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

प्रकरण शासन को सूचित (जुलाई 2010) किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

## जल संसाधन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

### 2.1.8 ठेकेदारों द्वारा जाली सावधि जमा रसीदों का प्रस्तुतीकरण

**पेंच व्यपवर्तन परियोजना में, बयाना राशि के लिए ₹ 47 लाख की जाली सावधि जमा रसीदों को स्वीकार करते हुए एक अयोग्य ठेकेदार को ₹ 107 करोड़ मूल्य का कार्य सौंपा गया । इसी प्रकार, अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों के निष्पादन में एक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत जाली सावधि जमा रसीदों के विरूद्ध सुरक्षा जमा मुक्त किए जाने से ₹ 1.08 करोड़ की हानि अवलोकित हुई ।**

छिंदवाड़ा जिले में पेंच व्यपर्वतन परियोजना, चौरई के आर.डी. शून्य मीटर से आर.डी. 1400 मीटर एवं आर.डी. 1800 मीटर से 6376 मीटर में एक मिट्टी बाँध के निर्माण के लिए कार्यपालन यंत्री (का.य.) द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गईं (अगस्त 2008)। निविदा में कार्य का मूल्य ₹ 92.99 करोड़ रखा गया एवं शासन द्वारा एक ठेकेदार की ₹ 106.87 करोड़ (एकीकृत दरों की अनुसूची (यू.एस.आर.)-2007 से 14.92 प्रतिशत अधिक पर मूल्यांकित) की न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई (सितम्बर 2008) । कार्यपालन यंत्री द्वारा वर्षाकाल सम्मिलित करते हुए 24 माह की पूर्णता अवधि की शर्त के साथ कार्यादेश अक्तूबर 2008 में जारी किया । कार्य प्रगति पर था एवं ठेकेदार को ₹ 9.48 करोड़ के 10 वे चलित देयक का भुगतान मई 2010 में किया गया । निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त के अनुसार, बयाना राशि (ई.एम.डी.) के लिए छिंदवाड़ा में भुगतान योग्य राष्ट्रीयकृत बैंकों/ अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी की गई सावधि जमा रसीदें (एफ.डी.आर.) ही

स्वीकार्य थीं । आगे, निविदा प्रक्रिया मानदण्ड के अनुसार, विभाग को निविदा मान्य किए जाने से पूर्व एफ.डी.आर. की प्रामाणिकता जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करना आवश्यक था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मई 2010) कि ठेकेदार ने छिंदवाड़ा के स्थान पर एच.डी.एफ.सी. बैंक, भोपाल द्वारा जारी होने का दावा करते हुए ₹ 47 लाख की एफ.डी.आर.(क्र. 1804013 दिनांक 27 अगस्त 2008) प्रस्तुत की। इसे कार्यपालन यंत्री द्वारा अनदेखा किया गया । आगे, कार्यपालन यंत्री ने एफ.डी.आर. जारीकर्ता बैंक से एफ.डी.आर. की प्रमाणिकता सत्यापित करने का अनुरोध किया (11 सितम्बर 2008) । पहले उपर्युक्त एफ.डी.आर. का पुष्टिकरण लेने के स्थान पर, कार्यपालन यंत्री ने निविदा की अनुशंसा की (मई 2008) जो अंततः शासन द्वारा स्वीकृत की गई (सितम्बर 2008)। संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि ठेकेदार के अनुरोध पर, कार्यपालन यंत्री द्वारा उपर्युक्त एफ.डी.आर. को ₹ 47 लाख राशि की एक दूसरी एफ.डी.आर. (क्र. 29312) दिनांक 20 जनवरी 2010 से प्रतिस्थापित किया गया । लेखापरीक्षा अवलोकन (मई 2010) की प्रतिक्रिया में, कार्यपालन यंत्री ने एफ.डी.आर.क्र. 1804013 की प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु बैंक से पुनः अनुरोध किया (20 मई 2010) । बैंक ने सूचित किया (22 मई 2010) कि उपर्युक्त एफ.डी.आर. जाली थी एवं उनके द्वारा जारी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मई 2010), कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया कि ठेकेदार के अनुरोध पर एफ.डी.आर. को एक दूसरी एफ.डी.आर. से प्रतिस्थापित किया गया । उन्होने आगे बताया (जुलाई 2010) कि ठेकेदार ने ₹ 47 लाख की जाली एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना स्वीकार किया (जुलाई 2010) एवं ठेका रद्द किया जा चुका है (जुलाई 2010)। ठेकेदार को काली सूची में डाला गया (अप्रैल 2010) एवं उसके विरूद्ध चौरई पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई थी (नवम्बर 2010)।

यद्यपि लेखापरीक्षा में देखा गया कि ठेके के पूर्व एफ.डी.आर. की प्रामाणिकता को सत्यापित न करने के जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी ।

इस प्रकार जाली एफ.डी.आर. को स्वीकार करने के कारण एक अयोग्य ठेकेदार को ₹ 107 करोड़ मूल्य का कार्य सौंपा गया ।

इसी प्रकार, अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज क्र. 4752 के अंतर्गत ₹ 4.83 करोड़ के निविदा मूल्य पर छह ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य मद दर निविदा पर एक ठेकेदार को सौंपा गया (अक्तूबर 2006)। कार्यादेश, वर्षाकाल सहित 12 माह की पूर्णता अवधि की शर्त के साथ अक्तूबर 2006 में जारी किया गया था। ठेकेदार ने 5 अक्तूबर से कार्य प्रारंभ किया एवं उसे जनवरी 2009 तक, लगभग 50 प्रतिशत कार्य के लिए ₹ 2.68 करोड़ का कुल भुगतान किया गया । ठेकेदार से ठेके का आधारभूत उल्लंघन होने के कारण (कार्य धीमी प्रगति इत्यादि), महाप्रबंधक (जी.एम.) परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.), अशोकनगर द्वारा, ठेके की सामान्य शर्तों की धारा 52.1 के अंतर्गत ठेका समाप्त किया गया (मार्च 2009)।

जैसा कि ठेके की शर्तों में वांछित था, अनुबंध हस्ताक्षर होने के पश्चात ठेकेदार ने चार एफ.डी.आर. (क्र. 886846 एवं 886847 दिनांक 5 अक्तूबर 2006, 539983 दिनांक 17 अक्तूबर 2006, 539997 दिनांक 18 नवम्बर 2006 क्रमशः ₹ छह लाख, ₹ 18.21 लाख, ₹ 24 लाख एवं ₹ 21.50 लाख के लिए) के माध्यम से ₹ 69.70 लाख राशि की प्रारंभिक निष्पादन प्रतिभूति जमा की । ठेकेदार के अनुरोध पर (26 मार्च 2007), महाप्रबंधक ने दो एफ.डी.आर. (₹ 24.20 लाख की क्र. 886846 एवं 886847) को ₹ 24.20 लाख की एक नई एफ.डी.आर. (क्र. 643535 दिनांक 26 मार्च 2007) से प्रतिस्थापित किया ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (अप्रैल 2010) कि महाप्रबंधक, पी.आई.यू. ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्योपुरकलाँ शाखा (बैंक) से ₹ 24.20 लाख की, एफ.डी.आर. क्र. 643535, ₹ 24 लाख की क्र. 539983 एवं ₹ 21.50 लाख की क्र. 539997 की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उक्त एफ.डी.आर. के लिए ठेकेदार का नाम दर्शाए बिना अनुरोध किया था (अक्तूबर/ नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007)। मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) भोपाल द्वारा लेखापरीक्षा को दिए गए (सितम्बर 2010) उत्तर के अनुसार, प्रारंभिक रूप से बैंक ने पुष्टि की थी (अक्तूबर/ नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007) कि उक्त उल्लिखित समस्त तीन एफ.डी.आर. उनकी शाखा से जारी की गई थीं । जब बैंक के लिए महाप्रबंधक ने एक अधिकारी को नियुक्त किया (मार्च 2009) तो बैंक ने एफ.डी.आर. के नकदीकरण से इन्कार किया एवं महाप्रबंधक को सूचित किया (मार्च 2009) कि बैंक में प्रस्तुत की गई एफ.डी.आर. जाली हैं एवं उनके द्वारा जारी नहीं की गईं। इस प्रकार ₹ 69.70 लाख की तीन एफ.डी.आर. के विरूद्ध विभिन्न मदों[8] पर ठेकेदार से वसूली योग्य ₹ 1.08 करोड़ की वसूली न किए जा सकने के परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर महाप्रबंधक ने बताया (अप्रैल 2010) कि एफ.डी.आर. ठेकेदार के अनुरोध पर प्रतिस्थापित किए गए एवं प्रकरण जाँच पड़ताल के लिए पुलिस को प्रतिवेदित किया गया (21 मार्च 2009)। यद्यपि जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई विभागीय कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी (सितम्बर 2010)।

इसप्रकार ठेकेदार से जाली सावधि जमा रसीदें स्वीकार करने के कारण शासन को ₹ 1.08 करोड़ की हानि हुई ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किए गए (मई एवं जून 2010), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2010)।

---

| | | |
|---|---|---|
| 8 | *(i) ठेकेदार के जोखिम और लागत का नामेयोग्य मूल्य (शेष कार्य* की लागत का 20 प्रतिशत)* | *₹. 43,03,873.00* |
| | *(ii) निर्धारित क्षतिपूर्ति (ठेका राशि का 10 प्रतिशत)* | *₹..48,34,179.00* |
| | *(iii) परामर्श प्रभार (अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2008)* | *₹. 6,95,247.00* |
| | *(iv) शेष मशीनरी अग्रिम* | *₹. 10,10,000.00* |
| | | *₹. 108,43,299.00* |
| ♣ | *शेष कार्य =ठेका राशि ₹ 483,41,792.00 (-) किया गया कार्य ₹ 268,22,430.00* - | ₹ 215,19,363.00 |

## 2.2 अधिक/अपव्यय/निष्फल/अलाभकारी व्यय

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.2.1 डिसप्ले मीडियम सह मोबाइल चार्जर इकाइयों का अनियमित क्रय तथा अलाभकारी व्यय

**डिस्प्ले मीडियम सह मोबाइल चार्जर इकाइयों की विशिष्टियों तथा कार्यरत स्थिति में स्थापना का सत्यापन किये बिना की गई खरीदी पर किया गया ₹ 71.77 लाख का व्यय अलाभकारी साबित हुआ।**

स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं से आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थलों जैसे कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, नगर निगम, बस स्टैण्ड आदि पर डिस्प्ले मीडियम सह मोबाइल चार्जर इकाइयाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। उपरोक्तानुसार निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी.) ब्यूरो द्वारा 940 इकाइयों (533 वाल माउन्टेड इकाइयाँ तथा 407 फ्लोर स्टेण्ड सहित इकाइयाँ ) की आपूर्ति तथा स्थापना के लिए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को क्रय आदेश जारी किये (जुलाई 2007)। आपूर्ति आदेश की शर्तो के अनुसार, जिलों को आपूर्ति करने से पूर्व मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो के मुख्यालय पर इकाइयों का प्रदर्शन किया जाना था। इसके अनुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा चार आपूतिकर्ताओं को आदेश जारी किये गए (जुलाई 2007)। आपूर्तिकर्ताओं संस्थानों के साथ हुए अनुबंध की धारा 8 व 9 के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी किये जाने के 15 दिनों के अन्दर निर्दिष्ट स्थानों पर चालू हालात में इकाइयों की स्थापना की जानी थी और उनके अक्रियाशील होने के मामलों में आपूर्तिकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज किये जाने के सात दिनों के अन्दर इकाइयों की मरम्मत की जानी थी।

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2008) तथा आगे 15 जिला मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों से संग्रहीत जानकारी (अगस्त 2010) से प्रकट हुआ कि इन जिलों में अगस्त 2007 से अक्टूबर 2007 के मध्य 284 (160 वाल माउन्टेड तथा 124 फ्लोर स्टेण्ड सहित) इकाइयों की आपूर्ति की गई थी। उनमें से 31 मार्च 2010 तक ₹ 71.77 लाख मूल्य की 181 इकाइयाँ (100 वाल माउन्टेड तथा 81 फ्लोर स्टेण्ड सहित) **परिशिष्ट 2.2** में दिये गए विवरण अनुसार क्रियाशील न होना सूचित किया गया था। यद्यपि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो के अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो के मुख्यालय पर यादृच्छिक रूप से चयनित 281 इकाइयों की गुणवत्ता की जाँच की गई (अक्टूबर 2007) और इन इकाइयों के समग्र आकार, बाहरी संरचना व स्टेण्ड में कुछ विचलन पाया गया फिर भी आपूर्तिकर्ताओं को इन इकाइयों की स्थापना से पूर्व तथा त्रुटियों के सुधार से भी पूर्व भुगतान कर दिया गया (अगस्त से अक्टूबर 2007)। अतः 181 इकाइयों का क्रय अनियमित तथा अलाभकारी साबित हुआ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य शिक्षा सूचना संचार ब्यूरो ने बताया (जुलाई 2008) कि आपूर्तिकर्ता को इकाइयों की मरम्मत व स्थापना हेतु कहा गया था। इकाइयों के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार आपूर्ति न किये जाने के संबंध में निदेशक ने बताया (अगस्त 2010) कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात सूचना प्रेषित की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गुणवत्ता/सभी इकाइयों की चालू हालत में स्थापना का सत्यापन किये बिना भुगतान किया गया तथा खराब इकाइयों को बदलने और अन्य इकाइयों की मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त इन इकाइयों की वार्षिक मरम्मत के लिए कोई निधि प्रदाय नहीं की गई थी। अतः इन 181 इकाइयों की खरीद पर ₹ 71.77 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

मामले की सूचना सरकार को दी गई (अक्टूबर 2008)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2010)।

## लोक निर्माण विभाग

### 2.2.2 अतिरिक्त कार्य पर अनधिकृत व्यय

**प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना सड़क कार्य पर ₹ 61.35 लाख का अनधिकृत व्यय किया गया। कार्य बाद में निधियों के अभाव में अपूर्ण छोड़ दिया गया।**

निर्माण विभाग नियमावली (नियमावली) में उल्लिखित है कि एक कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सक्षम अधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) एवं तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्राप्त करना चाहिए। जब तक कि कार्य अनुमोदित एवं निधियाँ उपलब्ध न हो, कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए या दायित्व नहीं लेना चाहिए। आगे, नियमावली में उपबंधित है कि यदि कार्यों को ठेके पर दिया जाना प्रस्तावित है तो ₹ 15,000 से अधिक मूल्य वाले समस्त कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करना चाहिए।

18 कि.मी. लम्बी जमना-बिलाव सड़क के पुलियाओं सहित निर्माण के लिए शासन द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (सितम्बर 2006) एवं मुख्य अभियंता (मु.अ.) लो.नि.वि., उत्तर परिक्षेत्र, ग्वालियर द्वारा ₹ 4.19 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (अक्तूबर 2006)। कार्यपालन यंत्री (का.य.), लो.नि.वि. संभाग, भिण्ड द्वारा कार्य को ₹ 4.21 करोड़ के लिए, न्यूनतम निविदाकार मैसर्स तोमर बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर प्राईवेट लिमिटेड, ग्वालियर को वर्षाकाल सहित 12 माह (मार्च 2008) में पूर्ण करने की शर्त के साथ सौंपा गया (मार्च 2007)। यद्यपि, कार्य छोड़ दिया गया (जून 2007) एवं मार्च 2009 में ठेकेदार को ₹ 5.13 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (अगस्त 2009) कि जब कार्य प्रगति पर था, कार्यपालन यंत्री ने नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में, विद्यमान अनुबंध के कार्यक्षेत्र से परे तीन सड़कों[9] का अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने का ठेकेदार को एक आदेश, इस शर्त के साथ कि उसे अतिरिक्त सड़कों के लिए भुगतान शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाएगा, जारी किया (मई 2007)। कार्यपालन यंत्री द्वारा, अतिरिक्त कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति का एक प्रस्ताव भेजा गया (सितम्बर 2007), किन्तु अधीक्षण यंत्री (अ.यं), लोक निर्माण परिक्षेत्र ग्वालियर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था (मार्च 2010)। इसी बीच, एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात, सहायक यंत्री ने कार्यपालन यंत्री को सूचित किया (अगस्त 2008) कि ठेकेदार ₹ 61.35 लाख[10] का अतिरिक्त कार्य निष्पादित कर चुका था । तदनुसार कार्यपालन यंत्री ने, अतिरिक्त सड़क की पूर्णता (10 जून 2007) के बिना, निधियों के व्यपवर्तन द्वारा ठेकेदार को अगस्त 2006 में ₹ 61.35 लाख का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में ₹ 61.35 लाख के अतिरिक्त सड़क कार्य का अनधिकृत निष्पादन हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2009), प्रमुख अभियंता ने अनधिकृत निष्पादन को स्वीकार किया (सितम्बर 2010) एवं बताया कि अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2010)।

## 2.3 संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित लाभ/परिहार्य व्यय

## संस्कृति विभाग

### 2.3.1 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

**चातानुकूलन हेतु शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में विद्युत आपूर्ति के लिए उच्च संविदा माँग हेतु अनुबंध निष्पादन तथा संविदा माँग घटाने में विलम्ब तथा इसके अतिरिक्त औसत मासिक पावर फेक्टर को संधारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य संग्रहालय भोपाल द्वारा ₹ 54.59 लाख का विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय किया।**

उप संचालक राज्य संग्रहालय भोपाल ने राज्य संग्रहालय को 456 के.व्ही.ए. की उच्च दाब (एच.टी.) विद्युत आपूर्ति के लिए मार्च 2004 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल (मंडल) के साथ एक

9 *(I) हवलदारसिंह का पुरा से राजा का पुरा (तीन कि.मी.) (II) हवलदारसिंह का पुरा से नूनहटा (एक कि.मी.) एवं (III) विलाव से किशोर सिंह का पुरा (दो कि.मी.) – कुल छह कि.मी.*

10 *57,973.45 घनमीटर की खुदाई के लिए ₹ 29.19 लाख एवं तटबन्ध के निर्माण के लिए ₹ 32.16 लाख ।*

अनुबंध पर हस्ताक्षर किये । अनुबंध के अनुसार, उपभोक्ता को समय-समय पर लागू दरों के अनुसार मंडल को विद्युत प्रभारों का भुगतान करना था। 2005-06 तक मंडल द्वारा लागू दर अनुसार माह के दौरान देय मांग वास्तविक खपत या संविदा माँग का 75 प्रतिशत या 60 के.व्ही.ए., जो भी अधिक हो, थी। 2006-07 के दौरान लागू संशोधित दर अनुसार देय माँग संविदा माँग के बराबर थी। 2007-08 से यह वास्तविक खपत या संविदा माँग का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, थी। इसी प्रकार, उपभोक्ता को न्यूनतम औसत मासिक पावर फेक्टर के 90 प्रतिशत का संधारण भी करना था। न्यूनतम अपेक्षित पावर फेक्टर को संधारित करने में विफल रहने पर शास्ति के द्वारा अतिरिक्त प्रभारों[11] को अधिरोपित किया जा सकेगा।

संग्रहालय के प्रबन्धक द्वारा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ 456 के.व्ही.ए. उच्च दाब विद्युत आपूर्ति के स्थान पर 225 के.व्ही.ए. उच्च दाब विद्युत की आपूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2008 से प्रभावशाली संविदा माँग घटाने के लिए पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया था (मई 2008)।

क्युरेटर, राज्य संग्रहालय, भोपाल के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2009) तथा आगे संग्रहीत जानकारी (फरवरी 2010) से प्रकट हुआ कि जुलाई 2005 से जनवरी 2010 की अवधि में **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाये अनुसार विद्युत की खपत तथा पावर फेक्टर का स्तर अनुबंधित मानदंडो से नीचे थे।

विद्युत खपत में कमी के परिणामस्वरूप संग्रहालय को उक्त अवधि के दौरान वास्तविक खपत एवं वास्तविक विद्युत प्रभारों के मध्य अन्तर के कारण ₹ 18.19 लाख की अतिरिक्त राशि के साथ औसत मासिक पावर फेक्टर का संधारण न करने के लिए शास्ति के रूप में ₹ 36.40 लाख का भी भुगतान करना पड़ा। इससे यह पता चला कि पूरक अनुबंध भी वास्तविक पूर्व खपत पर आधारित नहीं था क्योंकि अनुबंध के पुनरीक्षण के बाद भी शास्ति का भुगतान किया गया था। औसत मासिक पावर फेक्टर संधारण के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर क्युरेटर, राज्य संग्रहालय ने बताया (फरवरी 2010) कि भोपाल में एक राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए 17 गलियारे, एक सभागृह, एक प्रदर्शिनी कक्ष, एक पुस्तकालय और एक जलपान-गृह युक्त एक भवन को वातानुकूलित किया जाना प्रस्तावित था। चूँकि गलियारे आदि को वातानुकूलित करने की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए विद्युत की खपत संविदा माँग के अनुसार नहीं की जा सकी थी। यह भी बताया गया कि मासिक विद्युत तत्व का संधारण करने के लिए एक कैपेसिटर लगाने हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से पत्राचार किया जायेगा तथा जब सभी 17 गलियारे वातानुकूलित हो जायेंगे तब विद्युत की खपत अनुबंध में उपबंधित हद तक की जायेगी।

---

11 *यदि उपभोक्ता का औसत मासिक विद्युत तत्व 90 प्रतिशत से नीचे रहता है, प्रति एक प्रतिशत जिससे उसका औसत मासिक विद्युत तत्व 90 प्रतिशत नीचे है देयक की कुल राशि का एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार" विद्युत प्रभारों" मद में उपभोक्ता को भुगतान करना होगा।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रारंभिक अनुबंध वातानुकूलन के प्रस्ताव के आधार पर शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया था तथा संग्रहालय पावर फेक्टर को वांछित स्तर तक संधारित न कर सकने के साथ ही अनुबंध को त्वरित संशोधित करने में असफल रहा और इस प्रकार ₹ 54.59 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 2010)। सरकार ने अपने उत्तर (सितम्बर 2010) में पावर फेक्टर की कमी के विरूद्ध अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान को स्वीकार किया तथा बताया कि राज्य संग्रहालय के विद्युत भार को पुर्ननिर्धारित करने हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से आग्रह किया गया था (मई 2010) तथा पुर्ननिर्धारण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुबंध को संशोधित किया जायेगा।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### 2.3.2 संविदा माँग में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

**संजय गाँधी मेमोरियल चिकित्सालय, रीवा द्वारा संविदा माँग के अनुसार विद्युत की खपत करने तथा औसत मासिक पावर फेक्टर को संधारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।**

अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के साथ संजय गाँधी मेमोरियल चिकित्सालय, रीवा में 3000 के.व्ही.ए. की उच्च दाब (एच.टी.) विद्युत आपूर्ति हेतु सितम्बर 1998 में एक अनुबंध निष्पादित किया। हालांकि चिकित्सालय जनवरी 2002 में प्रारंभ हुआ तथा अनुबंध की शर्त के तहत विद्युत आपूर्ति देयक जून 2002 से प्राप्त होना प्रारम्भ हुआ।

अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता को समय-समय पर लागू दरों के अनुसार मंडल को विद्युत प्रभारों का भुगतान करना था। 2005-06 तक मंडल द्वारा लागू दर अनुसार देय मांग माह के दौरान वास्तविक खपत या संविदा माँग का 75 प्रतिशत या 60 के.व्ही.ए. जो भी अधिक हो थी। 2006-07 के दौरान लागू संशोधित दर अनुसार देय माँग संविदा माँग के बराबर थी। 2007-08 से यह वास्तविक खपत के आधार पर या संविदा माँग का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, थी। इसी प्रकार, उपभोक्ता को न्यूनतम औसत मासिक पावर फेक्टर के 90 प्रतिशत का संधारण भी करना था। न्यूनतम अपेक्षित पावर फेक्टर को संधारित करने में विफल रहने पर शास्ति के रूप में अतिरिक्त प्रभारों को अधिरोपित किया जा सकेगा।

संजय गाँधी मेमोरियल चिकित्सालय, रीवा के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2009) तथा आगे संग्रहीत जानकारी (अप्रैल 2010) से प्रकट हुआ कि जून 2002 से अक्टूबर 2009 की अवधि में अपेक्षित अमले की कमी के फलस्वरूप विभिन्न उपकरणों/मशीनों के निष्क्रिय रहने के कारण

विद्युत खपत का स्तर अनुबंधित मानदंडों से काफी नीचे था। इस प्रकार चिकित्सालय को उक्त अवधि के दौरान वास्तविक विद्युत खपत एवं वास्तविक विद्युत प्रभारों के मध्य अंतर के रूप में ₹ 2.86 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा। आगे उक्त अवधि के दौरान 11 माहों[12] को छोड़कर औसत मासिक पावर फेक्टर भी निर्धारित 90 प्रतिशत से नीचे रहा जिसके कारण **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाये अनुसार मासिक औसत पावर फेक्टर का संधारण न करने के लिए शास्ति के रूप में ₹ 78.64 लाख का भुगतान करना पड़ा ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर संयुक्त संचालक सह अधीक्षक ने बताया (नवम्बर 2009 तथा अप्रैल 2010) कि अनुबंध परियोजना की योजना के अनुसार निष्पादित किया गया था। संविदा माँग के अनुसार विद्युत की खपत न होने का कारण प्रशिक्षित अमले के अभाव में कोबाल्ट 60 टेली थैरेपी यूनिट, बेकी थैरेपी यूनिट, स्पाइरल सी.टी. स्केन एवं कलर डापलर उपकरण/मशीनों का निष्क्रिय रहना तथा सघन चिकित्सा इकाई एव बर्न यूनिट चालू न होना था। आगे एनेस्थेसिस्ट के अभाव में 17 में से केवल 10 ऑपरेशन थियेटर चालू हो सके थे । बाल एवं शिशु रोग विभाग तथा ऑपरेशन थियेटरों में आठ एयर कंडीशनर बेकार हालात में पड़े थे ।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि 2002-09 की अवधि में विद्युत नियंत्रक/कैपेसिटर लगाने तथा वास्तविक खपत के आधार पर संविदा माँग को संशोधित करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गए थे। केवल माह अप्रैल 2010 में विद्युत वितरण कम्पनी से भार कम करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार विभाग को ₹ 3.65 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा ।

मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (जनवरी 2010), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2010)।

## नर्मदा घाटी विकास विभाग

### 2.3.3 अतिरिक्त मदों के लिए त्रुटिपूर्ण दरों के निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

**बरगी व्यपवर्तन परियोजना की मझोली शाखा नहर में मिट्टी कार्य के लिए अतिरिक्त मद के त्रुटिपूर्ण दर निर्धारण के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 35.25 लाख का अधिक भुगतान हुआ ।**

बरगी व्यपवर्तन परियोजना की मझोली शाखा नहर के आर.डी. 00.00 कि.मी. से आर.डी. 16.50 कि.मी. में मिट्टी कार्य, सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग एवं मार्ग में पड़ने वाली संरचनाओं एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य, ₹ 40 करोड़ की निविदा राशि, यथा एकीकृत दरों की अनुसूची (यू.एस.आर.) 2003 से 3.914 प्रतिशत अधिक पर एक ठेकेदार को सौंपा गया । कार्यपालन यंत्री (का.यं.) नर्मदा विकास संभाग क्र. 8 सिहोरा द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया

12 *सितम्बर 2002, जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवम्बर व दिसम्बर 2006, जनवरी 2007, नवम्बर व दिसम्बर 2008 तथा जनवरी व फरवरी 2009।*

एवं वर्षाकाल सहित 24 माह की अनुबंधित पूर्णता अवधि के साथ एक कार्यादेश जारी किया (अप्रैल 2005) । कार्य प्रगति पर था एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार को ₹ 35.10 करोड़ के 50 वें चलित देयक का भुगतान किया गया (मार्च 2010)।

अनुबंध की शर्त 4.3.13.3 (सी) के अनुसार, अतिरिक्त मदों के लिए दरों को, निविदा आमंत्रण की तिथि पर प्रचलित यू.एस.आर. में सदृश मदों की दरों से स्वीकृत निविदा के समस्त प्रतिशत को जोड़कर या घटाकर, जैसा भी प्रकरण हो, तय किया जाना वांछित था ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (अक्तूबर 2009) कि स्वीकृत निविदाओं के अनुसार 2,78,732 घनमीटर कड़ी मिट्टी एवं कड़ी मुरम को खोदा जाना था जिसमें से 2,34,420 घनमीटर लमकना वितरिका के तटबन्ध के निर्माण के लिए उपयोग होना था। निष्पादन के दौरान, कार्यपालन यंत्री ने देखा (मई 2007) कि उपयोगी मिट्टी की वांछित मात्रा खुदाई से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा परिक्षेत्र के अनुरोध (मई एवं जून 2008) पर जिलाधीश, जबलपुर ने कड़ी मिट्टी एवं कड़ी मुरम की वांछित मात्रा की खुदाई के लिए नहर स्थल से सात कि.मी. दूर स्थित एक शासकीय खदान आवंटित की (अक्तूबर 2008)। तदनुसार, उपाध्यक्ष[13], नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (न.घा.वि.प्रा.) द्वारा, बाँध विशिष्टियों के अनुरूप 2,39,749 घनमीटर मिट्टी कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 2.58 करोड़ की अतिरिक्त मद के लिए एक पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया (फरवरी 2009)।

संवीक्षा में प्रकट हुआ (अक्तूबर 2009) कि मिट्टी कार्य की अतिरिक्त मद के लिए, यू.एस.आर. की मद क्र. 415 (सी) को चुनते हुए एवं मिट्टी के परिवहन के लिए सात कि.मी. की लीड को जोड़ते हुए ₹ 91.21 प्रति घनमीटर की दर बनाई गई। यद्यपि यू.एस.आर. में भी एक दर (क्र. 415 (ए) (II)) समाविष्ट थी जिसमें बाँध विशिष्टियों के अनुरूप नहर तटबन्ध के निर्माण के लिए दो कि.मी. से अधिक समस्त लीड एवं लिफ्ट सहित दर सम्मिलित थी जो मात्र ₹ 44.48 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान योग्य थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है ।

इस प्रकार अतिरिक्त मद की त्रुटिपूर्ण दर को अपनाने के परिणामस्वरूप नहर तटबन्ध हेतु 1,17,304.92 घनमीटर मिट्टी कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को ₹ 54.82 लाख[14] का अधिक भुगतान हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2009), सदस्य (वित्त), न.घा.वि.प्रा. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2010) एवं बताया कि ₹ 19.57 लाख की वसूली प्रभावी की गई। ₹ 35.25 लाख की शेष वसूली लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2010)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

---

13 *न.घा.वि.प्रा., म.प्र.शासन के आदेश दिनांक 21/12/1995 के अनुसार, ₹ 50 लाख से अधिक की अतिरिक्त मदों की स्वीकृति के लिए शासन सक्षम था न कि उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ।*

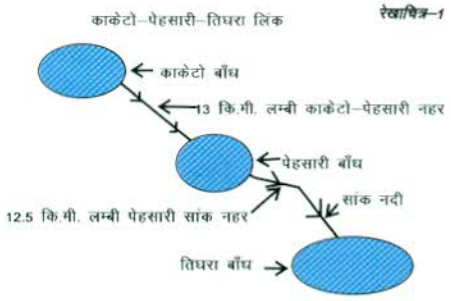
14 *मार्च 2010 तक कार्यान्वयन के लिए अधिक भुगतान = 117304.92 घनमीटर X ₹ 46.73 प्रति घनमीटर (₹ 91.21- ₹ 44.48) – ₹ 54,81,659 अर्थात ₹ 54.82 लाख ।*

## जल संसाधन विभाग

### 2.3.4 अस्वीकार्य भुगतान

**शासन की स्वीकृति का उल्लंघन करते हुए क्रियाशील संग्रहण के 228 मिलियन घनफीट पानी को, सामान्य गुरूत्वीय प्रवाह योग्य होने के बावजूद, नहरों में पम्प करने के लिए एक ठेकेदार को ₹ 1.31 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया ।**

ग्वालियर शहर के पेयजल की कमी को पूर्ण करने के लिए 2007-08 के दौरान, आयुक्त, राहत, मध्यप्रदेश शासन ने ₹ 13 करोड़ की एक आपातकालीन योजना अनुमोदित की (अक्तूबर 2007) । योजना में काकेटो एवं पेहसारी (आपूर्ति) बाँधों से तिघरा बाँध, जो शहर के लिए पेयजल का विद्यमान स्त्रोत था, तक मध्यवर्ती नहरों के माध्यम से निष्क्रिय जल संग्रहण को पम्प किया जाना परिकल्पित था (रेखाचित्र-1)।




(मात्र व्याख्यात्मक चित्र, पैमाने में नहीं)

उक्त योजना के अंतर्गत कार्य के लिए, शासन द्वारा ₹ 13.25 करोड़ राशि की न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई (जनवरी 2008) एवं कार्यपालन यंत्री (का.यं.) जल संसाधन संभाग, ग्वालियर द्वारा पाँच माह में पूर्णता की शर्त के साथ कार्यादेश जारी किया गया (जनवरी 2008)। कार्य 20 जून 2008 को पूर्ण हुआ एवं ठेकेदार को ₹ 11.50 करोड़ का अंतिम भुगतान जुलाई 2008 में किया गया ।

कार्य के क्षेत्र में निम्न सम्मिलित थाः

i) काकेटो-पेहसारी (के.पी.) नहर के माध्यम से पेहसारी बाँध को आपूर्ति करने हेतु, काकेटो बाँध के निष्क्रिय संग्रहण के 1260 मिलियन घनफीट (एम.सी.एफ.टी.) पानी को पंप करना ।

ii) काकेटो में पंपिंग व्यवस्था को खोलना, उसका पेहसारी बाँध में संस्थापन करना एवं पेहसारी-साँक नहर प्रणाली के माध्यम से तिघरा बाँध को आपूर्ति के लिए पेहसारी बाँध के निष्क्रिय संग्रहण से 630 एम.सी.एफ.टी. पानी को पंप करना ।

कार्य की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रेल 2009) में निम्न प्रकट हुआः

(अ) कार्य प्रारंभ करने की तिथि यथा 7 मार्च 2008 पर, काकेटो बाँध में 1624 एम.सी.एफ.टी. जल संग्रहण समाविष्ट था जिसमें क्रियाशील जल संग्रहण के 235.82 एम.सी.एफ.टी.[15] सम्मिलित थे। इस क्रियाशील जल संग्रहण के जलद्वार स्तर से ऊपर

15 *रिड्यूस्ड लेवल (आर.एल.) 1108.90 फीट पर 1624 एम.सी.एफ.टी. संग्रहण था कम आर.एल. 1105.00 फीट पर 1388.18 एम.सी.एफ.टी. पानी = 235.82 एम.सी.एफ.टी.।*

होने के कारण, इसे नहर शीर्ष तक पंप करना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह नहर के जलद्वार खोलकर के.पी. नहर में सामान्य गुरूत्वीय प्रवाह कर सकता था। पानी प्रवाहित करने के लिए नहर जल द्वार को खोलने की सुविधा का उपयोग किए बिना ठेकेदार ने 235.82 एम.सी.एफ.टी. पानी को पंप किया। विभाग ने, बाँध के क्रियाशील संग्रहण में से पंप करने के लिए ₹ 67,000 प्रति एम.सी.एफ.टी. की निविदित दर पर ठेकेदार को ₹ 1.58 करोड़ का भुगतान किया ।

(ब) 15 मई 2008 को काकेटो बाँध में पंपिंग पूर्ण करने के पश्चात, ठेकेदार ने 5 जून 2008 से पेहसारी बाँध में पंपिंग प्रारंभ की जिसमें 156.5 एम.सी.एफ.टी.[16] पानी के क्रियाशील जल संग्रहण सहित 1149 एम.सी.एफ.टी. पानी समाविष्ट था । लेखापरीक्षा में देखा गया कि ठेकेदार द्वारा 50 एम.सी.एफ.टी. के क्रियाशील जल संग्रहण को पंप करने के बावजूद, पेहसारी बाँध का कुल जल संग्रहण कभी भी निष्क्रिय संग्रहण स्तर तक नहीं पहुंचा, इससे प्रदर्शित होता है कि नहर जल द्वार के माध्यम से इसके सामान्य गुरूत्वीय प्रवाह के कारण पंपिंग आवश्यक नहीं थी । फिर भी, विभाग ने नहर में 50 एम.सी.एफ.टी. पानी को पंप करने के लिए ₹ 30,000 प्रति एम.सी.एफ.टी. की अनुबंधित दर पर ठेकेदार को ₹ 14.99 लाख का भुगतान किया ।

इस प्रकार दोनो आपूर्ति बाँधों के क्रियाशील संग्रहण से पानी पंप करने के लिए विभाग द्वारा किए गए ₹ 1.73 करोड़ का व्यय अस्वीकार्य था ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2009), मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर ने बताया (फरवरी 2010) कि के.पी. नहर की आर.डी. 480 मी. से आर.डी. 780 मी. के रूपांकित तल स्तर से तीन फीट ऊपर ऊंचे कड़ी चट्टान खंड के विद्यमान होने के कारण 7 मार्च 2008 को बाँध के वर्तमान क्रियाशील संग्रहण स्तर के तुल्य, इस खंड में नहर का तल स्तर आर.एल. 1108.90 फीट था, इस प्रकार, इस दूरी के बाद, यह पानी के सामान्य गुरूत्वीय प्रवाह को बाधित कर रहा था । पेहसारी बाँध के संबंध में, यह बताया गया कि 200 क्यूसेक पानी की निकासी के लिए 2.5 से 3 फीट जल शीर्ष होना आवश्यक था । इस उद्देश्य के लिए, नहर शीर्ष पर एक अस्थायी मिट्टी बाँध निर्मित किया गया एवं इसलिए नहर जल द्वार के माध्यम से जलाशय से पानी का प्राकृतिक गुरूत्वीय प्रवाह संभव नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (I) शासन का अनुमोदन (जनवरी 2008) एवं ठेकेदार के साथ अनुबंध की शर्त में दोनो बाँधों की नहरों में मात्र निष्क्रिय जल संग्रहण को पंप किए जाने की शर्त थी । क्रियाशील जल संग्रहण को पंप किया जाना न तो परिकल्पित था न ही स्वीकृत था । (II) काकेटो एवं पेहसारी बाँध एवं के.पी. एवं पी.एस. पक्की नहरें, तिघरा बाँध को प्राकृतिक प्रवाह के माध्यम से आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्मित किए गए थे । (III) नहर बहुत पहले निर्मित हुई थी (1987) एवं चल रही थी एवं वास्तव में विगत तीन वर्षों के दौरान (2005-06 एवं 2008-09) रबी फसल की सिंचाई 2025 हेक्टेयर की रूपांकित क्षमता से अधिक हुई थी, जो नहर के तल में अनुत्खनित चट्टान द्वारा नहर के बहाव में अवरोध होते हुए संभव नहीं होता । (IV) शासन को भेजे गए प्रस्ताव में नहर तल में किसी कड़ी चट्टान खंड के विद्यमान होने का उल्लेख नहीं था ।

16 *आर.एल. 1088.95 फीट पर 1149 एम.सी.एफ.टी. संग्रहण (ऋण) आर.एल. 1086.50 फीट पर 992.50 एम.सी.एफ.टी. निष्क्रिय संग्रहण= 156.5 एम.सी.एफ.टी.।*

यद्यपि, के.पी.नहर के आर.डी.480 मी. से 780 मी. के मध्य तीन फीट ऊंचे अनुत्खनित कड़ी चट्टान का विद्यमान होना मानने पर भी, आर.डी.540 मी. पर कड़ी चट्टान का उच्चतम स्तर मात्र 337.113 मी. यथा 1106 फीट था किन्तु इस स्तर पर काकेटो बाँध में संबद्ध संग्रहण 1446 एम.सी.एफ.टी. की गणना की गई, जिसमें 178 एम.सी.एफ.टी. क्रियाशील संग्रहण का समावेश था।

इस प्रकार ₹ 1.31 करोड़ राशि से क्रियाशील जल संग्रहण के कम से कम 228 एम.सी.एफ.टी.(178 एम.सी.एफ.टी.+ 50 एम.सी.एफ.टी.) को पम्प करना अस्वीकार्य था।

प्रकरण शासन को भेजा गया (नवम्बर 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

### 2.3.5 एक ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

**स्वीकृति देने वाली शर्त के अनुबंध में विलोपित होने के बावजूद एक ठेकेदार को ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.28 करोड़ की अनधिकृत वित्तीय सहायता एवं शासन को ₹ 94.68 लाख के ब्याज की हानि हुई।**

कार्यपालन यंत्री (का.यं.), जल संसाधन संभाग, श्योपुर ने चंबल दाईं तट मुख्य नहर (सी.आर.एम.सी.) के आर.डी. 0 कि.मी. से 60 कि.मी. में सुधारीकरण का कार्य एक ठेकेदार को दरों की एकीकृत अनुसूची -सितम्बर 2003 से 58.87 प्रतिशत अधिक पर ₹ 145.69 करोड़ पर सौंपा (नवम्बर 2007)। 36 माह में वर्षाकाल सहित पूर्ण करने की शर्त के साथ कार्यादेश नवम्बर 2007 में जारी किया गया। कार्य प्रगति पर था एवं मई 2010 तक ठेकेदार को कुल ₹ 97.36 करोड़ का भुगतान किया गया।

अनुबंध की धारा 60.7 की कंडिका (ए), अग्रिम भुगतानों एवं ठेकेदार को ठेका मूल्य के पाँच प्रतिशत के तुल्य ब्याज मुक्त मोबीलाईजेशन अग्रिम प्रदान किए जाने से संबद्ध थी। लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2009 एवं जून 2010) कि उपखंड के भाग (ब), जो कार्य के लिए आवश्यक आधारभूत निर्माण उपकरणों के विरूद्ध ब्याज मुक्त अग्रिम से संबद्ध था, को अनुबंध से विलोपित किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ (जून 2009) कि अनुबंध की धारा 60.7 के भाग (अ) के अनुरूप, दिसम्बर 2007 में ठेकेदार को ₹ 7.28 करोड़ के ब्याज मुक्त मोबीलाईजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया। संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि ठेकेदार को मार्च 2008 में मशीनरी अग्रिम हेतु एक अलग ब्याज मुक्त अग्रिम के ₹ 7.28 करोड़ का भुगतान किया गया यद्यपि यह भुगतान अनुमत्य नहीं था जैसा कि अनुबंध का स्वीकृति वाला खंड (यथा भाग (ब)) विलोपित था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.28 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता हुई एवं शासन को वसूल न किए गए मशीनरी अग्रिम की राशि पर ब्याज (7.24 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर की गई गणना यथा शासन के उधार लेने की औसत दर) के ₹ 94.68 लाख की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (जून 2009) कि मशीनरी अग्रिम का भुगतान बैंक गारंटी प्राप्त कर अनुबंध की धारा 60.3 के अंतर्गत किया गया ।

उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि मशीनरी अग्रिम भुगतान योग्य नहीं था जैसा कि शासन के आदेश दिनांक 23 अक्तूबर 2002 के अनुसार स्वीकृति वाली धारा विलोपित की गई थी।

इस प्रकार ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.28 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता हुई एवं शासन को ₹ 94.68 लाख के ब्याज की हानि हुई ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

### 2.3.6 एक ठेकेदार को संदेहास्पद एवं त्रुटिपूर्ण मापों पर भुगतान

**अनुबंध के निष्पादन से पूर्व, मापों को लिपिबद्ध किया जाना; दो दिवसों के भीतर 58,437 घनमीटर का निष्पादन एवं एक ठेके की स्वीकृति से पहले अनुबंध हस्ताक्षरित किए जाने से मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन हुआ एवं ठेकेदार को ₹ 47.75 लाख का भुगतान संदेहास्पद प्रदर्शित हुआ ।**

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली (नियमावली) में उल्लिखित है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेके की स्वीकृति के पश्चात, कार्यपालन यंत्री (का.यं.) को ठेकेदार के साथ निर्धारित प्रारूप पर एक अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक था । विभाग के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात ही ठेकेदार को कार्यादेश जारी करना था एवं कार्यस्थल हस्तांतरित करना था । आगे, विशिष्टियों के अनुसार, बाँध तटबन्ध के लिए मिट्टी कार्य अधिकतम शुष्क घनत्व के लिए अनुकूलतम आर्द्रता मात्रा पर, 15 से.मी. मोटाई की परत दर परत में निष्पादित करना आवश्यक था। कार्य, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्माण कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित होना था ।

दमोह में सागोनी तालाब के एक मिट्टी बाँध के निर्माण (₹ 2.36 करोड़ की प्राक्कलित लागत) के लिए ठेके आमंत्रित किए गए (जनवरी 2008) एवं मुख्य अभियंता (मु.अ.) धसान केन कछार, सागर द्वारा ठेकेदार 'अ' का ₹ 2.40 करोड़ के लिए न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार किया गया (12 अगस्त 2008) । कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग, हट्टा द्वारा ठेकेदार के साथ अनुबंध 15 दिसम्बर 2008 को निष्पादित किया गया एवं कार्य को 11 माह में पूर्णता की शर्त के साथ कार्यादेश उसी दिन जारी किया गया । अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को साथ ही साथ बाँध के लिए 1.843 लाख घनमीटर मिट्टी कार्य (जल छिड़काव सहित किन्तु संघनन छोड़कर) का भी निष्पादन करना था । निर्माण कार्यक्रम में मिट्टी कार्य के जनवरी 2008 से प्रारम्भ होने एवं सितम्बर 2008 तक पूर्ण होने का प्रावधान था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (दिसम्बर 2009) कि ठेकेदार को ₹ 30.79 लाख की राशि के प्रथम चलित देयक का भुगतान 16 दिसम्बर 2008 को किया गया जबकि अनुबंध 15 दिसम्बर 2008 को हस्ताक्षरित हुआ था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि 20 जनवरी 2009 को अभिलिखित एवं जाँची गई मिट्टी कार्य एवं जल छिड़काव की मात्रा मात्र 9308.82 घनमीटर थी एवं 22 जनवरी 2009 को इन दोनों मदों की मात्रा माप पुस्तिका में 67746.23 घनमीटर अभिलिखित की गई जिसका विशिष्टियों के अनुसार वास्तव में निष्पादन किया जाना असंभव है। इससे 58437.41 घनमीटर (67746.23 घनमीटर - 9308.82 घनमीटर) मात्रा का संदेहास्पद निष्पादन दर्शित हुआ। आगे, दूसरे चलित देयक का भुगतान 23 जनवरी 2009 को, 22 जनवरी 2009 को तीसरे चलित देयक के भुगतान के बाद किया गया जो स्वीकार्य नहीं है । लेखापरीक्षा द्वारा जल संसाधन विभाग के विद्युतीय एवं यांत्रिकीय संरचना के अभिलेखों के सत्यापन में प्रकट हुआ कि मिट्टी कार्य का सुदृढ़ीकरण अक्तूबर 2008 से कार्यान्वित हुआ एवं अप्रैल 2009 तक निरंतर था। इस प्रकार मिट्टी कार्य की मापों पर ₹ 30.79 लाख का भुगतान प्रथम दृष्ट्या काल्पनिक प्रतीत हुआ एवं कपट की संभावना को इंकार नहीं किया जा सकता ।

**(ब)** इसी प्रकार, उसी ठेकेदार को एक अन्य तालाब अर्थात समधन तालाब का निर्माण कार्य ₹ 2.85 करोड़ के मूल्य पर सौंपा गया (24 जनवरी 2009) एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा कार्य को 11 माह में पूर्ण करने की शर्त के साथ एक कार्यादेश 25 जनवरी 2009 को जारी किया गया । कार्य प्रगति पर था एवं ठेकेदार को दिसम्बर 2009 तक ₹ 69.11 लाख का भुगतान किया गया ।

संवीक्षा में प्रकट हुआ (दिसम्बर 2009) कि प्रमुख अभियंता ने निविदा 24 जनवरी 2009 को स्वीकृत की एवं अधीक्षण यंत्री (अ.यं.) ने स्वीकृति को 4 फरवरी 2009 को का.यं. को सूचित किया । 25 जनवरी 2009 को जारी कार्यादेश में अ.यं. के 4 फरवरी 2009 के आदेश को दर्शाया गया था । इसलिए कार्यादेश पूर्व दिनांकित था । इसके अतिरिक्त, का.यं.ने निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में 23 जनवरी 2009 को, यथा ठेके के स्वीकृति की तिथि से पूर्व, ठेकेदार से अनुबंध निष्पादित एवं हस्ताक्षर करने को कहा ।

कार्यादेश जारी होने के, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस सहित, पाँच दिवसों के भीतर ₹ 16.96 लाख की राशि की कार्य के विभिन्न मदों की माप अभिलिखित की गईं । निविदा की स्वीकृति के पूर्व अनुबंध का निष्पादन एवं राजपत्रित अवकाश पर माप अभिलिखित किया जाना नियमों के उल्लंघन में था ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2009), गलतियों को स्वीकार करते समय का.यं. ने बताया कि मुख्य मंत्री के कार्यालय के 100 दिवसों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य को शीघ्रता से निष्पादित किया जाना था । उन्होने आगे यह बताते हुए कि माप उपयंत्री द्वारा अभिलिखित किए गए एवं सहायक यंत्री द्वारा जाँचे गए थे भुगतानों को न्यायसंगत बताया।

उत्तर यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि नियमावली में निर्धारित सामान्य प्रणाली की अवहेलना क्यों की गई। का.यं. निविदा की स्वीकृति से पूर्व अनुबंध निष्पादित करने एवं अत्यधिक मात्रा को अल्प अवधि में अभिलिखित करने के लिए कोई औचित्य देने में विफल रहे ।

इस प्रकार नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन से कार्यों का निष्पादन एवं उन पर ₹ 47.75 लाख का भुगतान संदेहास्पद हो गया ।

प्रकरण शासन को मार्च 2010 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

### 2.3.7 संविदागत प्रावधानों के उल्लंघन में एक चूककर्ता ठेकेदार को जमाराशियों की अनियमित वापसी एवं भुगतान

**एक चूककर्ता ठेकेदार के जब्ती योग्य ₹ 2.83 करोड़ की अनियमित वापसी के परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई ।**

गुलाब सागर (महान) परियोजना की महान मुख्य नहर के आर.डी. 0.10 कि.मी. से 15.10 कि.मी. में शेष मिट्टी कार्य एवं संरचनाओं के निर्माण का कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 12.23 करोड़ थी, एक ठेकेदार को ₹ 12.10 करोड़ की मद दर निविदा पर सौंपा गया (8 मई 2005)। कार्य 18 माह में (वर्षाकाल सहित) यथा 7 नवम्बर 2006 से पूर्व, पूर्ण करने हेतु नियत था । बार-बार सूचनाओं के बावजूद, ठेकेदार आनुपातिक प्रगति प्रदर्शित नहीं कर सका । मुख्य अभियंता (मु.अ.) द्वारा ठेकेदार के अनुरोध पर अनुबंध की धारा 4.3.5.2 के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए 30 जून 2008 तक तीन समय वृद्धियाँ स्वीकृत की गईं । समय वृद्धियों के बावजूद, ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विफल रहा । अंततः कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर ठेका निरस्त किया (जुलाई 2008) । अपूर्ण कार्य के लिए ठेकेदार को ₹ 11.51 करोड़ का अंतिम भुगतान मार्च 2009 में किया गया ।

अनुबंध की शर्त 4.3.3.2 के अनुसार, ठेके के निरस्त होने पर संभाग में उपलब्ध ठेकेदार की समस्त प्रकार की सुरक्षा जमा शासन को जब्त होनी थी एवं उसकी कुल देयताओं को अंतिम रूप देने तक ठेकेदार को कुछ भी भुगतान योग्य नहीं था । आगे शर्त 2.40.2 के अनुसार, ठेकेदार पर आरोपणीय न होने वाले कारणों से समय वृद्धि सहित नियत अवधि के भीतर किए गए कार्य के लिए ही मूल्य समायोजन भुगतान योग्य था । यदि विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय हो तो कोई मूल्य समायोजन भुगतान योग्य नहीं था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मई एवं अक्तूबर 2009) कि ठेके को निरस्त करने की तिथि पर (जुलाई 2008) संभाग में ठेकेदार के ₹ 1.59 करोड़ जमा थे, जैसा **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है, जिसे जब्त करने के स्थान पर अनुवर्ती कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार को अक्तूबर 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य राशि वापस की गई । लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकित हुआ कि जून 2008 तक समय वृद्धियाँ अनुबंध की धारा 4.3.5.2 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हानियों की वसूली के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए ठेकेदार पर आरोपणीय कारणों से प्रदान की गईं थीं । यद्यपि बढ़ी हुई अवधि के लिए मूल्य समायोजन स्वीकार्य नहीं था, किन्तु ठेकेदार को नवम्बर 2006 से 30 जून 2008 की अवधि के लिए ₹ 29.20 लाख के मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है ।

आगे, ठेकेदार का ₹ 95.59 लाख का अंतिम देयक अनधिकृत रूप से उसे भुगतान किया गया (मार्च 2009) यद्यपि शेष कार्य को उसके जोखिम एवं लागत पर पूर्ण करने के कारण उसकी शासन के प्रति देयताओं का निपटान भी किया जाना शेष था (जून 2010)।

इस प्रकार ठेकेदार को अनधिकृत वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप ₹ 2.83 करोड़[17] की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मई 2009), कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार को अतिरिक्त सुरक्षा जमा एवं अन्य भुगतान किए गए किन्तु कार्यपालन यंत्री ने परिस्थितियाँ, जिनमें जब्ती योग्य राशियाँ मुक्त की गईं थीं के बारे में विस्तार से नहीं कहा। मार्च 2010 एवं अक्तूबर 2010 के मध्य प्रमुख अभियंता एवं शासन को जारी किए गए आठ स्मरण पत्रों के बावजूद प्रकरण में शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया था।

प्रकरण शासन को भेजा गया (मार्च 2010); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2010)।

## 2.4 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का निरूद्ध होना/उपकरणों के प्रवर्तन में विलंब/निधियों का व्यपवर्तन

### लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.4.1 नैदानिक केन्द्र की स्थापना पर निष्क्रिय व्यय

**नैदानिक केन्द्र की स्थापना के लिये गलत स्थान के चयन तथा आवश्यक अमले का प्रावधान न करने के फलस्वरूप भवन एवं उपकरणों पर ₹ 1.98 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।**

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रशासन के उन्नयन मद के ग्यारहवे वित्त आयोग के अनुदान में से ₹ तीन करोड़[18] की प्रशासनिक स्वीकृति मंदसौर जिले के भानपुरा में नैदानिक केन्द्र की स्थापना हेतु दिसम्बर 2001 में जारी की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर के अभिलेखों की सितम्बर 2008 में की गई नमूना जांच तथा जून 2010 में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से आगे संग्रहीत जानकारी से देखा गया कि जिला कलेक्टर मंदसौर ने जुलाई 2004 में शासन को सूचित किया था कि भानपुरा एक छोटी जगह है जहाँ कि जनसंख्या केवल 16,494 है तथा वह जिला मुख्यालय तथा अन्य तहसीलो से

17 *सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी ₹ 55.92 लाख + अतिरिक्त सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी ₹ 1.03 करोड़ + मूल्य वृद्धि का अनियमित भुगतान ₹ 29.20 लाख + अंतिम देयक का अनियमित भुगतान निवल ₹ 95.59 लाख = ₹ 2.83 करोड़*

18 *₹ 0.47 करोड़ भवन हेतु एवं ₹ 2.53 करोड़ मशीनरी एवं उपकरण हेतु।*

काफी दूरी पर स्थित है। अतः भानपुरा में नैदानिक केन्द्र की स्थापना उचित नहीं है। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय मंदसौर में नैदानिक केन्द्र के स्थापना की अनुशंसा की। सिविल सर्जन सह चिकित्सालय अधीक्षक मंदसौर ने भी अप्रैल 2005 में संचालक स्वास्थ्य सेवायें से सी.टी. स्केन मशीन की स्थापना नैदानिक केन्द्र भानपुरा की बजाय जिला चिकित्सालय मंदसौर को स्थानांतरित करने का निवेदन किया। तथापि ₹ 48 लाख की लागत से नैदानिक केन्द्र हेतु भवन का निर्माण भानपुरा में किया गया तथा ₹ 1.63 करोड़ की लागत से 41 नग उपकरण क्रय किये गये (2004-05 : ₹ 69.20 लाख एवं दिसम्बर 2007 : ₹ 93.90 लाख) परन्तु एक स्नातकोत्तर मेडीकल आफीसर/विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक रेडियोग्राफर, एक पेथोलाजिस्ट एवं एक सोनोलाजिस्ट के अभाव में स्थापित नहीं किये गये। उपकरणों की गारंटी अवधि भी समाप्त हो गई थी।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर ने बताया (सितम्बर 2008, जून एवं सितम्बर 2010) कि डाक्टरो की पदस्थापना शासन स्तर से की जाना थी; भवन का उपयोग सिविल अस्पताल भानपुरा के बाह्य एवं आंतरिक रोगियों हेतु किया जा रहा है तथा 41 उपकरणों में से पांच उपकरण (लागत ₹ 0.90 लाख) सिविल अस्पताल भानपुरा के प्रसूती वार्ड में स्थापित किये गये एवं दो उपकरण (लागत ₹ 12.10 लाख) जिला चिकित्सालय मंदसौर को स्थानांतरित किये गये तथा शेष उपकरण (लागत ₹ 1.50 करोड़) आवश्यक अमले के अभाव में अप्रयुक्त रखे हुए हैं जिसके लिये समय समय पर प्रस्ताव भेजे गये तथा अद्यतन प्रस्ताव मई 2010 में भेजा गया। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि भानपुरा में नैदानिक केन्द्र की स्थापना साध्य है का सही ढंग से आंकलन किये बिना भवन का निर्माण कराया गया तथा यहाँ तक कि आवश्यक अमले की स्वीकृति के बिना ही उपकरणों का क्रय किया गया।

अतः भानपुरा में नैदानिक केन्द्र की स्थापना के अनुचित निर्णय तथा आवश्यक अमले की व्यवस्था न करने के कारण ₹ 1.98 करोड़ का भवन एवं उपकरणों पर निष्क्रिय व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को सूचित (जून 2010) किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2010)।

## जल संसाधन विभाग

### 2.4.2 निष्क्रिय निवेश एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली न होना

**तकनीकी रूप से स्वीकृत मात्राओं के विरूद्ध अनुबंध में अपर्याप्त मात्राओं के प्रदर्शित होने के परिणामस्वरूप ₹ 81.19 लाख का निष्क्रिय निवेश एवं ठेकेदार के अतिरिक्त प्रतिभूति जमा को न रोकने से ₹ 38.26 लाख की हानि हुई ।**

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली (नियमावली) में प्रावधानित है कि कार्यों के लिए, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विस्तृत प्राक्कलनों को प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) एवं

प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) के पश्चात निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए । निविदा दस्तावेज की मात्राओं की अनुसूची में, तकनीकी स्वीकृति में उल्लिखित मात्राएँ यथार्थ रूप से प्रस्तुत होना चाहिए । आगे, निविदा दस्तावेज की धारा 3.28 में उपबंधित है कि यदि निविदाकार ने कुछ मदों के लिए अनुपातहीन रूप से उच्च दरें उद्धृत की है या निविदा असंतुलित है,[19] तो ऐसी मदों का भुगतान प्राक्कलित दर से कुल प्रतिशत कम या अधिक पर सीमित किया जाएगा। ऐसी मदों की राशि के शेष भुगतान को अतिरिक्त सुरक्षा जमा की भाँति रखा जाएगा जो संपूर्ण कार्य की पूर्णता के पश्चात ही मुक्त किया जावेगा । किसी कारण से ठेकेदार के भाग पर विफलता की दशा में संपूर्ण अतिरिक्त सुरक्षा जमा को राजसात किया जावेगा ।

अधीक्षण यंत्री (अ.यं.) जल संसाधन परिक्षेत्र खरगोन द्वारा गवलान उच्च स्तर पुल के निर्माण के लिए ₹ 1.35 करोड़ की एक तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (सितम्बर 2007)। मुख्य अभियंता (मु.अ.) नर्मदा ताप्ती कछार इंदौर द्वारा एक ठेकेदार की ₹ 1.08 करोड़ (यथा दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.) जुलाई 2007 से 10.61 प्रतिशत अधिक) की न्यूनतम मद दर निविदा स्वीकृत की गई (फरवरी 2008)। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन द्वारा कार्य 12 माह में (वर्षाकाल सहित) पूर्ण करने की शर्त के साथ कार्यादेश जारी किया गया (फरवरी 2008)। यद्यपि ठेकेदार ने ₹ 94.19 लाख का कार्य निष्पादित करने के पश्चात बीच में रोक दिया (नवम्बर 2008)। संभाग ने ठेकेदार को ₹ 81.19 लाख के चौथे एवं अंतिम देयक का भुगतान जुलाई 2009 में किया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (जुलाई 2009) कि यद्यपि तकनीकी स्वीकृति ₹ 1.35 करोड़ की थी, तकनीकी स्वीकृति में सम्मिलित कार्य की कुछ मुख्य मदों (यथा स्तंभों के लिए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट एवं प्रबलन इस्पात) की प्राक्कलित मात्राएँ निविदा दस्तावेज की मात्राओं की अनुसूची में पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं थीं जैसा **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है । ₹ 1.35 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹ 98.01 लाख की निविदा की संभावित राशि (पी.ए.सी.) के साथ निविदाएं आमंत्रित की गईं । इसके फलस्वरूप, ठेकेदार ने नींव एवं स्तंभों में सीमेंट कंक्रीट प्रदाय एवं बिछाने की अनुबंधित से अनुबंधित मात्रा का "10 प्रतिशत" अधिक के पश्चात कार्य रोक दिया एवं शेष कार्य को अनुबंधित दरों पर निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की (नवम्बर 2008)। इसप्रकार निविदा में रखी गईं मात्राएँ कार्य की प्राक्कलित आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्य बीच में छोड़ा गया । जनवरी 2009 तक, स्तंभों की भौतिक प्रगति रूपांकित ऊँचाई का 50 से 60 प्रतिशत थी एवं ठेकेदार द्वारा अनुवर्ती डेक स्लैब एवं पुल के सतह पृष्ठ का निर्माण निष्पादित नहीं किया गया था । अधीक्षण यंत्री ने कार्यपालन यंत्री को ठेके के परिसमापन एवं ठेकेदार की समस्त देयताओं को मुक्त करने हेतु निर्देशित किया (फरवरी 2009)।

न तो विभागीय जाँच पड़ताल संचालित की गई थी न ही अपूर्ण मात्राओं की अनुसूची के साथ निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कोई जिम्मेदारी नियत की गई थी । अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (नवम्बर 2009) ।

19 *असंतुलित निविदा, एक निविदा जिसमें ठेकेदार ने विभागीय प्राक्कलित दरों की तुलना में कार्य की कुछ मदों के विरूद्ध अनुपातहीन रूप से उच्च दरें एवं कार्य की कुछ अन्य मदों के विरूद्ध कम दरें उल्लिखित की हो ।*


अपूर्ण गवतान पुल

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2009), कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2010) कि अधीक्षण यंत्री ने कार्य के क्षेत्र को ₹ 98.01 लाख तक सीमित कर निविदा में मात्राओं को अनुमोदित किया था एवं यह भी बताया कि शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए निविदा निधियों के अभाव के आधार पर अनिर्णीत थी (जुलाई 2009)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 1.35 करोड़ की रूपांकित एवं प्राक्कलित लागत में कोई परिवर्तन नहीं था एवं कार्य के क्षेत्र को ₹ 98.01 लाख तक घटाने का कोई औचित्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि इन संविदागत प्रावधानों के होने पर भी, सीमेंट कंक्रीट कार्य की असंतुलित दरों के लिए, प्राक्कलित दरों पर कुल निविदा प्रतिशत के 10.61 प्रतिशत अधिक पर सीमित किए बिना ठेकेदार को निविदित दर पर भुगतान किया गया । जैसा कि कार्य अपूर्ण छोड़ा गया, भुगतान से न केवल ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता हुई अपितु शासन को ₹ 38.26 लाख की हानि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2010) कि कार्य की उचित एवं समयबद्ध प्रगति की प्रत्याशा में असंतुलित दरों के कारण वसूली प्रभावी नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यपालन यंत्री की कार्रवाई अनुबंध की धारा 3.28 के प्रावधानों के विरूद्ध थी। इस प्रकार निविदा में अपर्याप्त मात्राओं के प्रदर्शित होने एवं असंतुलित दरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा वसूली न होने के परिणामस्वरूप अपूर्ण संरचना पर ₹ 81.19 लाख का निष्फल व्यय हुआ एवं शासन को ₹ 38.26 लाख की हानि हुई ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2010)।

## 2.5 विनियामक मुद्धे एवं अन्य बिन्दु

## वन विभाग

### 2.5.1 नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की वसूली न करना/कम करना

**गैर वानिकी उपयोग हेतु 528 हेक्टेअर व्यपवर्तित वन भूमि के लिये पाँच अभिकरणों से नेट प्रेजेन्ट वैल्यू राशि ₹ 6.63 करोड़ की कम वसूली ।**

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के लिये उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्रभारित किए जाने हेतु नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन.पी.वी.)

की दरों का निर्धारण (सितम्बर 2008) किया । दरें वनों के प्रकार एवं घनत्व के अनुसार थीं । (न्यूनतम ₹ 5.80 लाख प्रति हेक्टेअर एवं अधिकतम ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेअर)[20] ।

छः वन मण्डल अधिकारियों[21] एवं एक क्षेत्र निदेशक, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई एवं अक्टूबर 2009 के मध्य) में पाया गया कि छः वन मण्डल एवं एक राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 528.016 हेक्टेअर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं[22] के लिये गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित की गई । यद्यपि एन.पी.वी. की वसूली योग्य राशि ₹ 37.15 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 30.52 करोड़ वसूल की गई । इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता अभिकरणों से एन.पी.वी. की राशि ₹ 6.63 करोड़ की वसूली नहीं / कम हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर वन मण्डल अधिकारियों और क्षेत्र निदेशक, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने बताया (जुलाई एवं अक्टूबर 2009 के मध्य) कि सम्बन्धित उपयोगकर्ता अभिकरणों से राशि वसूल की जाएगी ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को सूचित किया गया (अप्रैल 2010)। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2010) कि शेष राशि की वसूली की जाएगी।

## सामान्य

### 2.5.2 उत्तरदायित्व का निर्धारण करने और सरकार के हितों की सुरक्षा करने में विफलता

**[अ] निरीक्षण प्रतिवेदनों और कण्डिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया**

प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, भोपाल अन्य बातों के साथ-साथ, नमूना जाँच के लिए महत्वपूर्ण लेखाओं संबंधी एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव के सत्यापन हेतु शासकीय विभागों के नियत कालिक निरीक्षण की व्यवस्था करते हैं । लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से प्रतिवेदित किया जाता है ताकि निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु सुधारात्मक कार्यवाही एवं कमियों और चूकों हेतु जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमों[23] के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित अभ्युक्तियों का अनुपालन एवं दोषों व चूकों का अविलम्ब सुधार तथा इनके अनुपालन से प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को अवगत कराना कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च अधिकारियों से अपेक्षित है । गंभीर अनियमितताएँ भी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा विभागों के प्रमुखों के ध्यान में लाई जाती हैं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कण्डिकाओं के परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) मे

20 *भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/98-FC(PT-II) दिनांक 18 सितम्बर 2003।*

21 *व.म.अ. (सा) पूर्व मण्डला, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर।*

22 *आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड इन्दौर, मुदियाखेडा रिजर्वायर, राष्ट्रीय राजमार्ग, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर परियोजना एवं माइनिंग प्रोजेक्ट*

23 *लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किए गए (भारत के राजपत्र दिनांक 20 नवम्बर 2007 में प्रकाशन अनुसार)।*

सुगमता हेतु एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में वार्षिक सार्वजनिक विवरण पत्रक भी विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किये जाते हैं।

मार्च 2010 तक सिविल विभागो से संबंधित प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 अगस्त 2010 तक 9,013 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 22,437 कण्डिकाएं लंबित थी। इसमें पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित 5,112 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,526 कण्डिकाएं सम्मिलित थीं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कण्डिकाओं की विभागवार एवं वर्षवार स्थिति **परिशिष्ट 2.11 एवं 2.12** में दी गई हैं ।

इसी प्रकार मार्च 2010 तक महालेखाकार द्वारा जारी वन, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं अन्य निर्माण विभागों[24] से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 30 जून 2010 तक 4,276 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 15,583 कण्डिकाएं लंबित थीं। इसमें पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित 2,265 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 6,679 कण्डिकाएं सम्मिलित थीं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कण्डिकाओं की विभागवार एवं वर्षवार स्थिति **परिशिष्ट 2.13 एवं 2.14** में दी गई हैं।

कार्यालय प्रमुखों, जिनके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई थी, एवं विभाग प्रमुखों ने बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं का कोई उत्तर नहीं भेजा जो उनमें इंगित त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही करने में उनकी विफलता निर्दिष्ट करता है। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव जिन्हें अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा स्थिति से अवगत कराया गया था वे भी यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने त्वरित एवं समय पर कार्यवाही की।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने से अनियमितताओं एवं शासन को हानि की निरन्तरता में सुगमता हुई यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। यह अनुशंसा की जाती है कि जो अधिकारी नियत समय के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल रहे तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर भेजने में विफल रहे तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक/प्रतिकारक कार्यवाही करने में विफल रहे उनके विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की प्रक्रिया का शासन पुनः परीक्षण करे । हानियों, लंबित अग्रिमों, अधिक भुगतानों आदि की समयबद्व तरीके से वसूली तथा लेखापरीक्षा में लाये गए विषयों का उचित एवं समय पर प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए जबावदेही लागू करने की कार्यवाही अपेक्षित है।

---

24 *अन्य निर्माण विभागों में शामिल हैं- नर्मदा घाटी विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल गैस राहत (राहत एवं पुनर्वास) विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।*

## [ब] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कण्डिकाओं/समीक्षाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देश (नवम्बर 1998) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कण्डिकाओं के संबंध में विभागों द्वारा की गई या करने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के माह से तीन माह की अवधि में लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) एवं प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को विभागों द्वारा सूचित की जानी थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) से संबंधित कण्डिकाओं की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अगस्त 2010 तक छः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 64 कण्डिकाओं जिनका विवरण **परिशिष्ट-2.15** में दर्शाया गया है, पर विभागीय उत्तर अपेक्षित थे।

## [स] लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन ने समस्त विभागों को निर्देश जारी किये (नवम्बर 1994) कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के संबंध में विभागों द्वारा की गई या करने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत होने के छः माह की अवधि में लोक लेखा समिति को सूचित की जायेगी ।

प्रधान महालेखाकार एवं महालेखाकार की लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार वाले विभागों से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (ATNs) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 अगस्त 2010 तक विभागों द्वारा 624 लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही सूचित नहीं की गई थी। विभागवार तथा वर्षवार विवरण **परिशिष्ट-2.16** में दिया गया है।

# तीसरा अध्याय

## एकीकृत लेखा परीक्षा तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा

# तीसरा अध्याय

# एकीकृत लेखापरीक्षा तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

# किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

## 3.1 किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

*मुख्यांश*

*किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की फसल विकास योजनायें लागू की गईं । हांलाकि विभाग दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा। बजटीय और व्यय प्रबन्धन कमजोर थे तथा नकदी प्रबन्धन में कमियाँ पायी गयी। प्रदर्शनों, बीज वितरण, बीज मिनी किट्स तथा जिला अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों का चयन पर मैदानी निगरानी लगभग नहीं थी। मिट्टी के सर्वेक्षण नहीं किये गये तथा मिट्टी परीक्षण लक्ष्य से काफी कम थे। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन खराब रहा था।*

*लेखा परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :*

**वर्ष 2005-10 में ₹ 42.35 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए।**

*(कंडिका 3.1.7.4)*

**योजनाओं की राशि ₹ 133.09 करोड़, विभिन्न स्तरों पर बैंक खातों में जमा थी तथा ₹ 28.15 करोड़ की अप्रयुक्त राशि अन्य एजेंसियों/विभागों के पास पड़ी हुई थी।**

*(कंडिकाएं 3.1.7.8, 3.1.7.9, 3.1.7.10, 3.1.7.12 एवं 3.1.7.13)*

**विभाग दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित अनाज उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।**

*(कंडिका 3.1.8.1)*

**मैदानी अधिकारियों द्वारा आधार/प्रमाणित बीज तथा बीज मिनीकिट्स का निर्धारित तिथि से पूर्व वितरण और यह कि लक्षित हितग्राहियों को लाभ पहुँचा सुनिश्चित नही किया गया। मैदानी प्रदर्शनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।**

*(कंडिकाएं 3.1.8.2, 3.1.8.3, 3.1.8.4, 3.1.9.5 एवं 3.1.9.6)*

**शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों का क्रियान्वयन खराब रहा और 31 से 49 प्रतिशत (खरीफ मौसम) तथा 37 से 54 प्रतिशत (रबी मौसम) कृषि योग्य भूमि का उपयोग नहीं किया गया।**

*(कंडिका 3.1.8.5)*

**खेत तालाबों तथा बलराम तालाबों के निर्माण पर ₹ 5.06 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि किसानों द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ दिये गये एवं तालाबों के निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया।**

*(कंडिका 3.1.8.6)*

**किसानों को घटिया बीज, खाद तथा कीट नाशक बेचे गये। नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम के उपयोग में निर्धारित 4:2:1 का अनुपात नहीं रखा गया।**

*(कंडिकाएं 3.1.10.2 तथा 3.1.10.3)*

**मिट्टी के सर्वेक्षण नहीं किये गये और मिट्टी परीक्षणों में सारभूत कमियाँ थीं।**

*(कंडिकाएं 3.1.10.4 तथा 3.1.10.5)*

**तकनीकी कर्मचारियों की कमी (57 प्रतिशत) के कारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। मानव शक्ति के खराब प्रबन्धन के कारण दूसरे विभागों में अनियमित पदस्थापना तथा स्वीकृत संख्या से अधिक स्टाफ था।**

*(कंडिकाएं 3.1.11.1, 3.1.11.2 तथा 3.1.11.3)*

**आन्तरिक लेखा परीक्षा न के बराबर थी क्योंकि संचालक द्वारा 308 कार्यालयों में से केवल 39 कार्यालयों का आन्तरिक लेखा परीक्षण किया गया।**

*(कंडिका 3.1.13.2)*

### 3.1.1 प्रस्तावना

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग के उद्देश्य भूमि व जल प्रबन्धन, लघु सिंचाई कार्यक्रम, प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण, आधुनिक तकनीकों का कृषकों के मध्य प्रसार, उन्नत/ गुणवत्ता आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से सभी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है। इस प्रयोजन के लिये विभाग द्वारा मेक्रो प्रबंधन योजनाओं को शामिल करते हुए 14 राज्य योजनाये तथा 19 केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं लागू की गयी।

मध्य प्रदेश में 307.55 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र हैं। 31 मार्च 2009 को कृषि फसलीय क्षेत्र 190.94 लाख हेक्टेयर था और शुद्ध बुवाई क्षेत्र 150.44 लाख हेक्टेअर (79 प्रतिशत) था जिसमें

65.06 लाख हेक्टेयर (34 प्रतिशत) सिंचित क्षेत्र शामिल है। राज्य की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा (अनाज), चना, अरहर, उड़द, मूंग (दलहन), सोयाबीन, सरसों, मूँगफली (तिलहन) गन्ना, कपास (वाणिज्यिक फसलें) आदि हैं।

### 3.1.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग के मुखिया प्रमुख सचिव हैं और राज्य स्तर पर इसके दो अलग संचालनालय है जैसे (i) किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा (ii) कृषि अभियांत्रिकी। विभाग की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 3.1** में दी गई है।

### 3.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- विभाग की योजना प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबन्धन कुशल, प्रभावी एवं किफायती था;
- योजनाऐं प्रभावी ढ़ंग से लागू की गयी तथा गुणवत्ता नियंत्रण पर्याप्त थे;
- मानव संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को लागू करने के लिये उचित था तथा भंडार नियंत्रण पर्याप्त थे ; तथा
- निगरानी तंत्र और आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभावी थे।

### 3.1.4 लेखा परीक्षा मानदण्ड

लेखा परीक्षा निष्कर्ष, निम्न मानदण्डों के विरूद्ध चिन्हित थे:

- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधान।
- दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं/वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य।
- राज्य और केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की मार्गदर्शिकायें और भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, दिशानिर्देश।
- विभागीय नियम पुस्तिकाएं।

### 3.1.5 लेखा परीक्षा समावेशन एवं क्रियाविधि

वर्ष 2005-10 की अवधि की एकीकृत लेखा परीक्षा फरवरी से दिसम्बर 2010 तक की गयी। दो संचालनालय तथा स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के आधार पर

13 जिलों[1] के अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेख जाँच के लिये चयनित किये गये। संचालक, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास और संचालक, कृषि अभियांत्रिकी के साथ क्रमशः फरवरी और जुलाई 2010 में प्रवेश सम्मेलन किए गये जिनमें लेखा परीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के मानदण्डों एवं लेखापरीक्षा समावेशन पर चर्चा की गयी। निर्गम सम्मेलन 9 दिसम्बर 2010 को प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ हुआ। चर्चा के परिणामों को उपयुक्त स्थानों पर प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

## लेखा परीक्षा निष्कर्ष

### 3.1.6 प्लानिंग

राज्य योजना आयुक्त द्वारा प्रतिवर्ष विभाग के लिये निर्धारित व्यय सीमा के आधार पर राज्य तथा जिलास्तर की वार्षिक योजना तैयार की जाती है। पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य, पूर्व के वर्षों के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य और उनकी प्राप्ति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर राज्य स्तरीय वार्षिक योजना में, प्रमुख फसलों के उत्पादन के लिये लक्ष्य संचालनालय स्तर पर नियत किये जाते हैं। हालांकि, राज्य स्तरीय योजना में अनुमानित लक्ष्यों के आधार पर जिलों के लिये लक्ष्य तय करने की बजाय प्रत्येक साल खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ से पहले कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय स्तर पर आयोजित बैठक में उत्पादन के जिलेवार लक्ष्य तय किये जाते हैं। उन्हीं लक्ष्यों का जिलों द्वारा वास्तव में अनुपालन किया जाता है। परिणामतः नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाये गये अनुसार राज्य स्तरीय वार्षिक योजना में अनुमानित लक्ष्यों और जिले द्वारा वास्तव में पालन किये गये लक्ष्यों में काफी असमानता थी।

**तालिका 3.1: वार्षिक योजना के लक्ष्यों तथा वास्तविक अनुपालित लक्ष्यों में अन्तर**

(लाख टन में)

| वर्ष | खाद्यान्न के लिये लक्ष्य | | तिलहन के लिये लक्ष्य | |
|---|---|---|---|---|
| | राज्य वार्षिक योजनानुसार | जिलों द्वारा वास्तव में अनुपालन किए गए लक्ष्य | राज्य वार्षिक योजनानुसार | जिलों द्वारा वास्तव में अनुपालन किए गए लक्ष्य |
| 2005-06 | 184.50 | 179.55 | 61.70 | 63.85 |
| 2006-07 | 187.53 | 178.65 | 68.21 | 64.26 |
| 2007-08 | 179.72 | 171.28 | 67.27 | 66.48 |
| 2008-09 | 185.28 | 169.76 | 70.16 | 68.84 |
| 2009-10 | 172.97 | 161.80 | 70.97 | 72.80 |

**(स्रोतः- वार्षिक योजना और विभागीय आँकड़े)**

इस प्रकार, राज्य स्तरीय वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया और वार्षिक योजना साल में दो बार संशोधन के लिये खुली रही।

1 *बालाघाट, बेतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छत्तरपुर, डिन्डोरी, ग्वालियर, झाबुआ, मन्दसौर, पन्ना, रतलाम, शहडोल एवं शिवपुरी।*

## 3.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

### 3.1.7.1 *बजट प्रावधान एवं व्यय*

अवधि 2005-10 के दौरान बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2: बजट प्रावधान एवं व्यय**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | बजट प्रावधान | व्यय | बचत *(प्रतिशत)* |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | 454.36 | 337.78 | 116.58 (26) |
| 2006-07 | 488.88 | 369.73 | 119.15 (24) |
| 2007-08 | 738.87 | 600.88 | 137.99 (19) |
| 2008-09 | 1073.50 | 646.90 | 426.60 (40) |
| 2009-10 | 1056.76 | 786.75 | 270.01 (26) |

**(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे)**

**2005-10 में बचतें 19 से 40 प्रतिशत के मध्य थी।**

विभाग द्वारा 19 से 40 प्रतिशत बचतों का कारण भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार राशि का जारी न किया जाना, मशीनरी के क्रय पर प्रतिबन्ध और अवास्तविक बजट प्रावधान बताया गया। लगभग 40 प्रतिशत बजट का उपयोग न किया जाना संचालनालयों द्वारा वित्तीय प्रबन्धन/कड़ी निगरानी की कमी इंगित करता है।

- इसके अलावा चार गैर बजटीय योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदाय राशि तथा 2005-10 की अवधि में किया गया व्यय **तालिका 3.3** में दर्शाया गया।

**तालिका 3.3 : गैर बजटीय योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदाय राशि तथा व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

**राशि ₹ 27.69 करोड़ की गैर बजटीय केन्द्रीय सहायता मार्च 2010 तक अव्ययीत रही।**

| क्रमांक | योजनाओं का नाम | भारत सरकार द्वारा प्रदाय धन | खर्च | अव्ययित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विस्तार सुधार के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रम (कृषि प्रोद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी) को समर्थन (आत्मा परियोजना) | 48.39 | 40.16 | 8.23 |
| 2. | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) | 169.84 | 151.90 | 17.94 |
| 3. | राष्ट्रीय बाँस मिशन[2] | 6.02 | 5.44 | 0.58 |
| 4. | कृषि सूचना प्रणाली नेटवर्क (ऐग्रिसनेट) | 8.65 | 7.71 | 0.94 |
| | **कुल** | **232.90** | **205.21** | **27.69** |

**(स्रोतः संचालक, एफ.डब्ल्यू.एवं.ए.डी. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)**

2 *वर्ष 2009-10 से राष्ट्रीय बांस मिशन वन विभाग को हस्तांतरित किया गया।*

विभाग द्वारा निधि के उपयोग न होने का कारण अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसानों की कम क्रय शक्ति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्धन टीम का गठन न होना बताया गया। कृषि तकनीकि प्रबन्धन समिति (आत्मा) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धन देरी से प्रदाय करना, तथा स्थानीय निकाय, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के कारण धन का उपयोग नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि निधियाँ जिलों को समय पर जारी नहीं की गयी।

### *3.1.7.2 बजट अनुमान*

**बजट अनुमान 30 से 75 दिन की देरी से प्रस्तुत किये गये।**

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के तहत बजट अनुमान वित्त विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक से पूर्व भेजे जानें चाहिए। लेकिन यह देखा गया कि वर्ष 2005-10 के दौरान विभाग द्वारा बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक से 30 से 75 दिन की देरी से वित्त विभाग को भेजे गये। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा देरी का कारण आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से बजट अनुमानों का देरी से प्राप्त होना बताया गया। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं भविष्य में नियमों के पालन का आश्वासन दिया गया।

### *3.1.7.3 अवास्तविक बजटीकरण*

राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुमानों को यथा संभव निकट एवं सही होना चाहिए। लेखा परीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2005-10 की अवधि में बजट प्रावधान पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्ति के समुचित विश्लेषण के बिना तदर्थ आधार पर तैयार किये गये जैसा कि **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.4 : अवास्तविक बजटीकरण**

**(राशि ₹ में)**

| अनुदान संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2401-103-898 बीज प्रक्षेत्रों पर कृषि प्रदर्शन | 55098000 | 51953000 | 52659000 | 55174000 | 83575000 |
| | 2401-0701-4629- स्थानीय क्षेत्र योजना | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 |
| | 2401-109-894-कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचना एवं प्रसारण | 3000000 | 3300000 | 3400000 | 2900000 | 6000000 |
| | 4401-103-2981-बीज गुणन और वितरण | 14300000 | 14295000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2401-101-9197- राज्य जैव प्रमाणन प्रयोगशाला के गठन और क्रियान्वयन | 0 | 3000000 | 3300000 | 3800000 | 2500000 |
| 41 | 2401-0102-5361- कृषि में महिलाओं की भागीदारी | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| | 2401-0102-7772-कृषकों के लिये प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
| | 2402-101-4254 शुष्क कृषि क्षेत्रों में जलसंग्रहण विकास कार्यक्रम (वाटर शेड) | 9880000 | 10081000 | 10086000 | 10089000 | 10331000 |
| 64 | 2401-0102-5361- कृषि में महिलाओं की भागीदारी | 0 | 0 | 2200000 | 2000000 | 2000000 |
| | 2401-0103-7772-कृषकों के लिये प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम | 0 | 0 | 35200000 | 35200000 | 35200000 |
| | 2401-103-2415-5363-कृषि अनुसंधान और शिक्षा | 0 | 0 | 26700000 | 26700000 | 44733000 |
| | 2401-103-5358-बैलगाड़ी के लिये अनुदान | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 300000 |
| | 2401-789-894-कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचना एवं प्रसारण | 0 | 0 | 2000000 | 2300000 | 2000000 |

**(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे)**

**मूल बजट प्रावधान राशि ₹ 40.78 करोड़ बिना उपयोग किये व्यपगत हुए।**

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा बिन्दु को भविष्य में अनुपालन हेतु टीप किया (मार्च 2010)। आगे यह देखा गया कि पाँच विभिन्न योजनाओं की सम्पूर्ण प्रावधानित राशि ₹ 40.78[3] करोड़ बिना उपयोग के व्यपगत हो गयी। इन योजनाओं के अन्तर्गत योजित कार्यों के न किये जाने के कारण नहीं दर्शाये गये। निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि भविष्य में बजट प्रावधान राज्य बजट नियमावली के अनुसार तैयार किये जावेंगे।

### *3.1.7.4 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान*

अनुपूरक मांगे केवल उन्हीं मामलों में प्रस्तावित किया जाना चाहिए जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो। वर्ष 2005-10 में **तालिका 3.5** में दर्शाये अनुसार विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित ₹ 42.35 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से अधिक नहीं था।

**तालिका 3.5: अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग न होना**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | मांग संख्या | वास्तविक प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 13, 41 | 199.84 | 2.90 | 174.34 |
| 2006-07 | 13,54 | 83.11 | 3.22 | 81.86 |
| 2007-08 | 13, 64 | 100.15 | 30.86 | 94.56 |
| 2008-09 | 64 | 5.34 | 4.80 | 5.34 |
| 2009-10 | 13, 41 | 6.05 | 0.57 | 6.00 |
| **योग** | | **394.49** | **42.35** | **362.10** |

**(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखें)**

**अनुपूरक प्रावधान ₹ 42.35 करोड़ अनावश्यक साबित हुआ ।**

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा बताया गया कि अनुपूरक प्रावधान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग के आधार पर किया गया था लेकिन वे धन का उपयोग करने में विफल रहे। जाहिर है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता का सही आंकलन किये बिना प्राप्त किये गये। निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा लेखा परीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा भविष्य में वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया गया ।

### *3.1.7.5 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन/समर्पण*

**निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन/ समर्पण के कारण ₹ 11.35 करोड़ का शेष बजट प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।**

पुनर्विनियोजन/समर्पण तभी किया जाना चाहिये जब किसी इकाई में बचत का पुर्वानुमान हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुनर्विनियोजन/समर्पण उपलब्ध बचतों से अधिक का किया गया जिसकी वजह से **तालिका 3.6** में दर्शाये गये अनुसार 2006-10 के दौरान ₹11.35 करोड़ का अविवेकपूर्ण समर्पण हुआ।

3 *2005-06 (कृषि भवन का निर्माण ₹ 0.02 करोड़), 2006-07 (स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ₹ 27.97 करोड़) एवं 2008-09 (स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम ₹ 12.79 करोड़)*

तालिका 3.6: बचतों से अधिक पुनर्विनियोजन/समर्पण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रावधान | वास्तविक व्यय | उपलब्ध बचत | पुनर्विनियोजन/समर्पण | शेष बजट प्रावधान पर अधिक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 232.72 | 183.92 | 48.80 | 52.74 | 3.94 |
| 2007-08 | 98.10 | 73.15 | 24.95 | 29.69 | 4.74 |
| 2008-09 | 103.89 | 82.74 | 21.15 | 23.18 | 2.03 |
| 2009-10 | 78.11 | 65.13 | 12.98 | 13.62 | 0.64 |
| **योग** | **512.82** | **404.94** | **107.88** | **119.23** | **11.35** |

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे)

यह बजटीय नियंत्रण में कमी की ओर संकेत देता है । निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा भविष्य में पालन हेतु टीप किया।

### *3.1.7.6 अधिक सहायता अनुदान जारी करना*

**एक स्वायत्त निकाय को सहायता अनुदान ₹ 1.42 करोड़ अधिक जारी करना।**

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) बरखेड़ी कलां भोपाल को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में स्वायत्त निकाय घोषित किया गया था और संस्था को रोजमर्रा के कार्य के लिये सहायता अनुदान का भुगतान किया जाना था। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः राशि ₹1.68 करोड़ और ₹1.66 करोड़ सहायता अनुदान का भुगतान किया गया, जिसमें से संस्था द्वारा ₹0.75 करोड़ और ₹1.17 करोड़ का व्यय किया गया। जारी किए गए स्वीकृति आदेश (अप्रैल 2008) की शर्त के अनुसार राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले वर्ष के प्राक्कलन स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किये जाने थे। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 के लिये सहायता अनुदान जारी करने से पहले वर्ष 2008-09 की अव्ययीत शेष राशि को समायोजित नहीं किया गया था। परिणामतः ₹1.42 करोड़ (2008-09 के लिये ₹0.93 करोड़ + 2009-10 के लिये ₹0.49 करोड़) सिएट के बैंक खाते में अव्ययीत पड़ा हुआ था। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने अनुदान का अधिक जारी होना स्वीकार किया।

### *3.1.7.7 वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अधिक व्यय*

बजट नियमावली के पैरा 92 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अधिक व्यय को टाला जाना चाहिये। वर्ष 2005-10 के दौरान **तालिका 3.7** में दर्शाये गये अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में विभिन्न योजनाओं से संबंधित व्यय 27 से 53 प्रतिशत रहा ।

तालिका 3.7 मार्च माह में व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल व्यय | फरवरी माह तक व्यय | मार्च में व्यय (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | 144.75 | 104.82 | 39.93 (28) |
| 2006-07 | 51.79 | 37.73 | 14.06 (27) |
| 2007-08 | 331.18 | 172.49 | 158.69 (48) |
| 2008-09 | 211.18 | 99.90 | 111.28 (53) |
| 2009-10 | 435.52 | 292.98 | 142.54 (33) |

(स्रोतः- विस्तृत विनियोग लेखे तथा मासिक लेखे)

संचालक द्वारा बताया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न कारणों जैसे देरी से स्वीकृतियां प्राप्त होना तथा देरी से हितग्राहियों का चयन आदि से धनराशि का समय से उपयोग नहीं किया गया एवं संहिता के प्रावधानों का भविष्य में पालन करने का आश्वासन दिया गया। संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्षो 2005-09 के अंतिम दिन कोषालय से राशि ₹18.92 करोड़ आहरित की गयी। यह व्यय पर नियंत्रण में कमी और संहिता के प्रावधानों की अवहेलना को दर्शाता है। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा का आक्षेप स्वीकार किया तथा भविष्य में संहितागत प्रावधान के पालन का आश्वासन दिया।

### *3.1.7.8 नकदी शेष का रोका जाना*

**योजनाओं की राशि ₹ 129.09 करोड़ बैंक खातों में जमा थी ।**

विभाग द्वारा राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सियेट) वरखेड़ी कलॉ भोपाल को गैर बजटीय योजनाओं जैसे एन.एफ.एस.एम. और आत्मा परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी राशि बैंक खाते में रखे जाने हेतु नामित किया गया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा इन दो योजनाओं के अलावा राज्यांश एवं अन्य योजनाओं की राशि भी सिएट के खाते में जमा की गयी और सिएट द्वारा राशि संचालक द्वारा दी गयी स्वीकृति आदेशों के आधार पर जिलों को जारी की गई। मार्च 2010 के अंत में राशि ₹112.82 करोड़ (सहायता अनुदान एवं ब्याज राशि ₹3.46 करोड़ को शामिल करते हुए) सिएट के बैंक खाते में पड़ी हुई थी जिसमें से ₹ 96.45 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित थी जो कि संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा 2007-10 के दौरान कोषालय से आहरित की गई थी। अतिरिक्त संचालक, सिएट द्वारा बताया गया कि संचालनालय द्वारा स्वीकृति आदेश जारी न किये जाने से जिलों को राशि नहीं दी जा सकी थी। अन्य योजनाओं की राशि सिएट के बैंक खाते में रखा जाना अनियमित था।

नमूना जांच किए गए जिलों में मार्च 2010 की स्थिति में 23 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की रोकड़ बहियों की जांच में पाया गया कि उनके बैंक खातों में ₹16.27 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि थी, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्मा एवं अन्य योजनाओं की थी, जो कि इस ओर इशारा करती है कि सम्बन्धित योजनाओं को पूरी तरह से योजनानुसार लागू नहीं किया गया । निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा राशि के उपयोग हेतु तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और बताया कि जिलों को राशि प्रयोग करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगें ।

### *3.1.7.9 बन्द योजनाओं की अप्रयुक्त राशि का वापस न होना*

**बन्द योजनाओं की राशि ₹ चार करोड़ भारत सरकार को वापस नहीं की गई।**

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों को योजनाओं के क्रियान्वन हेतु उपयोग किया जाना था। योजनाओं के बन्द होने की स्थिति में अप्रयुक्त राशि भारत सरकार को वापस की जाना चाहिए थी। संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारी शेष नकद राशि ₹ चार करोड़, (₹1.14 करोड़ ब्याज राशि शामिल करते हुए) बैंक खाते में

पड़ी हुई थी, जो कि विभिन्न योजनाओं (अमृतधारा, उत्थान योजना और कमान क्षेत्र कार्यक्रम) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त की गई थी, जो बन्द हो गयी। बैंक खाते में नकदी शेष को रोकड़ वही के शेष में नही दर्शाया गया। संचालक द्वारा बताया गया कि निधि के उपयोग हेतु कार्यवाही की जायेगी, हॉलाकि बन्द योजनाओं की अव्ययीत निधि का योजनावार ब्यौरा उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बन्द योजनाओं की अव्ययीत निधि को भारत सरकार को तुरंत वापस किया जाना था जो कि नहीं किया गया । निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

### *3.1.7.10 उपयोगिता प्रमाण पत्र*

**राशि ₹ 54.65 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त थे।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा 2007-10 के दौरान ₹ 79.28 करोड़ अन्य विभागों के संचालनालयों (संचालनालय, चिकित्सा सेवाऐं ₹42.45 करोड़, संचालनालय, मत्स्य पालन ₹10.60 करोड़, संचालनालय उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी ₹ 26.23 करोड़) को कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वन के लिए भुगतान किये गये। इसके विरूद्व उन संचालनालयों द्वारा ₹ 56.45[4] करोड़ का व्यय किया जाना सूचित किया। केवल ₹ 1.80 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालनालय, मत्स्य पालन द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा ₹ 54.65 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक उन संचालनालयों से अप्राप्त थे। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्गम सम्मेलन में इस संबंध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया ।

### *3.1.7.11 नकदी का प्रबन्धन*

**रोकड़ बही एवं सहायक अभिलेखों के संधारण से संबंधित संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 53 के अनुसार रोकड़ वही के प्रभारी को प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन करना चाहिए । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पाक्षिक रूप से कोषालय के अभिलेखों से कोषालय से आहरित आहरणों का सत्यापन करना चाहिए। कर्मचारियों को दिये गये अस्थाई अग्रिम का शीघ्रातिशीघ्र समायोजन किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में उन्हें तीन माह से अधिक असमायोजित नहीं रखा जाना चाहिए।

चयनित जिलों के 37 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं संचालनालयों के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नगदी प्रबंधन के प्रावधानों की अवहेलना की गई जिसके संबंध में आगे चर्चा की गई है:

- दस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में नियमित रूप से रोकड़ बही में रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन नहीं किया ।

---

4 *संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें ₹ 30.92 करोड़, संचालनालय, मत्स्य ₹ 10.01 करोड़ एवं संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ₹ 15.52 करोड़।*

- छब्बीस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरणों का कोषालय अभिलेख से पाक्षिक सत्यापन नहीं किया गया ।

- अवधि 1977-2010 तक के राशि ₹88.98 लाख के अस्थाई अग्रिम नवम्बर 2010 की स्थिति में असमायोजित थे जिसमें से ₹1.79 लाख पिछले 10 से 32 वर्ष से संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास में असमायोजित पड़े हुए थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने कहा कि समायोजन की कार्यवाही जारी थी ।

- पन्द्रह आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा रोकड़ बही के शेषों को बैंक पासबुक के शेषों से मिलान नहीं किया गया जिसके कारण मार्च 2010 तक ₹5.94 करोड़ राशि की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के मध्य विसंगतियाँ थी। चार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बैंक से पास बुक पूर्ण नहीं करायी गयी थी।

- उन्नीस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माहवार बिल पंजी की समीक्षा नहीं की गयी एवं 22 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सप्ताह में दो बार बिल ट्रान्जिट पंजी की समीक्षा नहीं की गयी जो कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 197 एवं 276 के तहत की जानी थी ।

- सत्रह आहरण एवं संवितरण अधिकरियों द्वारा रोकड़ियों/स्टोर कीपरों से सुरक्षा निधि जमा नहीं करायी गयी जो कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 282 के तहत किया जाना चाहिए था।

- नौ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के निर्धारित प्रपत्र अनुसार बैंक ड्राफ्ट पंजियां नही बनाई गयी ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया तथा संहितागत प्रावधानों के पालन का आश्वासन दिया गया। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि नियमों का पालन करने हेतु अनुदेश जारी किये जावेंगे।

### *3.1.7.12 मीडिया और प्रचार अभियान के लिये निधियों का उपयोग न किया जाना*

प्रिन्ट और इलेंक्ट्रानिक मीडिया और अन्य विधियों द्वारा एन.एफ.एस.एम. योजना का वृहद प्रचार, योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है । भारत सरकार ने घटकवार व्यय के प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की, और ₹3.06 करोड़ की राशि-मीडिया और प्रचार अभियान के लिये प्रदाय की (नवम्बर 2007) । लेकिन प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन समीक्षा बैठक (जनवरी 2009) में घटकवार व्यय की सीमा बदली गयी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

| प्रचार अभियान के घटक | भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों पर अधिकतम सीमा | विभाग द्वारा किया गया परिवर्तन (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| (1) ऑडिओ विजुअल (रेडियों/टी.वी.स्पोट) | 55 प्रतिशत | ₹ 0.80 करोड़ (26) |
| (2) प्रेस प्रचार | 20 प्रतिशत | - |
| (3) सृजनात्मक विकास | 5 प्रतिशत | ₹ 1.77 करोड़ (58) |
| (4) मुद्रिक साहित्यक गीत, ड्रामा, समूह का वाहरी प्रचार | 20 प्रतिशत | ₹ 0.49 करोड़ (16) |
| कुल | | **₹ 3.06** करोड़ |

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रिन्ट मीडिया में अलग से विज्ञापन न दिया जाये तथा प्रेस प्रचार पर व्यय न किया जाय क्योंकि भारत सरकार द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से काफी प्रचार कराया जा रहा है।

**राशि ₹ 2.04 करोड़ मीडिया, प्रचार प्रसार के लिये उपयोग नहीं किये गये ।**

उपरोक्त निर्णय के अनुसार विभाग द्वारा जिलों को ₹0.49 करोड़ किसान रथ का आयोजन व मुद्रित साहित्य पर व्यय हेतु और शेष राशि ₹2.57 करोड़ मध्यप्रदेश कृषि विपणन संघ (स्वायत्त निकाय) को प्रचार हेतु हंस्तातरित की गयी (फरवरी 2009)जिसमें से ₹52.78 लाख टीवी कार्यक्रमों और रेडियों विज्ञापनों पर जनवरी 2009 और मार्च 2010 के दौरान उपयोग की गयी । राशि ₹2.04 करोड़ अभी भी उपरोक्त ऐजेन्सी के पास पड़ी हुई थी। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने विश्वास दिलाया कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक राशि का उपयोग कर लिया जायेगा ।

### *3.1.7.13 निधियों का ऐजेन्सियों के पास रखा रहना*

**निधियां ₹ 3.28 करोड़ मार्कफेड और बीज निगम के पास पड़ी हुई थी ।**

(i) ऐजेन्सियों द्वारा निष्पादित कराये जा रहे कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी विभाग द्वारा रखी जानी थी ताकि उनको निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जा सकें । संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि" आत्मा " योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राशि ₹ 2.40 करोड़ वर्ष 2009-10 के दौरान जिला स्तरीय इनोवेटिव गतिविधियों के लिए अनुमोदित की थी (सितम्बर 2009)। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा 19 जिलास्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को ₹ 2.40 करोड़ का भुगतान किया (सितम्बर 2009 से मार्च 2010) । इन 19 प्रशिक्षण केन्द्रों में से सात केन्द्रों के कार्य प्रारंभ नहीं हुये, सात केन्द्रों के कार्य अपूर्ण थे और केवल एक प्रशिक्षण केन्द्र बैतूल का कार्य पूर्ण हुआ । चार प्रशिक्षण केन्द्रों (उज्जैन, श्योपुरकलॉ, इन्दौर और सागर) की स्थिति संचालक के पास उपलब्ध नहीं थी । ₹ 2.40 करोड़ में से केवल ₹ 0.30 करोड़ का उपयोग किया गया । शेष राशि ₹ 2.10 करोड़ मार्कफेड के पास बकाया थी। संचालक द्वारा लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया गया और मार्कफेड से कार्य की प्रगति को प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया ।

(ii) एन.एफ.एस.एम.के अन्तर्गत गेहूँ एवं दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा उपसंचालकों को 2008-09 के दौरान बीज फार्म विकास निगम को अग्रिम भुगतान हेतु निर्देशित किया गया (जून 2008)। एजेन्सी को किये गये अग्रिम भुगतान ₹3.69 करोड़ में से ₹1.18 करोड़ के बीज 15 जिलों में प्राप्त नहीं हुये।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया ।

### *3.1.7.14 विभिन्न योजनाओं के तहत देनदारियाँ निर्मित किया जाना*

**विभिन्न योजनाओं के देयक राशि ₹19.74 करोड़ भुगतान हेतु लंबित थे।**

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के पूरक नियम 283 के तहत् समस्त देनदारियों का भुगतान तुरन्त किया जाना चाहिए एवं चालू वर्ष की देनदारियों को आगामी वर्षों के आवंटन से भुगतान के लिए नहीं छोडी जानी चाहिए । संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007-09 के दौरान ₹ 27.03 करोड़ के तिलहन,दलहन, ऑयलपाम एवं मक्का (आइसोपाम) के देयक भुगतान हेतु लंबित थे । भारत सरकार द्वारा पूर्व के दायित्वों के भुगतान हेतु राज्य को ₹ 6.35 करोड़ दिये गये (फरवरी 2010)। लंबित देयकों का ₹ 8.47 करोड़ (जिसमें ₹ 2.12 करोड़ राज्य का हिस्सा है) का भुगतान कर दिया गया एवं ₹ 18.56 करोड़ के देयक भुगतान हेतु लंबित थे । संचालक द्वारा इसका कारण 2007-09 के दौरान योजना के तहत् स्वीकृत कार्य योजना के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त निधि का जारी करना ठहराया गया । नमूना जाँच किए गए जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत राशि ₹ 1.18 करोड़ के देयक चार आहरण संवितरण अधिकारियों[5] द्वारा आगामी वर्षों में भुगतान हेतु लंबित रखे गये थे। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की जाँच की जावेगी एवं आगामी बजट में लंबित देयताओं के लिये आवश्यक बजट प्रावधान किया जावेगा।

## 3.1.8 कार्यक्रम प्रबंधन

### *3.1.8.1 लक्ष्य और उपलब्धियाँ*

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में खाद्यान्न का उत्पादन स्तर 178.50 लाख टन, (अनाज 139.54 लाख टन एवं दलहन 38.96 लाख टन) एवं तिलहन का उत्पादन स्तर 60.40 लाख टन तक बढाने की योजना थी। इसी प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में खाद्यान्न का उत्पादन 204.31 लाख टन तक एवं तिलहन का उत्पादन 80.32 लाख टन तक वृद्धि करने की योजना थी । **तालिका 3.8** में 2005-06 से 2009-10 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियों की स्थिति दर्शायी गयी है :

---

5 *उप संचालक, कृषि भोपाल ₹ 8.49 लाख, उप संचालक कृषि बुरहानपुर ₹ 41.15 लाख, उप संचालक कृषि रतलाम ₹ 64.42 लाख एवं शासकीय कृषि प्रक्षेत्र फंदा ₹ 4.00 लाख*

**तालिका 3.8 : तिलहन एवं खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ**

(लाख टन में)

| | | अनाज | | | दलहन | | | तिलहन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दसवीं योजना के लिये लक्ष्य | | | | 139.54 | | | 38.96 | | | 60.40 |
| ग्यारहवीं योजना के लिये लक्ष्य | | | | 159.12 | | | 45.19 | | | 80.32 |
| | वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) |
| विभाग द्वारा वास्तविक निर्धारित लक्ष्य एवं योजना अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धी | 2005-06 | 138.50 | 102.27 | 36.23 (26) | 41.05 | 32.59 | 8.46 (21) | 63.85 | 60.54 | 3.31 (5) |
| | 2006-07 | 140.88 | 110.90 | 29.98 (21) | 37.77 | 33.51 | 4.26 (11) | 64.26 | 58.51 | 5.75 (9) |
| | 2007-08 | 131.78 | 102.31 | 29.47 (22) | 39.50 | 26.74 | 12.76 (32) | 66.48 | 63.32 | 3.16 (5) |
| | 2008-09 | 130.15 | 105.43 | 24.72 (19) | 39.61 | 36.81 | 2.80 (7) | 68.84 | 69.78 | - |
| | 2009-10 | 116.97 | 118.95 | - | 44.83 | 45.96 | - | 72.80 | 72.15 | 0.65 (1.00) |
| दसवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य के सन्दर्भ में कमी (2006-07) | | | | 28.64 (21 प्रतिशत) | | | 5.45 (14 प्रतिशत) | | | 1.89 (3 प्रतिशत) |

**(स्त्रोतः दसवीं, ग्यारहवीं योजना तथा विभागीय आकड़ें)**

**दसवीं तथा ग्यारहवीं योजनाओं के लिए निर्धारित उत्पादन के लक्ष्यों का अनुपालन नहीं हुआ तथा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई।**

विभाग द्वारा वास्तव में निर्धारित लक्ष्य दसवीं एवं ग्यारहवीं योजनाओं में निहित लक्ष्यों से काफी कम थे । वर्ष 2006-07 में दलहनों के लक्ष्य कम किए गए तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न एवं तिलहन के लक्ष्य कम किए गए।

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि हर वर्ष जिलेवार उत्पादन के लक्ष्य संभागीय स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मौसम के प्रारम्भ से पहले निर्धारित किये गये और उन लक्ष्यों का जिलों द्वारा अनुपालन किया गया ।

- साथ ही वर्ष 2009-10 में खाद्यान्न के लक्ष्यों एवं 2008-09 में तिलहन के लक्ष्यों को छोड़कर वर्ष 2005-10 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ती नहीं हुई तथा वह योजना दस्तावेजों में निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहे। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा कहा गया (अगस्त एवं सितम्बर 2010) कि सूखा, खराब मानसून तथा अल्प वर्षा के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। फिर भी, ग्यारहवीं योजना में एन.एफ.एस.एम. एवं आइसोपाम योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से अनाज, दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे थे। कमजोर मानसून कम उत्पादन हेतु उत्तरदायी था, इस तथ्य से अलग मिट्टी सर्वेक्षण व मिट्टी परीक्षण के क्षेत्र में निरूस्ताह प्रदर्शन, अवमानक कृषि आदानों का वितरण, आश्वस्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु विस्तार कार्यकर्त्ताओं की कमी आदि भी प्रमुख फसलों के कम उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु जिम्मेदार थे जिन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### *3.1.8.2 बीज उत्पादन और वितरण*

प्रजनक बीज को आधार बीज तथा बाद में प्रमाणित बीज में गुणात्मक रूप से बढाया जाता है। बीज उत्पादन करने वाली ऐजेंसियों तथा सरकार के कृषि प्रक्षेत्रों की मांग के अनुसार संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा भारत सरकार से प्रजनक बीजों की मांग की गई।

- विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2005-10 के दौरान प्रजनक बीजों की प्राप्ति में पाँच से 93 प्रतिशत की, आधार बीजों के उत्पादन में तीन से 94 प्रतिशत, प्रमाणित बीजों के उत्पादन में छः से 99 प्रतिशत तथा प्रमाणित बीजों के वितरण में सात से 100 प्रतिशत तक की कमी रही जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है । संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा कमी के लिये बीजों की अनुपलब्धता, खराब मौसम की स्थिति, जिलास्तर के अधिकारियों द्वारा बीज उत्पादन की योजना का क्रियान्वयन न करने को जिम्मेदार ठहराया गया । बीजों की कमी जो कि एक महत्वपूर्ण आदान थे से कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ा।

**अस्वीकार्य बीजों पर ₹ 34.17 लाख आर्थिक सहायता का भुगतान।**

- दस वर्ष के भीतर अधिसूचित किस्मों के बीजों पर आर्थिक सहायता देय थी। यह देखा गया कि एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के तहत 11 कृषि उप संचालकों द्वारा 2006-10 के दौरान 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों के 6973.13 क्विन्टल बीजों पर ₹ 34.17 लाख की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया । उप संचालकों, कृषि ने कहा कि किसानों की मांग तथा बीजों की उपलब्धता के आधार पर वितरण किया गया । इसके कारण अस्वीकार्य बीजों पर आर्थिक सहायता अनुदान का भुगतान हुआ ।

**कृषकों को बीज का वितरण निर्धारित दिनांक से पहिले सुनिश्चित नहीं किया गया।**

- खरीफ तथा रबी मौसमों के लिये निर्धारित दिनांकों से पहले हितग्राहियों को बीजों का वितरण किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि छः जिलों में सूरजधारा,अन्नपूर्णा योजना एवं बीज ग्रामयोजना के तहत वर्ष 2008-10 के दौरान 3628.84 क्विंटल बीज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को 16 दिन से 69 दिनों के बीच की देरी से प्रदाय किया गया। उप संचालकों, कृषि द्वारा बताया गया कि पूर्तिकर्त्ता एजेन्सियाँ बीज समय से प्रदाय करने में विफल रही।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के आक्षेप को स्वीकार किया और कहा गया कि उपसंचालकों कृषि को योजना की गाइड लाइन्स के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

### *3.1.8.3 अप्रभावी फसल प्रदर्शन*

**प्रदर्शन प्रभावी रूप से नहीं किए गए।**

योजनाओं[6] में किसानों को नवीनतम किस्म के बीजों के उपयोग एवं नई तकनीक के माध्यम से उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए शिक्षित करने हेतु उनके खेतों पर प्रदर्शन की परिकल्पना की गयी। वर्ष 2005-10 के दौरान योजनावार प्रदर्शनों में लक्ष्यों से औसत तीन से 95 प्रतिशत तक कमी रही जो कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शायी गयी है । लेखापरीक्षा में देखा गया कि आई.सी.डी.पी. तथा आर.के.वी.वाई योजना के तहत प्रदर्शनों में 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों के बीजों का प्रयोग किया गया। विभागीय नियमावली के अनुसार प्रदर्शनों से पहले चयनित किसानों तथा विभाग के बीच बंधक प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। नियंत्रण क्षेत्रों (किसान द्वारा अपनाई गयी पारंपरिक तकनीक) जैसे : एरिया, उपयोग किये गये बीज की मात्रा एवं गुणवत्ता, खाद, सूक्ष्म

6 *राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत मक्का विकास कार्यक्रम, एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, कपास विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।*

पोषक तत्वों के विवरण सहित अभिलेख विस्तार कार्यकत्ताओं द्वारा तैयार नही किये गये, जिसके फलस्वरूप नियंत्रण क्षेत्रों और प्रदर्शन क्षेत्रों के बीच तुलना नहीं की जा सकी। विभागीय नियमावली में दिये निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन पंजी तैयार नही की गयी। उच्च अधिकारियों द्वारा विभागीय निरीक्षणों का अभिलेख भी तैयार नहीं किया गया। प्रदर्शन के परिणामों को संचालनालय द्वारा संकलित एवं प्रकाशित नहीं किया गया। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि कमी का कारण जिला अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनों का न करना एवं सूखा था। उप संचालकों, कृषि द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में प्रदर्शन करने के तरीकों को अपनाया जायगा। उपरोक्त निष्कर्ष से यह तथ्य सिद्व होता है कि प्रदर्शन प्रभावी ढंग से नही किये गये जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि पद्धति एवं प्रावधानों को अपनाने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

### *3.1.8.4 बीज मिनिकिट्स का वितरण*

बीज मिनिकिट्स किसानों के बीच अधिक उपज देने वाली बीज की नवीनतम किस्मों का परिचय एवं लोकप्रियता बनाने के लिये थे। 10 वर्ष के भीतर अधिसूचित नये किस्म के बीज मिनिकिट्स में प्रयोग किये जाने थे। अच्छी गुणवत्ता के बीज उपचार रयासन युक्त मिनिकिट्स किसानों को मुफ्त वितरित किये जाने थे। चयनित जिलों के उप संचालकों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि :

**मिनिकिट्स निर्धारित दिनांक के बाद वितरित किये गये तथा उनके निकॉ को संकलित नहीं किया गया।**

- आइसोपाम योजना के अन्तर्गत, नमूना जाँच किये गए नौ जिलों[7] द्वारा वर्ष 2005-10 के दौरान वितरित 47,658 मिनिकिट्स में 10 वर्ष से अधिक पुराने अधिसूचित किस्म के बीज का उपयोग किया गया।

- आठ उपसंचालकों कृषि द्वारा 1,19,818 मिनिकिट्स निर्धारित दिनांक निकल जाने के बाद वितरित किये गये क्योंकि ये जिलों में देरी से प्राप्त हुए थे ।

- वितरित किये गये मिनिकिट्स के निष्कर्षो का संकलन जिला स्तर पर नहीं पाया गया तथा संचालनालय को नहीं भेजा गया जिसके कारण इनके परिणाम हितग्राहियों को प्रदर्शित नहीं किये जा सके।

- छः उप संचालकों कृषि द्वारा एन.एफ.एस.एम.-गेहूं/चावल के तहत वर्ष 2007-10 के दौरान 37,403 बीज मिनिकिट्स निर्धारित दिनांक के बाद किसानों को वितरित किये गये। यह भी देखा गया कि चार उप संचालकों, कृषि के अभिलेखों में 18,513 मिनिकिट्स वितरण के संबंध में हितग्राहियों की पावतियाँ उपलब्ध नहीं थी।

उप संचालकों कृषि ने कहा (मई - दिसम्बर 2010) कि मिनिकिट्स का देरी से वितरण का कारण पूर्तिकर्त्ता एजेन्सी द्वारा देरी से मिनिकिट्स प्रदाय किया जाना था। निर्धारित दिनांक के बाद बीज

7 *भोपाल 1600, बुरहानपुर 1800, डिंडोरी 2113, ग्वालियर 1200, झाबुआ 11074, मंदसोर 14706, पन्ना 3900, शहडोल 9164 एवं शिवपुरी 2101।*

मिनिकिट्स वितरण से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि मिनिकिट्स की समय से पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार से निवेदन किया जावेगा तथा उपसंचालकों कृषि को निर्धारित समय से पूर्व किसानों को मिनिकिट्स प्रदाय करने के लिये निर्देशित किया जावेगा । विभाग ने भविष्य में नियमों के पालन हेतु आश्वासन दिया।

### *3.1.8.5 प्रक्षेत्र प्रबन्धन*

**शासकीय प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन में 14 से 50 प्रतिशत तक की कमी पायी गई।**

विभिन्न उन्नत कृषि पद्वतियों का प्रदर्शन एवं किसानो के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये तथा विभिन्न फसलों के विश्वसनीय/उन्नत बीज की गुणात्मक वृद्वि/आपूर्ति के लिये विभाग द्वारा राज्य में 49 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना की गयी थी जिनमें से एक प्रक्षेत्र 2008-09 से क्रियाशील नहीं था। विभागीय नियमावली के अनुसार केवल उन प्रक्षेत्रों को छोड़ कर जो प्रशिक्षण केन्द्र से संलग्न थे, विभाग के सभी कृषि प्रक्षेत्रों को वाणिज्यिक संस्थाऐं होना चाहिए।

**तालिका 3.9** में दर्शाए गए प्रक्षेत्रों में खेती एवं उत्पादन के विवरण से 2005-06 से 2009-10 के दौरान कृषि योग्य क्षेत्र के उपयोग में 31 से 49 प्रतिशत (खरीफ) तथा 37 से 54 प्रतिशत (रबी) तथा बीज उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में 14 से 50 प्रतिशत तक की कमी प्रकट हुई।

**तालिका 3.9 : कृषि योग्य क्षेत्र के उपयोग तथा बीज उत्पादन की स्थिति**

*( क्षेत्र हेक्टेयर में, उत्पादन क्विन्टल में)*

| वर्ष | प्रक्षेत्रों की संख्या | कुल क्षेत्र | कृषि योग्य क्षेत्र | मौसम | बुवाई क्षेत्र | कृषि योग्य क्षेत्र की कमी प्रतिशत | उत्पादन | | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | लक्ष्य | पूर्ति | |
| 2005-06 | 49 | 2709.79 | 1777.40 | खरीफ | 902.98 | 49 | 11000.00 | 7030.83 | 36 |
| | | | | रबी | 1124.22 | 37 | 12220.00 | 10467.32 | 14 |
| 2006-07 | 49 | 2709.79 | 1777.40 | खरीफ | 908.51 | 49 | 12000.00 | 8643.93 | 28 |
| | | | | रबी | 1058.78 | 40 | 14484.00 | 11110.47 | 23 |
| 2007-08 | 49 | 2709.79 | 1777.40 | खरीफ | 1131.12 | 36 | 12165.00 | 8358.59 | 31 |
| | | | | रबी | 953.80 | 46 | 11484.00 | 9564.86 | 17 |
| 2008-09 | 48 | 2669.85 | 1742.82 | खरीफ | 1043.95 | 40 | 12165.00 | 9068.35 | 25 |
| | | | | रबी | 981.45 | 44 | 13920.00 | 8105.46 | 42 |
| 2009-10 | 48 | 2669.85 | 1742.82 | खरीफ | 1193.90 | 31 | 13299.00 | 6643.41 | 50 |
| | | | | रबी | 808.30 | 54 | 13920.00 | 8576.35 | 38 |

**(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)**

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि भूमि का कुछ भाग वर्षा का पानी इकट्ठा होने के कारण उपयोग नही किया जा सका तथा कुछ भाग हरी खाद के उत्पादन के लिये छोड़ दिया गया । प्रक्षेत्रों के कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये । उनके द्वारा सिंचाई की सुविधा का अभाव, प्राकृतिक आपदाओं, बीज में अंकुरण की कमी तथा अल्प वर्षा को कम उत्पादन के लिये जिम्मेदार ठहराया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रक्षेत्रों के उत्पादन हेतु उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र उपयोग नहीं किये गये ।

- विभागीय नियमावली के प्रावधान के तहत प्रत्येक प्रक्षेत्र के क्रियान्वयन की जिला/सम्भाग तथा राज्य स्तर पर वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए । अगर यह पाया जाता है कि प्रक्षेत्र आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है तो विभाग इस तरह के प्रक्षेत्र को तुरन्त बन्द कर सकता

है । राज्य के बीज प्रक्षेत्रों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि **तालिका 3.10** में दर्शाये अनुसार विभिन्न प्रक्षेत्रों का व्यय उनकी आय से अधिक था तथा प्रक्षेत्र अनुत्पादक थे तथा हानि में चल रहे थे ।

**तालिका 3.10 : प्राप्त आय से अधिक व्यय**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | प्रक्षेत्रों की संख्या | व्यय | आय | आय से अधिक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 11 | 1.22 | 0.86 | 0.36 |
| 2006-07 | 15 | 1.06 | 0.75 | 0.31 |
| 2007-08 | 10 | 0.50 | 0.32 | 0.18 |
| 2008-09 | 9 | 0.81 | 0.64 | 0.17 |
| 2009-10 | 15 | 2.07 | 1.10 | 0.97 |
| **योग** | **60** | **5.66** | **3.67** | **1.99** |

**(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ो के अनुसार)**

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने आश्वासन दिया कि हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

- नमूना जाँच किये गये जिलों में 15 प्रक्षेत्रों द्वारा विभागीय नियमावली भाग-I तथा भाग-II के पैरा 10(XIV) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2005-10 के दौरान वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये ।

- अप्रचलित/अनुपयोगी कृषि यंत्र वर्ष 2005-10 के दौरान प्रक्षेत्रों में पाये गये तथा अपलेखन/नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

निर्गम सम्मेलन में उपरोक्त लेखापरीक्षा आक्षेपों से विभाग सहमत हुआ तथा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

**उधारी पर बेचे गए ₹ 2.67 करोड़ के बीजों का मूल्य विभिन्न एजेन्सियों से वसूल नहीं किया गया।**

- उत्पादित बीज उधारी पर विभिन्न ऐजेंसियों को विक्रय किया गया लेकिन विक्रय से राशि ₹ 2.67 करोड़ इन ऐजेन्सियों से वसूल नहीं किये गये (मार्च 2010)। इसी प्रकार बीज तथा खाद राशि ₹ 1.22 करोड़ नमूना जाँच किये गये जिलों के 13 प्रक्षेत्रों द्वारा विभिन्न ऐजेन्सियों को उधारी पर विक्रय किया लेकिन उसकी वसूली अभी तक किया जाना शेष था। प्रक्षेत्रों के अधीक्षकों ने कहा कि लम्बित बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही जारी है। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने राशि की वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

### *3.1.8.6 जल संसाधन प्रबन्धन-अपूर्ण तालाबों पर व्यय*

किसानों के खेतों में सिंचाई के उद्देश्य से वर्षा के जल संग्रहण करने की दृष्टि से खेत तालाब योजना वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा सभी श्रेणी के किसानों के लिये प्रारंभ की गयी । किसानों को योजना में बताए गए तीन मोडल में से एक को चुनना था जिसके लिए चिन्हित किसानों को तालाबों की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा ₹16,350 प्रति तालाब के हिसाब से, दो किस्तों में भुगतान किया जाना था। पहली किश्त तालाब का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात तथा दूसरी किश्त पहली किश्त मिलने के तीन माह के अन्दर (वर्षा के मौसम को छोड़कर)

कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जाना था। योजना में तालाब में अंदर आने / बाहर जाने का निर्माण कार्य आवश्यक था । योजना 2008-09 से बन्द कर दी गयी। हितग्राहियों को भुगतान होने से पूर्व कार्य का मूल्यांकन करते समय माप पुस्तिका में इन्द्राज करना आवश्यक था ।

**खेत तालाबों के अपूर्णता के कारण भुगतान की गई ₹1.05 करोड़ की सहायता निष्फल रही।**

- ग्यारह सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 1,015 प्रकरणों में जिन किसानों को पहली किश्त ₹ 68.53 लाख का भुगतान किया गया उनके द्वारा चयन किये माडल के आकार के अनुसार तालाब पूर्ण नहीं पाये गये । चूंकि मानक आकार के तालाब बनाने में किसान विफल रहे, सिंचाई हेतु आवश्यक तालाब की कम से कम पानी धारण की क्षमता नमूना जाँच किए गए सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों के मामलों में सुनिश्चित नही की जा सकी । इस तरह योजना के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए ।

- राशि ₹1.31 करोड़ की सहायता का छः सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा 982 किसानों को पूर्ण भुगतान किया गया जिन्होने अपने तालाबों में अन्दर आने तथा बाहर जाने का निर्माण कार्य नहीं कराया था ।

- छः सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत 252 तालाबों, जिसके लिये ₹ 36.40 लाख के रूप में पहली किश्त का भुगतान किया गया, 2008-09 के दौरान अपूर्ण रहे। जिसके फलस्वरूप मानक आकार के तालाबों का निर्माण नहीं हुआ तथा किया गया व्यय निष्फल रहा ।

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों ने कहा कि किसानों ने मानक आकार के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में दिलचस्पी नहीं ली । निर्गम सम्मेलन में विभाग लेखापरीक्षा आक्षेपों से सहमत था ।

सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में बलराम तालाब योजना प्रारम्भ की गयी जिसका उद्देश्य तालाब निर्माण के द्वारा खेत तालाब योजना से अधिक क्षेत्र सिंचित करना था । किसानों द्वारा योजना में बताए गए चार माडलों में से एक माडल चुना जाना था जिसके लिये तालाब की लागत की 50 प्रतिशत सहायता (छोटे तथा सीमान्त किसानों), 40 प्रतिशत सहायता (दूसरे किसानों) तथा 75 प्रतिशत सहायता (अनुसूचिति जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों) जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 1,00,000 (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों लिये) तथा ₹ 80,000 (दूसरे किसानों) दो किश्तों में खेत तालाब योजना की तर्ज पर चयनित किसानों को भुगतान किया जाना था। किसानों को योजना में निर्धारित किए अनुसार माडल में मानक आकार, गहराई तथा ढलान का पालन किया जाना था। योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार तालाबों में अन्दर आने/बाहर जाने का निर्माण कार्य किसानों के लिए आवश्यक था ।

- आठ सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 504 प्रकरणों में से 127 प्रकरणों में वर्ष 2007-10 के दौरान तालाबों के लिये पहली किश्त के रूप में ₹ 48.35 लाख भुगतान किये लेकिन कार्य पूर्ण नही हुये ।

**बलराम तालाब निर्माण करने हेतु निर्धारित मानको का पालन करने में किसान विफल रहे ।**

- नमूना जाँच किये गये पाँच सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 223 प्रकरणों में किसानों द्वारा तालाब में अन्दर आने तथा बाहर जाने का निर्माण कार्य नही कराया गया, लेकिन वर्ष 2008-10 के दौरान पूर्ण सहायता के रूप में ₹1.78 करोड़ का भुगतान किया गया । यह भी देखा गया कि इसके बावजूद कि किसानों ने बलराम तालाब में निर्धारित ढ़लान, गहराई तथा क्षमता के अनुसार कार्य नही कराया, चार सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता के रूप में ₹ 43.80 लाख का भुगतान किया गया ।

- यह भी देखा गया कि सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी छत्तरपुर द्वारा 29 किसानों को वर्ष 2008-09 में सहायता की राशि ₹17.98 लाख का भुगतान किया गया, लेकिन माप पुस्तिका में माप दर्ज नहीं की गयी थी ।

यह बताये जाने पर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों ने उत्तर दिया कि किसानों ने अनुमोदित विशिष्ठयों (मानक आकार) के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया ।

खेत तालाब एवं बलराम तालाब दोनों योजनाओं में किसानों के लिये पहली किश्त प्राप्त करने के बाद कार्य पूर्ण करने हेतु कानूनी बन्धन का प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामतः किसानों ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया और अपूर्ण कार्यो पर किया गया व्यय निष्फल रहा । निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने मामलों की जाँच करने तथा सुधारात्मक कदम उठाने का आवश्वासन दिया ।

### *3.1.8.7 परकोलेशन/लघु सिंचाई तालाबों की खराब निगरानी एवं उपयोगकर्त्ता समूहों को हस्तांतरित न किया जाना*

**परकोलेशन/लघु सिंचाई तालाबों (135) को निर्माण के पश्चात उपयोगकर्त्ता समूहों को हस्तांतरित नहीं किया गया।**

सरकार द्वारा जारी निर्देशों (दिसम्बर 2000) के अनुसार निर्मित परकोलेशन तालाब/लघु सिंचाई तालाब उनकी मरम्मत और जल संसाधनों के रख रखाव हेतु बनाए गए उपयोगकर्त्ता समूहों को सौंपा जाना था। सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा जल संसाधन के सृजन से पहले तथा बाद के जलस्तर, सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन पर निगरानी रखी जानी थी। 14 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों[8] द्वारा वर्ष 2005-10 के दौरान 313 परकोलेशन तालाबों का निर्माण राशि ₹14.47 करोड़ की लागत से किया गया लेकिन योजना में निर्धारित अनुसार उचित निगरानी नहीं की गयी। इसके अलावा 13 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों[9] के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि 135 परकोलेशन तालाबो/लघु सिंचाई तालाबों के निर्माण कार्य वर्ष 2006-10 के दौरान पूर्ण किये गये एवं कार्यों पर राशि ₹ 7.26 करोड़ व्यय की गई लेकिन उपयोगकर्त्ता समूहों को हस्तांतरण

---

8 *बालाघाट (₹ 55.00 लाख), बैतूल (₹ 61.50 लाख), भैंसदेही (₹ 31.39 लाख), भोपाल (₹ 115.44 लाख), बुरहानपुर (₹ 34.76 लाख), छतरपुर (₹ 85.62 लाख), ग्वालियर (₹ 151.93 लाख), जावरा (₹ 176.25 लाख), जोबट (₹ 25.39 लाख), मंदसौर (₹ 91.22 लाख), पन्ना (₹ 366.60 लाख), रतलाम (₹ 103.91 लाख), रतलाम आर.वी.पी. (₹ 118.29 लाख) एवं थांदला (₹ 29.80 लाख)।*

9 *बैतूल (₹ 38.00 लाख), भैंसदेही (₹ 2.35 लाख), भोपाल (₹ 101.17 लाख), बुरहानपुर (₹ 34.76 लाख), छतरपुर (₹ 64.90 लाख), डिंडोरी (₹ 77.18 लाख), ग्वालियर (₹ 189.20 लाख), जावरा (₹ 19.17 लाख), जोबट (₹ 14.99 लाख), मंदसौर (₹ 61.47 लाख), रतलाम (₹ 14.61 लाख), रतलाम आर.वी.पी. (₹ 93.62 लाख) एवं थांदला (₹ 14.83 लाख)।*

नहीं किया गया। वर्ष 2005-10 के दौरान विभिन्न् योजनाओं के तहत स्वीकृत 69 परकोलेशन टैंकों/लघु सिंचाई तालाबों के ₹ 2.52 करोड़ के निर्माण कार्य अपूर्ण थे। सम्बन्धित सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों ने कहा कि जितना जल्दी सम्भव हो, जल संरचनाओं को हस्तांतरण कर दिया जायेगा। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने प्रकरणों की जाँच करने और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

### *3.1.8.8 भूमि और जलक्षमता का उपयोग*

शुद्ध बुवाई क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र की वर्ष 2005-09 के दौरान स्थिति **तालिका 3.11** में दर्शायी गयी है।

**तालिका 3.11 : शुद्ध बुवाई क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र**

*( क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)*

| वर्ष | शुद्ध बुवाई क्षेत्र | सिंचित क्षेत्र (शुद्ध बुवाई क्षेत्र का प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 2005-06 | 150.74 | 56.82 (37.69) |
| 2006-07 | 148.38 | 63.65 (42.90) |
| 2007-08 | 147.90 | 64.18 (43.39) |
| 2008-09 | 150.44 | 65.06 (43.25) |

**( स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़े)**

**वर्ष 2005-09 के दौरान सिंचित क्षेत्र शुद्ध वुवाई क्षेत्र का 38 से 43 प्रतिशत था ।**

सिंचित क्षेत्र शुद्ध वुवाई क्षेत्र का 37.69 से 43.39 प्रतिशत था और सिंचाई उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किये जाने के बावजूद 2005-09 के दौरान सिंचित क्षेत्र में मामूली वृद्धि हुई थी जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

**विभाग क्रियाशील /अक्रियाशील सिंचाई संरचनाओं का अभिलेख रखने में विफल रहा ।**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2005-10 के दौरान 1.95 लाख हैक्टेयर आश्वासन सिंचाई क्षमता (एश्योर्ड इरीगेशन पोटेशियल) विकसित की गयी, जिसमें से 44 प्रतिशत क्षमता भूमिगत जल के उपयोग से विकसित की गयी। 1.08 लाख हैक्टेयर और 1.64 लाख हैक्टेयर की आश्वासन सिंचाई क्षमता क्रमशः वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान विभाग द्वारा विकसित की गयी लेकिन सिंचित क्षेत्र केवल क्रमशः 0.53 लाख हैक्टेयर और 0.88 लाख हैक्टेयर बढ़ा। विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित जल की क्षमता के वास्तविक उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख संचालनालय स्तर पर नहीं रखे गये। उपरोक्त तथ्य से विदित होता है कि विभाग यह आंकलन तथा निगरानी करने में विफल रहा कि सिंचाई स्त्रोत क्रियाशील या अक्रियाशील थे। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया और कहा कि अभिलेख रखने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

### *3.1.8.9 किसानों का अंश प्राप्त न करना*

**₹42.95 लाख का किसानो का अंश जमा नहीं किया गया।**

किसान कल्याण योजनाओं में कृषि आदानों और कृषि उपकरणों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान की परिकल्पना की गयी थी। किसानों को आदानों की लागत का एक भाग अपने अंश के रूप में वहन करना था। तदनुसार सहायता प्रदान करते समय विभाग को किसानों का अंश संग्रहित करना चाहिये था। 13 उपसंचालकों कृषि में से दो (बेतूल तथा डिन्डोरी) उप संचालक कृषि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि किसानों के अंश की राशि ₹42.95 लाख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा प्राप्त तथा जमा नहीं की गयी । निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने कहा कि राशि को जमा करने की कार्यवाही की जायेगी ।

## 3.1.9 योजनाओं का क्रियान्वयन

निष्पादन लेखापरीक्षा में समीक्षा की गयी मुख्य योजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी शिथिलता के सम्बन्ध में आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

### *3.1.9.1 विस्तार सुधारों के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन योजना*

'विस्तार सुधारों के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' योजना वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा देशभर में कृषि विस्तार सुधारों का परिचालन करने के लिये आरंभ की गई। योजना का उद्देश्य कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी प्रसार और कृषि प्रौद्योगिकी का विकास लाने के लिये था। इस योजना के लिये आवश्यक संसाधनों को केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में बाँटा जाना था । राज्य के 10 प्रतिशत हिस्से में राज्य का, लाभार्थियों का और/या गैर सरकारी संगठनो का योगदान शामिल था। अलग से राज्य तथा जिला स्तर के लिये वर्गीकृत गतिविधियों का केफेटेरिया[10] योजना में लिया जाना था । जिला स्तर पर गतिविधियों पर व्यय केफेटेरिया में तय सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिए था एवं लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर 10 प्रतिशत योगदान लाभार्थियों से लिया जाना था । जो बाद में बदल कर (जुलाई 2007) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषकों से पांच प्रतिशत कर दिया गया था।

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने पर निम्न कमियाँ पाई गईः

**आत्मा परियोजना के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में कमियां पायी गयी।**

आत्मा केफेटेरिया के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य गतिविधियों के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया है। विभिन्न क्रियाकलापों में कमी 26 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कमी के लिये लोक सभा, विधान सभा (2008-09) तथा स्थानीय निकायों के चुनाव (2009-10) को जिम्मेदार ठहराया। नमूना जाँच किए गए उपसंचालकों कृषि के अभिलेखों में पाया गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का कारण स्टॉफ की कमी, लक्ष्यों का लगातार संशोधन/ देरी से प्राप्त होना तथा लक्ष्यों के अनुसार धन देर से/प्राप्त न होना थे। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने आडिट आपत्तियों को स्वीकार किया ।

- ₹ 5.35 करोड़ का व्यय जिला स्तरीय गतिविधियों के लिये राज्य स्तर पर लागू सीमा से अधिक किया गया । नमूना जाँच किये गए नौ जिलों[11] में ₹ 1.27 करोड़ का व्यय उपसंचालको कृषि द्वारा सीमा से अधिक किया गया। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि उप संचालकों कृषि को प्रावधानों का पालन करने के लिये निर्देश जारी किये जायेगें ।

**श्रेणी वार हितग्राहियों का अभिलेख नहीं रखा गया और हितग्राही योगदान का योजना में उपयोग नहीं किया गया।**

- न तो संचालनालय और न हीं उप संचालकों कृषि द्वारा जिलास्तर पर किसान उन्मुख गतिविधियों हेतु हितग्राही योगदान संबंधी जानकारियां और श्रेणीवार अनुसूचित

10 *केफेटेरिया का मतलब एक दस्तावेज है जो योजना की प्रत्येक गतिविधि के लिये लागत मानक एवं लागू सीलिंग दर्शाता है।*

11 *बालाघाट (₹ 17.12 लाख), बैतूल (₹ 13.96 लाख) भोपाल (₹ 10.36 लाख), झाबुआ (₹23.80 लाख) मंदसौर (₹ 14.17 लाख), पन्ना (₹ 12.23 लाख), रतलाम (₹ 13.84 लाख), शहडोल (₹ 5.16 लाख) एवं शिवपुरी (₹ 16.59 लाख)।*

जाति/अनुसूचित जन जाति, महिला हितग्राहियों और उन पर किया गया व्यय का अभिलेख उपलब्ध था। नमूना जाँच किये गये सात जिलों में राज्य के हिस्से के रूप में माने गये ₹18.12 लाख के हितग्राही अंशदान यद्यपि प्राप्त किये गये पर उपयोग नहीं किये गये और बैंक खाते में रखे गये। नमूना जाँच किये गये 11 जिलों[12] में अंशदान राशि ₹ 10.08 लाख जिसकी गणना न्यूनतम दर पर की गई थी वह भी हितग्राहियों से प्राप्त नही की गई। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि हितग्राही अंशदान इस वर्ष से राज्य सरकार के हिस्से में शामिल किया जायेगा।

- योजना में जिला स्तर की गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भागीदारी के लिये निधियों को जारी करने का प्रावधान था। वर्ष 2008-10 के दौरान धनराशि ₹ 9.04 करोड़ 20 गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किये गये, जिसमें से 12 गैर सरकारी संगठनों[13] ने उन्हें प्रदाय की गई धनराशि से अधिक राशि ₹ 92.35 लाख व्यय किये और ₹ 63.81 लाख अभी भी मार्च 2010 के अन्त तक आठ गैर सरकारी संगठनों[14] के पास उपलब्ध थे। ये निधियां स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों द्वारा वापस नहीं की गयी थी। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि आवश्यक समायोजन के लिये चालू वर्ष में कार्यवाही की जायेगी ।

### *3.1.9.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन*

चिहिन्त जिलों में चावल, गेहूँ और दालों के स्थायी तौर पर क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (एन.एफ.एस.एम.) को 2007-08 में शुरू किया गया था। इस योजना के तीन घटक जैसेः एन.एफ. एस.एम.-चावल, एन.एफ.एस.एम.-गेहूँ, तथा एन.एफ.एस.एम.-दलहन थे। योजना के उद्देश्य रोजगार के अवसरों के सृजन के अलावा, व्यक्तिगत प्रक्षेत्र स्तर पर खेत की मिट्टी की उर्वरता बहाल रखना और उत्पादकता में वृद्धि करना था। योजना के तहत चावल के लिये नौ जिलों[15], गेहूँ के लिये 30 जिलों और दलहनों के लिये 20 जिलों की पहचान की गयी। योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में निम्न अनियमितताऐं पायी गयी।

---

12 *बालाघाट (₹ 1.16 लाख), बैतूल (₹ 1.10 लाख), भोपाल (₹ 0.85 लाख), बुरहानपुर (₹ 0.24 लाख), डिंडोरी (₹ 1.73 लाख), ग्वालियर (₹ 0.20 लाख), झाबुआ (₹ 0.76 लाख), मंदसौर (₹ 0.88 लाख), पन्ना (₹ 0.62 लाख), शहडोल (₹ 0.95 लाख) एवं शिवपुरी (₹ 1.59 लाख)।*

13 *ए.सी.सी.ई.एस.एस. (₹ 2.75 लाख), बी.ए.आई.एफ. (₹ 9.97 लाख), सी.ए.आर.डी. (₹ 3.03 लाख), डी.ए.डब्ल्यू.ए.टी. (₹ 10.65 लाख), जी.व्ही.टी. (₹ 5.85 लाख), के.जे.ई.डी.यू. (₹ 5.48 लाख), मंथन ₹ 3.33 लाख) एन.आई.सी.टी. (₹ 2.92 लाख), एन.आई.डब्ल्यू.सी.वाय.डी. (₹ 5.75 लाख), प्रदान (₹ 21.49 लाख) सतपुरा (₹ 7.32 लाख) एवं सृजन (₹ 13.81 लाख)।*

14 *ए.एस.ए. (₹ 3.73 लाख), आई.एस.ए.पी. (₹ 2.32 लाख), आई.टी.सी. (₹ 31.08 लाख), एम.सी.एम. (₹4.17 लाख), एम.जी.पी. (₹2.87 लाख), एम.पी.आर.एल.पी. (₹ 16.35 लाख), पी.बी. (₹ 0.58) एवं समरपन (₹ 2.71 लाख)।*

15 *अनूपपुर, दमोह, डिंडोरी, कटनी, मंडला, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल।*

➢ एक परियोजना प्रबन्धन टीम (पी.एम.टी.) तकनीकी विशेषज्ञों को मिलाकर प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण और मिशन के क्रियान्वयन के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर गठित की जाना थी। पी.एम.टी. द्वारा तकनीकी सलाह/सेवा देने की आवश्यकता थी जिसके लिये विशेषज्ञों (सलाहकारों और तकनीकी सहायकों) को अनुबन्ध पर रखा जाना था। 64 सलाहकारों और 202 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 23 सलाहकार और 98 तकनीकी सहायक कार्य कर रहे थे। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखा परीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया तथा रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया।

**मिट्टी की निर्धारित सीमा सुनिश्चित किये बिना सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ₹ 5.08 करोड़ की सहायता का भुगतान किया गया।**

➢ योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिये सहायता अनुदान ऐसे कृषकों को दी जानी थी, जिनकी मिट्टी में कमी थी तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अखिल भारतीय मिट्टी एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एल.यू.एस.) द्वारा परिभाषित सीमा से कम थी। जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा हितग्राहियों की सूची का चयन ग्राम/जिला पंचायतों की सलाह पर किया जाना था। वर्ष 2007-10 के दौरान आठ नमूना जांच किये गये जिलों[16] में कृषकों को 1,16,892.62 हेक्टेयर के लिये सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिये राशि ₹ 5.08 करोड़ सहायता अनुदान का भुगतान आवश्यक सीमा सुनिश्चित किये बिना किया गया। हितग्राहियों के चयन की सूची भी अनुदान के भुगतान के पूर्व जिला खाद्य सुरक्षा कार्यकारी समिति द्वारा तैयार नहीं पाई गई। उप संचालकों कृषि द्वारा मिट्टी परीक्षण में कमी का कारण मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधा की अनुपलब्धता बताया। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने लेखापरीक्षा के आक्षेपों को स्वीकार किया और कहा कि डी.एफ.एस.एम.ई.सी.के अध्यक्षों को निर्देश जारी किये जावेंगे कि भुगतान के पूर्व हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।

**डीजल/विद्युत पंप सेटों पर ₹ 4.92 करोड़ की सहायता का भुगतान भूजल के वर्गीकरण को सुनिश्चित किये बिना किया गया।**

➢ योजना मार्गदर्शिका के पैरा 14.5 के अनुसार डीजल/विद्युत पम्प के लिये सहायता अनुदान जिले के उन विकास खण्डों में देय होगी जो केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये डार्क एवं ब्राउन[17] क्षेत्रों में वर्गीकृत नहीं किये गये हों। ए.आई.एस.एल.यू.एस.एवं भू जल बोर्ड/लघु सिंचाई के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टरों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला परिषद की अध्यक्षता में हितग्राहियों के चयन के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना था। लेकिन जिलों में हितग्राहियों की पहचान के लिये ऐसी समितियों का गठन नहीं किया गया एवं जिलों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा डार्क एवं ब्राउन खण्डों को वर्गीकृत करने वाला प्रतिवेदन नहीं था। आठ उप संचालकों कृषि[18] द्वारा वर्ष 2007-10 के दौरान 5,017 कृषकों को भूजल

16 *बालाघाट (₹ 40.40 लाख), बेतूल (₹ 28.48 लाख), छत्तरपुर (₹ 114.65 लाख), डिण्डोरी (₹ 15.28 लाख), झाबुआ (₹ 13.61 लाख), पन्ना (₹ 178.66 लाख), शहडोल (₹ 65.05 लाख), शिवपुरी (₹ 51.76 लाख)।*

17 *डार्क/ब्राउन क्षेत्र का अर्थ वे क्षेत्र जहाँ भू जल स्तर अत्यधिक कम हो।*

18 *बालाघाट (₹ 61.07 लाख), बेतूल (₹ 163.86 लाख), छत्तरपुर (₹ 63.51 लाख), डिण्डोरी (₹ 25.06 लाख), झाबुआ (₹ 46.60 लाख), पन्ना(₹ 47.49 लाख), शहडोल (₹ 5.74 लाख) एवं शिवपुरी (₹ 78.86 लाख)।*

के वर्गीकरण को सुनिश्चित किये बिना राशि ₹ 4.92 करोड़ की सहायता अनुदान का भुगतान डीजल/विद्युत पंप सेट खरीदने हेतु किया गया। निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं भविष्य में प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।

- शासन द्वारा निश्चित किये गये (नवम्बर 2007) प्रतिशत के अनुसार योजना के अन्तर्गत क्रियाकलापों के क्रियान्वयन का विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा कहा गया कि उप संचालकों कृषि को दिशा निर्देशों के अनुसार भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे।

### *3.1.9.3 बीज ग्राम योजना*

आधार /प्रमाणित बीजों के वितरण और चिन्हित ग्रामों के चयनित किसानों को बीज उत्पादन एवं बीज तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान करके फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य हेतु 2005-06 में बीज ग्राम योजना (एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) प्रारंभ की गई थी । योजना के एक प्रावधान के अनुसार 50 से 150 किसानों के समूह को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। प्रारंभ में, फसल बीजों की बोवाई के समय किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था । बाद में, बीज फसलों में फूलों के लगने के शुरूआती चरण में किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी थी और फसल कटाई के बाद और बीजों की तैयारी (प्रोसेसिंग) के समय बीजों की सफाई, बीज ग्रेडिंग, बीज भंडारण और पैकिंग आदि के पहलुओं पर ज्ञान प्रदान करने हेतु अंतिम एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था।

**योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण से वंचित रहे।**

चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दस जिलों[19] में 2005-10 के दौरान विभिन्न फसलों के 1454.41 मीट्रिक टन बीज को 1,03,962 किसानों को वितरित किया गया लेकिन 45,583 (44 प्रतिशत) किसानों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप योजना में बताए अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि धन की कमी के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध थी जिसका संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा उपयोग नहीं किया गया।

**यद्यपि आई सी डी पी योजना वापिस ले ली गई थी, योजना पर राशि ₹98.63 लाख का अनियमित व्यय किया गया।**

### *3.1.9.4 एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम*

भारत सरकार (अगस्त 2007) एवं राज्य शासन (नबम्बर 2007) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिन जिलो को एन एफ एस एम- चावल एवं एन एफ एस एम -गेहूँ योजना हेतु चिन्हित किया गया था उन जिलों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) (चावल/ गेहूँ) वापिस ले ली गई। साथ ही भारत सरकार द्वारा एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों में सहायता

19 *बेतूल (645 कृषक), भोपाल (1116 कृषक), बुरहानपुर (635 कृषक), छत्तरपुर (16146 कृषक), झाबुआ (4206 कृषक), मंदसोर (2480 कृषक), पन्ना (11157 कृषक), रतलाम (863 कृषक), शहडोल (905 कृषक) एवं शिवपुरी (7430 कृषक)।*

की पद्वति संशोधित की गई (जुलाई 2008)। लेकिन लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा 2008-09 के दौरान पुराने एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये जिलों को राशि ₹8.75 करोड़ का आवंटन जारी किया गया। नमूना जांच किये गये छः जिलो में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों के पूर्णतयः विपरीत दोनो घटकों, आई सी डी पी गेहूँ / चावल एवं एन एफ एस एम गेहूँ/चावल लागू की गई। इस प्रकार वर्ष 2007-09 के दौरान आई सी डी पी गेहूँ/चावल योजना में राशि ₹ 98.63 लाख का अनियमित व्यय किया गया। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रकरण की जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

### *3.1.9.5 एकीकृत तिलहन, दलहन, आयॅलपाम एवं मक्का योजना*

शासन के आदेशानुसार (जुलाई एवं अक्टूबर 2001) हितग्राहियों को रियायती दर पर प्रमाणित बीजो का वितरण करने के लिये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा चयनित हितग्राहियो की सूची को जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदित कराकर बीज वितरण हेतु सहकारी समितियों को भेजी जानी थी। बीज वितरण के पश्चात किसानों की पावती सहित सूची को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा बीज प्रदाय संस्थाओं को अनुदान के भुगतान के लिये उप संचालकों कृषि को भेजा जाना था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न कमियाँ पाई गई।

- जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित कृषकों की सूची 10 उप संचालको कृषि[20] में उपलब्ध नही पाई गई। कृषकों को बीज वितरण के वास्तविक दिनांक सहित पावती का अभिलेख नही रखा गया जिसके कारण यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि कृषको को बुवाई के समय से पहले वास्तव में बीज का वितरण किया गया। इस तरह वर्ष 2008-10 के दौरान 6158.70 मैट्रिक टन बीज पर ₹1.78 करोड़ की सहायता वास्तव में लक्षित हितग्राहियों तक पहुची यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा मामले की जांच का आश्वासन दिया एवं कहा कि सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जावेगे ।

- पाँच उप संचालको कृषि[21] द्वारा बीज उत्पादन पर अनुदान (सोयाबीन खरीफ 2007) बीज उत्पादक संस्थाओ को खरीफ 2007 के लिये लागू ₹500 प्रति क्विंटल के स्थान पर ₹1000 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 11828.5 क्विंटल बीज पर ₹59.14 लाख का संस्थाओं को अनियमित अतिरिक्त सहायता का भुगतान किया गया। उपसंचालकों कृषि, भोपाल एवं रतलाम द्वारा सूचित किया गया कि भुगतान किये गये क्योंकि बीजो की ग्रेडिग एवं पैकिंग 2008 के दौरान की गई थी। उत्तर बिन्दु से अलग था क्योकिं खरीफ 2007 में लागू दरों के अनुसार सहायता दिया जाना था।

---

20 *बैतूल (₹17.96 लाख), भोपाल (₹13.24 लाख), बुरहानपुर (₹3.40 लाख), छतरपुर (₹14.07 लाख), डिण्डोरी (₹1.77 लाख), ग्वालियर (₹4.62 लाख), मंदसौर (₹45.19 लाख), पन्ना (₹ 39.12 लाख), रतलाम (₹ 28.51 लाख) एवं शहडोल (₹10.19 लाख)।*

21 *भोपाल (₹4.46लाख), बुरहानपुर (₹5.28 लाख), पन्ना (₹13.34 लाख), रतलाम (₹ 7.80 लाख)एवं शहडोल(₹ 28.26लाख)।*

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने कहा कि बीज उत्पादक समितियों को भुगतान से पहले प्रोक्यूरमेंट दर सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेश जारी किये जावेगे।

### *3.1.9.6 सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना*

सूरजधारा योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लघु एवं सीमांत किसानो को तिलहन एवं दलहन की उच्च उत्पादकता वाली फसलों की खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने का था। इसी तरह अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उपरोक्त किसानो को उच्च उत्पादकता वाली अनाज फसलो को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना था। शासन के आदेशानुसार (मई एवं जुलाई 2000) आधार /प्रमाणित बीजों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा चयनित एवं जनपद पंचायतों द्वारा अनुमोदित हितग्राहियों को रियायती दरों पर वितरण किया जाना था। कृषकों को वितरित बीजों की वास्तविक लागत दर्शाते हुए देयक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा सत्यापन करने के पश्चात बीज प्रदाय संस्थाओं को भुगतान करने के लिये उप संचालको कृषि को भेजा जाना था। हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन विभिन्न स्तर पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत में किया जाना था। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषकों का विस्तृत विवरण दर्शाते हुए एक पंजी संधारित किया जाना था। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा खेतों के निरीक्षण के समय योजना के क्रियान्वयन संबंधी अपने विचार पंजी में दर्ज किये जाने थे एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास को संकलित प्रतिवेदन भेजने हेतु उपसंचालक कृषि को भेजा जाना था। 12 उपसंचालकों कृषि के लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि :

**बीजों पर हितग्राहियों को ₹ 5.98 करोड़ की आर्थिक सहायता का भुगतान सुनिश्चित करने में उप संचालक विफल रहे।**

- किसानों को बीज के वितरण का दिनांक तथा उनकी दिनांकित पावतियां अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी तथा प्राप्ति की तारीखें, बीज वितरण सूचियों में दर्ज नहीं की गयी थी। चयनित कृषको की सूचियाँ तथा जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित किसानों की सूचियां वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों/उपसंचालकों कृषि के पास उपलब्ध नहीं थी। विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापनों के प्रतिवेदन भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसलिये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वर्ष 2005-10 के दौरान ₹2464.29 मैट्रिक टन बीजों पर ₹ 5.98 करोड़ की आर्थिक सहायता वास्तव में हितग्राहियों के पास पहुंची।

- उप संभागीय कृषि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन उपसंचालकों कृषि के पास नहीं भेजे गये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने प्रकरणों की जांच का आश्वासन दिया तथा कहा कि योजना में बताए अनुसार सुधारात्मक उपाय हेतु निर्देश जारी किये जायेगे।

## 3.1.10 गुणवत्ता नियंत्रण

### *3.1.10.1 कृषि आदानों का गुणवत्ता नियंत्रण*

अच्छी गुणवत्ता वाले आदानों (बीज,खाद,तथा कीटनाशक) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य में एक बीज प्रयोगशाला (ग्वालियर), चार खाद प्रयोग शालाएं[22] तथा एक कीटनाशक प्रयोगशाला (जबलपुर) बीज अधिनियम 1966, खाद नियंत्रण आदेश 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम के तहत क्रमशः सरकार ने स्थापित की। भारत सरकार द्वारा (अगस्त 2007) खरीफ अभियान 2007 के लिये जारी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की सिफारशें जिसमें राज्य में बीज जाँच प्रणाली को नवीन तकनीक के उपयोग तथा प्रत्येक जिले में बीज जाँच प्रयोगशाला की स्थापना करने के द्वारा मजबूत करने के लिये निर्देशित किया गया। लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा केवल एक बीज जाँच प्रयोगशाला संचालित की जा रही थी। भारत सरकार द्वारा बीजों,खादों तथा कीट नाशकों पर इन अधिनियमों व आदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करवाने हेतु सरकार ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नामित किया। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2005-10 के दौरान निरीक्षकों को बीजों (27500), खादों (33300) तथा कीटनाशकों (7500) के नमूने लेने की आवश्यकता थी। इन लक्ष्यों के विरूद्ध निरीक्षकों द्वारा बीजों के 19,896 नमूने, खादों के 24,681, तथा कीट नाशकों के 5650 नमूने लिये गये जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्यों में 28 प्रतिशत (बीजों), 26 प्रतिशत (खादों) तथा 25 प्रतिशत (कीटनाशकों) तक की कमी रही जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है। कमी के अलावा 14 से 37 प्रतिशत बीज नमूने तथा 13 से 21 प्रतिशत खाद के नमूने अमानक पाये गये क्योंकि नमूने स्वीकृति योग्य मानकों के सदृश नही थे। 2005-10 के दौरान जिला डिन्डोरी में कीट नाशकों का कोई नमूना नहीं लिया । निर्गम सम्मेलन में विभाग लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमत हुआ तथा बताया कि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तथा कमी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उपसंचालकों कृषि को निर्देश जारी किये जायेंगे ।

### *3.1.10.2 अमानक कृषि आदानों का उपयोग*

**किसानो को अमानक बीज,खाद तथा कीटनाशक विक्रय किये गये थे।**

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि वितरण के लिये उपलब्ध आवश्यक आदान अच्छी गुणवत्ता के होना चाहिये थे। 13 उप संचालकों कृषि के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 2005-10 अवधि के आदानों के नमूने जांच के लिये प्रयोगशालाओं को भेजे गये थे जो कि अमानक पाये गये (बीजः30329.43 क्विन्टल और 290 बैग, खादः 10774.23 टन तथा 7488 बैग तथा कीटनाशकः1303.50 लीटर तथा 399.70 किलोग्राम) जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है। उप संचालकों कृषि ने जिन आदानों के नमूने अमानक पाये गये थे उन का वितरण रोकने के लिये आदेश जारी किये तथा भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति की सूचना देने के लिये वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देशित किया। परन्तु वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थें। इस कारण

22 भोपाल, ग्वालियर इन्दौर एवं जबलपुर।

विक्रय रोकने[23] के आदेश क्रियान्वित होने नही पाये गये। किसानों को अच्छी गुणवत्ता आदानो के वितरण हेतु नमूनों का विशलेषण तथा प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग लेखापरीक्षा की टिप्पणियों से सहमत था तथा अमानक आदानों के वितरण के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

### *3.1.10.3 नाईट्रोजन, फासफेट तथा पोटेशियम का अनुपात सुनिश्चित न किया जाना*

**किसानों को प्रदान की गयी खाद में एन, पी, के अनुपात को बनाये रखने में विभाग असफल रहा ।**

योजना के अन्तिम वर्ष तक नाईट्रोजन (N), फासफेट (P) तथा पोटैशियम (K) खादों के 4:2:1 अनुपात में खपत सुनिश्चित करने हेतु सन्तुलित उपयोग पर विशेष जोर देना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि वर्ष 2007-10 के दौरान एन.पी.के. की खपत का अनुपात क्रमशः 11:6:1, 9:6:1 तथा 10:6:1 था तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुकूल नहीं था। यह देखा गया कि पोटेशियम कम (63 प्रतिशत) प्रयोग किया गया था जबकि फासफेट अधिक (11 प्रतिशत) प्रयोग किया गया। संचालक ने भारत सरकार द्वारा खादों की कम आपूर्ति को कमी के लिये जिम्मेदार बताया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाद के सन्तुलित प्रयोग के लिये विभाग द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप लक्षित खपत का अनुपात बनाये नहीं रखा जा सका । निर्गम सम्मेलन में विभाग ने भविष्य में निर्धारित अनुपात बनाये रखने का आश्वासन दिया ।

### *3.1.10.4 मिट्टी सर्वेक्षण इकाईयाँ*

**वर्ष 2005-10 के दौरान मिट्टी सर्वेक्षण नहीं किया गया ।**

विभागीय नियमावली के परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार मिट्टी सर्वेक्षण इकाईयों द्वारा मिट्टी सर्वेक्षण किया जाना था और मिटटी सर्वेक्षण की जांचो एवं निष्कर्षो का वार्षिक संकलन करना था। यह संकलित की गई जानकारी राज्य की मिट्टी श्रृंखला में अनावश्यक रूपान्तरण/ परिवर्तनों के विशेष संदर्भ सहित संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास को उपयुक्त सुधारात्मक/निवारक उपाय करने हेतु ध्यान में लाई जानी थी। मिट्टी सर्वेक्षण के लिये सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा आठ मिट्टी सर्वेक्षण ईकाइयों[24] की स्थापना की गयी। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005-10 के दौरान मिट्टी सर्वेक्षण नहीं किये गये क्योंकि विभाग ने मिट्टी सर्वेक्षण करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। संचालक ने मिट्टी सर्वेक्षण के साथ-साथ मिट्टी की जाँच के लिये निर्देश जारी किये (जनवरी 2001)। यह भी देखा गया कि इन इकाईयों द्वारा मिट्टी जाँच के लक्ष्यो की प्राप्ति नहीं की गई और 44 से 65 प्रतिशत तक कमी थी। चूंकि ये इकाइयाँ मिट्टी सर्वेक्षण का कार्य नहीं कर रही थी, अतः इन इकाईयों की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। बैतूल मिटटी सर्वेक्षण इकाई द्वारा कोई मिट्टी की जाँच नही की गयी लेकिन वर्ष 2006-09 के दौरान वेतन भत्तों पर ₹62.33 लाख का व्यय किया गया। झाबुआ एवं सीधी इकाईयों द्वारा 2007-08 में मिटटी की जाँच भी नहीं की गयी।

---

23 *प्रयोगशाला जाँच में कृषि आदान अमानक पाये जाने पर उप संचालक कृषि द्वारा उनके भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध के लिये किया जाने वाला एक आदेश।*

24 *बैतूल, दमोह, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, सीधी, टीकमगढ़।*

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा मिट्टी सर्वेक्षण इकाईयों के लिये 2000-01 से बजट आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जिसके फलस्वरूप ये इकाईयाँ मिटटी सर्वेक्षण के कार्य करने में विफल रही एवं उन्हे मिटटी परीक्षण का कार्य दिया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि वास्तविकता को सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया।

### *3.1.10.5 मिट्टी जाँच प्रयोगशाला*

**मिटटी जांच के लक्ष्य प्राप्त नही किये गये।**

मिट्टी विश्लेषण करने के लिये विभाग द्वारा 16 मिट्टी जाँच प्रयोगशालाएं चलाई गयी। लेखापरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2005-10 के दौरान नमूनों के संकलन में कमी 30 से 48 प्रतिशत थी । राज्य में 16 मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं में से 4 प्रयोगशालाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा में जाँच की गयी । यह देखा गया कि प्रत्येक प्रयोगशाला में दो या दो से अधिक जिले समाहित किये गये। संचालक द्वारा जिले वार तथा उपसंचालको द्वारा खण्ड वार मिट्टी नमूने लेने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये लेकिन चयनित जिलों में नमूना संकलन में 16 से 64 प्रतिशत की कमी थी। जाँच प्रयोग शालाओं में वर्ष 2005-10 के दौरान वर्षवार लक्ष्य, उपलब्धि, कमियों का विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है। सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी द्वारा कमी के कारण के संबंध में बताया कि संचालक द्वारा जिलो हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यो के अनुसार विस्तार कार्यकर्त्ताओं द्वारा मिटटी के नमूने संकलित नहीं किये। बजट आवंटन उपलब्ध नहीं थे तथा प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जांच सुविधा उपलब्ध नहीं थी। संचालक, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रयोगशालाओ में प्रशिक्षित स्टॉफ की पदस्थापना एवं आधुनिक उपकरण स्थापित किये जावेगे।

## 3.1.11 मानव संसाधन प्रबन्धन

### *3.1.11.1 संस्वीकृत कर्मचारी संख्या एवं कार्यरत कर्मचारी*

**विभाग में स्टाफ की बहुत कमी पायी गयी।**

संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के पास अपनी अधीनस्थ इकाइयों में पदस्थ कर्मचारियों की विस्तृत स्थिति नहीं थी। 14,218 कर्मचारियों की कुल स्वीकृति संख्या के विरूद्ध संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अन्तर्गत 10,863 कर्मचारी कार्यरत थे। 3,355 की कुल कमी में से तकनीकी कर्मचारियों की कमी 1917 (डी.डी.ए.-9, ए.डी.ए.244, एस.ए.डी.ओ.187, ए.डी.ओ.463 और आर.ए.ई.ओ. 1014) थी। संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी के अन्तर्गत स्वीकृति संख्या 1142 के विरूद्ध 801 कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति थी। मार्च 2010 की स्थिति में विभाग की स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाई गयी है। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि उपसंचालकों, कृषि के पद भरे गये थे। अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की पदस्थापना के लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिये सहमत था।

### 3.1.11.2 कर्मचारियों की असंगत पदस्थापना

**कर्मचारियों की असंगत पदस्थापना**

संचालनालय तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय से सम्बन्धित पदों में 30 प्रतिशत की कमी कर विभाग ने जून 2007 में संवर्ग/पदोंवार तथा कार्यालयवार निर्धारण किया। तदनुसार अधिक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाना था ताकि पदस्थापना तर्कसंगत हो। 13 जाँच किये जिलों में से 10 जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि अधिक कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे थें लेकिन विभाग द्वारा पुनः पदस्थापना नहीं की गयी। 2007-10 के दौरान 124 अधिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर ₹ 3.49 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है। जिला अधिकारियों ने कहा कि संचालनालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। मानव शक्ति की आवश्यकता का आंकलन तथा पदस्थापना औचित्य पूर्ण नहीं था।

### 3.1.11.3 कर्मचारियों का अनियमित संलग्नीकरण

**अन्य विभागों में संलग्नीकृत कर्मचारियों पर ₹ 89.61 लाख का अनियमित व्यय किया गया।**

शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों की संलग्नीकरण की प्रथा की समाप्ति के लिये (जनवरी 2000) निर्देश जारी किये। 13 जिलों में से 7 जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नौ कार्यालयों[25] के 19 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में संलग्न किया गया था। उन कर्मचारियों के वेत्तन भत्तों पर रू. 89.61 लाख का व्यय किया गया था। इनका बहुत समय के लिये लगातार संलग्नीकरण के कारण उन कार्यालयों में कर्मचारियों की आवश्यकता का पूनर्मूल्यांकन आवश्यक था। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

### 3.1.11.4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निष्पादन

**प्रशिक्षण केन्द्रों का कम उपयोग हुआ तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहें।**

विस्तार कर्मचारियों और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये उन्नीस जिलों में कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये थे। वर्ष 2005-10 के दौरान 18,554 के लक्ष्यों के विरूद्ध 16,398 कर्मचारियों एवं 1,28,292 के लक्ष्यों के विरूद्ध 1,20,118 कृषकों को, 19 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 18 केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। चयनित जिलों के सात प्रशिक्षण केन्द्रों[26] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि (एक वर्ष में 265 कार्य दिवस), केन्द्र 16 दिन (नौगांव 2007-08 के दौरान) से 265 दिन (बैतूल बाजार 2005-06 के दौरान) निष्क्रिय रहें। कर्मचारियों को प्रशिक्षणों में आठ से 41 प्रतिशत तक तथा कृषकों को 11 से 47 प्रतिशत तक कमी रही। निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया।

---

25 *उप संचालक कृषि बुरहानपुर (1, ₹ 6.13 लाख), ग्वालियर (2, ₹ 7.66 लाख), शिवपुरी (2, ₹ 8.37 लाख), ए.एस.सी.ओ. बेतूल (1,₹ 1.20 लाख), ग्वालियर(1,₹ 1.82 लाख), झाबुआ (1,₹ 2.20 लाख), उप संचालक कृषि पन्ना (9, ₹ 47.54 लाख), ए.एस.सी.ओ. पन्ना (1, ₹ 11.84 लाख) और रतलाम (1, ₹ 2.85 लाख)।*

26 *आंतरी(ग्वालियर), बेतूल, डिण्डोरी, नौगाँव (छत्तरपुर), जावरा(रतलाम), शिवपुरी, बारा सिवनी (बालाघाट)।*

## 3.1.12 भंडार नियंत्रण

म.प्र. वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 121 एवं 122 भंडार की प्राप्ति तथा जारी होने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। तीन इकाईयों[27] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भण्डार के मद किसी माँग तथा पावती के प्राप्त किये बिना जारी किये गये। प्राप्ति एवं जारी करने का दिनांक सामान्यतः दर्ज नहीं किया गया। स्टाक पंजी में उचित इन्द्राज के अभाव में समय एवं सामग्री की वास्तविक प्राप्ति एवं प्रदाय मात्रा को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

**भौतक सत्यापन नहीं किया गया तथा भंडार नियंत्रण अप्रभावी रहा।**

- म.प्र. वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 133,134 एवं 135 के तहत भण्डार का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन किये जाने का प्रावधान है। यह देखा गया कि जाँच किये गये 37 कार्यालयों मे से 26 के भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

- बत्तीस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा भण्डार लेखे तैयार नहीं किये गये एवं 16 कार्यालयों द्वारा अनुपयोगी सामग्री के अपलेखन/नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

- डेनिडा प्रोजेक्ट इकाई पेटलावद (जिला झाबुआ) जो कि दिसम्बर 2005 में बंद हो गई थी के मृत स्कंध एवं अन्य सामग्री कीमत ₹2.67 लाख का स्थानान्तरण उप संचालक कृषि बुरहानपुर में किया गया। बुरहानपुर जिला कार्यालय के अभिलेखों में सामग्री भण्डार पंजी में दर्ज नहीं पाई गई।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा प्रावधानों का पालन करने का आश्वासन दिया।

## 3.1.13 निगरानी, सतर्कता एवं मूल्यांकन

### *3.1.13.1 नियमावली का संशोधन/अद्यतन न होना*

कृषि विभाग का पुर्नगठन जनवरी 1965 में किया गया एवं विभागीय नियम पुस्तिका 1981 में प्रकाशित की गई। नियमावली के पेरा 3 XII (87) एवं 19 (X) 768 के प्रावधानों के अनुसार संशोधनों को जोड़ना एवं विलोपन करते हुये विभागीय नियमावली को प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनरीक्षित किया जाना था। विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों, संगठनात्मक संरचना और नई योजनाओं की शुरूआत के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में बदलाव के बावजूद नियमावली में संशोधन/अद्यतन नहीं किया गया। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने नियम पुस्तिका को अद्यतन करने का आश्वासन दिया।

27 उप संचालक कृषि बालाघाट, भोपाल एवं बुरहानपुर।

### 3.1.13.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

**आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा में कमी थी।**

आन्तरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियमों और प्रक्रियाओं और वैधानिक रूप में प्रावधान करने के लिये विभाग में आन्तरिक नियंत्रण, ढांचे की पर्याप्तता और उसके क्रियान्वयन पर वरिष्ठ स्तरों पर प्रबन्धन के लिये स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के लिये अनुपालन, मूल्यांकन की जाँच करता है। एक अलग आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संयुक्त संचालक (वित्त) के अधीन निर्मित की गयी जिसमें दो लेखापरीक्षा अधिकारी, 28 दूसरा स्टाफ समाविष्ट थे लेकिन दो लेखा परीक्षक ही कार्य कर रहे थे। आन्तरिक लेखा परीक्षा की कार्यक्रमावली 2005-06 से 2007-08 के दौरान तैयार नहीं की गयी थी तथा समयबद्धता भी लेखापरीक्षा करने के लिये निर्धारित नहीं की गयी। वर्ष 2005-06 में कोई लेखा परीक्षण नहीं किया गया। 2006-10 के दौरान 308 कार्यालयों में से 39 कार्यालयों का लेखापरीक्षण किया गया तथा दो कार्यालयों का पालन प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ। चूंकि वर्ष के अन्दर सभी इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा पूर्ण नहीं की जा सकी जोखिम की धारणा के आधार पर निष्पक्ष नमूना के चयन के सम्बन्ध में मानकों को परिभाषित करने की जरूरत थी। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा पूर्ण नहीं की जा सकी। संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं बनाई गयी। निर्गम सम्मेलन में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

### 3.1.13.3 विभागीय निरीक्षण

**विभागीय निरीक्षण नहीं किये गये।**

विभाग में योजनाओं के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा 2005-06 और 2007-09 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया। 24 कार्यालयों में से केवल 5 निरीक्षण वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के दौरान रोस्टर के तहत किये गये। समयबद्धता के अनुसार अतिरिक्त संचालक/ संयुक्त संचालक के लिये निर्धारित 456 निरीक्षणों में से केवल 73(16 प्रतिशत) निरीक्षण उनके द्वारा वर्ष 2005-10 के दौरान किये गये। संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने निरीक्षणों के न होने के कारण अधिक कार्य बताया। विभाग की कार्यप्रणाली में जाँच एवं सुधार के लिये निरीक्षण आवश्यक थे।

म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम 291 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को माह मे एक बार अपने कार्यालय का निरीक्षण करना चाहिए तथा प्रतिवेदन अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए लेकिन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमत था तथा भविष्य में पालन करने का आश्वासन दिया।

### 3.1.13.4 समवर्ती मूल्यांकन

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन मूल्यांकन नहीं किया गया।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण और समवर्ती मूल्यांकन की योजना है। इसी प्रकार राज्य मिशन संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाना था जिसमें

लाईन डिपार्टमेंट के सदस्य, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, लीड बैंकों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के सदस्य होंगे और राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा मिशन के विभिन्न मापदण्डों से संबंधित आंकड़ों का संकलन तथा निगरानी के लिये निर्धारित प्रारूप तैयार किया जाना था। यह देखा गया कि न तो आधारभूत सर्वेक्षण और समवर्ती मूल्यांकन किया गया और न ही समिति बनाई गयी थी। आंकड़े संग्रह के लिये प्रारूप भी तैयार नहीं थे।

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने कहा कि कार्य प्रक्रिया में था तथा रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जानी थी।

### *3.1.13.5 जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ*

**जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ निष्क्रिय थी।**

- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मार्गदर्शिका (1999) के अनुसार, कृषि बीमा योजना की प्रभावी निगरानी तथा अन्य विभागो से समन्वय स्थापित करने के लिये पाक्षिक मीटिंग हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समीति का गठन किया जाना था। नमूना जांच किये गये जिलो में पाया गया कि नियमानुसार बैंठको का आयोजन नहीं किया गया। उपसंचालक, कृषि डिंडोरी द्वारा बैठको के आयोजन के संबंध जानकारी उपलब्ध नही कराई गई।

- स्वास्थ्य हेल्थ एवं उपजाऊ प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु संयुक्त संचालक कृषि की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीति का गठन किया जाना था जिसे माह में एक बार बैठक आयोजित की जाना थी तथा संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को उत्तर प्रस्तुत करना था। जांच किये गये जिलो में पाया गया कि तदनुसार बैठके नहीं हुई।

### *3.1.13.6 संचालनालय में विभागीय जाँच और विधिसम्मत कक्ष*

हालाँकि संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास स्तर पर विभागीय जाँच कक्ष कार्य कर रहा था, 2005-10 के दौरान 233 प्रकरण मार्च 2010 की स्थिति में लम्बित थे। 53 न्यायालयीन प्रकरण लम्बित थे जिनका प्रथम उत्तर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। प्रथम उत्तर प्रस्तुत न किये जाने का कारण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। 13 पेंशन प्रकरण और एक परिवार पेंशन का प्रकरण तथा 224 अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के प्रकरण संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास स्तर पर वर्ष 2005-10 के दौरान लम्बित थे। 2008-10 के दौरान प्राप्त हुई चार जन शिकायते तथा 14 प्रकरण आर्थिक अपराध शाखा और सतर्कता विभाग से सम्बन्धित लम्बित थे। लम्बित रहने का कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

### *3.1.13.7 लेखा परीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया*

प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक) मध्यप्रदेश द्वारा विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखा परीक्षा की जाती है। कमियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से ध्यान में लाया जाता है। सितम्बर 2010 की स्थिति में, मार्च 2010 तक जारी की गई 533 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1,306 कंडिकायें समाधान के लिये लंबित थी, जिसमें से 71 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 126 कंडिकायें 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी हुई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों पर समय पर कार्यवाही की निगरानी हेतु निर्धारित व्यवस्था के पालन की कमी थी। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा लंबित कंडिकाओं के निराकरण करने की कार्यवाही के लिये सहमत था।

## 3.1.14 निष्कर्ष

वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किये गये उत्पादन की योजनाओं (प्लान्स) का पालन नहीं किया गया। बजटीय एवं व्यय नियंत्रण दोनों कमजोर थे जिसके कारण मूल एवं अनुपूरक बजट दोनों में निधियों का अधिक प्रावधान किया गया, वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिक व्यय किया गया एवं केन्द्रीय सहायता का कम उपयोग किया गया। दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनाज, तिलहन, दलहन के उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। शासकीय प्रक्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि के कम उपयोग, कम उत्पादन, अर्जित राजस्व से अधिक व्यय के कारण पूरा नहीं हो सका। गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं, मिट्टी सर्वेक्षण, मिट्टी परीक्षण एवं प्रशिक्षण का निष्पादन लक्ष्यों से बहुत कम था। मानवशक्ति की आवश्यकता एवं पदस्थापना का कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं था। आंतरिक लेखा परीक्षा अपर्याप्त एवं अप्रभावी थी। निगरानी असंतोषजनक थी क्योंकि निर्धारित विभागीय निरीक्षण नहीं किये गये और जिला स्तरीय समितियाँ क्रियाशील नहीं थी।

## 3.1.15 अनुशंसाऐं

- उत्पादन के लक्ष्यों का वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों से मेल होना चाहिए।
- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जोडते हुए यथार्थवादी बजट बनाना सुनिश्चित करने हेतु बजट और वित्तीय नियंत्रणों को उन्नत किया जाना चाहिये ।
- फसलों के क्षेत्रों और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये तथा मिट्टी सर्वेक्षण और मिट्टी परीक्षण तंत्र को मजबूत करने हेतु विभाग को रणनीति बनानी चाहिए।
- गुणवत्तायुक्त कृषि आदानों का समय पर भण्डारण, तथा किसानों को वितरण के प्रयास किये जाने चाहिए।

- शासकीय कृषि प्रक्षेत्रो के काम काज की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिये मजबूत बनाया जाना चाहिए।

- विभाग को हितग्राहियों के विस्तृत अभिलेख रखना चाहिए जिससे उनके चयन तथा वास्तविक लाभ के हस्तांतरण की वास्तविकता का सत्यापन किया जा सके।

- विभिन्न संवर्ग तथा कार्यालयों में निर्धारित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में संवर्ग की समीक्षा की जाना चाहिए।

- विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने सिफारिशों के साथ सहमति व्यक्त की।

## पशुपालन विभाग

### 3.2 पशुपालन विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

*मुख्यांश*

*पशुपालन विभाग राज्य के पशुधन के बहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी है। संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें विभाग में मुख्य नियंत्रण अधिकारी (मु.नि.अ.) है । मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में अपर्याप्त प्लानिंग, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों का संवर्धन, आवश्यकता की प्रत्याशा में निधियों का आहरण एवं निधियों का व्यपवर्तन पाया गया। कृत्रिम गर्भाधान, वत्सोत्पादन एंव पशुधन के वितरण में कमी थी । पशु प्रक्षेत्र हानि में चल रहे थे । अधोसंरचना एवं मानव संसाधन में कमी एवं अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण विभाग अपने उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सका।*

*लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये है:*

**वार्षिक योजनाएं (प्लान्स) तदर्थ आधार पर तैयार की गई. वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता की कमी से अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान, समर्पण, निधियों का जमा रखना, निधियों का व्यपवर्तन तथा माह मार्च में व्यय की अधिकता आदि हुआ।**

**(कण्डिकाएं 3.2.6.1, 3.2.7.1, 3.2.7.2, 3.2.7.3 एवं 3.2.7.4)**

**कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि में 13 से 18 प्रतिशत की कमी रही जबकि कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन में आठ से 23 प्रतिशत तक की कमी रही। वर्ष 2007-10 के दौरान पशु प्रक्षेत्रों में ₹ 14.22 करोड़ की हानि हुई। पशुधन वितरण लक्ष्यों से कम हुआ। अण्डा एंव ऊन उत्पादन में अत्यधिक कमी आई।**

**(कण्डिकाएं 3.2.8.2, 3.2.8.4, 3.2.8.6 एवं 3.2.8.7)**

**अपेक्षित 5813 पशु चिकित्सा केन्द्रो की तुलना में केवल 2346 केन्द्र थे । 4582 संस्थाओं में से 1180 संस्थायें बिना स्वयं के भवन के संचालित थी । 147 चिकित्सालय बिना सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ के संचालित थे।**

**(कण्डिकाएं 3.2.9.1, 3.2.9.2 एवं 3.2.9.3)**

**दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई एवं राज्य रोग अनुसंधान प्रयोगशाला का उन्नयन नहीं हुआ।**

**(कण्डिकाएं 3.2.10.1 एवं 3.2.10.3)**

**पशु चिकित्सा अमले में 17 से 41 प्रतिशत के मध्य कमी थी। सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी को कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण देने में 45 से 72 प्रतिशत के मध्य कमी थी।**

**(कण्डिकाएं 3.2.11.1 एवं 3.2.11.4)**

**30 लेखा परीक्षित इकाइयों में से 25 इकाइयों में भण्डार एवं सामग्री लेखे नहीं बनाये गये जिससे वार्षिक भौतिक सत्यापन संभव नहीं था। राशि ₹1.30 करोड़ की अनुपयोगी सामग्रियां 20 वर्षों तक की अवधि से निराकरण के लिये लम्बित थीं।**

**(कण्डिकाएं 3.2.12.1 एवं 3.2.12.2)**

**पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान द्वारा बिना लाइसेंस के वर्ष 2002 से टीकाद्रव का उत्पादन किया जा रहा है। राशि ₹1.78 करोड़ का टीकाद्रव वांछित तापक्रम पर संरक्षित नहीं किये गये।**

**(कण्डिकाएं 3.2.12.4 एवं 3.2.12.6)**

## 3.2.1 प्रस्तावना

पशुपालन विभाग, राज्य की पशुधन सम्पदा के बहुमुखी विकास के लिए उतरदायी है। विभाग में संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं (संचालक) मुख्य नियंत्रण अधिकारी है तथा उचित नियंत्रण, निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभाग की वार्षिक गतिविधियों की योजना बनाने के लिए, उत्तरदायी है। विभाग का मुख्य उद्देश्य निम्न को प्रदाय करना है:

- रोग मुक्त, पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल एवं नस्ल सुधार के माध्यम से मानव आबादी को कम लागत एवं पौष्टिक पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना;
- उपचारात्मक एवं रोगनिरोधी उपायों के माध्यम से पशुजनित रोगों से मानव आबादी का संरक्षण;
- सेवाओं के विस्तार के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।

विभागीय गतिविधियों के प्रमुख घटक के रूप में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, नस्ल सुधार, उच्चस्तरीय मूल नस्लों का संरक्षण एवं विकास, पशु चिकित्सा केन्द्रों का प्रबंधन एवं पशुरोगों पर नियंत्रण के साथ पशुओं की देखभाल, प्रयोगशाला सेवाओं का प्रंबधन एवं पशुपालन में निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है।

विभाग सात राज्य एवं चार केन्द्रीय अधिनियमों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों तथा आदेशों को लागू करने के लिए भी उत्तरदायी है **विवरण परिशिष्ट 3.10**। पशु संगणना 2007 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन, कुक्कुट एवं अन्य पशुओं की संख्या 4.89 करोड़ थी जिसमें 2.19 करोड़ गायें, 91.29 लाख भैंसें, 3.90 लाख भेड़ें, 90.14 लाख बकरीयाँ, 0.27 लाख घोड़े, 73.84 लाख कुक्कुट एवं 10.21 लाख अन्य पशु शामिल थे। विभाग द्वारा 39 योजनाएं (32 राज्य योजनाएं, पांच केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं एवं दो केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं) क्रियान्वित की गई। एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित थी तथा दो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

50:50 आधार पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं। दो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं 75:25 तथा 80:20 हिस्सेदारी पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं। दो केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित थी। **(विवरण परिशिष्ट 3.11)**

### 3.2.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव विभाग के प्रमुख है जो सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मैदानी अधिकारी के रूप में वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी नियंत्रण का अधिकार पूर्णतः संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं (संचालक) के पास है। मुख्यालय पर संचालक को संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों तथा संभागीय स्तर पर नौ संयुक्त संचालकों द्वारा सहयोग दिया जाता है । जिला स्तरों पर 50 उप संचालकों द्वारा पशु चिकित्सालय (608) में पदस्थ पशु सहायक शल्यज्ञ के सहयोग से पशु स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। पशु सहायक शल्यज्ञ, 2236 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, 22 रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं, 26 चलित इकाईयों एवं 26 चल विरूजालय इकाईंयों में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों के सहयोग से कार्य करते है ।

### 3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या:

- योजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी था;
- बजटीय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त थे;
- योजनाओं/परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन एवं उनकी उचित निगरानी थी;
- मानव संसाधन प्रबंधन एवं अपेक्षित अमले की समीक्षा उचित थी;
- आंतरिक नियंत्रण, योजनाओं/कार्यकमों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन पर्याप्त थे।

### 3.2.4 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा मापदण्ड में निम्नलिखित समाहित थे:

- योजनाओं/कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन के लिए विभागीय नियमावलियां;
- बजट नियमावली, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता;
- शासकीय नियम, अधिसूचनायें, राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शिका एवं निर्देश;
- योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं।

## 3.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

विभाग के 103 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से 30 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच लेखापरीक्षा अवधि अप्रैल से दिसम्बर 2010 के दौरान की गई जिसमें संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान, पांच संयुक्त संचालक, 20 उप संचालक उनके अधीन कार्यरत इकाईयों सहित, दो शासकीय प्रक्षेत्र तथा एक प्रशिक्षण संस्थान, 20 जिलों सहित थे (**विवरण परिशिष्ट 3.12 में**)। इकाईयों का चयन सरल यादृच्छिक नमूना बिना परिवर्तन विधि का उपयोग करते हुए किया गया। 30 अप्रैल 2010 को संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं के साथ प्रारम्भिक बैठक की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदंड तथा कार्य क्षेत्र पर चर्चा की गई। निर्गम बैठक 10 दिसम्बर 2010 को प्रमुख सचिव के साथ हुई एवं विभाग के उत्तरों को उपयुक्त स्थान पर सम्मिलित किया गया।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 3.2.6 प्लानिंग

### *3.2.6.1 प्लानिंग*

विभाग द्वारा अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना (पंचवर्षीय योजना) तैयार करने की आवश्कता थी। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए उपर्युक्त लक्ष्यों को निर्धारित कर, परिप्रेक्ष्य योजना को वार्षिक योजना में विभक्त करना था। संचालक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक योजनायें जिले स्तर की योजनाओं को संकलित कर पशु चिकित्सा क्षेत्र के मध्यस्थता से तैयार किए जाने थे।

**उपलब्ध संसाधनों एवं वास्तविक आवश्यकताओं के आंकलन किये बिना योजनाएं (प्लान्स) तदर्थ आधार पर तैयार की गई।**

संचालनालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य योजनाएं लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी के कारणों का विश्लेषण किये बिना एवं योजनावार/ घटकवार उपलब्ध संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं तथा अन्य आवश्यकताओं का आंकलन किये बिना तदर्थ आधार पर तैयार की गई।

विभाग में परिपेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करने के लिए मानवशक्ति की आवश्यकता, योजनाओं के सर्वेक्षण, सामग्री के संबंध में व्यापक आकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

संचालक द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं जिला योजना समितियों तथा राज्य योजना समिति के अनुमोदन पश्चात तैयार की गई । यद्यपि, वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजना तैयार करने से पूर्व पशुचिकित्सा क्षेत्र में ग्राम तथा विकास खण्ड स्तर पर एवं कमियों का सर्वेक्षण एवं आंकलन नहीं किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना निचले स्तर से उपलब्ध संसाधनों एवं वास्तविक आवश्कताओं के आंकलन किये बिना पूर्व के लक्ष्यों में तदर्थ वृद्धि पर आधारित थी। योजना तैयार करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा व्यापक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे।

### 3.2.6.2 राज्य पशुधन प्रजनन नीति

**विभिन्न प्रजातियों में पशुओं की संख्या मे 16 से 87 प्रतिशत की कमी आई।**

गायों एवं भैंसों के लिये राज्य पशुधन प्रजनन नीति के अन्तर्गत उच्च नस्ल का स्तर सामान्तयः 50 प्रतिशत रखे जाने की परिकल्पना की गई थी। प्रजनन नीति में देशी नस्ल के गायों एवं भैंसों के अनुवांशिक उन्नयन, दूध उत्पादन एवं अन्य पशुधन उत्पादन में वृद्धि पर भी जोर दिया गया था। राज्य में नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान मुख्य गतिविधि थी।

राज्य में 2003 की 17 वीं पशु संगणना के अनुसार 3.17 लाख संकर गाये थी (कुल 1.89 करोड़ गायों का 1.68 प्रतिशत) जो वृद्धि होकर 4.75 लाख (कुल 2.19 करोड़ गायों का 2.17 प्रतिशत) हुई (18वीं पशु संगणना 2007)।

विभाग द्वारा संकर भैंसों की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई । विभाग द्वारा भेड़ एवं बकरी की नस्लों में सुधार के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराये गये थे। 18 वीं पशु संगणना के दौरान पशुओं की संख्या में 16 से 87 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई जैसा कि **तालिका 3.12 में** दर्शाया गया है ।

**तालिका 3.12: पशुधन, कुक्कुट एवं अन्य पशुओं की स्थिति**

| क्रम संख्या | वर्ग | 17वीं संगणना के अनुसार (2003) | 18वीं संगणना के अनुसार (2007) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| | **पशुधन** | | | |
| 1 | गाय | 18912611 | 21915438 | +15.88 |
| 2 | भैंस | 7575299 | 9129152 | +20.5 |
| 3 | भेड़ | 546366 | 389863 | -28.6 |
| 4 | बकरी | 8141983 | 9013687 | +10.7 |
| 5 | घोड़ा | 31613 | 26648 | -15.7 |
| 6 | खच्चर | 4167 | 543 | -87.0 |
| 7 | गदहा | 38714 | 20199 | -48.0 |
| 8 | ऊँट | 8161 | 5456 | -33.1 |
| 9 | सूअर | 358085 | 192766 | -46.17 |
| | **कुल पशुधन** | **35616999** | **40693752** | **+14.25** |
| | **कुक्कुट एवं अन्य पशु** | | | |
| 10 | कुत्ता | 1522848 | 791356 | -48.03 |
| 11 | खरगोश | 13919 | 10712 | -23.0 |
| 12 | कुक्कुट | 11704725 | 7384318 | -37.0 |
| | **महायोग** | **48858491** | **48880138** | |

**(स्रोतः- विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन)**

इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि पशुप्रजनन में पशुपालकों की उत्साहहीनता के कारण कमी आई।

## 3.2.7 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2007-10 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं बचतों की स्थिति **तालिका 3.13** में दर्शाये अनुसार थी।

**तालिका 3.13: वित्तीय स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | राजस्व | | | | | | पूंजीगत | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट प्रावधान | | | | व्यय | बचत (प्रति शत) | बजट प्रावधान | | | | व्यय | बचत (प्रति शत) |
| | मूल | अनुपूरक | समर्पण | योग | | | मूल | अनुपूरक | समर्पण | योग | | |
| 2007-08 | 246.82 | 37.62 | 45.76 | 238.68 | 216.76 | 21.92 (9) | 0.44 | 8.15 | 0.11 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
| 2008-09 | 298.13 | 9.06 | 0.00 | 307.19 | 255.17 | 52.02 (17) | 0.90 | - | - | 0.90 | 0.86 | 0.04 (4) |
| 2009-10 | 319.87 | 18.76 | 0.00 | 338.63 | 311.84 | 26.79 (8) | 0.45 | - | - | 0.45 | 0.43 | 0.02 (4) |
| **योग** | **864.82** | **65.44** | **45.76** | **884.50** | **783.77** | **100.73** | **1.79** | **8.15** | **0.11** | **9.83** | **9.77** | **0.06** |

**( स्त्रोतः- विनियोग लेखे)**

धनराशियों का उपयोग न होने का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष के अन्त में राशियां विमुक्त किया जाना, केन्द्रीय योजनाओं का केन्द्रांश प्राप्त न होना एवं मानवशक्ति की कमी थी।

वित्तीय प्रबंधन में पाई कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

### *3.2.7.1 बजटीय नियंत्रण*

बजट अनुमान, तैयार करने की प्रक्रिया तथा वर्ष 2007-10 के विनियोग लेखों के अनुसार बजट प्रावधान एवं व्यय की जांच में पाया गया कि:

**अनूपूरक अनुदान का संवर्धन अनावश्यक रहा क्योकि व्यय मूल प्रावधान से कम था।**

(i) बजट अनुदान की मांग तदर्थ आधार पर बिना वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किये तैयार की गई;

(ii) वर्ष 2007-10 के दौरान उपलब्ध बचतें ₹ 146.66 करोड़ के विरूद्ध ₹ 45.87 करोड़ वित्तीय वर्ष (2007-08) के अंतिम दिन समर्पित की गई एवं ₹100.79 करोड़ की बचतें व्यपगत होने दी;

(iii) चूंकि राजस्व मद में ₹ 783.77 करोड़ का वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान ₹ 864.82 करोड़ से कम था, ₹ 65.44 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

**परिशिष्ट 3.13** में दर्शाये गए योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय में निम्नानुसार पाया गया :

- मांग संख्या 14 एवं 41 के अन्तर्गत कई योजनाओं में बचतें एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान का नौ से 89 प्रतिशत थी;
- दो प्रकरणों मे मूल बजट प्रावधान में पुनर्विनियोजन के माध्यम से कमी की गई परिणामतः मांग सख्या 14 के अन्तर्गत अधिक व्यय हुआ;
- वर्ष 2009-10 के दौरान मांग संख्या 14 के अन्तर्गत तीन प्रकरणों में ₹ 15.35 करोड़ का प्रावधान होने पर भी कोई व्यय नहीं हुआ इस प्रकार बजट में किये गये प्रावधान अनावश्यक थे।

निर्गम परिचर्चा में प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रभावी वित्तीय नियंत्रण हेतु 'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली' साफ्टवेयर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

### *3.2.7.2 व्यक्तिगत जमा एवं सिविल जमा में निधियों का जमा रखना*

**बिना तत्काल आवश्यकता के राशि ₹ 60.18 करोड़ का आहरण कर व्यक्तिगत जमा खातों/सिविल खातों में जमा किया।**

मध्यप्रदेश कोष संहिता के सहायक नियम 284, बिना तुरंत भुगतान की आवश्यकता के कोषालय से निधियों के आहरण को प्रतिबंधित करता है । विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता ₹ 60.18 करोड़ (₹ 46.78 करोड़ संचालक द्वारा एवं ₹ 13.40 करोड़ पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान, इंदौर द्वारा) बिना तुरंत भुगतान की आवश्यकता के आहरित किये गये एवं व्यक्तिगत जमा/सिविल जमा खातों में वर्ष 2007-10 के दौरान जमा किये गये । 31 मार्च 2010 को इन खातों में वर्ष 2007-10 से संबंधित शेष राशि का विवरण **परिशिष्ट 3.14** में दर्शाया गया है।

इसका उल्लेख किये जाने पर संचालक द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि बजट मांग को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि आहरित कर व्यक्तिगत/ सिविल जमा खातों में रखी गई और इसके उपयोग हेतु प्रयास किये जा रहें हैं । उत्तर से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश कोष संहिता के नियम 284 के प्रावधानों का पालन नही किया गया । निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान के कार्यों की प्लानिंग में विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है ।

### *3.2.7.3 निधियों का व्यपवर्तन*

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शीत श्रृंखला बनाये रखने/ टीकाकरण के विस्तार के लिये राशि ₹ 5.28 करोड़ स्वीकृत की (मार्च 2009)। उक्त स्वीकृति से संचालक द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के लिये हिमीकृत वीर्य के संरक्षण एवं परिवहन हेतु राशि ₹ 1.17 करोड़ के क्रायोकेन[28] क्रय किये गए। क्रायोकेन की शीत श्रृंखला बनाये रखने/टीकाकरण विस्तार से कोई परिसंबद्धता नहीं है ।

इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक द्वारा स्वीकार किया गया (अगस्त 2010) कि जिलों को वीर्य उपलब्ध कराने के लिये क्रायोकेन का क्रय किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रायोकेन, टीकाद्रव परिवहन का निर्धारित उपकरण नहीं था ।

### *3.2.7.4 व्यय की अधिकता*

**वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय 14 से 19 प्रतिशत के मध्य था।**

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56(3) एवं 69 के अनुसार जहाँ तक संभव हो वर्ष के दौरान व्यय समान रूप से किया जाना चाहिये । वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता जोखिमपूर्ण है क्योंकि पूर्ण बुद्धिमत्ता व फिक्र किये बिना किये गये व्यय से शासन को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता है। विनियोजन लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2007-10 के दौरान मार्च माह में व्यय 14 से 19 प्रतिशत के मध्य रहा जैसा कि **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है।

28 *क्रायोकेनः वीर्य परिवहन हेतु तरल नाइट्रोजन का एक पात्र।*

तालिका 3.14: व्यय प्रवाह की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल व्यय | प्रथम तिमाही में (अप्रैल से जून) | द्वितीय तिमाही में (जुलाई से सितम्बर) | तृतीय तिमाही में (अक्टूबर से दिसम्बर) | चतुर्थ तिमाही में (जनवरी से मार्च) | मार्च माह का व्यय (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 225.24 | 43.36 | 42.17 | 52.64 | 87.04 | 42.50 (19) |
| 2008-09 | 256.03 | 49.57 | 54.05 | 70.19 | 82.24 | 40.70 (16) |
| 2009-10 | 312.27 | 57.44 | 63.97 | 86.58 | 104.27 | 44.25 (14) |

(स्रोतः- विनियोग लेखे)

वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता, विभाग में अनुपयुक्त वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है । लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा व्यय की अधिकता रोकने के प्रयास किये जाने का आश्वासन दिया ।

### *3.2.7.5 व्यय का समाशोधन न किया जाना*

**विभागीय व्यय का मासिक समाशोधन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।**

नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर समुचित नियंत्रण रखने में सक्षम बनाने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में प्रावधान है कि व्यय के आंकड़ों का समाशोधन आवधिक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखापुस्तकों में दर्ज आंकड़ों से वार्षिक लेखाबंदी के पूर्व किया जाना चाहिये ।

संचालनालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि व्यय के आँकड़ो मे अन्तर है जो कि **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: व्यय आंकड़ों का समाशोधन न किया जाना

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अंकित व्यय | विभाग द्वारा दर्शित | अंतर |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 225.24 | 248.11 | + 22.87 |
| 2008-09 | 256.03 | 251.34 | - 4.69 |
| 2009-10 | 312.27 | 301.41 | - 10.86 |

( स्रोतः- विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा प्रदत्त व्यय)

संचालक द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि समाशोधन किया गया है । यद्यपि, तथ्य यही है कि विभाग के आंकड़े एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों में अंतर से स्पष्ट होता है कि या तो समाशोधन नहीं किया गया है अथवा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा लेखाबंदी के पूर्व विभाग, द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई । निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

### *3.2.7.6 व्यय नियंत्रण पंजी के रखरखाव में कमियाँ*

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 297 के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्यय नियंत्रण पंजी का संधारण किया जाना था एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मासिक व्यय पत्रक बजट नियंत्रण अधिकारी को भेजे जाने थे । नमूना जांच के दौरान पाया गया कि व्यय नियंत्रण पंजी

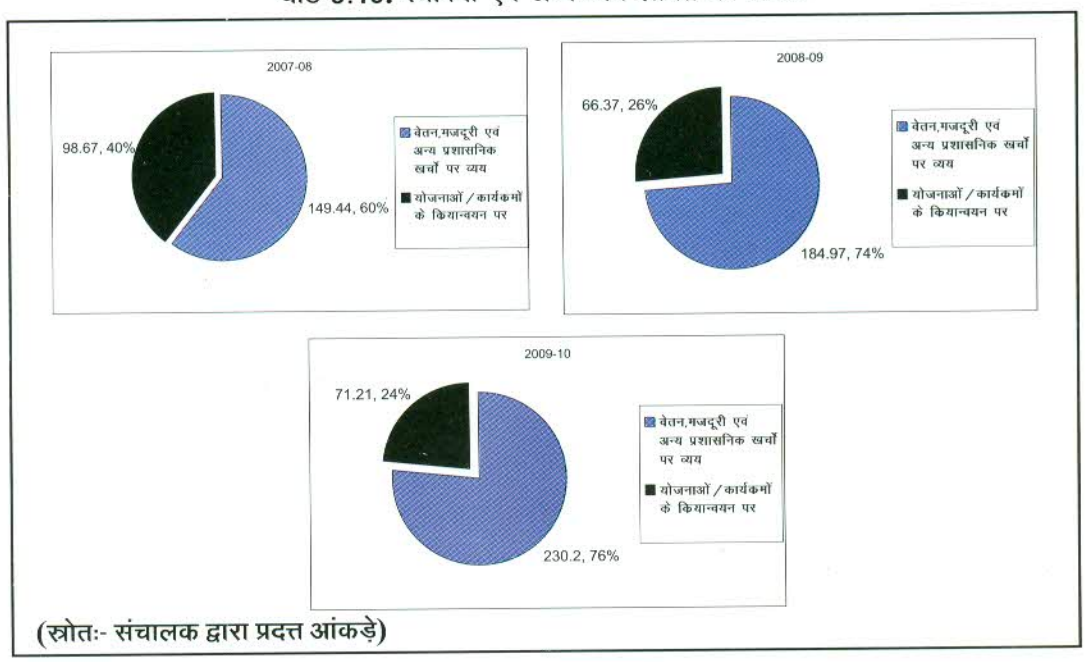
निर्धारित प्रारूप में नहीं बनायी जा रही थी । मासिक व्यय, उपशीर्ष एवं योजनावार आवंटन का उल्लेख किये बिना इंद्राज किये गये । जिससे प्रत्येक उपशीर्षों के अंतर्गत आधिक्य एवं बचतों पर नियंत्रण कठिन हो गया। निर्गम परिचर्चा के दौरान संहितागत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने का आश्वासन दिया गया।

### *3.2.7.7 स्थापना एवं अन्य व्यय लागत*

**कर्मचारियो की कमी के बावजूद, स्थापना लागत में 60 से 76 प्रतिशत क्रमिक वृद्वि हुई।**

विभाग द्वारा स्थापना व्यय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय के संदर्भ में मापदंड स्थापित नहीं किये थे । विभिन्न स्तरों पर 1550 (14 प्रतिशत) कर्मचारियों की कमी के बावजूद वर्ष 2007-10 के दौरान प्रशासनिक व्यय में 60 से 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता हुई। **चार्ट 3.16 में** 2007-10 के दौरान प्रशासनिक व्यय एवं कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय की तुलना दर्शायी गयी है ।

**चार्ट 3.16: स्थापना एवं अन्य व्यय लागत की स्थिति**




**(स्रोतः- संचालक द्वारा प्रदत्त आंकड़े)**

विभाग द्वारा, स्थापना पर व्यय को कम करने की दृष्टि से कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता के आंकलन हेतु कोई समीक्षा नहीं की गई थी ।

### *3.2.7.8 आगामी वित्तीय वर्ष के लिये दायित्वों का सृजन*

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 14 के अनुसार दायित्वों को उसी वित्तीय वर्ष में चुकता किया जाना चाहिये । लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेख की जांच में पाया गया कि राशि ₹ 70.33 लाख[29] के यात्रा एंव चिकित्सा देयक विगत तीन चार वर्षों से भुगतान हेतु लंबित थे ।

29 *बालाघाट– ₹ 6.40 लाख, भोपाल (संचालनालय)- ₹ 0.31 लाख, भोपाल ( दुग्ध संपदा)- ₹ 4.30 लाख, छतरपुर - ₹ 1.10 लाख, छिंदवाड़ा- ₹ 1.87 लाख, छिंदवाड़ा(शा.कु.प्र.)- ₹ 17.38 लाख, ग्वालियर- ₹ 0.86 लाख, होशंगाबाद- ₹ 3.12 लाख, इंदौर(आई.ए.एच.व्ही.बी) – ₹ 3.28 लाख, जबलपुर - ₹ 0.27 लाख, झाबुआ- ₹ 21.69 लाख, खंडवा - ₹ 1.14 लाख, मंडला- ₹ 1.18 लाख, नरसिंहपुर - ₹ 0.78 लाख, शिवपुरी- ₹ 1.26 लाख, टीकमगढ़- ₹ 3.25 लाख एवं उमरिया - ₹ 2.14 लाख।*

इसका उल्लेख किये जाने पर, उप संचालकों द्वारा बताया गया (मई 2010) कि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण देयताएँ है । उत्तर इंगित करता है कि बजट आवश्यकता का आंकलन तदर्थ आधार पर है ।

### *3.2.7.9 सुरक्षा निधि जमा किए बिना कर्मचारियों द्वारा रोकड़ व भंडार संभाला जाना*

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 282 में प्रावधान है कि रोकड़ एव भंडार संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा निधि जमा की जानी चाहिये । लेखापरीक्षित 30 इकाइयों के अभिलेखों में पाया गया कि 16[30] रोकड़ संभालने वाले कर्मचारियों एवं 20[31] भण्डार संभालने वाले कर्मचारियों ने सुरक्षा निधि जमा नहीं की थी।

इसका उल्लेख किये जाने पर, उप संचालकों द्वारा बताया गया (जुलाई 2010) कि अपेक्षित सुरक्षा निधि शीघ्र जमा कराई जावेगी ।

### *3.2.7.10 असमायोजित अस्थाई अग्रिम*

**राशि ₹ 38.65 लाख के अस्थाई अग्रिम छः माह से 30 वर्ष तक असमायोजित रहे।**

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 53(IV) के अनुसार, अस्थाई अग्रिमों को तीन माह से अधिक अवधि के लिये असमायोजित नही रखा जाना चाहिये। लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 13 इकाइयों में ₹ 38.65 लाख[32] के अस्थाई अग्रिम छः माह से 30 वर्ष के मध्य की अवधि से समायोजन हेतु लंबित थे। उपसंचालकों द्वारा बताया गया (मई 2010) कि अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

आगे, उपसंचालक नरसिंहपुर एवं होशंगाबाद की रोकड़वही की जांच में पाया गया कि राशि ₹ 4.11 लाख एवं ₹ 0.07 लाख क्रमशः अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं अग्रिम का विवरण न होने के कारणों से उप संचालकों की रोकड़बही में वर्ष 1989 तथा 1979 से क्रमशः अस्थाई अग्रिम के रूप में दर्शाये जा रहे थे।

निर्गम परिचर्चा के दौरान विभाग द्वारा अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया ।

---

30 *भोपाल (दुग्ध संपदा), छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंडला (ए.आई.टी.आई.), मंडला, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर(सं.संचा.), सीहोर, शहडोल, शिवपुरी एवं उमरिया ।*

31 *भोपाल(दुग्ध संपदा), छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा(शा.कु.प्र.), गुना, ग्वालियर, इंदौर (आई.ए.एच.व्ही.बी.), इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, (ए.आई.टी.आई.), मंडला, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर(सं.संचा.), सागर, सीहोर, शहडोल, शिवपुरी एवं उमरिया।*

32 *बालाघाट– ₹ 1.12 लाख, भोपाल(संचालनालय)– ₹ 0.13लाख, छतरपुर- ₹ 1.11लाख, धार– ₹ 18.53लाख, होशंगाबाद– ₹ 0.07 लाख, जबलपुर–₹ 0.15लाख, मंडला–₹ 4.15लाख, नरसिंहपुर –₹ 0.26 लाख, सागर–₹ 8.39लाख, सिवनी–₹ 0.97लाख, शहडोल–₹ 3.18लाख, टीकमगढ़–₹ 0.45 लाख एवं उमरिया–₹ 0.14 लाख।*

### 3.2.7.11 रोकड़बही का त्रुटिपूर्ण संधारण

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 में प्रावधान है कि आहरणों का पाक्षिक सत्यापन कोषालय व्हाउचर स्लिप से किया जाना चाहिये । अस्थाई अग्रिमों की प्रविष्टी लाल स्याही से करना आवश्यक है एवं अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित नहीं किया जाना चाहिये। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा माह के अन्त मे रोकड़ का सत्यापन कर विश्लेषणों को दिनांक सहित हस्ताक्षरित कर रोकड़बही में अंकित करना चाहिये । रोकड़बही के दैनिक योगों की जांच रोकड़बही लिखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिये तथा प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़बही एम.पी.टी.सी.-5 के प्रारूप में संधारित की जानी चाहिये । प्रत्येक मौद्रिक लेन देन जैसे ही घटित होता है रोकड़बही में दर्ज कर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 14[33] चयनित इकाइयों में आहरणों का पाक्षिक सत्यापन नहीं किया गया था । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ शेष का विश्लेषण नहीं किया गया था । रोकड़बहियों के विवरणों की जांच रोकड़बही लिखने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से नही कराई जा रही थी ।

**मुख्य रोकडबही में राशि ₹48.16 लाख इन्द्रांज नहीं किये थे।**

आगे, चार लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्राप्त ₹ 48.16 लाख[34] की एम.पी.टी.सी.-5 के प्रारूप में संधारित मुख्य शासकीय रोकड़बही में प्रविष्टि न कर सहायक रोकड़बही में प्रविष्टि की गई । लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्राचार्य, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान मंडला द्वारा बैंक में बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोला गया एवं विभिन्न योजनाओं की राशि ₹ 11.56 लाख जमा की गई। जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2010 तक राशि ₹ 2.96 लाख के ब्याज की हानि हुई।

इसका उल्लेख किये जाने पर, उप संचालकों द्वारा बताया गया (मई 2010) कि सहायक रोकड़बही, शासकीय रोकड़बही में मिला दी जावेगी परन्तु नवम्बर 2010 तक कार्यवाही नही की गई ।

### 3.2.7.12 देयक पंजी के रखरखाव में कमियाँ

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 197 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देयक पंजी की मासिक समीक्षा कर परिणामों को पंजी में अंकित करना चाहिये। कोषालय को प्रस्तुत देयकों कुल पारित देयकों निरस्त देयकों एवं लम्बित देयक का विवरण दर्शाते हुए मासिक गौसवारा, माह के अन्त में तैयार किया जाना चाहिये।

---

33 *भोपाल (दुग्ध संपदा), छतरपुर, गुना, होशंगाबाद, इंदौर (आई.ए.एच.वी.बी.), इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, मंडला (ए.आई.टी.आई.), नरसिंहपुर, रतलाम, सागर (संयुक्त संचालक), शिवपुरी और टीकमगढ़।*

34 *होशंगाबाद–₹ 11.05 लाख, इंदौर-₹ 6.21 लाख, मंडला-₹ 19.34 लाख, और मंडला (ए.आई.टी.आई.)-₹ 11.56 लाख।*

13[35] लेखापरीक्षित इकाइयों की देयक पंजी की जांच में पाया गया कि ना तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा देयक पंजी की समीक्षा की गई थी और ना ही मासिक गौसवारा बनाया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इसका भविष्य में पालन किये जाने का आश्वासन दिया गया (मई से सितम्बर 2010)।

## 3.2.8 कार्यक्रम प्रबंधन

### *3.2.8.1 सांड़ों का निरीक्षण न किया जाना*

मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम 1950 में निहित था कि कोई भी व्यक्ति सांड़ों को प्रजनन के लिए चिन्हित हुये बिना नही रखेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में सांड़ों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी था। उसे या तो सांड़ों को प्रजनन के उद्देश्य के लिए चिन्हित करना था अथवा उनके बधियाकरण के लिए निर्देशित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्यप्रदेश पशु सुधार अधिनियम के प्रावधानों का पालन किसी भी लेखापरीक्षित इकाई के अभिलेखों पर नहीं था क्योंकि जिलों की पशु चिकित्सा इकाईयों में सांड़ों के निरीक्षण एवं चिन्हित करने सम्बंधी अभिलेख संधारित नही किए थे। निर्गम परिचर्चा के दौरान विभाग द्वारा नियमों एवं अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

### *3.2.8.2 कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान*

**कृत्रिम गर्भाधान में 13 से 18 प्रतिशत एवं कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन में आठ से 23 प्रतिशत की कमी थी ।**

भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय गौ एवं भैंस प्रजनन परियोजना' नामक योजना लागू की गई (2000-01) जिसे दो चरणों (प्रथम चरण 2000-06 एवं द्वितीय चरण 2007-12)में क्रियान्वित किया जाना था। योजना का मुख्य उदेश्य कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को योजनाबद्व तरीके से आयोजित कर प्रजनन योग्य गायों एवं भैसों को द्वितीय चरण के अन्त तक शत प्रतिशत प्रजनन दायरे में लाना था। राज्य की प्रजनन योग्य 1.21 करोड़ पशु संख्या को (पशु संगणना 2007 के अनुसार) कृत्रिम गर्भाधान 60 प्रतिशत एवं प्राकृतिक गर्भाधान 40 प्रतिशत के अनुपात में समाहित करना था।

राज्य में वर्ष 2007-10 के दौरान कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान के विभागीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति **तालिका 3.17 मे** दर्शायी गई है ।

35 *भोपाल (संचालनालय), गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंडला (ए.आई.टी.आई.), नरसिंहपुर, रतलाम, सागर (संयुक्त संचालक), शहडोल, शिवपुरी, उज्जैन और उमरिया।*

**तालिका 3.17: कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान एवं वत्सोत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धि**

(ऑकड़े लाख में)

| विवरण | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) |
| कृत्रिम गर्भधान | 8.61 | 7.48 | 1.13 (13) | 9.59 | 7.82 | 1.77 (18) | 10.36 | 8.49 | 1.87 (18) |
| कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन | 2.71 | 2.08 | 0.63 (23) | 2.54 | 2.18 | 0.36 (14) | 2.66 | 2.46 | 0.20 (8) |
| प्राकृतिक गर्भाधान | उपलब्ध नहीं | 0.68 | - | उपलब्ध नहीं | 1.63 | - | उपलब्ध नहीं | 1.97 | - |
| प्राकृतिक गर्भाधान से वत्सोत्पादन | - | 0.33 | - | - | 0.60 | - | - | 0.87 | - |

**(स्त्रोतः - संचालनालय द्वारा प्रेषित आंकड़े)**

अभिलेखों की जांच में पाया गया किः

- 'राष्ट्रीय गौ एवं भैंस प्रजनन परियोजना' के अन्तर्गत संचालनालय में उपलब्ध ₹ 19.64 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 2.16 करोड़ की राशि का उपयोग मार्च 2010 तक नही किया गया था ।

- लेखापरीक्षित इकाईयों में कृत्रिम गर्भाधान में औसतन 22,23 एवं 24 प्रतिशत की कमी क्रमशः वर्ष 2007-08,2008-09 एवं 2009-10 में परिलक्षित हुई।

इसका उल्लेख किये जाने पर,संचालक द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि अमले की कमी, द्रव नाइट्रोजन ($LN_2$) के प्रदाय में कमी एवं पशुरोगों के कारण कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान में कमी थी । उत्तर से इंगित होता है कि विभाग, लक्ष्य प्राप्ति की असफलता को रोकने में विफल रहा। निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने सूचित किया कि कृत्रिम गर्भाधान दुग्ध संघ एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है ।

### *3.2.8.3 नन्दीशाला योजना में निष्फल व्यय*

राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रजनन योग्य पशुसंख्या को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से फरवरी 2006 में नन्दीशाला योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत उच्च प्रजाति के गौसांड़ जैसे साहीवाल,थापरकर,गीर,मालवी एवं निमाडी, शासन द्वारा हितग्राहियो को आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के आधार पर प्रथम 60 दिन के पोषण आहार सहित प्रदाय करना था।

योजना सम्बंधी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि फरवरी 2006 से मार्च 2010 तक लक्षित 6,329 सांड़ों की तुलना में केवल 5,966(94 प्रतिशत) सांड़ प्रदाय किये गये । जिसमें से केवल 1,719 एवं 2,029 सांड़ क्रमशः वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्राकृतिक गर्भाधान सेवा के लिए उपलब्ध थे तथा उनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयास अभिलेखों पर नहीं थे।

इस प्रकार शासकीय आर्थिक सहायता के रूप में 3,937 सांड़ों की अभिप्राप्ति हेतु किया गया ₹ 4.71 करोड़ का अनुपातिक व्यय निष्फल रहा । योजना में उल्लेखित प्रति सांड़ प्रतिवर्ष 100 प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान औसत प्राकृतिक गर्भाधान 34 रहा जबकि लक्षित 60 वत्सोत्पादन प्रतिसांड प्रतिवर्ष की तुलना में 2008-09 में 13 एवं 2009-10 में 15 प्रति सांड़ रहा ।

उपसंचालकों द्वारा बताया गया (सितम्बर 2010) कि इन सांडो के सम्बध मे जानकारी एकत्रित की जा रही थी ।

### *3.2.8.4 शासकीय प्रक्षेत्र*

**प्रक्षेत्रों में ₹ 4.07 करोड़ से ₹ 5.59 करोड़ के मध्य हानि हुई।**

घरेलू पशुओं जैसे गाय, भैंस एवं बकरी की प्रजातियों में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा, राज्य में हितग्राहियों को निर्धारित दर पर उन्नत शंकर पशु प्रदाय करने के लिए उच्च श्रेणी के शंकर पशुओं के उत्पादन हेतु 12 प्रक्षेत्र स्थापित किये गये । प्रक्षेत्रों को अपेक्षित अधोसंरचना, योग्य कर्मचारी एवं उच्च प्रजातियों के पशु प्रदाय किये गये । अभिलेखों की जॉच मे पाया गया कि पर्याप्त अधोसंरचना एवं मानवशक्ति होने के बावजूद प्रक्षेत्र हानि में चल रहे थे । 11 प्रक्षेत्रों का विवरण **तालिका 3.18** में दिया गया है ।

**तालिका 3.18: प्रक्षेत्रों का हानिप्रद संचालन**

**(₹ लाख मे**

| प्रक्षेत्र का नाम[36] | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यय | आय | हानि | व्यय | आय | हानि | व्यय | आय | हानि |
| बालाघाट (सीबीएफ) | 36.02 | 7.43 | 28.59 | 36.78 | 9.29 | 27.49 | 54.54 | 8.27 | 46.27 |
| भोपाल (सीबीएफ) | 131.11 | 30.40 | 100.71 | 128.99 | 24.07 | 104.92 | 186.98 | 21.58 | 165.40 |
| छिदवाड़ा (सीबीएफ) | 62.92 | 2.87 | 60.05 | 60.90 | 1.89 | 59.01 | 40.93 | 2.78 | 38.15 |
| ग्वालियर (जीबीएफ) | 9.46 | 2.17 | 7.29 | 10.93 | 1.23 | 9.70 | 13.96 | 1.90 | 12.06 |
| जबलपुर (बीआरएफ) | 14.65 | 0.01 | 14.64 | 17.12 | 1.24 | 15.88 | 25.41 | 0.36 | 25.05 |
| मदंसौर (एसबीएफ) | 25.22 | 0.20 | 25.02 | 36.42 | 0.13 | 36.29 | 39.47 | 0.05 | 39.42 |
| सागर (सीबीएफ) | 46.95 | 21.75 | 25.20 | 67.21 | 31.47 | 35.74 | 59.75 | 36.07 | 23.68 |
| शाजापुर (सीबीएफ) | 41.50 | 11.06 | 30.44 | 45.15 | 14.25 | 30.90 | 57.86 | 15.49 | 42.37 |
| शिवपुरी (एसबीएफ) | 48.29 | 0.08 | 48.21 | 54.84 | 0.46 | 54.38 | 70.80 | 0.84 | 69.96 |
| टीकमगढ़ (सीबीएफ) | 20.84 | 3.06 | 17.78 | 31.25 | 6.86 | 24.39 | 38.49 | 8.56 | 29.93 |
| टीकमगढ़ (एसबीएफ) | 49.47 | 0.38 | 49.09 | 57.29 | 0.08 | 57.21 | 66.73 | 0.31 | 66.42 |
| **योग** | **486.43** | **79.41** | **407.02** | **546.88** | **90.97** | **455.91** | **654.92** | **96.21** | **558.71** |

**(स्त्रोतः - संचालनालय द्वारा प्रेषित आंकडें)**

वार्षिक हानियां ₹ 4.07 करोड़ से ₹ 5.59 करोड़ के मध्य होने के कारण, पशुओं का विलम्ब से बदलाव, उत्पादक एवं अनुत्पादक पशुओं के अनुपात को बनाये न रखना एवं प्रक्षेत्र के क्रियाकलापों हेतु शेडयूल का तैयार न होना था।

इसका उल्लेख किये जाने पर, उपसंचालकों द्वारा बताया गया (मई 2010) कि प्रक्षेत्रों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि उन्नत प्रजाति के पशुओं का उत्पादन करना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्षेत्र, वांछित अधोसंरचना सुविधाएं एवं पर्याप्त मानवशक्ति से सुसज्जित थे तथा

36 *सी.बी.एफ.-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, जी.बी.एफ.-बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बी.आर.एफ.-सांड़ पालन प्रक्षेत्र, एस.बी.एफ.-भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र।*

बिना लाभ हानि के आधार पर संचालित होने थे । निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रक्षेत्र उत्पाद का मूल्य निर्धारण, उत्पादन लागत से जुड़ा हुआ नहीं है।

### *3.2.8.5 कृत्रिम गर्भाधान शुल्क की बढ़ी हुई दर पर वसूली न किया जाना ।*

**निर्धारित दरों पर कृत्रिम गर्भाधान शुल्क का संग्रहण न होने के कारण राशि ₹ 1.70 करोड़ की हानि।**

शासन द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिये प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क ₹ 30 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क ₹ 20 निर्धारित किया गया (जनवरी 2005)। लेखापरीक्षित इकाईयों में यह पाया गया कि कृत्रिम गर्भाधान शुल्क निर्धारित दर पर वसूल नहीं किया गया इसके स्थान पर जिलों में अलग-अलग दरों से शुल्क वसूल किया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007-10 के दौरान राशि ₹ 1.70 करोड़[37] की राजस्व हानि हुई ।

निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने आश्वासित किया कि शुल्क की वसूली कड़ाई से निर्धारित दरों पर कराई जावेगी।

### *3.2.8.6 हितग्राहीमूलक योजनायें*

**बैकयार्ड योजना में 99 प्रतिशत की कमी पायी गई।**

हितग्राहीमूलक योजनाएं जैसे- वृहद मुर्गी उत्पादन कार्यक्रम(बैकयार्ड), तथा सांड़, बकरी, दुधारू पशु आदि का वितरण एवं समाज के कमजोर वर्ग को रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से डेयरी एवं कुक्कुट इकाईयों को छोटे स्तर पर आर्थिक सहायता के आधार पर संचालित की जा रही थी। पशु वितरण के लिए हितग्राही अंशदान एवं आर्थिक सहायता की राशि विभिन्न एजेन्सीयों जैसे मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम एवं शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में जमा थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2007-10 में इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आवंटित राशि ₹28.94 करोड में से ₹2.85 करोड समर्पित की गई । वर्ष 2009-10 में सात क्रियाकलापों के लक्ष्य कम किये गये (**परिशिष्ट 3.15**) जिसके कोई कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 2007-10 के दौरान पशु वितरण उपलब्धि में छः से 23 प्रतिशत की कमी थी । वर्ष 2009-10 के दौरान बैकयार्ड योजना में 99 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी थी जिसका विभाग द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षित इकाइयों में यह पाया गया कि योजनान्तर्गत जुलाई 2010 तक पशु प्रदाय नहीं किये गये तथा मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम/शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र के पास राशि ₹ 55.07 लाख[38] निष्क्रिय पड़ी हुई थी। वर्ष 2008-10 के दौरान बकरी एंव दुधारू पशुओं के वितरण हेतु प्रदाय आर्थिक सहायता राशि ₹ 1.79 करोड़ में से ₹ 48.60 लाख[39] बैकों मे अप्रयुक्त पड़े थे।

---

37 *बालाघाट- ₹ 5.58 लाख, बैतूल- ₹ 11.19 लाख, छतरपुर- ₹ 7.09 लाख, छिंदवाड़ा- ₹ 7.02 लाख, धार- ₹ 9.24 लाख, गुना- ₹ 1.65 लाख, ग्वालियर - ₹ 4.89 लाख, होशंगाबाद- ₹ 6.02लाख, इंदौर- ₹ 15.04 लाख, जबलपुर - ₹ 14.49लाख, झाबुआ- ₹ 9.87 लाख, खण्डवा- ₹ 5.03 लाख, मंड़ला- ₹ 8.42 लाख, नरसिंहपुर- ₹ 8.71 लाख, रतलाम- ₹ 6.66 लाख, सागर- ₹ 9.87 लाख, सीहोर- ₹ 8.22 लाख, शिवपुरी- ₹ 5.69 लाख, टीकमगढ़ - ₹ 7.56 लाख, उज्जैन- ₹ 15.77 लाख, एवं उमरिया- ₹ 2.09 लाख।*

38 *बालाघाट– ₹ 0.78 लाख, धार– ₹ 6.63 लाख, गुना– ₹ 2.52 लाख, होशंगाबाद– ₹ 2.16 लाख, जबलपुर– ₹ 2.23 लाख, खण्डवा– ₹ 2.40 लाख, मंडला– ₹ 18.12 लाख, नरसिंहपुर– ₹ 2.57 लाख, रतलाम– ₹ 1.92 लाख, सागर– ₹ 1.33 लाख, सिवनी– ₹ 3.45 लाख, शहडोल– ₹ 2.02 लाख, शिवपुरी– ₹ 0.83 लाख, टीकमगढ़– ₹ 2.02 लाख एवं उमरिया– ₹ 6.09 लाख।*

39 *धार- ₹ 9.57 लाख, गुना- ₹ 4.39 लाख, जबलपुर- ₹ 13.28 लाख, खण्डवा- ₹ 0.87 लाख, शिवपुरी- ₹ 11.06 लाख एवं टीकमगढ़- ₹ 9.43 लाख।*

इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि उपरोक्त लक्ष्य जिला योजना समितियों एवं राज्य योजना समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला योजना समितियों एवं राज्य योजना समिति द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों में स्वैच्छिक कमी, योजनाओं के खराब क्रियान्वयन एवं जबाबदेही के अभाव को दर्शाता है ।

### *3.2.8.7 पशु उत्पाद का उत्पादन*

राज्य में प्रमुख चार पशु उत्पादों के उत्पादन की स्थिति निम्न **तालिका 3.19 में** दर्शायी गई है ।

**तालिका 3.19: उत्पादन में कमी**

| विवरण | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| दुग्ध उत्पादन (000 मैट्रिक टन) | 6644 | 6572.4 | 6895 | 6854.8 | 7240 | 7166.9 |
| अण्ड़ा उत्पादन (लाख में) | 9574 | 9747 | 10816 | 6714.8 | 12006 | 6814.2 |
| ऊन उत्पादन (000 किलो ग्राम) | 443 | 401 | 403 | 380.9 | 404 | 369.2 |
| मांस उत्पादन (000 टन) | 21.5 | 20.6 | 23.3 | 34.2 | 37.2 | 36 |

**(स्रोतः - संचालनालय द्वारा प्रेषित आंकड़े)**

**2008-09 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों में अण्डा उत्पादन (17 जिलों)एवं ऊन उत्पादन (छह जिलों) में कम हुआ।**

लेखापरीक्षित जिलों में वर्ष 2008-09 के दौरान आठ जिलों में दुग्ध उत्पादन चार से 20 प्रतिशत के मध्य कम हुआ, वर्ष 2008-09 के दौरान 17 जिलों में अण्डा उत्पादन में नौ से 63 प्रतिशत के मध्य कमी थी एवं छः जिलों में ऊन उत्पादन में आठ से 100 प्रतिशत के मध्य कमी थी। संचालनालय में 2009-10 के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। संचालक ने बताया (अगस्त 2010) कि राज्य मे बर्डफ्लू के प्रभाव के कारण अण्डा उत्पादन में कमी आई थी। ऊन उत्पादन में कमी का कारण राज्य में भेड़ों की संख्या में कमी एवं भेड़ पालकों द्वारा भेड़ पालन में रूचि नहीं लिया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा बर्डफ्लू होने संबंधी कोई अभिलेख प्रमाण स्वरूप नहीं दिया गया और ना ही ऐसी घटनाओं संबंधी राज्य रोग अनुसंधान शाला का कोई प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों में था। विभाग द्वारा भेड़ पालकों की भेड़ पालन में रूचि न होने के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार विभाग, भेड़ पालकों को भेड़ पालन के लिये प्रोत्साहित करने मे एवं ऊन उत्पादन में वृद्वि करने में असफल रहा।

### *3.2.8.8 कृषि पशुओं की वध हेतु जांच न होना*

**लेखापरीक्षित इकाईयों में नियमो एंव अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया गया ।**

कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 के अनुसार एक पशु चिकित्सा अधिकारी को कृषि पशुओ के वध से पूर्व जांच के लिए पदस्थ किया जाना आवश्यक था। उसके द्वारा परीक्षण किए गए पशुओं का विवरण दर्शाते हुए फार्म सी में एक पंजी का संधारण करना था एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिये था जबकि कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये ना तो पशु चिकित्सक पदस्थ किये गये ना ही प्रपत्र सी में पंजी संधारित की गई थी।

## 3.2.9 क्षमता निर्माण

### *3.2.9.1 पशु चिकित्सा केन्द्रों की कमी*

**राज्य में 3,467 पशु चिकित्सा केन्द्रों एवं 9,868 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की कमी पाई गई।**

राष्ट्रीय कृषिपरिषद की अनुशंसा के अनुसार 7,000 पशुधन संख्या पर एक पशु चिकित्सा केन्द्र (पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय) आवश्यक था। इसी प्रकार एक हजार प्रजनन योग्य पशुधन संख्या पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र होना चाहिये। अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि राज्य में मौजूद 4.07 करोड़ पशुधन संख्या के लिये आवश्यक 5,813 पशु चिकित्सा केन्द्रों की तुलना में 2,346 पशु चिकित्सा केन्द्र (608 पशुचिकित्सालय एवं 1,738 पशु औषधालय)क्रियाशील थे । इस प्रकार राज्य में 3,467 पशुचिकित्सा केन्द्रों की कमी थी। इसी प्रकार 1.21 करोड़ प्रजनन योग्य पशु संख्या के लिए आवश्यक 12,104 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की तुलना में केवल 2,236 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (18 प्रतिशत) संचालित थे ।

पशु चिकित्सा केन्द्रों एंव कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की कमी से प्रजाति संवर्धन एंव पशु उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

### *3.2.9.2 पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए अपर्याप्त भौतिक अधोसंरचना*

**1,180 पशु चिकित्सा संस्थाऐं बिना स्वयं के भवन के संचालित हो रही थी।**

पर्याप्त अधोसंरचना के बिना विभिन्न सेवाओं का समुचित उपयोग एवं उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। संचालनालय के अभिलेख की जांच में पाया गया कि कुल 4,582 संस्थाओं में से 1,180 (26 प्रतिशत) संस्थायें बिना स्वंय के भवन के संचालित हो रही थी। लेखापरीक्षित इकाईयों में 572 पशु चिकित्सा इकाईयाँ बिना स्वंय के भवन के कार्य कर रही थी। 325 इकाईयों में विद्युत नहीं थी एवं 311 में शीत श्रंखला की सुविधा नहीं थी ।

इसका उल्लेख किये जाने पर संचालक/उपसंचालकों ने बताया (अगस्त 2010)कि अधोसंरचना में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे है।

### 3.2.9.3 सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के बिना चिकित्सालयों एवं पशु औषधालय का संचालन

**147 चिकित्सालय बिना सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ के चल रहे थे।**

पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों की स्थापना की गई। अमले की स्थापना की संरचना के अनुसार प्रत्येक चिकित्सालय में एक सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं प्रत्येक औषधालय में एक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के साथ पैरा पशु चिकित्सा अमला संस्थाओं में पशु चिकित्सा सुविधा देने के लिए स्वीकृत थे । अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि राज्य में 147 पशु चिकित्सालय बिना सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ के चल रहे थे । लेखापरीक्षित 20 जिलों में से 11 जिलों मे 64 पशु चिकित्सालय एवं 141 पशु औषधालय बिना सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एव सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के एक से 14 वर्षो से क्रियान्वित थे ।**(परिशिष्ट 3.16)**

इसका उल्लेख किये जाने पर संचालक/उपसंचालको द्वारा बताया गया (अगस्त 2010) कि पड़ोसी चिकित्सालयों के सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एंव सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को रिक्त पशुचिकित्सालय एवं औषधालय में चिकित्सा के लिए भेजा जाता है तथा सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी की पदस्थापना हेतु प्रयास प्रांरभ किये जा रहे हैं । निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा सूचित किया गया कि 89 व्यक्तियों की भर्ती प्रकियाधीन है ।

### *3.2.9.4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनियमित व्यय*

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए राज्य कृषि योजना के तहत विभागीय परियोजना प्रतिवेदन पर विचारार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित (जुलाई 2008) राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा निर्देश जारी किए गए (जुलाई 2008) कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वाहनों का क्रय, कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति,स्थायी संरचना एवं बड़े भवनों के निर्माण जैसे कार्य अनुमत्य नहीं थे ।

अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि संचालक ने तीन महेन्द्रा बुलेरों वाहन (₹ 12.87 लाख) एवं दो ट्रैक्टर (₹ 8.91 लाख), एस एल एस सी द्वारा प्रतिबंधित करने के बावजूद क्रय किये (दिसम्बर 2008) एवं प्रक्षेत्रों को आंवटित किये गये । इस प्रकार ₹ 21.78 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

**राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के निर्देशों के प्रतिकूल राशि ₹12.78 करोड़ का व्यय किया गया।**

जाँच में यह भी पाया गया कि राशि ₹ 12.35 करोड़ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल एंव पशु प्रक्षेत्रों मे केटल शेड निर्माण के लिए निर्गमित किये गये (नबम्बर 2008 एवं अगस्त 2009)। प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य अद्यतन अपूर्ण है (अगस्त 2010) एवं वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 21.90 लाख के फर्नीचर,लेपटाप एवं कम्प्यूटर क्रय किये गये,जो संचालनालय में अनुपयोगी पड़े हुये थे । इस प्रकार राशि रूपये ₹ 12.35 करोड़ का निर्गमन अनियमित था।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि ₹ 12.78 करोड़ का व्यय, एस एल एस सी के निर्देशों के प्रतिकूल था। निर्गम परिचर्चा के दौरान विभाग द्वारा एस एल एस सी से स्वीकृति लेने का आश्वासन दिया गया।

## 3.2.10 गुणवत्ता नियंत्रण

### *3.2.10.1 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला*

वर्ष 2005-06 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 5.1.8.5 में उल्लेखित है कि भारत शासन द्वारा अक्टूबर 2001 में भोपाल में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यू.सी.एल) स्थापित करने हेतु ₹ 32.90 लाख निर्गमित किये जिसमें से राशि ₹8.04 लाख का व्यय, प्रयोगशाला उपकरण के क्रय पर हुआ। राशि ₹24.86 लाख स्वीकृति का पुर्नवैधीकरण न होने के कारण भारत शासन को मार्च 2007 में वापिस किये गये । इसी तारतम्य में राशि ₹35 लाख भारत शासन से 2009-10 में प्राप्त हुई जिसका उपयोग क्यू.सी.एल. भवन निर्माण न होने के कारण अक्टूबर

2010 तक नहीं किया जा सका । इस प्रकार राशि की उपलब्धता होने पर भी क्यू.सी.एल.की स्थापना नहीं हुई। प्रयोग शाला उपकरणों के क्रय पर किया गया व्यय राशि ₹ 8.04 लाख निष्फल रहा क्योंकि क्यू.सी.एल. स्थापित न होने के कारण उपकरण स्थपित नहीं किये जा सके । निर्गम परिचर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि गुणवत्ता नियत्रंण प्रयोगशाला के डिजाइन को अन्तिम रूप देने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा था ।

### *3.2.10.2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन*

**धनराशि की उपलब्धता होने पर भी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन नही किया गया।**

पशु खाद्य में यूरिया, अल्फाटोक्सिन एवं खनिजों का आंकलन आवश्यक है क्योंकि ये घटक पशु/कुक्कुट के खाद्य में क्रूड प्रोटीन का प्रतिशत बढ़ा देते हैं जो कि पशुओं के अस्वस्थ होने एवं मृत्यु का कारण बनता है । खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में 1972-73 में स्थापित की गयी । प्रयोगशाला में केवल क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइवर,क्रूड फेट तथा कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे अघुलनशील खनिजों के प्रतिशत का विलेषण करने की सुविधा थी । इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में राशि ₹ 53.66 लाख (यूरिया आंकलनः ₹4.27 लाख,अल्फाटॉक्सिन आंकलनः ₹ 22.13 लाख, खनिज मिश्रणः ₹ 2.26 लाख एवं स्वचलित विशलेषकः ₹ 25 लाख) खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला के उन्नयन के लिये स्वीकृत की गई । स्वीकृत राशि का मार्च 2010 तक उपयोग नहीं किया गया एवं व्यक्तिगत जमा खाते में जमा थी ।

इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक ने कहा (अगस्त 2010) कि उन्नयन कार्य की प्रक्रिया प्रचलन में है एवं शीघ्र पूर्ण की जावेगी ।

### *3.2.10.3 राज्य रोग अनुसंधान प्रयोगशाला का उन्नयन*

भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायतित परियोजना एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी,नियंत्रण,एंव रोकथाम के अन्तर्गत राज्य रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्तर-द्वितीय के रूप में उन्नयन हेतु ₹ 22 लाख स्वीकृत कर प्रदाय की गई (2008-09)।

संचालनालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राशि ₹9.50 लाख जनवरी 2010 में (₹ आठ लाख प्रयोगशाला भवन के संशोधन हेतु लोक निर्माण विभाग एवं ₹1.50 लाख राज्य रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को) निर्गमित किये गये। प्रयोगशाला उपकरणों के लिये फरवरी 2008 में निर्गमित ₹12.50 लाख में से संचालक द्वारा राशि ₹2.59 लाख के कार्यालयीन उपकरण जैसे लेपटाप,यू.पी.एस.आदि क्रय किये गये एवं शेष राशि ₹9.91 लाख व्यक्तिगत खाते में जमा थी । इस प्रकार प्रयोगशाला का उन्नयन नहीं किया जा सका ।

इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक ने कहा (अगस्त 2010) कि उपकरण, निविदा अनुमोदन के पश्चात क्रय किये जायेंगे ।

### 3.2.10.4 पशुरोगों का नियंत्रण

**टीकाकरण के लक्ष्यों की अधिक उपलब्धि होने के बावजूद रोगों के प्रकोप की घटनाऐं उच्च रही।**

महामारी एवं सक्रांमक रोगों के प्रकोप को टीकाकरण द्वारा रोकने के लिये केन्द्र एवं राज्य शासन के मध्य 75:25 की हिस्सेदारी पर पशु रोगों के नियंत्रण के लिये राज्यों को सहायता का कार्यक्रम भारत शासन द्वारा अनुमोदित किया ।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुँहखुरपका (एफ.एम.डी.), हेमोरेजिक सेप्टीसीमियां (एच.एस.) ब्लेकक्वाटर (बी.क्यू) पेस्टिस डेस पेटिस द रूमिनेन्ट्स (पी.पी.आर.) के टीकाकरण में (राज्यस्तर) पूर्णतः लक्ष्य प्राप्त होने के बावजूद भी एफ.एम.डी., बी.क्यू, एवं एच.एस. के रोग प्रकोप राज्य में उच्च रहे जैसा कि **तालिका 3.20 में** दर्शाया गया है ।

तालिकाः- 3.20: रोग प्रकोप की स्थिति

| वर्ष | प्रकोप की संख्या | टीकाद्रव का नाम | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | एच.एस. | बी.क्यू | एफ.एम.डी. | स्वाइन फ्लू |
| 2007-08 | 66 | 30 | 6 | 23 | 7 |
| 2008-09 | 98 | 32 | 10 | 52 | 4 |
| 2009-10 | 95 | 44 | 10 | 26 | 15 |

**(स्त्रोत : - राज्य रोग अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा प्रदायित आंकड़े )**

लेखापरीक्षित 20 जिलों में से 19 जिलों में (खण्डवा को छोड़कर) जिला अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में हुये रोग प्रकोप एवं प्रभावित पशुओं की संख्या से अनभिज्ञ थे । इससे इंगित होता है कि टीकाकरण अप्रभावी था । यह टीकाद्रव के परिवहन एवं भण्डारण में शीत श्रंखला को न बनाये रखने के कारण से हो सकता है । प्रकरण, संचालक को सूचित किया गया (अगस्त 2010) लेकिन उनका उत्तर अप्राप्त था ।

### 3.2.10.5 संक्रामक रोग स्टेशनों का स्थापित न होना

मध्यप्रान्त पशुरोग अधिनियम 1934 (सीपीसीडीए)/पशुओं में संक्रामक एवं संसर्ग जन्य रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009 में राज्य/जिलों के प्रवेश मार्ग पर संक्रामक रोग स्टेशनों को स्थापित किया जाना आवश्यक था । प्रवासी पशुओं में संक्रामक रोगों की जाँच के लिये एक पशु चिकित्सा अधिकारी पदस्थ किया जाना था । वह पशुओं को टीकाकरण आदि के लिये रोके जाने या संक्रामक स्टेशन से निकलने हेतु अधिनियम के सेक्शन 7 में परमिट जारी करने के लिये सक्षम था । परन्तु सीपीसीडीए के अन्तर्गत किसी भी लेखापरीक्षित ईकाई में संक्रामक स्टेशन नहीं बनाये गये ।

## 3.2.11 मानव संसाधन प्रबन्धन

### *3.2.11.1 अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबन्धन*

विभाग द्वारा मानव शक्ति की श्रेणीवार आवश्यकता एवं सुपरिभाषित कार्य मानकों का आंकलन नहीं किया गया । राज्य में 31 दिसम्बर 2009 को अमले की श्रेणीवार स्थिति **तालिका 3.21 में** दर्शायी गई हैं ।

तालिका 3.21: मानव संसाधन की स्थिति

| क्रमांक | श्रेणी | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | *कमी(प्रतिशत)* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम श्रेणी | 76 | 45 | 31 (41) |
| 2 | द्वितीय श्रेणी | 1350 | 1004 | 346 (26) |
| 3 | तृतीय श्रेणी | 6512 | 5425 | 1087 (17) |
| 4 | चतुर्थ श्रेणी | 2919 | 2833 | 86 (3) |
| | **कुल** | **10857** | **9307** | **1550 (14)** |

**(स्त्रोतः संचालनालय द्वारा प्रेषित आंकड़े )**

**विभाग में पशु चिकित्सा अमले की अत्यधिक कमी पाई गई**

दिसम्बर 2009 की स्थिति में कुल स्वीकृत 10,857 पदों के विरूद्ध केवल 9,307 व्यक्ति कार्यरत थे। उप संचालक (43 प्रतिशत), सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ (25 प्रतिशत) एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्राधिकारी संवर्ग में (18प्रतिशत) की कमी होने के बावजूद 35 सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर थे जिससे प्रजाति सुधार एवं पशु स्वास्थ्य सेवायें बुरी तरह प्रभावित हुई।

संचालक ने सूचित किया (जनवरी 2010) कि रिक्तियॉ मुख्यतःनियुक्तियों पर प्रतिबंध से थी एवं प्रतिनियुक्ति से कर्मचारियों को वापस बुलाये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था।

### *3.2.11.2 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के स्टाफ पर अनियमित व्यय*

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को हस्तांतरित किया गया (1995)। हस्तांतरण शर्त के अनुसार प्रक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान पशुपालन विभाग द्वारा केवल वर्ष 2000 तक किया जाना था ।

सम्बन्धित उप संचालक के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि चार प्रक्षेत्र कर्मचारियों के वेतन का निरन्तर भुगतान पशु पालन विभाग द्वारा वर्ष 2000 के पश्चात भी किया जा रहा था । परिणामस्वरूप प्रक्षेत्र के अमले पर ₹ 43.93 लाख का अनियमित व्यय हुआ।
इसका उल्लेख किये जाने पर, उप संचालक ने उत्तर दिया (जून 2010) कि प्रकरण संचालक को प्रतिवेदित किया गया था एवं उनका आदेश अप्राप्त था।

### 3.2.11.3 संलग्न कर्मचारियो के वेतन एवं भत्तों पर अनियमित व्यय

**अन्य विभागों में कार्यरत अमले पर ₹3.38 करोड़ का व्यय किया गया।**

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी निर्देशों (25 अगस्त 2000) के अनुसार कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाकर समस्त संलग्न कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में वापिस भेजा जाना आवश्यक था ।

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 69 कर्मचारी अन्य कार्यालयों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्ट्रेट आदि में अभी भी संलग्नीकृत थे एवं उनके वेतन भत्तों का भुगतान पशुपालन विभाग से किया जा रहा था । इस प्रकार संलग्नीकृत कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर किया गया व्यय ₹3.38 करोड़[40] अनियमित था ।

इसका उल्लेख किये जाने पर उप संचालकों ने बताया (जुलाई 2010) कि इस संदर्भ में कार्यवाही की जावेगी ।

### 3.2.11.4 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण में कमी

**कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण में वर्ष 2007-10 के दौरान 45 से 72 प्रतिशत की कमी थी।**

कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, मण्डला की स्थापना सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को कृत्रिम गर्भाधान का तकनीकी प्रशिक्षण, पूर्व प्रशिक्षितों के लिए रिफ्रेशर पाठयक्रम एवं ग्रामीण लोगो के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु की गई थी।

प्रशिक्षण संस्थान के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2007-10 के दौरान लक्षित 890 की तुलना में केवल 375 (42 प्रतिशत) व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये । प्रशिक्षण के विवरणों को **तालिका 3.22** में दर्शाया गया है ।

**तालिका 3.22: कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की स्थिति**

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी (प्रतिशत) | कुल व्यय (₹ लाख में) | कमी का अनुपातिक व्यय (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 340 | 186 | 154 (45) | 22.72 | 10.22 |
| 2008-09 | 285 | 114 | 171 (60) | 27.73 | 16.63 |
| 2009-10 | 265 | 75 | 190 (72) | 33.60 | 24.19 |
| **कुल** | **890** | **375** | **515 (58)** | **84.05** | **51.04** |

**(स्त्रोतः कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान मण्डला के अभिलेखों से)**

वर्ष 2007-10 के दौरान 75 से 186 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में सम्मिलित हुये । 45 से 72 प्रतिशत के मध्य कमी रही ।

---

40 *बालाघाट (4 कर्मचारी) ₹ 17.89 लाख, छतरपुर (3) ₹ 23.13 लाख, छिन्दवाड़ा (6) ₹ 32.49 लाख, धार (2) ₹ 4.13 लाख, गुना (9) ₹ 21.29 लाख, होशंगाबाद (4) ₹ 18.36 लाख, जबलपुर– (4) ₹ 9.69 लाख, झाबुआ (3) ₹ 20.83 लाख, मंडला (4) ₹ 32.85 लाख, नरसिंहपुर (6) ₹ 43.54 लाख, रीवा (1) ₹ 5.19 लाख, सिवनी (5) ₹ 30.11 लाख, शहडोल (3) ₹ 25.34 लाख, शिवपुरी (3) ₹ 20.67 लाख एवं टीकमगढ़ (12) ₹ 32.57 लाख।*

उप संचालक ने उत्तर दिया (मई 2010) कि जिलों द्वारा सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों एवं गौ सेवकों को प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा गया था।

## 3.2.12 भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन

### 3.2.12.1 भण्डार एवं सामग्री लेखों का तैयार न किया जाना

**30 लेखा परीक्षित इकाइयों में से 25 इकाइयों में भण्डार एवं सामग्री लेखे तैयार नहीं किये गये।**

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 124 से 126 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा औषधि, उपकरण और मशीनरी के क्रय एवं जारी किये जाने के संबंध में भण्डार एवं सामग्री लेखे प्रतिवर्ष तैयार किये जाने चाहिये । भण्डार का भौतिक सत्यापन भी प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए एवं भण्डार प्रभारी चल सम्पत्ति नियंत्रण प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। संचालनालय एवं चयनित ईकाईयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 30 लेखापरीक्षित इकाईयो में से केवल पाँच इकाईयों जैसे-बालाघाट, बैतूल, होशागाबाद, छतरपुर एवं इन्दौर मे ही भण्डार एवं सामग्री लेखे तैयार किये गये ।

अन्य इकाईयों के उपसंचालकों ने बताया (जुलाई 2010) कि भण्डार एव सामग्री लेखे भविष्य मे तैयार किये जावेगे ।

### 3.2.12.2 अनुपयोगी सामग्री का निपटान

**₹1.30 करोड़ कीमत की अनुपयोगी सामग्री 20 वर्ष तक की अवधि से निपटान हेतु लंबित थी।**

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 141 के अनुसार, वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान अनुपयोगी सामग्रियों की पहचान कर नीलामी के माध्यम से निपटान कर देना चाहिये एवं अन्त मे भण्डार लेखो से अपलेखित कर देना चाहिये ।

चयनित इकाईयो के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि अनुपयोगी सामग्री जैसे नाइट्रोजन संयत्र, क्रायोक्रेन, ट्रेक्टर, वाहन इत्यादि ₹1.30 करोड़[41] कीमत के 20 वर्ष तक की अवधि से भण्डार में पड़े हुये थे ।

संचालक/उपसचांलकों ने बताया (जून 2010) कि निपटान, विभाग द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित कीमतों से ऊँची कीमतों के निर्धारण के कारण लम्बित था। मूल्यों को पुनरीक्षित करने हेतु किए गए प्रयास भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

### 3.2.12.3 औषधियों की गुणवत्ता आश्वासन का अभाव

**औषधियाँ बिना उनकी गुणवत्ता ज्ञात किये उपयोग की जा रही थी।**

विभाग मे औषधियों का क्रय कम्पनियों से निविदाए आमत्रितं करने के बाद किया जा रहा था एवं पशु चिकित्सा केन्द्रो की उपयोगिता हेतु प्रदाय किया जा रहा था। औषधियों के उपयोग के पूर्व गुणवत्ता जॉच के लिए कोई प्रकिया निर्धारित नही थी अतः औषधियों के उपयोग के पूर्व कोई

41 *बालाघाट-₹ 3.49 लाख, भोपाल (दुग्ध संपदा)-₹ 74.72 लाख, छतरपुर-₹ 16.37 लाख, छिन्दवाड़ा -₹ 13.54 लाख, छिन्दवाड़ा ( जी.पी.एफ.)-₹ 0.21 लाख, होशंगाबाद-₹ 0.35 लाख, जबलपुर-₹ 0.18 लाख, खण्डवा–₹ 16.81 लाख, मंडला–₹ 0.17 लाख, नरसिंहपुर–₹ 1.57 लाख, सागर-₹ 0.09 लाख, सीहोर–₹ 0.91 लाख, सिवनी–₹ 0.12 लाख, टीकमगढ़–₹ 0.32 लाख एवं उमरिया-₹ 1.04 लाख।*

गुणवत्ता जॉच नही की गई। सभी क्रय औषधियों का उपयोग उनकी गुणवत्ता ज्ञात किये बिना किया जा रहा था ।

निगर्म परिचर्चा के दौरान, विभाग द्वारा औषधियों के गुणवत्ता नियत्रंण के लिए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया ।

### *3.2.12.4 औषधि उत्पादन लाइसेंस के नवीनीकरण के बिना टीकाद्रवों का उत्पादन*

**वर्ष 2002 से लाईसेंस का नवीनीकरण किये बिना टीका द्रवों का उत्पादन किया जा रहा था।**

पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान उच्च स्तर पर पशुचिकित्सा जैविक का उत्पादन एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से स्थापित किया गया था। इसके लिए संस्थान को औषधि उत्पादन लाईसेंस, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि(सी एफ डी) से नवीनीकरण करवाना आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संस्थान का औषधि लाईसेंस का नवीनीकरण करेन्ट गुड मेन्यूफेक्यरिंग प्रेक्ट्रिस (सीजीएमपी) के निर्धारित मानकों के अनुपालन न किये जाने के कारणों सें वर्ष 2002 से लम्बित था। सीएफडी द्वारा बताया गया (फरवरी 2003) कि संस्थान द्वारा बिना वैध लाईसेंस के विभिन्न टीकाद्रवों का उत्पादन किया जा रहा था।

शासन ने सीजीएमपी मानकों के क्रियान्वयन के लिए राशि ₹ 10 करोड़ (₹ आठ करोड़ निर्माण कार्य,₹ दो करोड़ मशीन एवं उपकरण के क्रय हेतु) स्वीकृत की(2007-08)। उन्नयन कार्य नहीं किया गया एवं राशि व्यक्तिगत खातों में जमा की गई। इसका उल्लेख किये जाने पर संचालक ने बताया (सितंबर 2010) कि सीजीएमपी मानकों के अनुरूप संस्थान का आधुनिकीकरण, शासन स्तर से सलाहकार नियुक्त होने पर किया जावेगा।

### *3.2.12.5 बिना परीक्षण के पशु आहार का प्रयोग*

**संचालक के निर्देशों के विपरीत बिना परीक्षण के ₹90.78 लाख के पशु आहार का उपयोग किया गया।**

संचालक, पशु चिकित्सा सेवाऐं एवं खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संस्थानों द्वारा क्रय किये गये पशु आहार के सभी बैच नंबरों का विश्लेषण खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला से कराया जाना था। पशु आहार जिसके नमूने अमानक स्तर के पाये जाते उनका उपयोग पशुओं के लिए नहीं करना था।

उपसंचालकों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत खरीदा गया ₹ 90.78 लाख[42] राशि का पशु आहार, बिना शासकीय प्रयोगशाला में नमूना जांच किए उपयोग किया गया एवं विभाग द्वारा इसके प्रभाव का संपक्षिक अध्ययन विभाग में नहीं पाया गया।

इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक एवं उपसंचालकों ने बताया (सितंबर 2010) कि पशु आहार सरकारी उपक्रमों/फर्मों से क्रय किया गया अतः परीक्षण नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि क्रय किये गये सभी पशु आहार के नमूनों का परीक्षण कराया जाना आवश्यक था।

42 *बालाघाट- ₹ 29.02 लाख, छतरपुर - ₹ 2.04 लाख, ग्वालियर - ₹ 4.74 लाख, धार - ₹ 4.08लाख, होशगाबाद - ₹ 4.92 लाख,इन्दौर – (एलएएचवीव्ही) ₹ 4.11लाख, इन्दौर - ₹ 4.27 लाख, खण्ड़वा - ₹ 13.50 लाख, मंड़ला - ₹ 5.80 लाख, नरसिंहपुर - ₹ 8.91लाख, शहडोल - ₹ 1.26 लाख, शिवपुरी- ₹ 1.72 लाख, टीकमगढ-₹ 1.58 लाख, और उमरिया–₹ 4.83 लाख।*

### 3.2.12.6 टीकाद्रवों का उच्च ताप पर संरक्षण एवं परिवहन

**निर्देशों के विपरीत ₹1.78 करोड़ के टीका द्रवों का परिवहन वायुमण्डलीय तापक्रम पर किया गया।**

संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं एवं जैविक उत्पाद संस्थान इन्दौर द्वारा तैयार विवरणिका में बताया गया कि प्रदाय के समय टीकाद्रव को 2° सेंटीग्रेड से 8° सेंटीग्रेड के तापक्रम के मध्य संरक्षित रखा जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षित इकाईयों की जांच मे पाया गया कि डीप फ्रीजर, रेफ्रीजरेटर वैन (कोल्डचैन बनाए रखने हेतु उपयोगी) की उपलब्धता के न होने से राशि ₹1.78 करोड़[43] के टीकाद्रवों को टीकाद्रवों की शाक्ति को बचाने के लिए आवश्यक तापक्रम पर सरंक्षित नही किया गया। इसप्रकार वायुमण्डलीय तापक्रम पर भण्ड़ारण एवं परिवहन से उसकी शक्ति पर विपरित प्रभाव पड़ा होगा।

इसका उल्लेख किये जाने पर, उपसचांलको ने उत्तर दिया (मई से सितम्बर 2010) कि टीकाद्रवों को ठंडे स्थानो पर संग्रहित किया गया एंव परीक्षण सुविधाओं के अभाव में बिना परीक्षण के उपयोग किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वायुमण्डलीय तापक्रम पर टीकाद्रवों के भण्डारण से उसकी शक्ति पर प्रभाव पड़ना निश्चित है।

### 3.2.12.7 स्ट्रा के क्षय से अतिरिक्त व्यय

**कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के दौरान छहः से 19 प्रतिशत स्ट्रा का क्षय हुआ।**

कृत्रिम गर्भाधान के लिए स्ट्रॉ एवं स्ट्रॉ के संरक्षण हेतु तरल नाइट्रोजन आवश्यक था। एक कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक स्ट्रॉ पर्याप्त था।

लेखापरीक्षित उपसंचालकों के अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि प्रशिक्षित अमले एवं उपकरण की अनुपलब्धता के कारण कृत्रिम गर्भाधान की प्रकिया के दौरान छह से 19 प्रतिशत तक स्ट्रॉ का क्षय हुआ। परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय राशि ₹23.45 लाख (₹11.26 लाख स्ट्रॉ की कीमत एवं ₹ 12.19 लाख तरल नाइट्रोजन की आनुपतिक कीमत) रहा। इकाई से इकाई में स्ट्रॉ के क्षय में भिन्नता थी। इसके अलावा यह पाया गया कि विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की प्रकिया के दौरान स्ट्रॉ के क्षय के मापदण्ड निर्धारण हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया। इसीतरह लेखापरीक्षित इकाईयों में प्रति स्ट्रॉ के सरंक्षण की कीमतों मे ₹ 7.75 से ₹ 21.88 प्रति स्ट्रॉ के मध्य विभिन्न्ता पाई गई (**परिशिष्ट 3.17**)।

इसका उल्लेख किये जाने पर, उपसंचालक ने बताया (जून 2010) कि यह क्षय प्रक्रियात्मक था। निर्गम परिचर्चा मे प्रमुख सचिव ने कहा कि स्ट्रॉ के क्षय का अध्ययन एवं मापदण्डो के निर्धारण के सुझाव देने हेतु कमेटी गठित की जावेगी।

---

43 *बालाघाट– ₹ 14.97 लाख, बैतूल– ₹ 19.87 लाख, छतरपुर- ₹ 11.17 लाख, धार– ₹ 23.64 लाख, गुना– ₹ 3.91 लाख, होशंगाबाद– ₹ 5.52 लाख, इंदौर– ₹ 5.01 लाख, जबलपुर- ₹ 7.90 लाख, झाबुआ– ₹ 14.94 लाख, खंडवा– ₹ 10.39 लाख, मंडला– ₹ 8.55 लाख, नरसिंहपुर– ₹ 10.12 लाख, रतलाम– ₹ 5.79लाख, सीहोर– ₹ 3.67लाख, शिवपुरी– ₹ 7.26 लाख, टीकमगढ– ₹ 12.50 लाख, उज्जैन– ₹ 9.05 लाख तथा उमरिया– ₹ 4.12 लाख ।*

## 3.2.13 आन्तरिक नियत्रंण

प्रबंधन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की शुद्वता एंव प्रभावकारिता को मापने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा एक मुख्य यंत्र है ।

### *3.2.13.1 विभागीय नियमावली*

संचालनालय के साथ साथ लेखापरीक्षित इकाईयों मे विभागीय नियमावली, उपलब्ध नही थी। संचालनालय ने कहा (जनवरी 2010) कि नियमावली के अघतनीकरण का कार्य प्रचलन में था । पुरानी नियमावली लेखापरीक्षा को दिखाई नही गई ।

### *3.2.13.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा*

संचालनालय स्तर पर एक आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा को स्थापित किया गया था। वहॉ आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नियमावली/कोड नहीं थी। 18 स्वीकृत पदों में से केवल तीन व्यक्ति (एक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं दो उप लेखापरीक्षक) पदस्थ थे (अगस्त 2010)

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लक्षित 75 इकाइयों (25 इकाई प्रति वर्ष) की तुलना में केवल सात इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। इसप्रकार विभाग मे आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभावी नहीं थी ।

### *3.2.13.3 विभाग मे सूचना प्रोद्यौगिकी की स्थिति*

संचालनालय से जिला मुख्यालयों तक इन्टरनेट सुविधाओं के साथ कम्प्यूटरीकरण उपलब्ध था (www.mpdah.gov.in)। राज्य शासन के निर्देशानुसार एक विभागीय वेबसाइट निर्मित की गई थी तथा विभागीय आदेशों, परिपत्रो तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकाशन के लिए उपयोग की जा रही थी। संचालनालय स्तर पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना नहीं की गई थी । स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एवं अपेक्षित साफ्टवेयर के न होने पर कम्प्यूटरों का उपयोग सूचना प्रौद्यौगिकी की सहभागिता जैसे हार्डवेयर एवं इन्टरनेट सुविधाओं हेतु नहीं हो सका। इसका उल्लेख किये जाने पर, संचालक ने बताया (अगस्त 2010) कि विभाग में नेटवर्किंग की स्थापना के प्रयास किये जा रहे थे।

## 3.2.14 निगरानी

निगरानी के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों के केन्द्रीकृत आकड़ें नही थे। परिणामस्वरूप मुख्य नियंत्रण अधिकारी/संचालक के स्तर पर निगरानी तदर्थ आधार पर थी।

### *3.2.14.1 विभागीय निरीक्षण*

विभाग मे योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण महत्वपूर्ण एवं प्रभावी यंत्र है। संचालक द्वारा अगस्त 1999 में जारी निर्देशों के

अनुसार समस्त सभांगीय संयुक्त संचालक एवं उप संचालक वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम, निरीक्षण रोस्टर एवं जाँच सूची के साथ संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे। पूर्व में जनवरी 1991 में जारी निर्देशों में संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों द्वारा प्रक्षेत्रों पशु चिकित्सालयों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की वार्षिक भेंट निर्धारित थी। नमूना जाँच के दौरान, संयुक्त संचालक ग्वालियर संभाग को छोड़ कर, किसी भी संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा विभागीय निरीक्षण का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। 2007-10 के दौरान संचालनालय स्तर पर निरीक्षणों में कमी 53 से 87 प्रतिशत थी। इसके अलावा, ग्वालियर को छोड़कर लेखापरीक्षित इकाईयों मे निरीक्षण प्रतिवेदन यदि कोई हो एवं उनका पालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

म.प्र. कोषालय संहिता के सहायक नियम 291 में उल्लेखित है कि प्रत्येक संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आहरण एंव संवितरण अधिकारी के रूप मे अपने कार्यालय के लेखाओं का मासिक निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिवेदित करेगें । लेकिन किसी भी संयुक्त संचालक/ उपसंचालक द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया।

### *3.2.14.2 विभागीय जॉच/ लोक शिकायतें/न्यायालयीन प्रकरण*

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यवाहियों के लिए समय सीमा निर्धारित की थी (1997) लेकिन विभाग मे 30 प्रकरण लम्बित थे (1994-2010) जिनमें से 10 प्रकरणों में अक्टूबर 2010 तक जाँच अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये थे। विभागीय जॉच के पूर्ण होने विलंब के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था।

संचालनालय स्तर पर एक लोक शिकायत कक्ष संचालित था । कक्ष में एक संयुक्त संचालक एवं दो अन्य सदस्य कार्य कर रहे हैं। कक्ष द्वारा मूल अभिलेख जैसे शिकायत प्राप्ति पंजी एवं उनके निराकरण की पंजी नहीं रखी गई।

यद्यपि संचालनालय स्तर पर एक कानूनी कक्ष कार्य कर रहा था फिर भी 58 प्रकरण लम्बित थे। जिनके संबंध में विभाग द्वारा अभी तक प्रथम उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा 200 प्रकरणों मे प्राप्त न्यायालयीन आदेशों में से 125 प्रकरणों में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन लम्बित थे। अनुपालन न किये जाने के कारण लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किये गये।

### *3.2.14.3 पूर्व लेखापरीक्षा की लम्बित कंडिकाए*

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक द्वारा बनाये गये अधिनियम (भारत के राजपत्र दिनांक 20 नबम्बर 2007 में प्रकाशित) के अनुसार कार्यालय प्रमुख एवं अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों (कंडिकाओं) का अनुपालन एवं कमियों/चूकों को तत्परता से दूर कर उनका अनुपालन प्रधान महालेखाकार को प्रतिवेदित करना चाहिये । लेकिन 238 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 691 कण्डिकायें जून 2010 की स्थिति मे लम्बित थी जैसाकि निम्न **तालिका 3.23** में दर्शाया गया है ।

**238 निरीक्षण प्रतिवेदन की 691 कंडिकाऐं निराकरण हेतु लंबित थीं।**

तालिका 3.23: लम्बित कड़िकाओ की स्थिति

| अवधि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सख्या | कंडिकाओ की संख्या |
|---|---|---|
| 2004-05 तक | 135 | 235 |
| 2005-06 | 14 | 54 |
| 2006-07 | 22 | 91 |
| 2007-08 | 16 | 77 |
| 2008-09 | 24 | 135 |
| 2009-10 | 27 | 99 |
| **योग** | **238** | **691** |

**(स्त्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अभिलेखों से)**

लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर प्रतिक्रिया का अभाव विभाग स्तर पर पर्याप्त जबाबदेही तन्त्र के अभाव को दर्शाता है।

## 3.2.15 निष्कर्ष

प्लानिंग के लिये सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । विभाग के निष्पादन के आंकलन में पाया गया कि बजटीय नियंत्रण अपर्याप्त थे जिससे अवांछित अनुपूरक प्रावधान किये एवं बचतों का समर्पण नहीं किया जा सका। कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया । अण्डा एवं ऊन के उत्पादन में कमी पाई गई। पशु धन प्रक्षेत्र हानि में थे । लेखापरीक्षित जिलों के प्राधिकारी रोग प्रकोपों एवं प्रभावित जानवरों की संख्या से अनभिज्ञ थे । मानव संसाधन की आवश्यकता एवं उपलब्ध मानव शक्ति की उचित स्थापना की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया गया । विभाग द्वारा औषधि, टीकाद्रवों एवं पशुआहार के संदर्भ में गुणवत्ता आश्वासन मापदण्ड नहीं अपनाये गये थे।

## 3.2.16 अनुशंसाएं

- यथार्थ वार्षिक योजना तैयार करने के लिये पशुधन के समुचित आंकड़ो को रखा जाना चाहिये ।
- बजटीय नियंत्रण अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिये ।
- सभी पशुधन प्रजनन/ पशु प्रक्षेत्रों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के प्रयास किये जाने चाहिये ।
- पशु चिकित्सा केन्द्रों के लिए भवन एवं वीर्य तथा टीकाद्रवों के संग्रहण हेतु उपकरण सहित प्रयोगशालाये जैसी अधोसंरचना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये ।

- गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये ।

- रोग नियंत्रण की दृष्टि से राज्य रोग अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा रोग प्रकोप की जानकारी के समय पर प्रसार के प्रयास किये जाने चाहिये ।

- पशु चिकित्सा अमले की कमी को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिये।

- निगरानी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का पर्याप्त अमलें को पदस्थ कर सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये ।

**ग्वालियर**
**दिनांक**

**(बी.आर. खैरनार)**
**प्रधान महालेखाकार**
**(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)**
**मध्यप्रदेश**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली**
**दिनांक**

**( विनोद राय )**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट - 1.1

*(संदर्भ: कंडिका 1.1.5, पृष्ठ 3)*

## चयनित जिलों और क्रियान्वयन एजेन्सियों की सूची

| सं.क्र. | जिले | कार्यान्वयन एजेंसियां | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क | शासकीय विभाग | ख | ग्रामीण एजेंसियां | ग | शहरी विभाग |
| 1. | बालाघाट | 1. | लोक निर्माण विभाग | 1 | जनपद पंचायत, बालाघाट | 1 | नगर पालिका, बालाघाट |
| | | 2 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 2 | जनपद पंचायत, लांजी | 2 | नगर पालिका, मिलाजखण्ड |
| | | 3 | जल संसाधन विभाग | 3 | जनपद पंचायत, किरनापुर | 3 | जिला पंचायत, बालाघाट |
| | | 4 | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 4 | जनपद पंचायत, परसबाडा | | |
| | | 5 | वन विभाग | 5 | जनपद पंचायत वेहर | | |
| | | | | 6 | जनपद पंचायत, वारासिवनी | | |
| | | | | 7 | जनपद पंचायत, कटंगी | | |
| | | | | 8 | जनपद पंचायत, खैरलांजी | | |
| 2. | बैतूल | 6 | लोक निर्माण विभाग | 9 | जनपद पंचायत, बैतूल | 4 | नगरपालिका, बैतूल |
| | | 7 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 10 | जनपद पंचायत, आमला | 5 | नगरपालिका, बैतूल बाजार |
| | | 8 | जल संसाधन विभाग | 11 | जनपद पंचायत, मुलताई | | |
| | | 9 | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 12 | जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी | | |
| | | | | 13 | जनपद पंचायत, शाहपुर | | |
| 3. | भिण्ड | 10 | जल संसाधन विभाग | | | | |
| 4. | बुरहानपुर | 11 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 14 | जनपद पंचायत, खकनार | 6 | नगरपालिक निगम, बुरहानपुर |
| | | 12 | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 15 | जनपद पंचायत, बुरहानपुर | 7 | नगर पंचायत, शाहपुर |
| | | | | | | 8 | नगर पंचायत, नेपानगर |
| 5 | धार | 13 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 16 | जनपद पंचायत, धार | 9 | नगरपालिका, धार |
| | | 14 | जल संसाधन विभाग | 17 | जनपद पंचायत, मनावर | | |
| | | 15 | सहायक आयुक्त आदिवासी | 18 | जनपद पंचायत, तिरला | | |
| | | 16 | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 19 | जनपद पंचायत, बदनावर | | |
| | | | | 20 | जनपद पंचायत, नालच्छा | | |
| | | | | 21 | जनपद पंचायत, कुक्षी | | |
| | | | | 22 | जनपद पंचायत, बाग | | |
| | | | | 23 | जनपद पंचायत, निसरपुर | | |
| 6. | ग्वालियर | 17 | लोक निर्माण विभाग क्र. 1 | | | | |
| | | 18 | लोक निर्माण विभाग क्र. 2 | | | | |
| | | 19 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | | | | |

| सं.क्र. | जिले | कार्यान्वयन एजेंसियां | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क | शासकीय विभाग | ख | ग्रामीण एजेंसियां | ग | शहरी विभाग |
| 7. | झाबुआ | 20 | लोक निर्माण विभाग | 24 | जनपद पंचायत, झाबुआ | 10 | नगरपालिका, झाबुआ |
| | | 21 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 25 | जनपद पंचायत, रामा | | |
| | | 22 | जल संसाधन विभाग | 26 | जनपद पंचायत, रानापुर | | |
| | | 23 | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 27 | जनपद पंचायत, थांदला | | |
| | | | | 28 | जनपद पंचायत, पेटलावद | | |
| 8. | खरगौन | 24 | लोक निर्माण विभाग | 29 | जनपद पंचायत, खरगौन | 11 | नगरपालिका, खरगौन |
| | | 25 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 30 | जनपद पंचायत, झिरन्या | 12 | नगरपालिका, महेश्वर |
| | | 26 | जल संसाधन विभाग | 31 | जनपद पंचायत, महेश्वर | | |
| | | 27 | म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल | 32 | जनपद पंचायत, बड़वाह | | |
| | | | | 33 | जनपद पंचायत, कसरावद | | |
| | | | | 34 | जनपद पंचायत, सेगांव | | |
| 9 | मण्डला | 28 | लोक निर्माण विभाग | 35 | जनपद पंचायत, मण्डला | 13 | नगरपालिका, मण्डला |
| | | 29 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | 36 | जनपद पंचायत, नैनपुर | | |
| | | 30 | जल संसाधन विभाग | 37 | जनपद पंचायत, निवास | | |
| | | | | 38 | जनपद पंचायत, मोहगांव | | |
| 10 | रतलाम | 31 | लोक निर्माण विभाग | 39 | जनपद पंचायत, रतलाम | 14 | नगरपालिका निगम, रतलाम |
| | | 32 | वन विभाग | 40 | जनपद पंचायत, सैलाना | 15 | नगर पालिका, नामली |
| | | | | 41 | जनपद पंचायत, जावरा | 16 | नगरपालिका बडवाह |
| | | | | 42 | जनपद पंचायत, आलौट | | |
| 11 | टीकमगढ | | | | | | |
| 12 | उमरिया | 33 | लोक निर्माण विभाग | | | 17 | नगरपालिका ,उमरिया |
| | | 34 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें | | | | |
| | | 35 | जल संसाधन विभाग | | | | |

## परिशिष्ट 1.2

*(संदर्भः कंडिका 1.1.7.2, पृष्ठ 5)*

## एजेंसियों के पास अप्रयुक्त राशि का विवरण

*(₹ लाख में)*

| वर्ष | स.क्र. | जिले का नाम | एजेंसियों के पास अप्रयुक्त राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत राशि | एजेंसियों को दी गई राशि | वास्तविक व्यय | अन्तर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2005-06 | 1 | अनूपपुर | 179.88 | 179.88 | 176.00 | 3.88 |
| | 2 | अशोक नगर | 168.55 | 168.55 | 143.49 | 25.06 |
| | 3 | बालाघाट | 480.00 | 480.00 | 460.54 | 19.46 |
| | 4 | बैतूल | 360.00 | 360.00 | 357.43 | 2.57 |
| | 5 | भिण्ड | 360.00 | 346.64 | 345.14 | 1.50 |
| | 6 | बुरहानपुर | 180.00 | 180.00 | 166.14 | 13.86 |
| | 7 | छतरपुर | 300.00 | 300.00 | 295.37 | 4.63 |
| | 8 | छिन्दवाड़ा | 480.00 | 480.00 | 479.00 | 1.00 |
| | 9 | दमोह | 240.00 | 240.00 | 239.50 | 0.50 |
| | 10 | देवास | 300.00 | 300.00 | 293.56 | 6.44 |
| | 11 | धार | 360.00 | 360.00 | 354.00 | 6.00 |
| | 12 | डिंडोरी | 180.00 | 180.00 | 163.78 | 16.22 |
| | 13 | गुना | 180.00 | 180.00 | 178.86 | 1.14 |
| | 14 | होशंगाबाद | 240.00 | 240.00 | 220.49 | 19.51 |
| | 15 | इन्दौर | 480.00 | 480.00 | 432.84 | 47.16 |
| | 16 | जबलपुर | 600.00 | 600.00 | 596.35 | 3.65 |
| | 17 | कटनी | 240.00 | 240.00 | 216.00 | 24.00 |
| | 18 | खण्डवा | 240.00 | 240.00 | 220.10 | 19.90 |
| | 19 | खरगौन | 360.00 | 359.58 | 358.58 | 1.00 |
| | 20 | मण्डला | 240.00 | 240.00 | 230.10 | 9.90 |
| | 21 | मन्दसौर | 240.00 | 240.00 | 238.39 | 1.61 |
| | 22 | नरसिंग्हपुर | 240.00 | 240.00 | 224.98 | 15.02 |
| | 23 | नीमच | 180.00 | 180.00 | 176.00 | 4.00 |
| | 24 | पन्ना | 180.00 | 179.45 | 134.20 | 45.25 |
| | 25 | रायसेन | 240.00 | 164.82 | 137.50 | 27.32 |
| | 26 | राजगढ़ | 299.99 | 299.99 | 291.57 | 8.42 |
| | 27 | रतलाम | 300.00 | 300.00 | 295.53 | 4.47 |
| | 28 | रीवा | 420.00 | 420.00 | 418.08 | 1.92 |
| | 29 | सागर | 480.00 | 480.00 | 476.50 | 3.50 |
| | 30 | सतना | 420.00 | 419.99 | 415.56 | 4.43 |
| | 31 | सीहोर | 239.99 | 239.99 | 237.99 | 2.00 |
| | 32 | सिवनी | 300.00 | 300.00 | 287.25 | 12.75 |
| | 33 | शाजापुर | 300.00 | 300.00 | 298.50 | 1.50 |
| | 34 | शिवपुरी | 300.00 | 300.00 | 277.45 | 22.55 |
| | 35 | टीकमगढ़ | 240.00 | 239.92 | 226.95 | 12.97 |
| | 36 | उज्जैन | 420.00 | 420.00 | 417.00 | 3.00 |
| | 37 | विदिशा | 300.00 | 300.00 | 295.00 | 5.00 |
| | | **योग** | **11268.41** | **11178.81** | **10775.72** | **403.09** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 1 | अनूपपुर | 239.76 | 239.61 | 235.00 | 4.61 |
| | 2 | अशोक नगर | 220.00 | 220.00 | 213.23 | 6.77 |
| | 3 | बडवानी | 318.61 | 318.61 | 311.61 | 7.00 |
| | 4 | बालाघाट | 639.97 | 639.97 | 602.87 | 37.10 |
| | 5 | बैतूल | 479.96 | 479.96 | 471.49 | 8.47 |
| | 6 | भिण्ड | 479.99 | 447.15 | 424.45 | 22.70 |
| | 7 | भोपाल | 320.00 | 320.00 | 312.35 | 7.65 |
| | 8 | बुरहानपुर | 240.00 | 240.00 | 109.80 | 130.20 |
| | 9 | छतरपुर | 400.00 | 399.89 | 386.26 | 13.63 |
| | 10 | छिंदवाडा | 640.24 | 640.00 | 634.10 | 5.90 |
| | 12 | दमोह | 320.00 | 315.05 | 311.05 | 4.00 |
| | 13 | देवास | 400.00 | 400.00 | 395.74 | 4.26 |
| | 14 | धार | 480.00 | 480.00 | 466.00 | 14.00 |
| | 15 | डिन्डोरी | 240.00 | 240.00 | 210.75 | 29.25 |
| | 16 | गुना | 240.00 | 240.00 | 225.70 | 14.30 |
| | 17 | ग्वालियर | 479.96 | 479.96 | 447.05 | 32.91 |
| | 18 | होशंगाबाद | 319.98 | 319.96 | 300.84 | 19.12 |
| | 19 | इन्दौर | 640.00 | 640.00 | 638.00 | 2.00 |
| | 20 | जबलपुर | 799.97 | 799.97 | 776.47 | 23.50 |
| | 21 | कटनी | 320.00 | 320.00 | 317.50 | 2.50 |
| | 22 | खन्डवा | 320.00 | 320.00 | 283.20 | 36.80 |
| | 23 | खरगौन | 480.00 | 480.00 | 455.63 | 24.37 |
| | 24 | मण्डला | 320.00 | 320.00 | 296.85 | 23.15 |
| | 25 | मंदसौर | 319.84 | 320.00 | 315.53 | 4.47 |
| | 26 | मुरैना | 480.00 | 451.33 | 450.17 | 1.16 |
| | 27 | नरसिंग्हपुर | 320.00 | 320.00 | 291.50 | 28.50 |
| | 28 | नीमच | 239.93 | 239.93 | 153.00 | 86.93 |
| | 29 | पन्ना | 239.98 | 238.70 | 184.75 | 53.95 |
| | 30 | रायसेन | 320.00 | 320.00 | 279.00 | 41.00 |
| | 31 | राजगढ़ | 400.00 | 400.00 | 389.62 | 10.38 |
| | 32 | रतलाम | 400.00 | 400.00 | 388.38 | 11.62 |
| | 33 | रीवा | 560.00 | 560.00 | 555.51 | 4.49 |
| | 34 | सागर | 639.97 | 639.77 | 583.00 | 56.77 |
| | 35 | सतना | 559.99 | 559.99 | 558.50 | 1.49 |
| | 36 | सीहोर | 319.99 | 319.99 | 318.84 | 1.15 |
| | 37 | सिवनी | 400.00 | 400.00 | 368.65 | 31.35 |
| | 38 | शहडोल | 239.88 | 239.86 | 238.65 | 1.21 |
| | 39 | शाजापुर | 400.00 | 400.00 | 394.85 | 5.15 |
| | 40 | श्योपुर | 160.00 | 159.96 | 129.92 | 30.04 |
| | 41 | शिवपुरी | 400.00 | 400.00 | 297.50 | 102.50 |
| | 42 | सीधी | 479.95 | 479.20 | 431.09 | 48.11 |
| | 43 | टीकमगढ़ | 319.86 | 319.86 | 290.47 | 29.39 |
| | | **योग** | **16537.83** | **16468.72** | **15444.87** | **1023.85** |

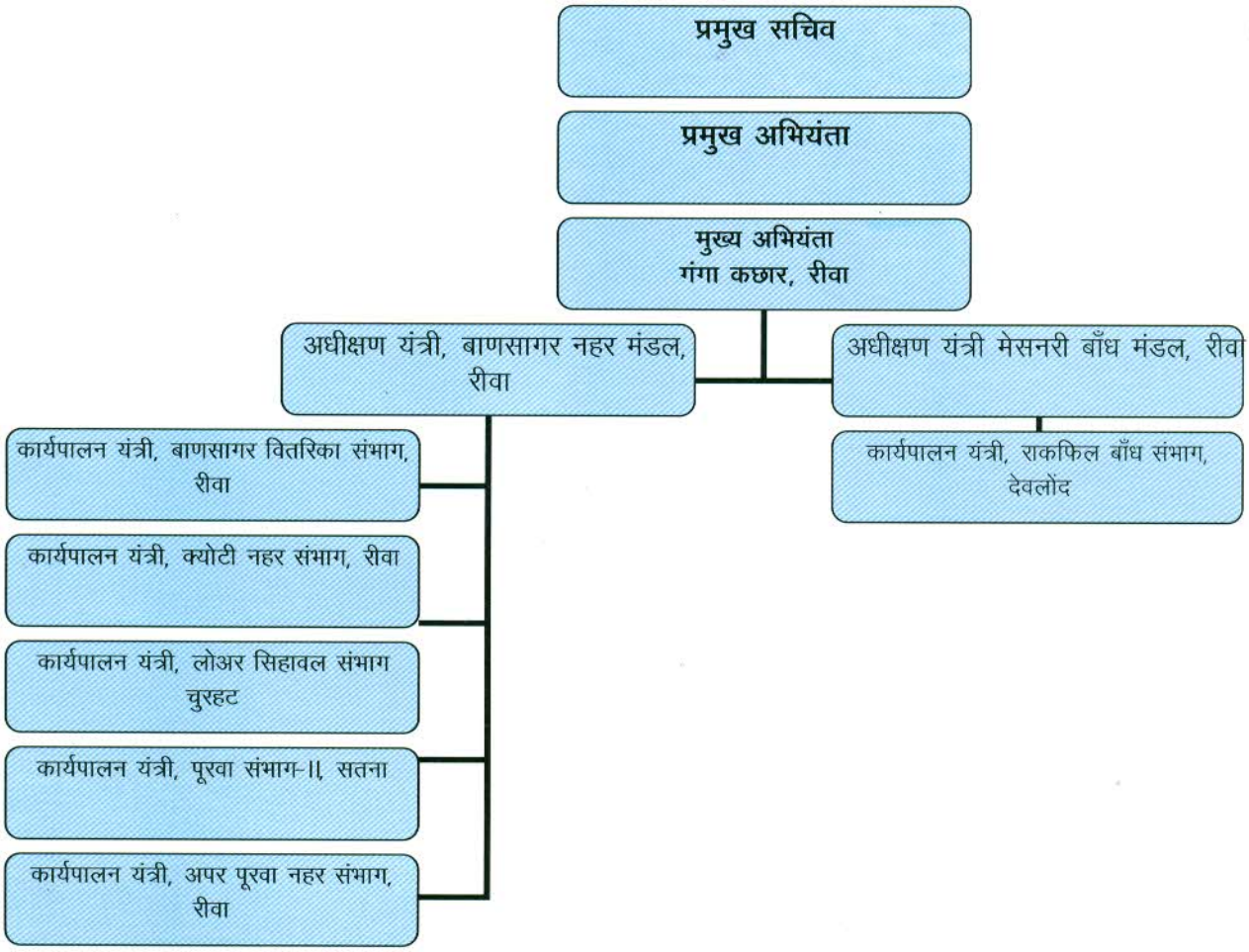
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 1 | अनूपपुर | 230.97 | 230.97 | 195.50 | 35.47 |
| | 2 | अशोकनगर | 219.70 | 219.70 | 178.83 | 40.87 |
| | 3 | बड़वानी | 308.00 | 308.00 | 275.00 | 33.00 |
| | 4 | बालाघाट | 616.00 | 616.00 | 572.41 | 43.59 |
| | 5 | बैतूल | 461.61 | 461.59 | 431.54 | 30.05 |
| | 6 | भिण्ड | 462.00 | 415.32 | 386.15 | 29.17 |
| | 7 | भोपाल | 308.00 | 308.00 | 304.35 | 3.65 |
| | 8 | बुरहानपुर | 231.00 | 231.00 | 124.71 | 106.29 |
| | 9 | छतरपुर | 385.00 | 385.00 | 346.55 | 38.45 |
| | 10 | छिंदवाड़ा | 616.00 | 616.00 | 570.30 | 45.70 |
| | 11 | दमोह | 308.00 | 308.00 | 277.00 | 31.00 |
| | 12 | देवास | 385.00 | 385.00 | 370.22 | 14.78 |
| | 13 | धार | 461.98 | 461.98 | 415.00 | 46.98 |
| | 14 | डिंडोरी | 231.00 | 231.00 | 168.51 | 62.49 |
| | 15 | गुना | 231.00 | 231.00 | 197.53 | 33.47 |
| | 16 | ग्वालियर | 462.00 | 462.00 | 460.00 | 2.00 |
| | 17 | हरदा | 153.78 | 153.78 | 150.84 | 2.94 |
| | 18 | होशंगाबाद | 308.00 | 307.88 | 298.26 | 9.62 |
| | 19 | इन्दौर | 584.42 | 584.42 | 582.22 | 2.20 |
| | 20 | जबलपुर | 769.99 | 769.99 | 738.92 | 31.07 |
| | 21 | झाबुआ | 385.00 | 385.00 | 360.00 | 25.00 |
| | 22 | खंडवा | 307.93 | 307.93 | 268.65 | 39.28 |
| | 23 | खरगौन | 461.98 | 461.98 | 436.90 | 25.08 |
| | 24 | मण्डला | 307.93 | 307.93 | 247.50 | 60.43 |
| | 25 | मंदसौर | 308.00 | 308.00 | 303.44 | 4.56 |
| | 26 | मुरैना | 462.00 | 461.70 | 419.23 | 42.47 |
| | 27 | नरसिंहपुर | 308.00 | 308.00 | 280.46 | 27.54 |
| | 28 | नीमच | 231.00 | 231.00 | 206.00 | 25.00 |
| | 29 | पन्ना | 229.88 | 229.88 | 194.72 | 35.16 |
| | 30 | रायसेन | 307.96 | 307.96 | 255.46 | 52.50 |
| | 31 | राजगढ़ | 385.00 | 385.00 | 347.84 | 37.16 |
| | 32 | रतलाम | 385.00 | 385.00 | 322.87 | 62.13 |
| | 33 | रीवा | 539.00 | 539.00 | 528.15 | 10.85 |
| | 34 | सागर | 616.00 | 615.68 | 544.00 | 71.68 |
| | 35 | सतना | 539.00 | 539.00 | 536.00 | 3.00 |
| | 36 | सीहोर | 308.00 | 308.00 | 288.03 | 19.97 |
| | 37 | सिवनी | 385.00 | 385.00 | 309.35 | 75.65 |
| | 38 | शहडोल | 231.13 | 230.86 | 230.45 | 0.41 |
| | 39 | शाजापुर | 385.00 | 385.00 | 352.80 | 32.20 |
| | 40 | श्योपुर | 153.92 | 153.92 | 83.46 | 70.46 |
| | 41 | शिवपुरी | 385.00 | 385.00 | 266.39 | 118.61 |
| | 42 | टीकमगढ़ | 308.00 | 308.00 | 286.35 | 21.65 |
| | 43 | उज्जैन | 539.00 | 539.00 | 528.11 | 10.89 |
| | 44 | उमरिया | 154.00 | 154.00 | 134.44 | 19.56 |
| | 45 | विदिशा | 384.95 | 384.95 | 377.40 | 7.55 |
| | | **योग** | **16741.13** | **16693.42** | **15151.84** | **1541.58** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 1 | अनूपपुर | 230.98 | 230.99 | 184.51 | 46.48 |
| | 2 | अशोकनगर | 230.05 | 229.97 | 156.13 | 73.84 |
| | 3 | बडवानी | 305.84 | 205.00 | 140.00 | 65.00 |
| | 4 | बालाघाट | 616.00 | 616.00 | 286.72 | 329.28 |
| | 5 | बैतूल | 461.87 | 461.83 | 396.34 | 65.49 |
| | 6 | भिण्ड | 461.89 | 379.94 | 320.65 | 59.29 |
| | 7 | भोपाल | 308.00 | 308.00 | 302.20 | 5.80 |
| | 8 | बुरहानपुर | 230.85 | 184.67 | 109.70 | 74.97 |
| | 9 | छतरपुर | 384.41 | 384.39 | 295.42 | 88.97 |
| | 10 | छिंदवाडा | 616.00 | 616.00 | 520.80 | 95.20 |
| | 11 | दमोह | 308.00 | 308.00 | 254.00 | 54.00 |
| | 12 | देवास | 385.00 | 385.00 | 328.82 | 56.18 |
| | 13 | धार | 457.78 | 457.78 | 398.00 | 59.78 |
| | 14 | डिंडोरी | 229.00 | 229.90 | 201.85 | 28.05 |
| | 15 | गुना | 231.00 | 231.00 | 146.76 | 84.24 |
| | 16 | ग्वालियर | 461.93 | 461.93 | 436.61 | 25.32 |
| | 17 | हरदा | 153.92 | 153.89 | 85.00 | 68.89 |
| | 18 | होशंगाबाद | 307.69 | 307.46 | 244.99 | 62.47 |
| | 19 | इन्दौर | 615.90 | 615.94 | 606.43 | 9.51 |
| | 20 | जबलपुर | 769.98 | 769.98 | 612.50 | 157.48 |
| | 21 | झाबुआ | 385.00 | 385.00 | 287.00 | 98.00 |
| | 22 | कटनी | 307.09 | 307.09 | 286.60 | 20.49 |
| | 23 | खडंवा | 307.86 | 307.86 | 238.10 | 69.76 |
| | 24 | खरगौन | 462.00 | 462.00 | 396.26 | 65.74 |
| | 25 | मण्डला | 308.00 | 308.00 | 194.00 | 114.00 |
| | 26 | मंदसौर | 308.00 | 308.00 | 298.70 | 9.30 |
| | 27 | मुरैना | 455.43 | 423.53 | 404.18 | 19.35 |
| | 28 | नरसिंग्हपुर | 307.09 | 307.09 | 280.78 | 26.31 |
| | 29 | नीमच | 222.00 | 222.00 | 132.55 | 89.45 |
| | 30 | पन्ना | 227.52 | 227.31 | 199.46 | 27.85 |
| | 31 | रायसेन | 305.21 | 305.21 | 192.30 | 112.91 |
| | 32 | राजगढ़ | 382.27 | 382.27 | 0.00 | 382.27 |
| | 33 | रतलाम | 385.00 | 385.00 | 299.97 | 85.03 |
| | 34 | रीवा | 539.00 | 490.27 | 441.87 | 48.40 |
| | 35 | सागर | 615.70 | 613.63 | 411.00 | 202.63 |
| | 36 | सतना | 538.30 | 538.31 | 496.10 | 42.21 |
| | 37 | सिवनी | 385.00 | 385.00 | 211.03 | 173.97 |
| | 38 | शहडोल | 230.71 | 230.11 | 227.97 | 2.14 |
| | 39 | शाजापुर | 385.00 | 385.00 | 313.60 | 71.40 |
| | 40 | श्योपुर | 154.00 | 153.62 | 105.51 | 48.11 |
| | 41 | शिवपुरी | 384.70 | 384.60 | 269.90 | 114.70 |
| | 42 | सीधी | 461.38 | 461.38 | 403.27 | 58.11 |
| | 43 | टीकमगढ़ | 307.67 | 307.67 | 232.50 | 75.17 |
| | 44 | उज्जैन | 539.00 | 539.00 | 524.46 | 14.54 |
| | 45 | उमरिया | 154.00 | 154.00 | 110.18 | 43.82 |
| | 46 | विदिशा | 384.48 | 384.48 | 377.20 | 7.28 |
| | | **योग** | **17207.50** | **16895.10** | **13361.92** | **3533.18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 1 | अनूपपुर | 231.00 | 231.00 | 111.26 | 119.74 |
| | 2 | अशोकनगर | 229.98 | 229.98 | 36.92 | 193.06 |
| | 3 | बडवानी | 307.65 | 307.65 | 135.00 | 172.65 |
| | 4 | बालाघाट | 462.00 | 462.00 | 105.20 | 356.80 |
| | 5 | बैतूल | 384.82 | 384.83 | 194.82 | 190.01 |
| | 6 | भिण्ड | 384.99 | 384.99 | 52.71 | 332.28 |
| | 7 | भोपाल | 539.00 | 539.00 | 160.33 | 378.67 |
| | 8 | बुरहानपुर | 153.78 | 153.78 | 20.25 | 133.53 |
| | 9 | छतरपुर | 462.00 | 462.00 | 197.46 | 264.54 |
| | 10 | छिंदवाडा | 541.09 | 539.00 | 330.30 | 208.70 |
| | 11 | दमोह | 308.00 | 308.00 | 99.72 | 208.28 |
| | 12 | देवास | 308.00 | 308.00 | 152.96 | 155.04 |
| | 13 | धार | 539.00 | 539.00 | 221.50 | 317.50 |
| | 14 | डिंडोरी | 153.90 | 153.90 | 85.38 | 68.52 |
| | 15 | गुना | 308.00 | 308.00 | 146.43 | 161.57 |
| | 16 | ग्वालियर | 462.00 | 462.00 | 392.87 | 69.13 |
| | 17 | हरदा | 154.00 | 154.00 | 70.00 | 84.00 |
| | 18 | होशंगाबाद | 307.81 | 307.81 | 20.33 | 287.48 |
| | 19 | इन्दौर | 693.00 | 693.00 | 545.02 | 147.98 |
| | 20 | जबलपुर | 692.74 | 692.74 | 326.50 | 366.24 |
| | 21 | झाबुआ | 231.00 | 231.00 | 140.55 | 90.45 |
| | 22 | कटनी | 307.98 | 307.98 | 135.00 | 172.98 |
| | 23 | खंडवा | 308.00 | 308.00 | 131.61 | 176.39 |
| | 24 | खरगौन | 422.97 | 422.97 | 230.85 | 192.12 |
| | 25 | मण्डला | 231.00 | 231.00 | 104.10 | 126.90 |
| | 26 | मंदसौर | 308.00 | 308.00 | 221.61 | 86.39 |
| | 27 | मुरैना | 466.16 | 427.08 | 308.80 | 118.28 |
| | 28 | नरसिंग्हपुर | 308.00 | 308.00 | 230.20 | 77.80 |
| | 29 | नीमच | 230.98 | 230.98 | 105.00 | 125.98 |
| | 30 | पन्ना | 231.00 | 231.00 | 159.97 | 71.03 |
| | 31 | रायसेन | 306.00 | 306.00 | 122.00 | 184.00 |
| | 32 | राजगढ़ | 384.95 | 384.95 | 117.85 | 267.10 |
| | 33 | रतलाम | 385.00 | 385.00 | 230.00 | 155.00 |
| | 34 | रीवा | 157.80 | 93.81 | 0.00 | 93.81 |
| | 35 | सागर | 616.00 | 615.87 | 305.00 | 310.87 |
| | 36 | सतना | 537.97 | 537.97 | 316.75 | 221.22 |
| | 37 | सीहोर | 308.00 | 308.00 | 208.00 | 100.00 |
| | 38 | सिवनी | 308.00 | 308.00 | 145.37 | 162.63 |
| | 39 | शहडोल | 231.46 | 230.68 | 218.00 | 12.68 |
| | 40 | शाजापुर | 212.60 | 117.28 | 65.45 | 51.83 |
| | 41 | श्योपुर | 154.00 | 90.80 | 32.56 | 58.24 |
| | 42 | शिवपुरी | 384.99 | 384.84 | 108.13 | 276.71 |
| | 43 | सीधी | 307.78 | 307.78 | 38.21 | 269.57 |
| | 44 | सिंगरौली | 231.00 | 231.00 | 31.00 | 200.00 |
| | 45 | टीकमगढ़ | 384.31 | 384.31 | 63.90 | 320.41 |
| | 46 | उज्जैन | 539.00 | 539.00 | 272.82 | 266.18 |
| | 47 | उमरिया | 154.00 | 154.00 | 108.60 | 45.40 |
| | 48 | विदिशा | 385.00 | 385.00 | 187.50 | 197.50 |
| | | **योग** | **16655.71** | **16390.98** | **7743.79** | **8647.19** |
| | | **महायोग** | **78410.58** | **77627.03** | **62478.14** | **15148.89** |

## परिशिष्ट - 1.3
(संदर्भः कंडिका *1.2.2, पृष्ठ 17*)

### बाणसागर परियोजना का संगठन आरेख



## परिशिष्ट - 1.4

*(संदर्भः कंडिका 1.2.6.2, पृष्ठ 19)*

## प्राक्कलनों के त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किए जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

*(राशि ₹ में)*

| स. क्र. | पैकेज क्र/ अनुबंध क्र | अनुबंध के अनुसार अनुमत्य भुगतान | | | | वास्तविक भुगतान | | | | अतिरिक्त भार की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मद | मात्रा | प्रति घ.मी. दर | राशि | प्र. क्र./ तिथि | मात्रा | प्रति घ.मी. दर | राशि | |
| | के.सी.पी.-3/ 02 डी.एल. /2003-04 | मिट्टी | 892027 | 28.5 | 25422770 | 07-08-2007 | 948130 | 28.5 | 27021705 | |
| | | डी.आर./ एस.आर. | 95287 | 45 | 4287915 | (I) | 104815.70 | 45 | 4716707 | |
| | | | | | | (I) | 305733.579 | 100.41 | 30698709 | |
| | | एच.आर. | 99732 | 70 | 6981240 | | 17250 | 70 | 1207500 | |
| | | **कुल** | **1084046** | | **36691925** | | **1375929.279** | | **63644621** | **26952696** |
| | पी.सी.पी.-11 ए/ 02/2006-07 | मिट्टी | 449788 | 34 | 15292792 | 13 डी.एल. 21-06-10 | 311122.9 | 34 | 10578180.1 | |
| | | डी.आर./ एस.आर. | 87526.67 | 65 | 5689234 | | 96279.34 | 65 | 6258157.1 | |
| | | | | | | | 122502.1 | 100.4 | 12299212.8 | |
| | | | | | | | 45828.84 | 107.6 | 4931183.18 | |
| | | एच.आर. | 8466.305 | 1 | 8466.305 | | 0 | | | |
| | | **कुल** | **545781** | | **20990492** | | | | **34066733.2** | **13076241.37** |
| | पी.सी.पी.-10/ 06/2004-05 | मिट्टी | 469260 | 37 | 17362620 | 134डी.एल.31-03-09 | 516186 | 37 | 19098882 | |
| | | | | | | | 30082.39 | 21.41 | 644063.97 | |
| | | डी.आर./ एस.आर. | 307475 | 53 | 16296175 | | 327615.2 | 53 | 17363605.6 | |
| | | एच.आर. | 220 | 200 | 44000 | | 242 | 200 | 48400 | |
| | | | | | | | 110397.4 | 200 | 22079478 | |
| | | **कुल** | **776955** | | **33702795** | | | | **59234429.6** | **25531634.57** |
| | पी.सी.पी.-6/ 09/2004-05 | मिट्टी | 270072 | 30 | 8102160 | 34 डी.एल. 30-06-10 | 171045.2 | 30 | 5131354.5 | |
| | | डी.आर./ एस.आर. | 104469 | 52 | 5432388 | | 141448.6 | 52 | 7355324.6 | |
| | | | | | | | 26532.63 | 43.27 | 1148066.9 | |
| | | एच.आर. | 73859 | 150 | 11078850 | | 87473.97 | 150 | 13121094.8 | |
| | | | | | | | 6230.165 | 5.43 | 33829.796 | |
| | | **कुल** | **448400** | | **24613398** | | | | **26789670.5** | **2176272.546** |
| | | | | | | | | | **महायोग** | **67736844.486** |
| | | | | | | | | | **यथा** | **₹ 6.77 करोड़** |

**परिशिष्ट - 1.5**

*(संदर्भः कंडिका 1.2.8.1, पृष्ठ 23)*

**समीक्षा समिति के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकनों का सारांश**

**सिहावल मुख्य नहर (लम्बाई 75.27 कि.मी.):** कि.मी. 15.24 से कि.मी. 22.49 के मध्य कार्य अपूर्ण था एवं रूपांकित परिच्छेद से कम था, तथापि ठेकेदारों के देयकों को अंतिम रूप दिया गया था जिसके लिए मुख्य अभियंता द्वारा एक विभागीय जाँच संस्थापित होना है । कि.मी. 22 से कि.मी. 75 के मध्य का कार्य विशिष्टियों के अनुसार नहीं पाया गया । अवमानक कार्य को रद्द किया जाना चाहिए एवं इस ग्रुप का शेष कार्य ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर पूर्ण किया जाना था ।

**क्योटी मुख्य नहर (लम्बाई 90 कि.मी.):** कि.मी. शून्य से कि.मी. 8.20 के मध्य नहर पूर्ण थी । कि.मी. 8.20 से कि.मी. 32.75 के मध्य कार्य अपूर्ण था एवं छोड़े गए कार्य के लिए ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर निविदाएं आमंत्रित किया जाना थीं । कि.मी. 32.75 से कि.मी. 61.62 के मध्य का कार्य रूपांकन के अनुसार नहीं था। कि.मी. 61.62 से कि.मी. 90 के मध्य कार्य प्रगति पर था ।

**पूरवा मुख्य नहर (लम्बाई 128.28 कि.मी.):** कि.मी.13 से कि.मी.46.17 तक एवं कि.मी. 68.22 से कि.मी. 84 तक का कार्य निम्न विशिष्टियों का था एवं रूपांकित परिच्छेद के अनुसार नहीं था । कि.मी. 84 से कि.मी. 122 तक कार्य प्रगति पर था एवं कि.मी. 122 से कि.मी. 128 तक के कार्य के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाना थीं ।

## परिशिष्ट - 1.6

*(संदर्भः कंडिका 1.2.8.9, पृष्ठ 31)*

## माइल्ड स्टील पाईपों के क्रय में अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

| स. क्र. | कार्य का नाम | अ.यं. मांग पत्र संख्या | म.प्र.ल.उ. नि. आदेश क्र./ राशि | प्रदाय की मद | इकाई | मात्रा | म.प्र.ल.उ. नि. दर | प्रदाय की तिथि | प्रदाय मात्रा | पाईप का प्रति मीटर भार (कि.ग्रा) | एक मीटर पाईप की दर ₹55 प्रति कि.ग्रा. | अतिरिक्त लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | त्योंथर एल.आई.एस. के लिए प्रदाय, निर्माण, आरेखन एवं रूपांकन सहित हाईटेक एम.एस.पाईप राईज़िंग मेन के निर्माण | 3382 07-07-08 01/08-09 | ई.एम.एस./00 13/1/ 2008-09 22-07-08 **₹ 2744** | एम.एस.पाईप 1000 मि.मी. 8 मि.मी. मोटाई<br>एम.एस.पाईप 1600 मि.मी. 10 मि.मी. मोटाई<br>एम.एस.नट्स | मीटर<br>मीटर<br>कि.ग्रा. | 1060<br>5460<br>12600 | 20599<br>41196<br>79 | जनवरी 09 से मार्च 09 | 1060<br>5460 | 198.77<br>396.82 | 10932<br>21825 | 102.47<br>1057.65 |
| 2. | गुढ-मउगंज एल.आई.एस. के लिए प्रदाय, निर्माण, आरेखन एवं रूपांकन सहित हाईटेक एम.एस.पाईप राईज़िंग मेन के निर्माण | 635 18-01-08 04/2008-09 | ई.एम.एस./00 1193/2008-09 15-07-08 **₹ 1720** | एम.एस.पाईप 1200 मि.मी. 8 मि.मी. मोटाई<br>एम.एस.नट्स | मीटर<br>कि.ग्रा. | 6160<br>1350 | 24719<br>79 | उ.न. | 1178.13 (मा.पु. क्र.469) | 237.85 | 13082 | 137.09 |
| 3. | क्योटी मुख्य नहर के सात सुपर पैसेज के लिए एम.एस.पाईप का प्रदाय, रूपांकन, आरेखन, फेब्रीकेशन, निर्माण एवं चालू करना | 2508 03-08-07 अनुबंध 01/07-08 | सी706926 16-08-07 **₹ 98.36** | एम.एस.पाईप 1700 मि.मी. 10 मि.मी. मोटाई<br>एम.एस.नट्स | मीटर<br>कि.ग्रा. | 210<br>758 | 42089<br>76 | मार्च 2008 | 230.79 | 421.54<br>-- | 23185 | 43.62 |
| 4. | पूरवा मुख्य नहर के 113.16 कि.मी. पर एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट का प्रदाय, रूपांकन, आरेखन, फेब्रीकेशन, निर्माण एवं चालू करना | अनुबंध 01/06-07 31-01-07 | सी 646852 22-03-07 **₹ 537.87** | एम.एस.पाईप 2000 मि.मी. 10 मि.मी. मोटाई<br>एम.एस.कॉलम<br>एम.एस.नट्स | मीटर<br>कि.ग्रा<br>कि.ग्रा | 500<br>280308<br>7426 | 49516<br>78<br>76 | 06/2007 से 04/2009 | 514.45 | 494.55<br>-- | 27200 | 114.80 |
| 5. | पूरवा मुख्य नहर के 112.35 कि.मी. पर एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट का प्रदाय, रूपांकन, आरेखन, फेब्रीकेशन, निर्माण एवं चालू करना | अनुबंध 03/07-08 941/ 28-01-08 | 002204 28-01-08 **₹ 275.03** | एम.एस.पाईप 2000 मि.मी. 10 मि.मी. मोटाई<br>एम.एस.कॉलम<br>एम.एस.नट्स | मीटर<br>कि.ग्रा<br>कि.ग्रा | 277<br>114940<br>9894 | 51497<br>81<br>79 | 03/2009 से 03/2010 | 278.68 | 494.55<br>-- | 27200 | 67.71 |

| स. क्र. | कार्य का नाम | अ.यं. मांग पत्र संख्या | म.प्र.ल.उ. नि. आदेश क्र./ राशि | प्रदाय की मद | इकाई | मात्रा | म.प्र.ल.उ. नि. दर | प्रदाय की तिथि | प्रदाय मात्रा | पाईप का प्रति मीटर भार (कि.ग्रा) | एक मीटर पाईप की दर ₹55 प्रति कि.ग्रा. | अतिरिक्त लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | पूरवा मुख्य नहर के 112.50 कि.मी. पर एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट का प्रदाय, रूपांकन, आरेखन, फेब्रीकेशन, निर्माण एवं चालू करना | अनुबंध 02/07-08 2532/ 04-08-07 | सी709358 07-11-07 ₹ 265.83 | एम.एस.पाईप 2000 मि.मी. 10 मि.मी. मोटाई | मीटर | 275 | 49516 | 02/2009 से 03/2010 | 278.60 | 494.55 | 27200 | 62.17 |
| | | | | एम.एस.कॉलम | कि.ग्रा | 116756 | 78 | | | -- | | |
| | | | | एम.एस.नट्स | कि.ग्रा | 8994 | 76 | | | | | |
| 7 | पटना माइनर (शिकारगंज वितरिका) की चैन 76 पर एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट का प्रदाय, रूपांकन, आरेखन, फेब्रीकेशन, निर्माण एवं चालू करना | एस.ई.-2139 29-06-07 | सी706928 16-08-07 ₹ 95.53 | एम.एस.पाईप 750 मि.मी. 8 मि.मी. मोटाई | मीटर | 390 | 14854 | मार्च 2008 | 392.525 | 179.93 | 8246 | 25.93 |
| | | | | एम.एस.कॉलम | कि.ग्रा | 28528 | 78 | | -- | -- | | |
| | | | | एम.एस.नट्स | कि.ग्रा | 1110 | 76 | | -- | | | |
| 8 | शिकारगंज वितरिका की टेल माइनर चैन 110 पर एम.एस.पाईप एक्वाडक्ट का प्रदाय, रूपांकन, आरेखन, फेब्रीकेशन, निर्माण एवं चालू करना | एस.ई.-2137 29-06-07 | सी706927 16-08-08 ₹ 32.09 | एम.एस.पाईप 900 मि.मी. 8 मि.मी. मोटाई | मीटर | 120 | 17826 | मार्च 2008 | 121.11 | 178.98 | 9844 | 9.66 |
| | | | | एम.एस.कॉलम | कि.ग्रा | 7259 | 78 | | -- | -- | | |
| | | | | एम.एस.नट्स | कि.ग्रा | 372 | 76 | | -- | | | |
| | | | ₹ 5768.71 | | | | | | | | योग | 1621.10 |
| | | | | | | | | | | | यथा | ₹ 16.21 करोड़ |

## परिशिष्ट - 1.7

*(संदर्भः कंडिका 1.2.8.11, पृष्ठ 34)*

## माइल्ड स्टील पैदलपुलों का क्रय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

*(₹ लाख में)*

| संभाग का नाम | पैदलपुल का स्पान | संख्या | लम्बाई मीटर में | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| क्योटी नहर संभाग, रीवा | 10 मी से 40 मी | 116 | 1566 | |
| | 8 मी | 133 | 1064 | |
| | 6 मी | 33 | 198 | |
| | **योग** | **282** | **2828** | **381.30** |
| पूरवा नहर संभाग, रीवा | 10 मी से 30 मी | 51 | 788 | |
| | 8 मी | 65 | 520 | |
| | 6 मी | 41 | 246 | |
| | **योग** | **157** | **1416** | **209.65** |
| वितरिका संभाग, रीवा | 10 मी से 16 मी | 345 | 4268 | |
| | 8 मी | 237 | 1896 | |
| | 6 मी | 82 | 492 | |
| | **योग** | **664** | **6656** | **802.72** |
| लोअर सिहावल नहर संभाग, चुरहट | 10 मी से 24 मी | 56 | 898 | |
| | 8 मी | 53 | 424 | |
| | 6 मी | 227 | 1362 | |
| | **योग** | **336** | **2684** | **269.86** |
| राकफिल बाँध संभाग, देवलोंद | 10 मी | 01 | 30 | |
| | 8 मी | 11 | 88 | |
| | 6 मी | 27 | 162 | |
| | **योग** | **39** | **280** | **32.68** |
| पूरवा संभाग 2, सतना | 10 मी | 56 | 588 | |
| | 8 मी | 66 | 510 | |
| | 6 मी | 48 | 263 | |
| | **योग** | **170** | **1361** | **249.45** |
| **महा योग** | | **1648** | **15225** | **1945.66** |
| | | | | **यथा ₹ 19.46 करोड़** |

## परिशिष्ट - 1.8

*(संदर्भः कंडिका 1.2.9.1, पृष्ठ 36 एवं 37)*

### *मुक्त की गई बयाना राशि निष्पादन प्रतिभूति जमा का विवरण पत्रक*

| स. क्र. | संभाग का नाम | पैकेज क्र./ अनुबंध क्र. | ठेका राशि (₹ लाख में) | मुक्त की गई बयाना राशि (ई.एम.) एवं निपादन प्रतिभूति जमा (पी.एस.डी.) | | | मुक्त करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ई.एम/ पी.एस.डी. का विवरण क्रमांक एवं तिथि | बैंक का नाम | राशि ₹ में | |
| 1 | क्योटी नहर सं., रीवा | के.सी.पी. -3/ | 1908.43 | ई.एम. एफ.डी.आर.क्र. 0499678 दिनांक 09-07-03 | ओ.बी.सी. अरेरा कालोनी भोपाल | 500000 | 28-11-06 |
| | | 02डी.एल. /2003-04 | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 1757069 दिनांक 31-12-03 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर होशंगाबाद रोड भोपाल | 2562000 | 15-04-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 1757014 दिनांक 26-11-03 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर होशंगाबाद रोड भोपाल | 2350000 | 15-04-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 1756994 दिनांक 20-11-03 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर होशंगाबाद रोड भोपाल | 2500000 | 15-04-06 |
| | | | | | **उप योग** | **7912000** | |
| | | के.सी.पी.-4/ | 796.92 | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505968 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 500000 | 11-02-06 |
| | | 03 डी.एल./2004-05 | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505969 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 500000 | 11-02-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505970 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 500000 | 11-02-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505971 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 500000 | 11-02-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505972 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 500000 | 11-02-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505973 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 500000 | 11-02-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 2505974 दिनांक 15-10-04 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 494587 | 11-02-06 |
| | | | | | **उप योग** | **3494587** | |

| स. क्र. | संभाग का नाम | पैकेज क्र./ अनुबंध क्र. | ठेका राशि (₹ लाख में) | मुक्त की गई बयाना राशि (ई.एम.) एवं निपादन प्रतिभूति जमा (पी.एस.डी.) | | | मुक्त करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ई.एम/ पी.एस.डी. का विवरण क्रमांक एवं तिथि | बैंक का नाम | राशि ₹ में | |
| | | के.सी.पी.-5/ | 902.52 | पीएसडी. एफडीआर क्र. 0600732 दिनांक 02-02-05 | सेंचुरियन बैंक भोपाल | 680000 | 15-04-06 |
| | | 04 डी.एल./2004-05 | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 0600746 दिनांक 04-02-05 | सेंचुरियन बैंक भोपाल | 1320000 | 15-04-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 0600768 दिनांक 08-02-05 | सेंचुरियन बैंक भोपाल | 1000000 | 15-04-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 0600796 दिनांक 11-02-05 | सेंचुरियन बैंक भोपाल | 1015000 | 15-04-06 |
| | | | | | **उप योग** | **4015000** | |
| | | के.सी.पी.-6/ | 466.26 | पीएसडी. एफडीआर क्र. 338891 दिनांक 20-11-05 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जबलपुर | 625000 | 03-06-06 |
| | | 01 डी.एल./2005-06 | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 338892 दिनांक 29-11-05 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जबलपुर | 1166000 | 03-06-06 |
| | | | | | **उप योग** | **1791000** | |
| | | के.सी.पी.-7/ | 816.19 | पीएसडी. एफडीआर क्र. 0717474 दिनांक 18-01-06 | सेंचुरियन बैंक भोपाल | 1500000 | 15-04-06 |
| | | 02 डी.एल./2005-06 | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 0717491 दिनांक 19-01-06 | सेंचुरियन बैंक भोपाल | 1585000 | 15-04-06 |
| | | | | पीएसडी. एफडीआर क्र. 389502 दिनांक 16-03-05 | ओ.बी.सी. अरेरा कालोनी भोपाल | 715000 | 27-01-06 |
| | | | | | **उप योग** | **3800000** | |
| | | योग | **4890.32** | | | **21012587** | |
| | | | | | | **यथा** | **₹2.10 करोड़** |

## परिशिष्ट - 1.9

*(संदर्भः कंडिका 1.2.9.1, पृष्ठ 36 एवं 37)*

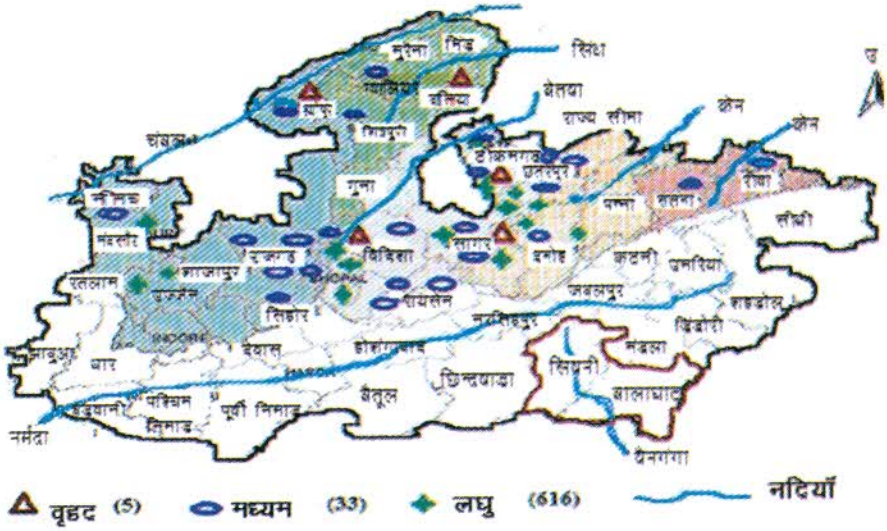
### प्रतिभूति जमा का परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| स.क्र. | संभाग का नाम | पैकेज क्र./ अनुबंध क्र. | ठेका राशि (₹ लाख में) | प्रतिभूति जमा के परिवर्तन का विवरण | | | राशि ₹ में | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मु.अ. आदेश तिथि | एफ.डी.आर.क्र. एवं तिथि | बैंक का नाम | | |
| 1 | क्योटी नहर सं., रीवा | के.सी.पी.-3/ 02डी.एल. /2003-04 | 1908.43 | 20-01-05 | डीयू-436976 दिनांक 01-08-05 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स रीवा | 2625932 | ठेकेदार को लौटाई गई |
| | | | | 13-09-05 | डीव्ही -675555 दिनांक 05-12-05 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स रीवा | 2300000 | ठेकेदार को लौटाई गई |
| | | | | 13-09-05 | डीव्ही-675568 दिनांक 08-12-05 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स रीवा | 2053000 | ठेकेदार को लौटाई गई |
| | | | | 02-09-06 | एमपीएल-802399 दिनांक 09-10-06 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स रीवा | 1094533 | अभिलेखों पर नहीं पाया गया |
| | | | | | | **उप योग** | **8073465** | |
| | | के.सी.पी.-4/ 03 डी.एल./2004-05 | 796.92 | 27-02-06 | 2838502 दिनांक 31-03-05 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 200000 | अभिलेखों पर नहीं पाया गया |
| | | | | 27-02-06 | 2838503 दिनांक 31-03-05 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 126000 | अभिलेखों पर नहीं पाया गया |
| | | | | 27-02-06 | 3082207 दिनांक 31-03-06 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 827640 | अभिलेखों पर नहीं पाया गया |
| | | | | 27-02-06 | 2838193 दिनांक 13-01-05 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 466700 | अभिलेखों पर नहीं पाया गया |
| | | | | 27-02-06 | 2838359 दिनांक 28-02-05 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रीवा | 196500 | अभिलेखों पर नहीं पाया गया |
| | | | | | | **उप योग** | **1816840** | |
| | | के.सी.पी.-5/ 04 डी.एल./2004-05 | 902.52 | 11-09-06 | टीडीआर 802398 दिनांक 09-10-06 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स रीवा | 1138162 | ठेकेदार को मुक्त की गई तिथि पंजी में उल्लिखित नहीं |
| | | | | | | **उप योग** | **1138162** | |
| | | के.सी.पी.-7/ 02 डी.एल./2005-06 | 816.19 | | 802400 दिनांक 09-10-06 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स रीवा | 859796 | ठेकेदार को मुक्त की गई तिथि पंजी में उल्लिखित नहीं |
| | | | | | | **उप योग** | **859796** | |
| | | **योग** | **4424.06** | | | | **11888263** | |
| | | | | | | | **यथा** | **₹ 1.19 करोड़** |

## परिशिष्ट - 1.10

*(संदर्भः कंडिका 1.3.1, पृष्ठ 42)*

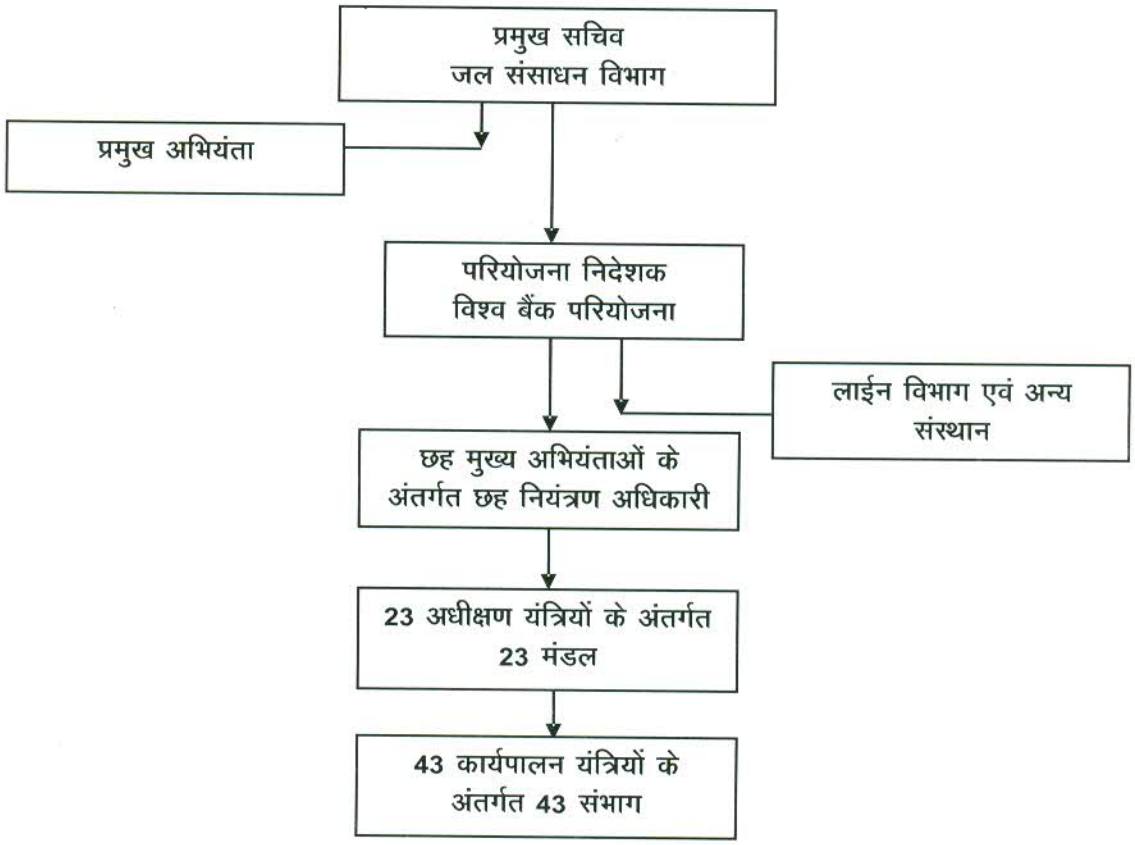
मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत परियोजना कछार दर्शाने वाला मानचित्र



## परिशिष्ट - 1.11

*( संदर्भः कंडिका 1.3.2, पृष्ठ 43)*

**मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर पुनर्संरचना परियोजना का संगठन आरेख**



## परिशिष्ट - 1.12

*( संदर्भः कंडिका 1.3.5, पृष्ठ 44)*

## कछारों एवं संभागों के चयन का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

1 **कछारों के चयन का आधारः**- पाँच नदी कछारों में से उच्च जोखिम घटक के कारण दो कछार (स्तर) अर्थात यमुना एवं चंबल चयनित किए गए थे एवं इन कछारों में तीन वृहद परियोजनाएँ थी ।

1. **संभागों के चयन का आधारः**- स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के अनुसार यादृच्छिक अंक चुने गए थे ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61424 | 20419 | 86546 | 00517 |
| 90222 | 27993 | 04952 | 66762 |
| 50349 | 71146 | 97668 | 86523 |
| 85676 | 10005 | 08216 | 25906 |
| 02429 | 19761 | 15370 | 43882 |
| 90519 | 61988 | 40164 | 15815 |
| 20631 | 88967 | 19660 | 89624 |
| 89990 | 78733 | 16447 | 27932 |

- **यादृच्छिक अंक का चयनः**- स्तंभ क्रमांक एक एवं दो की पहली संख्या अर्थात 6,9,5,8,2,7

- संभागों का चयनः- प्रत्येक स्तर के अंतर्गत इकाईयों के सूची से यादृच्छिक संख्याओं के संदर्भ में तदनुरूप इकाईयाँ एवं जोखिम घटकों/ व्यय/ निष्पादित हो रही योजनाओं को सम्मिलित करते हुए चयनित की गईं जैसा नीचे विवरण दिया गया है

*(₹ में)*

| स. क्र. | संभाग का नाम | कछार | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ज.सं.सं. ग्वालियर | यमुना | 1331078 | 641041 | 2840281 | 1618271 | 26515288 | 32945959 |
| 2. | ज.सं.सं. मुरैना | | 1012000 | 3976000 | 87475000 | 407495090 | 384769000 | **884727090** |
| 3. | ज.सं.सं. शिवपुरी | | 3816329 | 1175866 | 3950878 | 8829623 | 25266879 | 43039575 |
| 4. | ज.सं.सं. भिण्ड | | 0 | 2311300 | 714000 | 3457330 | 3457864 | 9940494 |
| 5. | **डेम सेफ्टी संभाग ग्वालियर** | | 0 | 0 | 951804 | 150876043 | 97811011 | **249638858** |
| 6. | ज.सं.सं. जौरा | | 0 | 480000 | 16456861 | 154257255 | 134352000 | **305066116** |
| 7. | ज.सं.सं. सबलगढ़ | | 665899 | 1927418 | 34443515 | 93896218 | 334497423 | **465430473** |
| 8. | ज.सं.सं. श्योपुर | | 4520862 | 1919509 | 205782036 | 414713514 | 625282600 | **1252218521** |
| 9. | ज.सं.सं. डबरा | | 37019000 | 272066000 | 457142469 | 243127877 | 374869000 | **1384224346** |
| 10. | ज.सं.सं. गोहद | | 0 | 249900 | 714000 | 2930730 | 2803805 | 6498435 |
| 1 | ज.सं.सं. राघोगढ़ | चंबल बेतवा | 0 | 0 | 75600 | 75200 | 75600 | 226400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | एस.ए.एस. 2 विदिशा | | 0 | 2843000 | 4880237 | 427255 | 56254000 | 64404492 |
| 3 | ज.सं.सं. गुना | | 0 | 9205 | 19993 | 807709 | 904000 | 1740907 |
| 4 | ज.सं.सं. रायसेन | | 0 | 1275903 | 2124187 | 3185065 | 17953343 | 24538498 |
| 5 | ज.सं.सं. सिहोर | | 0 | 191440 | 501638 | 839349 | 4897158 | 6429585 |
| 6 | ज.सं.सं. गंजबसौदा | | 86393 | 2590206 | 16139441 | 1289590 | 6408670 | 26514300 |
| 7 | का.यं. कोलार नहर नसरूल्लागंज | | 5066146 | 3422486 | 34385316 | 65475362 | 42472195 | 150821505 |
| 8 | का.यं. बी.व्ही. पी.पी. | | 61236285 | 28752957 | 212751589 | 651968816 | 126697388 | 1081407035 |
| 9 | ज.सं.सं. भोपाल | | 6043041 | 2543583 | 9972288 | 13081587 | 9942244 | 41582743 |
| 10 | ज.सं.सं. राजगढ़ | | 0 | 0 | 302000 | 337900 | 822400 | 1462300 |
| 11 | ज.सं.सं. विदिशा | | 173000 | 0 | 389508 | 19311829 | 2410200 | 22284537 |
| 12 | ज.सं.सं. अशोकनगर | | 1222500 | 2152400 | 5219445 | 37650448 | 57989636 | 104234429 |
| 13 | ज.सं.सं. नरसिंहगढ़ | | 0 | 1201105 | 390808 | 575400 | 575400 | 2742713 |
| 14 | प्रशासक पाईकू | | 9268997 | 10661395 | 9801992 | 11222523 | 153343747 | 194298654 |
| 15 | जल मौसम विज्ञान | | 115876 | 0 | 347402 | 215971 | 140273 | 819522 |
| 1 | ज.सं.सं. उज्जैन | नर्मदा | 549970 | 6083686 | 10456102 | 5442576 | 27286003 | 49818337 |
| 2 | ज.सं.सं. नीमच | | 0 | 203000 | 1698196 | 10753585 | 37421106 | 50075887 |
| 3 | ज.सं.सं. गाँधीसागर | | 0 | 0 | 97360 | 46280 | 46000 | 189640 |
| 4 | ज.सं.सं. मंदसौर | | 0 | 377131 | 732519 | 341069 | 683696 | 2134415 |
| 5 | ज.सं.सं. धार | | 0 | 1056784 | 544331 | 117608 | 209778 | 1928501 |
| 6 | ज.सं.सं. देवास | | 0 | 71925 | 202590 | 437899 | 1137089 | 1849503 |
| 7 | ज.सं.सं. शाजापुर | | 0 | 336803 | 468626 | 3949712 | 2306651 | 7061792 |
| 8 | ज.सं.सं. इंदौर | | 25000 | 1714045 | 423148 | 9181 | 674846 | 2846220 |
| 1 | ज.सं.सं. 1 सागर | घसान कैन | 2362408 | 5242036 | 6930117 | 2487484 | 1888517 | 18910562 |
| 2 | ज.सं.सं. 1 सागर | | 4214299 | 2784396 | 3406218 | 11853329 | 8233000 | 30491242 |
| 3 | ज.सं.सं. दमोह | | 3883000 | 3239000 | 7942549 | 5432932 | 13654000 | 34151481 |
| 4 | ज.सं.सं. कटनी | | 0 | 1921368 | 3268612 | 4946436 | 11842049 | 21978465 |
| 5 | ज.सं.सं. टीकमगढ़ | | 2312327 | 5377265 | 10294508 | 15310066 | 30697700 | 63991866 |
| 6 | ज.सं.सं. पन्ना | | 3190709 | 9847037 | 13429263 | 4376846 | 1955938 | 32799793 |
| 7 | ज.सं.सं. नौगाँव | | 1997000 | 5001292 | 20731651 | 5359526 | 7099306 | 40188775 |
| 8 | ज.सं.सं. पंचमनगर | | 1262000 | 834000 | 4281900 | 5270426 | 4438389 | 16086715 |
| 1 | ज.सं.सं. रीवा | गंगा | 0 | 9080228 | 29953080 | 66587578 | 60389497 | 166010383 |
| 2 | ज.सं.सं. सतना | | 4530302 | 5882835 | 4518879 | 8204464 | 14600356 | 37736836 |
| कुल 43 संभाग | | | | | | | | |

## परिशिष्ट - 1.13

*( संदर्भः कंडिका 1.3.6.1, पृष्ठ 45)*

## (अ) सलाहकारों की नियुक्ति में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| स. क्र. | एजेंसी का नाम | कार्य का नाम | ठेका राशि (आई.एन. आर. लाख रूपये में) | क्रय प्रक्रिया प्रारंभ की गई | नियुक्त करने की तिथि | एजेंसी निर्धारित करने में लिया गया समय (माह) | ठेके की अवधि | प्रगति | | पूर्णता तिथि / से कार्य का विस्तार | सेवा सुपुर्दगी में विलंब (माह) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | भौतिक (प्रतिशत) | वित्तीय (₹ लाख में) | | |
| 1 | मेसर्स थ्योवेल सर्वेज़ | स्थलाकृतिक एवं केडेस्ट्रल सर्वेक्षण | 1388.30 | 20.04.04 | 15.12.05 | 20 | 30.03.2010 (24 माह) | 85 | 1056.6 | 14/12/2007 30/03/2010 तक अवधिवर्धित | 30 |
| 2 | कंसल्टेंसी इंजिनियरिंग सर्विसेस | योजना उत्पादकता सुधार | 1349.66 | 10.03.05 | 11.01.08 | 34 | 10.01.2011 (36 माह) | 33 | 600.52 | 10-01-2011 | - |
| 3 | जे.पी.एस. एसोसिएट (प्रा.) लि. | कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का विकास | 84.29 | 10.03.06 | 24.04.07 | 13 | 30.06.2009 (12 माह) | 60 | 57.04 | 23/10/2007 30/06/2010 तक अवधिवर्धित | 32 |
| 4 | डी.एच.आई. वाटर एण्ड इन्वायरन्मेंट | कम्प्यूटर उपयोग में आधार प्रशिक्षण | 362.13 | 09.06.06 | 04.12.08 | 30 | 03.06.2011 (24 माह) | 36 | 96.4 | 03-06-2011 | - |
| 5 | टेक महिन्द्रा लिमिटेड | उद्यम सूचना प्रबंधन प्रणाली | 1500.47 | 10.03.05 | 12.08.08 | 41 | 11.08.2011 (36 माह) | 30 | 300.0 | 11-08-2011 | - |
| 6 | एस.एम.ई.सी. इंडिया (प्रा.) लि. | सिंध कछार जल गुणवत्ता संवृद्धि परियोजना | 140.39 | 23.01.06 | 15.10.08 | 33 | 15.06.2009 (12 माह) | 60 | 84.58 | 14/06/2009 30/06/2010 तक अवधिवर्धित | 12 |
| 7 | डॉल्फिन टेक्नॉलाजी | म.प्र. में (सिंध एवं टोन्स) धारणीय कछार आयोजना एवं निर्णय सहायता प्रणाली | 599.30 | 10.03.05 | 07.11.08 | 44 | 06.05.2011 (30 माह) | 10 | 59.9 | पी.डी. वि.बै.प. द्वारा समाप्त किया गया | - |
| 8 | एस.एम.ई.सी. इन्टरनेशनल | जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण | 1636.50 | 10.03.05 | 29.03.07 | 24 | 28.03.2010 (36 माह) | 60 | 1036.18 | 28-03-2011 | - |
| 9 | मेसर्स डी. एच.व्ही. बी.व्ही | संस्थागत सशक्तिकरण | 712.06 | 10.03.05 | 11.01.08 | 34 | 15.01.2011 (36 माह) | 40 | 233.7 | 15-01-2011 | - |
| 10 | जे.पी.एस. एसोसिएट्स (प्रा.) लि. | म.प्र. में जलाशयों की पर्यटन क्षमता के निर्धारण से संबंधित अध्ययन | 115.17 | 06.12.05 | 11.01.08 | 25 | 10.01.2009 (6 माह) | 40 | 29.47 | 10/01/2009 30/06/2010 तक अवधिवर्धित | 18 |

## (ब) एजेंसी नियत न किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| स. क्र. | कार्य का नाम | स्थिति | मूल लागत लाख रूपये में | पुनरीक्षित लागत लाख में | परामर्श अवधि माह में | क्रय प्रक्रिया प्रारंभ की गई | एजेंसी नियत की गई अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मॉनीटरिंग एवं सीखने के लिए परामर्श | नियत नहीं | 300 | 1389 | | 17.3.05 | |
| 2 | कार्यों के तकनीकी परीक्षण हेतु परामर्श | नियत नहीं | 200 | 1460 | | 10.03.05 मई 2009 में पुनः आमंत्रित की गई | अस्वीकार की गई एवं पुनः आमंत्रित की गई |
| 3 | जलाशय मत्स्य उत्पादन वृद्धि पर शोध कार्यक्रम के लिए परामर्श | नियत नहीं | 180 | 394 | | | वित्तीय बोली के अनुक्रियाशील न होने/ प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रथम कॉल रद्द की गई । प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 3 माह आवश्यक हैं । |
| 4 | उन्नत पूरक आपूर्तियों एवं आपूर्तियों पर शोध कार्यक्रम के लिए परामर्श | नियत नहीं | 77 | 328 | | | प्रारंभ किया जाना है |
| 5 | आंतरिक लेखापरीक्षक | नियत नहीं | 0 | 101 | | | प्रारंभ किया जाना है |

## परिशिष्ट - 1.14

*( संदर्भः कंडिका 1.3.9.2, पृष्ठ 54)*

## कोर टेस्ट न संचालित किए जाने के लिए अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| स. क्र. | कार्य का नाम | अनुबंध क्र. समय एवं दस्तावेज का प्रकार | चल दे. क्र. एवं प्रमाणक एवं तिथि | भुगतान की गई राशि (अद्यतन) (₹) | लाईनिंग की पूर्ण दर (प्रति घ.मी) (₹) | लाईनिंग की 80 % दर (प्रति घ.मी) (₹) | दरों में अन्तर (प्रति घ.मी) (₹) | निष्पादित मात्रा (प्रति घ.मी) | अनियमित भुगतान (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर का जल गुणवत्ता संवर्धन | 14/07.08 24 मा. एन.सी.बी. | 49वाँ 144 दिनांक 30.6.10 | 299614747. | 3840 | 3072 | 758 | 19027.91 | 1,44,23,156 |
| 2. | चंबल दाँयी मुख्य नहर (सी.आर. एम. सी) का सुधारीकरण कि.मी. 93-169 | 07/08-09 36 मा. आई.सी.बी. | 17वाँ 57/ 27.6.2010 | 1793,34,387 | 3100 | 2480 | 620 | 32735.01 | 2,02,95,706 |
| 3. | अम्बाह शाखा नहर का सुधारीकरण (ए. बी. सी.) (कि.मी. 0-143) | 01/07-08 36 मा. आई.सी.बी. | 34वाँ 25/ 24.6.10 | 94,3499,970 | 4140 | 3312 | 828 | 131121.158 | 10,85,68,318 |
| 4. | मुरैना शाखा नहर का सुधारीकरण (एम. बी.सी.) (कि.मी. 0 से 36.10) | 01/07-08 36मा. एन.सी.बी. | 23 वाँ 10/ 26.6.2010 | 30.19 करोड़ | 3645 | 2916 | 729 | 52284.19 | 3,81,15,174<br>(-) 2,00,000<br>3,79,15,174 |
| 5 | सी.आर. एम. सी श्योपुर 60-93 | 25/2007-08 36 माह एन.सी.बी. | 24वाँ 08/20.05.2010 | 238625935 | 2960 | 2368 | 592 | 34684.40 | 2,05,33,164 |
| 6 | डी-9 ए, डी.एच.4 बी एवं इसकी लघु नहरें (15) | 01/2007-08 16 माह एन.सी.बी. | 14वाँ च.दे. 79/25.02.2009 | 10.23 करोड़ | 3000 | 2400 | 600 | 12976.50 | 77,85,900 |
| 7 | डी-15 ए से डी.17 (6) ए. डी. इसकी लघु नहरें | 4/2007-08 24 माह एन.सी.बी. | 20वाँ 10/4/10 | 30.84 करोड़. | 3000 | 2400 | 600 | 19374.835 | 1,16,24,901 |
| 8 | एच.एम.सी. 0-65 | 10/2005-06 16 माह आई.सी.बी. | 16/22.03.2006 | | 2970 | 2376 | 594 | 75132.88 | 4,46,28,634 |
| 9 | कैठन मध्यम | 02/2006-07 10 माह एन.सी.बी. | 21/31.08.2009 अंतिम | 26738370 | 2312.67 | 1850.14 | 462.53 | 1603.62 | 741729 |
| | | | | | | | | | **₹26,65,16,682** |

## परिशिष्ट - 1.15

*( संदर्भः कंडिका 1.3.9.3, पृष्ठ 55)*

**कार्य को अनियमित रूप से सौंपे जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक**

| स.क्र | मद | मात्रा | भुगतान की गई दर (₹) | निविदित दर (₹) | अन्तर (₹) | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खुदाई | 402578.20 घ.मी. | 44.31/घ.मी. | 36.00 | 8.31 | 3345425 |
| 2 | जल छिड़काव एवं संघनन | 270672.90 घ.मी. | 20.98/घ.मी. | 12.60 | 8.38 | 2268239 |
| 3 | मशीनीकृत ट्रिमिंग | 333557.50 वर्ग मी. | 9.78/वर्ग मी. | 11.70 | (-) 1.92 | (-) 640430 |
| 4 | पेनल जोड़ | 235416 मीटर | 89.74/मी. | 36.00 | 53.74 | 12651256 |
| 5 | पूर्व ढलित सरन्ध्र कंक्रीट | 31.31 घ.मी. | 181.01 | 12.60 | 168.41 | 5273 |
| 6 | 10 से.मी. सी. सी. लाईनिंग | 43507.14 घ.मी. | 3875.36/ घ.मी. | 4050.00 | (-)174.64 | (-) 7598086 |
| **कुल** | | | | | | **₹1,00,31,677** |

## परिशिष्ट - 1.16

*( संदर्भः कंडिका 1.3.10.1, पृष्ठ 57)*

### असंतुलित बोलियों के लिए निष्पादन प्रतिभूति की कम प्राप्तियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| स. क्र. | कार्य का नाम | ठेका लागत (करोड़ में) निविदा % | अनुबंध क्र. समय एवं दस्तावेज का प्रकार | प्रस्तुत होने वाली असंतुलित बोली की राशि (₹) | असंतुलित बोली के लिए प्रस्तुत राशि (₹) | कम प्रस्तुतिकरण (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर का जल गुणवत्ता संवर्धन | 37.84 (+)19.25% | 14/07.08 24 मा. एन.सी.बी. | 20848100 | 1042405 | 19805695 |
| 2. | चंबल दाँयी मुख्य नहर (सी.आर. एम. सी) का सुधारीकरण कि.मी. 93-169 | 63.94 (+) 8.85% | 07/08-09 36 मा. आई.सी.बी. | 36545000 | 1827260 | 34717740 |
| 3 | परोंच बाँध एवं नहर प्रणाली | 4.05 (-) 10.27% | 02/08-09 24 मा. एन.सी.बी. | 14640000 | 732000 | 13908000 |
| 4 | सम्राट अशोक सागर विदिशा | 40.91 (-) 7.6% | 01/2009-10 28 मा. एन.सी.बी. | 80146909 | 4007000 | 76139909 |
| 5 | केरवाँ परियोजना भोपाल | 3.71 (+) 39.98% | 10/07-08 18 मा. एन.सी.बी. | 1888674 | 0 | 1888674 |
| 6 | ईंटखेड़ी, परवलिया, कदमपुरा एवं चांचेड़ बराज | 5.66 (+) 13.44% | 18/2009-10 एन.सी.बी. | 4150000 | 362000 | 3788000 |
| 7 | सी.आर. एम. सी श्योपुर 0-60 | 145.69 (+) 58.88 | 15/2007-08 36 माह आई.सी.बी. | 226537974 | 9700000 | 216837974 |
| 8 | सी.आर. एम. सी श्योपुर 60-93 | 52.99 (-) 3.73% | 25/2007-08 36 माह एन.सी.बी. | 28253757 | 1412688 | 26841069 |
| 9 | डी-9 ए, डी. 14 बी एवं इसकी लघु नहरें (15) | 10.65 (+) 32.26 | 01/2007-08 16 माह एन.सी.बी. | 6951000 | 350000 | 6601000 |
| 10 | डी-34 ए एवं इसकी लघु नहरें | 17.22 (-) 6.3% | 3/2007-08 24 माह एन.सी.बी. | 27562495 | 1389000 | 26173495 |
| 11 | डी-15 ए से डी.17 (6) ए. डी. एवं इसकी लघु नहरें | 31-85 (+) 2.46% | 4/2007-08 24 माह एन.सी.बी. | 34500000 | 1725000 | 32775000 |
| 12 | अम्बाह शाखा नहर का सुधारीकरण (ए. बी. सी.) (कि.मी. 0-143) | 86.71 (+) 9.15% | 01/07-08 36 मा. आई.सी.बी. | 65730673 | 3288000 | 62442673 |
| 13 | मुरैना शाखा नहर का सुधारीकरण (एम. बी.सी.) (कि.मी. 0 से 36.10) | 29.43 (+) 59.99% | 01/07-08 36 मा. एन.सी.बी. | 23642998 | 1185200 | 22457798 |
| 14 | दोराहा तालाब सिहोर | 4.43 (-) 9.96% | 91/2009-10 24 माह एन.सी.बी. | 1836810 | 95090 | 1741720 |
| 15 | जोजान तालाब विदिशा | 4.18 | 07/2008-09 एन.सी.बी. | 1825460 | 91273 | 1734187 |
| | | | | **₹575059850** | **₹27206916** | **₹547852934** |

## परिशिष्ट - 1.17

*( संदर्भः कंडिका 1.3.10.2, पृष्ठ 57)*

### बीमा का कवरेज न होना / कम होना

| स. क्र. | कार्य का नाम | परियोजना का प्रकार | अनुबंध क्र. समय एवं दस्तावेज का प्रकार | कार्यादेश क्र. एवं दिनांक | कटौती योग्य प्रीमियम (₹लाख) | प्रदान किया गया बीमा कवरेज (₹लाख) | कवरेज कम/ न होना (₹लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर का जल गुणवत्ता संवर्धन | | 14/07.08 24 मा. एन.सी.बी. | 1098/एस.ए. सी. 31.3.08 | 19.50 | 1.17 | 18.33 |
| 2. | चंबल दाँयी मुख्य नहर (सी.आर. एम. सी) का सुधारीकरण कि.मी. 93-169 | वृहद | 07/08-09 36 मा. आई.सी.बी. | 572/ एस.ए.सी. 11.3.2008 | 41.00 | - | 41.00 |
| 3. | अम्बाह शाखा नहर का सुधारीकरण (ए. बी. सी.) (कि.मी. 0-143) | वृहद | 01/07-08 36 मा. आई.सी.बी. | 3795/ एस.ए.सी. 22.12.07 | 50.00 | - | 50.00 |
| 4. | मुरैना शाखा नहर का सुधारीकरण (एम. बी.सी.) (कि.मी. 0 से 36.10) | वृहद | 01/07-08 36 मा. एन.सी.बी. | 114/ एस.ए.सी. 5.01.2008 | 25.00 | - | 25.00 |
| 5. | परोंच बाँध एवं नहर प्रणाली | मध्यम | 02/08-09 24 मा. एन.सी.बी. | 4536/ एस.ए.सी. 27.9.08 | 9.70 | - | 9.70 |
| 6 | सम्राट अशोक सागर विदिशा | वृहद | 01/2009-10 28 मा. एन.सी.बी. | 553/ एस.ए.सी. 15.02.2010 | 101.40 | 5.24 | 96.16 |
| 7 | ईंटखेड़ी, परवलिया, कदमपुरा एवं चांचेड़ बराज | लघु | 18/2009-10 एन.सी.बी. | | 11.96 | - | 11.96 |
| 8 | दोराहा तालाब सिहोर | मध्यम | 91/2009-10 24 माह एन.सी.बी. | 492/ 01.02.2010 | 11.45 | - | 11.45 |
| 09 | जोजान तालाब विदिशा | लघु | 07/2008-09 एन.सी.बी. | | 8.20 | 0.60 | 7.60 |
| 10 | सी.आर. एम. सी श्योपुर 60-93 | वृहद | 25/2007-08 36 माह एन.सी.बी. | 842/ 08.03.2008 | 41.00 | - | 41.00 |
| 11 | डी-9 ए, डी. 14 बी एवं इसकी लघु नहरें (15) | वृहद | 01/2007-08 16 माह एन.सी.बी. | 282/31.07.2007 | 8.50 | - | 8.50 |
| 12 | डी-34। एवं इसकी लघु नहरें | वृहद | 3/2007-08 24 माह एन.सी.बी. | 538 दिनांक 8.2.08 | 11.40 | - | 11.40 |
| 13 | डी-15 ए से डी.17 (6) ए. डी. एवं इसकी लघु नहरें | वृहद | 4/2007-08 24 माह एन.सी.बी. | 540 दिनांक 8.2.08 | 16.20 | - | 16.20 |
| 14 | एच.एम.सी. 0-65 | वृहद | 10/05-06 16 मा. आई.सी.बी. | 16/ 22.03.2006 | 20.00 | - | 20.00 |
| | | | | | **₹375.31** | **₹ 7.01** | **₹368.30** |

## परिशिष्ट - 1.18

*( संदर्भः कंडिका 1.3.10.3, पृष्ठ 58)*

## निर्धारित क्षतिपूर्ति के अधिरोपण न होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| कार्य का नाम | ठेका लागत (करोड़ में) निविदा % | अनुबंध क्र. समय | कार्यादेश क्र. एवं दिनांक | बल देयक क्र. एवं प्रमाणक एवं दिनांक | भुगतान की गई राशि (अद्यतन) | न प्राप्त किए गए माइलस्टोन | विलंब दिवसों में | एल.डी. प्रति दिवस (₹) | एल.डी. की राशि (₹ में) | एल.डी. के कारण वसूल की गई राशि (₹ में) | एल.डी. की वसूल होने वाली राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर का जल गुणवत्ता संवर्धन | 37.84 (+) 19.25% | 14/07.08 24 मा. | 1098/एस.ए.सी. 31.3.08 | 49वाँ 144 30.6.10 | 299614747 | II | 243 90 | 52583/- 105116/- | 1,27,77,669 95,70,106 | 11,00,000 | 2,12,47,775 |
| (सी.आर. एम. सी) का सुधारीकरण कि.मी. 93-169 | 63.94 (+) 8.85% | 07/08-09 36 मा. | 572/ एस.ए.सी. 11.3.2008 | 17वाँ 57/ 27.6.2010 | 17,93,34,387 | I (11/03/09 से 30/09/10) II (11/03/10 से 30/09/10) | 569 204 | 88150/- 88150/- | 5,01,57,300 2,39,70,000 | 1,85,65,000 | 5,55,62,300 |
| सी.आर. एम. सी श्योपुर 0-60 | 145.69 (+) 58.88 | 15/2007-08 36 माह | 3858/15.11. 2007 | 32वाँ च.दे. 10/25.05.2010 | 99,02,13,125 | I (15/11/08 से 17/05/09) II (15/11/09 से 30/09/10) | 183 319 | 1,60,000 1,60,000 | 2,92,80,000 5,10,40,000 | 4,26,63,000 | 3,76,57,000 |
| सी.आर. एम. सी श्योपुर 60-93 | 52.99 (-) 3.73% | 25/2007-08 36 माह | 842/08.03.2008 | 24वाँ 08/20.05.2010 | 238625935 | I (07/03/09 से 31.01.10) II (07/03/10 से 30/09/10) | 330 207 | 82500 110200 | 2,72,25,000 2,28,11,400 | 24,24,000 | 4,76,12,400 |
| डी-9 ए. डी. एच. 4 बी एवं इसकी लघु नहरें (15) | 10.65 (+) 32.26 | 01/2007-08 16 माह | 282/31.07.2007 | 14वाँ च.दे. 79/25.02.2009 | 10.23 करोड़ | II (30.06.09 तक) | 242 | 10000 | 2420000 | 0 | 2420000 |
| डी-34। एवं इसकी लघु नहरें | 17.22 (-) 6.3% | 3/2007-08 24 माह | 538 दि. 8.2.08 | 24वाँ 26/21.5.10 | 17,52,760.00 | II III | 245 113 | 30000 60000 | 73,50,000 67,80,000 | 0 0 | 1,41,30,000 |
| डी-15 ए से डी.17 (6) ए. डी. एवं इसकी लघु नहरें | 31.85 (+) 2.46% | 4/2007-08 24 माह | 540 दि. 8.2.08 | 20वाँ 10/4/10 | 30.84 करोड़. | - | 143 | 156000 | 2,23,08,000 | 0 | 2,23,08,000 |
| डी.1 से डी.8 | | 02/2007-08 18 माह | 4961/24.12. 2007 | 16वाँ एवं अंतिम 49/29.05.2010 | 8.68 करोड़ | I II | 272 99 | 15000 15000 | 40,80,000 14,85,000 | 0 | 55,65,000 |
| कैठन मध्यम | | 02/2006-07 10 माह | | 21/31.08.2009 अंतिम | 26738370 | प्राप्त नही | - | विलंबित कार्य के मूल्य 0.50% प्रतिदिन | 28,29,600 | 0 | 2829600 |
| | | | | | | | | | **₹27,40,84,075** | **₹6,47,52,000** | **₹20,93,32,075** |

## परिशिष्ट - 1.19

*(संदर्भः कंडिका 1.3.10.4, पृष्ठ 58)*

### ओ.पी.सी.43 ग्रेड सीमेंट के स्थान पर पी.पी.सी. के उपयोग के लिए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| स. क्र. | कार्य का नाम | अनुबंध क्र. समय एवं दस्तावेज का प्रकार | चल देयक क्र. एवं प्रमाणक एवं दिनांक | भुगतान की गई राशि (अद्यतन) | लाईनिंग की मात्रा (घ.मी. में) | सीमेंट की मात्रा मी.टन में | ओ.पी.सी. एवं पी.पी.सी. में दर अंतर (₹ में) | वसूली योग्य राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर का जल गुणवत्ता संवर्धन | 14/07.08<br>24 मा.<br>एन.सी.बी. | 49 वाँ<br>144/30.6.10 | 299614747. | 19027.901 | 5708.373 | @ 200/ पी.एम.टी. | 1141675 |
| 2. | अम्बाह शाखा नहर का सुधारीकरण (ए. बी. सी.) (कि.मी. 0-143) | 01/07-08<br>36 मा.<br>आई.सी.बी. | 34वाँ<br>25/24.6.10 | 94,3499,970 | 131121.158 | 39336.347 | @ 200/ पी.एम.टी. | 7873269 |
| 3. | मुरैना शाखा नहर का सुधारीकरण (एम. बी.सी.) (कि.मी. 0 से 36.10) | 01/07-08<br>36 मा.<br>एन.सी.बी. | 23वाँ<br>10/26.6.2010 | 30.19 करोड़ | 52284.19 | 15685.257 | @ 200/ पी.एम.टी. | 3137051 |
| 4 | सी.आर. एम. सी श्योपुर 0-60 | 15/2007-08<br>36 माह<br>आई.सी.बी. | 32वाँ च.दे.<br>10/25.05.2010 | 99,02,13125 | 155919.334 | 76775.80 | @ 200/ पी.एम.टी. | 15355160 |
| 5 | सी.आर. एम. सी श्योपुर 60-93 | 25/2007-08<br>36 माह<br>एन.सी.बी. | 24वाँ<br>08/20.05.2010 | 238625935 | 34684.4 | 9607.58 | @ 200/ पी.एम.टी. | 1921516 |
| 6 | डी-34 ए एवं इसकी लघु नहरें | 3/2007-08<br>24 माह<br>एन.सी.बी. | 24वाँ<br>26/21.5.10 | 17,52,760.00 | 11386.987 | 3222.52 | @ 200/ पी.एम.टी. | 644504 |
| | | | | | | | | **₹3,00,73,175** |

## परिशिष्ट - 1.20

*(संदर्भः कंडिका 1.3.11, पृष्ठ 63)*

### एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के क्रियान्वयन पर विश्व बैंक टीम के अवलोकन

| परियोजना प्रभाग | संक्षिप्त में मुख्य निष्कर्ष | विश्व बैंक द्वारा रेटिंग |
|---|---|---|
| परियोजना प्रबंधन | सिविल कार्यों के लिए ठेकों के प्रबंधन में आवश्यक परिश्रमशीलता की कमी | औसत रूप से असंतोषजनक |
| परिसंपत्ति आधुनिकीकरण | निष्पादन सुधारने के कई अनुस्मारकों के बावजूद, सलाहकारों का लगातार असंतोषजनक निष्पादन | असंतोषजनक |
| एस.एम.पी. की गुणवत्ता | एस.एम.पी., परियोजना रूपांकन एवं ठेके की बाध्यता में परिकल्पित प्रत्याशाओं से मेल नहीं खाते थे । | असंतोषजनक |
| ठेका प्रबंधन | प्रभागों की प्रगति के परिवीक्षण में जल संसाधन विभाग एवं विश्व बैंक अधिकारियों का लगातार असंतोषजनक निष्पादन | असंतोषजनक |
| निर्माण की गुणवत्ता | निर्माण | असंतोषजनक |

## परिशिष्ट - 2.1

*(संदर्भः- कंडिका 2.1.2, पृष्ठ 67)*

रेडियो डायग्नोसिस विभाग की जनवरी 2004 से मार्च 2008 तक की प्राप्तियों का विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

| वर्ष | रसीद पुस्तिकाओं की राशि | कांट-छांट कर बदली गई राशि | कुल राशि जो जमा की जानी थी | जमा की गई राशि (आडिट रिपोर्ट/वार्षिक लेखे अनुसार) | जमा नहीं की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 (जनवरी 2004 से मार्च 2004) | 108620 | -- | 108620 | 77720 | 30900 |
| 2004-05 | 717250 | 112830 | 604420 | 152540 | 451880 |
| 2005-06 | 708540 | 97430 | 611110 | 192330 | 418780 |
| 2006-07 | 435430 | 17740 | 417690 | 321645 | 96045 |
| 2007-08 | 598270 | 40 | 598230 | 591590 | 6640 |
| **योग** | **25,68,110** | **2,28,040** | **23,40,070** | **13,35,825** | **10,04,245** |

## परिशिष्ट - 2.2

*(संदर्भः- कंडिका 2.2.1, पृष्ठ 77)*

### डिसप्ले मीडियम सह मोबाईल चार्जर इकाईयों की मार्च 2010 की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

| स. क्र. | जिले का नाम | प्रदायित इकाइयों की संख्या | | स्थापित इकाइयों की संख्या | | क्रियाशील इकाइयों की संख्या | | अक्रियाशील इकाइयों की संख्या तथा अक्रियाशील होने का कारण | | | | | | | | अक्रियाशील इकाइयों की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | अस्थापित | | खराब | | परिचालित नहीं किये | | वारंटी पीरीयड में अक्रियाशील हुई इकाईया | | | |
| | | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित | वाल माउन्टेड | फ्लोर स्टेण्ड सहित |
| 1 | भोपाल | 17 | 21 | 17 | 21 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | - | - | 17 | 21 | - | - | 17 | 21 |
| 2 | बुरहानपुर | 09 | 08 | 09 | 08 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 09 | 08 | - | - | - | - | 09 | 08 |
| 3 | छतरपुर | 10 | 07 | 10 | 07 | 10 | 07 | निरंक | निरंक | - | - | - | - | - | - | निरंक | निरंक |
| 4 | दमोह | 11 | 07 | 09 | 07 | 09 | 07 | 02 | निरंक | - | - | - | - | - | - | 02 | निरंक |
| 5 | ग्वालियर | 13 | 13 | 05 | 06 | 05 | 06 | 08 | 07 | - | - | - | - | - | - | 08 | 07 |
| 6 | खंडवा | 11 | 06 | 11 | 06 | 03 | 03 | निरंक | निरंक | - | - | - | - | 08 | 03 | 08 | 03 |
| 7 | मंडला | 13 | 07 | 13 | 07 | 10 | 07 | निरंक | निरंक | - | - | - | - | 03 | - | 03 | निरंक |
| 8 | मुरेना | 10 | 10 | 06 | 10 | निरंक | निरंक | 04 | निरंक | - | - | 06 | 10 | - | - | 10 | 10 |
| 9 | रायसेन | 12 | 08 | 03 | 06 | निरंक | निरंक | 09 | 02 | - | - | 03 | 06 | - | - | 12 | 08 |
| 10 | सिहोर | 08 | 11 | 08 | 11 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | - | 11 | - | - | 08 | - | 08 | 11 |
| 11 | शहडोल | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | निरंक | निरंक | - | - | - | - | - | - | निरंक | निरंक |
| 12 | श्योपुर | 05 | 03 | 05 | 02 | निरंक | निरंक | निरंक | 01 | - | - | 05 | 02 | - | - | 05 | 03 |
| 13 | शिवपुरी | 09 | 06 | 09 | 06 | 09 | 06 | निरंक | निरंक | - | - | - | - | - | - | निरंक | निरंक |
| 14 | सिवनी | 13 | 06 | 12 | 06 | निरंक | निरंक | 01 | निरंक | - | - | 12 | 06 | - | - | 13 | 06 |
| 15 | उमरिया | 07 | 06 | 02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 04 | - | - | - | - | - | - | 05 | 04 |
| | **योग** | **157** | **127** | **128** | **113** | **57** | **46** | **29** | **14** | **09** | **19** | **43** | **45** | **19** | **03** | **100** | **81** |

## परिशिष्ट - 2.3

*(संदर्भः- कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 80)*

### कम पावर फेक्टर तथा अतिरिक्त मांग प्रभार पर परिहार्य भुगतान ₹ 54.59 लाख

*(राशि ₹ में)*

| माह/वर्ष | संविदा मांग के.व्ही.ए. | दर्ज अधिकतम मांग के.व्ही.ए. | देय मांग के.व्ही. ए. | देय मांग तथा अधिकतम दर्ज मांग के.व्ही.ए. का अन्तर | प्रति के.व्ही.ए. भुगतान ₹ | अधिक भुगतान | औसत मासिक पावर फेक्टर प्रतिशत | पावर फेक्टर प्रतिशत में कमी | कम पावर फेक्टर समायोजन प्रभार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6) | 8 | 9 | 10 |
| 07/2005 | 456 | 56 | 320 | 264 | 150 | 39600 | 13 | 77 | 74696 |
| 08/2005 | 456 | 100 | 342 | 242 | 150 | 36300 | 15 | 75 | 94122 |
| 09/2005 | 456 | 60 | 342 | 282 | 150 | 42300 | 45 | 45 | 66745 |
| 10/2005 | 456 | 128 | 342 | 214 | 150 | 32100 | 61 | 29 | 62656 |
| 11/2005 | 456 | 168 | 342 | 174 | 150 | 26100 | 43 | 47 | 119513 |
| 12/2005 | 456 | 212 | 342 | 130 | 150 | 19500 | 43 | 47 | 112905 |
| 01/2006 | 456 | 184 | 342 | 158 | 150 | 23700 | 41 | 49 | 120212 |
| 02/2006 | 456 | 236 | 342 | 106 | 150 | 15900 | 43 | 47 | 114614 |
| 03/2006 | 456 | 172 | 342 | 170 | 150 | 25500 | 45 | 45 | 121530 |
| 04/2006 | 456 | 136 | 456 | 320 | 200 | 64000 | 48 | 42 | 70773 |
| 05/2006 | 456 | 188 | 456 | 268 | 200 | 53600 | 49 | 41 | 64845 |
| 06/2006 | 456 | 152 | 456 | 304 | 200 | 60800 | 52 | 38 | 62148 |
| 07/2006 | 456 | 144 | 456 | 312 | 200 | 62400 | 44 | 46 | 70742 |
| 08/2006 | 456 | 136 | 456 | 320 | 200 | 64000 | 45 | 45 | 53049 |
| 09/2006 | 456 | 112 | 456 | 344 | 200 | 68800 | 46 | 44 | 39080 |
| 10/2006 | 456 | 144 | 456 | 312 | 200 | 62400 | 46 | 44 | 72520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6) | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2006 | 456 | 352 | 456 | 104 | 200 | 20800 | 43 | 47 | 68060 |
| 12/2006 | 456 | 216 | 456 | 240 | 200 | 48000 | 39 | 51 | 82914 |
| 01/2007 | 456 | 204 | 456 | 252 | 200 | 50400 | 33 | 57 | 83182 |
| 02/2007 | 456 | 196 | 456 | 260 | 200 | 52000 | 31 | 59 | 74630 |
| 03/2007 | 456 | 144 | 456 | 312 | 200 | 62400 | 34 | 56 | 73203 |
| 04/2007 | 456 | 144 | 410 | 266 | 200 | 53200 | 42 | 48 | 86923 |
| 05/2007 | 456 | 160 | 410 | 250 | 200 | 50000 | 42 | 48 | 71053 |
| 06/2007 | 456 | 148 | 410 | 262 | 200 | 52400 | 36 | 54 | 75478 |
| 07/2007 | 456 | 152 | 410 | 258 | 200 | 51600 | 35 | 55 | 72912 |
| 08/2007 | 456 | 128 | 410 | 282 | 200 | 56400 | 85 | 05 | 7832 |
| 09/2007 | 456 | 152 | 410 | 258 | 200 | 51600 | 37 | --- | 16070 |
| 10/2007 | 456 | 164 | 410 | 246 | 200 | 49200 | 29 | 61 | 69826 |
| 11/2007 | 456 | 176 | 410 | 234 | 200 | 46800 | 28 | 62 | 69115 |
| 12/2007 | 456 | 184 | 410 | 226 | 200 | 45200 | 28 | 62 | 66450 |
| 01/2008 | 456 | 188 | 410 | 222 | 200 | 44400 | 29 | 61 | 75629 |
| 02/2008 | 456 | 224 | 410 | 186 | 200 | 37200 | 29 | 61 | 76939 |
| 03/2008 | 456 | 164 | 410 | 246 | 200 | 49200 | 31 | 59 | 81722 |
| 04/2008 | 456 | 200 | 410 | 210 | 200 | 42000 | 36 | 54 | 90640 |
| 05/2008 | 456 | 196 | 410 | 214 | 200 | 42800 | 40 | 50 | 66728 |
| 06/2008 | 225 | 180 | 203 | 23 | 200 | 4600 | 34 | 56 | 98954 |
| 07/2008 | 225 | 164 | 203 | 39 | 200 | 7800 | 36 | 54 | 78939 |
| 08/2008 | 225 | 160 | 203 | 43 | 200 | 8600 | 36 | 54 | 66909 |
| 09/2008 | 225 | 178 | 203 | 25 | 200 | 5000 | 34 | 56 | 71690 |
| 10/2008 | 225 | 199 | 203 | 04 | 200 | 800 | 29 | 61 | 72587 |
| 11/2008 | 225 | 177 | 203 | 26 | 200 | 5200 | 25 | 65 | 69100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6) | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2008 | 225 | 157 | 203 | 46 | 200 | 9200 | 27 | 63 | 71051 |
| 01/2009 | 225 | 136 | 203 | 67 | 200 | 13400 | 29 | 61 | 66409 |
| 02/2009 | 225 | 137 | 203 | 66 | 200 | 13200 | 29 | 61 | 61682 |
| 03/2009 | 225 | 134 | 203 | 69 | 200 | 13800 | 37 | 53 | 50015 |
| 04/2009 | 225 | 104 | 203 | 99 | 200 | 19800 | 40 | 50 | 47538 |
| 05/2009 | 225 | 113 | 203 | 90 | 200 | 18000 | 50 | 40 | 39300 |
| 06/2009 | 225 | 120 | 203 | 83 | 200 | 16600 | 50 | 40 | 39360 |
| 07/2009 | 225 | 107 | 203 | 96 | 200 | 19200 | 45 | 45 | 50456 |
| 08/2009 | 225 | 101 | 203 | 102 | 200 | 20400 | 47 | 43 | 23043 |
| 09/2009 | 225 | 104 | 203 | 99 | 200 | 19800 | 46 | 44 | 19894 |
| 10/2009 | 225 | 199 | 203 | 04 | 200 | 800 | 29 | 61 | 21714 |
| 11/2009 | 225 | 199 | 203 | 04 | 200 | 800 | 29 | 61 | 21714 |
| 12/2009 | 225 | 199 | 203 | 04 | 200 | 800 | 29 | 61 | 21714 |
| 01/2010 | 225 | 111 | 203 | 92 | 200 | 18400 | 37 | 53 | 18844 |
| | | | | | योग | **18,18,800** | | योग | **36,39,869** |

टीपः अनुबंध को 1 अप्रैल 2008 से पुनरीक्षित किया गया परन्तु अप्रैल 2008 एवं मई 2008 में देयक पुराने अनुबंध अनुसार बनाये गये ।

## परिशिष्ट - 2.4

*(संदर्भः- कंडिका 2.3.2, पृष्ठ 82)*

### कम पावर फेक्टर दण्ड पर परिहार्य भुगतान दर्शानें वाला पत्रक

*(राशि ₹ में)*

| माह/वर्ा | संविदा मांग (के.व्ही.ए.) | दर्ज अधिकतम मांग | देय मांग | देय मांग तथा अधिकतम दर्ज मांग का अन्तर | दर प्रति के.व्ही.ए. | अधिक भुगतान | औसत मासिक पावर फेक्टर प्रतिशत | कम पावर फेक्टर प्रतिशत | कम पावर फेक्टर समायोजन प्रभार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06/2002 | 3000 | 435 | 2250 | 1815 | 130 | 2,35,950 | 80 | 10 | 116623.98 |
| 07/2002 | 3000 | | 2250 | 1855 | 130 | 2,41,150 | 83 | 07 | 72363.51 |
| 08/2002 | 3000 | 440 | 2250 | 1810 | 130 | 2,35,300 | 87 | 3 | 23673.15 |
| 09/2002 | 3000 | 400 | 2250 | 1850 | 130 | 2,40,500 | 90 | निरंक | निरंक |
| 10/2002 | 3000 | 405 | 2250 | 1845 | 130 | 2,39,850 | 89 | 1 | 7022.20 |
| 11/2002 | 3000 | 300 | 2250 | 1950 | 130 | 2,53,500 | 86 | 4 | 18825.96 |
| 12/2002 | 3000 | 450 | 2250 | 856 | 130 | 111280 | 87 | 3 | |
| | 3000 | | | 944 | 134 | 126496 | | | 5689.32 |
| 01/2003 | 3000 | -- | 2250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/2003 | 3000 | -- | 2250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/2003 | 3000 | 490 | 2250 | 1760 | 134 | 2,35,840 | 79 | 11 | 108138.44 |
| 04/2003 | 3000 | 555 | 2250 | 1695 | 134 | 227130 | 83 | 7 | 87209.37 |
| 05/2003 | 3000 | 540 | 2250 | 1710 | 134 | 229140 | 82 | 8 | 123515.43 |
| 06/2003 | 3000 | 535 | 2250 | 1715 | 134 | 229810 | 83 | 7 | 99562.82 |
| 07/2003 | 3000 | 500 | 2250 | 1750 | 134 | 234500 | 85 | 5 | 53313.93 |
| 08/2003 | 3000 | 515 | 2250 | 1735 | 134 | 232490 | 82 | 8 | 109750.96 |
| 09/2003 | 3000 | 500 | 2250 | 1750 | 134 | 234500 | 80 | 10 | 131706.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2003 | 3000 | 390 | 2250 | 1860 | 134 | 249240 | 79 | 11 | 129477.10 |
| 11/2003 | 3000 | 470 | 2250 | 1780 | 134 | 238520 | 83 | 7 | 49221.14 |
| 12/2003 | 3000 | ---- | 2250 | ---- | -- | -- | 90 | -- | -- |
| 01/2004 | 3000 | ---- | 2250 | ---- | -- | -- | 90 | -- | -- |
| 02/2004 | 3000 | 520 | 2250 | 1730 | 134 | 231820 | 87 | 3 | 17803.08 |
| 03/2004 | 3000 | 590 | 2250 | 1660 | 134 | 222440 | 82 | 8 | 77558.80 |
| 04/2004 | 3000 | 550 | 2250 | 1700 | 134 | 227800 | 83 | 7 | 82341.00 |
| 05/2004 | 3000 | 590 | 2250 | 1660 | 134 | 222440 | 81 | 9 | 135870.80 |
| 06/2004 | 3000 | 650 | 2250 | 1600 | 134 | 214400 | 82 | 8 | 119000.20 |
| 07/2004 | 3000 | 570 | 2250 | 1680 | 134 | 225120 | 83 | 7 | 98627.40 |
| 08/2004 | 3000 | 590 | 2250 | 1660 | 134 | 222440 | 80 | 10 | 161688.00 |
| 09/2004 | 3000 | 560 | 2250 | 1690 | 134 | 226460 | 81 | 9 | 134299.10 |
| 10/2004 | 3000 | 560 | 2250 | 1690 | 134 | 226460 | 79 | 11 | 140085.10 |
| 11/2004 | 3000 | 470 | 2250 | 1780 | 134 | 238520 | 78 | 12 | 107239.80 |
| 12/2004 | 3000 | 430 | 2250 | 1820 | 134 | 243880 | 84 | 6 | 41202.00 |
| 01/2005 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/2005 | 3000 | 490 | 2250 | 1760 | 350 | 616000 | 81 | 9 | 135034.25 |
| 03/2005 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/2005 | 3000 | 520 | 2250 | 1730 | 350 | 6,05,500 | 77 | 13 | 264678.75 |
| 05/2005 | 3000 | 520 | 2250 | 1730 | 350 | 6,05,500 | 78 | 12 | 257625.75 |
| 06/2005 | 3000 | 510 | 2250 | 1740 | 350 | 6,09,000 | 79 | 11 | 237303.00 |
| 07/2005 | 3000 | 500 | 2250 | 516<br>1234 | 350<br>150 | 180600<br>185100 | 80 | 10 | 166434.54 |
| 08/2005 | 3000 | 480 | 2250 | 1770 | 150 | 2,65,500 | 82 | 08 | 112640.00 |
| 09/2005 | 3000 | 490 | 2250 | 1760 | 150 | 2,64,000 | 81 | 09 | 131193.40 |
| 10/2005 | 3000 | 430 | 2250 | 1820 | 150 | 2,73,000 | 84 | 06 | 59176.60 |
| 11/2005 | 3000 | 467 | 2250 | 1783 | 150 | 2,67,450 | 82 | 08 | 105547.35 |
| 12/2005 | 3000 | 467 | 2250 | 1783 | 150 | 2,67,450 | 82 | 08 | 103472.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 | 3000 | 1900 | 2250 | 350 | 150 | 52,500 | 90 | निरंक | निरंक |
| 02/2006 | 3000 | 1760 | 2250 | 490 | 150 | 73,500 | 82 | 08 | 154767.80 |
| 03/2006 | 3000 | 1580 | 2250 | 670 | 150 | 1,00,500 | 79 | 11 | 264513.20 |
| 04/2006 | 3000 | 1880 | 2675 | 795 | 150 | 1,19,250 | 77 | 13 | 438132.10 |
| 05/2006 | 3000 | 2060 | 3000 | 940 | 200 | 1,88,000 | 81 | 09 | 316418.70 |
| 06/2006 | 3000 | 2100 | 3000 | 900 | 200 | 1,80,000 | 83 | 07 | 238220.55 |
| 07/2006 | 3000 | 495 | 3000 | 2505 | 200 | 5,01,000 | 93 | निरंक | निरंक |
| 08/2006 | 3000 | 495 | 3000 | 2505 | 200 | 5,01,000 | 90 | निरंक | निरंक |
| 09/2006 | 3000 | 485 | 3000 | 2515 | 200 | 5,03,000 | 87 | 03 | 16898.10 |
| 10/2006 | 3000 | 465 | 3000 | 2535 | 200 | 5,07,000 | 87 | 03 | 12765.41 |
| 11/2006 | 3000 | 385 | 3000 | 2615 | 200 | 5,23,000 | 91 | निरंक | निरंक |
| 12/2006 | 3000 | 1065 | 3000 | 1935 | 200 | 3,87,000 | 92 | निरंक | निरंक |
| 01/2007 | 3000 | 1150 | 3000 | 1850 | 200 | 3,70,000 | 91 | निरंक | निरंक |
| 02/2007 | 3000 | 475 | 3000 | 2525 | 200 | 5,05,000 | 89 | 01 | 2867.70 |
| 03/2007 | 3000 | 435 | 3000 | 2565 | 200 | 5,13,000 | 82 | 8 | 31588.15 |
| 04/2007 | 3000 | 445 | 2850 | 2405 | 200 | 4,81,000 | 86 | 4 | 10500.73 |
| 05/2007 | 3000 | 555 | 2700 | 2145 | 200 | 4,29,000 | 84 | 6 | 49574.00 |
| 06/2007 | 3000 | 560 | 2700 | 2140 | 200 | 4,28,000 | 81 | 9 | 104026.00 |
| 07/2007 | 3000 | 590 | 2700 | 2110 | 200 | 4,22,000 | 82 | 8 | 100122.00 |
| 08/2007 | 3000 | 545 | 2700 | 2155 | 200 | 4,31,000 | 83 | 7 | 79551.00 |
| 09/2007 | 3000 | 570 | 2700 | 2130 | 200 | 4,26,000 | 82 | 8 | 91795.00 |
| 10/2007 | 3000 | 520 | 2700 | 2180 | 200 | 4,36,000 | 81 | 9 | 74386.00 |
| 11/2007 | 3000 | 1170 | 2700 | 1530 | 200 | 3,06,000 | 87 | 3 | 8028.96 |
| 12/2007 | 3000 | 495 | 2700 | 2205 | 200 | 4,41,000 | 83 | 7 | 34398.00 |
| 01/2008 | 3000 | 580 | 2700 | 2120 | 200 | 4,24,000 | 86 | 4 | 19964.00 |
| 02/2008 | 3000 | 550 | 2700 | 2150 | 200 | 4,30,000 | 87 | 3 | 12942.00 |
| 03/2008 | 3000 | 520 | 2700 | 2180 | 200 | 4,36,000 | 83 | 7 | 42273.00 |
| 04/2008 | 3000 | 640 | 2700 | 2060 | 200 | 4,12,000 | 74 | 16 | 196128.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2008 | 3000 | 670 | 2700 | 2030 | 200 | 4,06,000 | 69 | 21 | 302845.00 |
| 06/2008 | 3000 | 660 | 2700 | 2040 | 200 | 4,08,000 | 71 | 19 | 280038.00 |
| 07/2008 | 3000 | 615 | 2700 | 2085 | 200 | 4,17,000 | 79 | 11 | 130866.00 |
| 08/2008 | 3000 | 545 | 2700 | 2155 | 200 | 4,31,000 | 83 | 7 | 73449.00 |
| 09/2008 | 3000 | 625 | 2700 | 2075 | 200 | 4,15,000 | 81 | 9 | 107055.00 |
| 10/2008 | 3000 | 535 | 2700 | 2165 | 200 | 4,33,000 | 84 | 6 | 48804.00 |
| 11/2008 | 3000 | 448 | 2700 | 2252 | 200 | 4,50,400 | 94 | निरंक | निरंक |
| 12/2008 | 3000 | 480 | 2700 | 2220 | 200 | 4,44,000 | 96 | निरंक | निरंक |
| 01/2009 | 3000 | 504 | 2700 | 2196 | 200 | 4,39,200 | 95 | निरंक | निरंक |
| 02/2009 | 3000 | 432 | 2700 | 2268 | 200 | 4,53,600 | 92 | निरंक | निरंक |
| 03/2009 | 3000 | 488 | 2700 | 2212 | 200 | 4,42,400 | 84 | 6 | 32312.00 |
| 04/2009 | 3000 | 500 | 2700 | 2200 | 200 | 4,40,000 | 85 | 5 | 34572.00 |
| 05/2009 | 3000 | 618 | 2700 | 2082 | 200 | 4,16,400 | 81 | 9 | 116251.20 |
| 06/2009 | 3000 | 667 | 2700 | 2033 | 200 | 4,06,600 | 84 | 6 | 56896.00 |
| 07/2009 | 3000 | 702 | 2700 | 1998 | 200 | 3,99,600 | 75 | 15 | 234000.00 |
| 08/2009 | 3000 | 621 | 2700 | 2079 | 200 | 4,15,800 | 78 | 12 | 172011.20 |
| 09/2009 | 3000 | 627 | 2700 | 2073 | 200 | 4,14,600 | 82 | 8 | 89302.40 |
| 10/2009 | 3000 | 568 | 2700 | 2132 | 200 | 4,26,400 | 83 | 7 | 61171.20 |
| **योग** | -- | -- | -- | -- | -- | **2,86,20.826** | -- | -- | **78,64,349.08** |

**टीपः छः माह (जनवरी, फरवरी, एवं दिसम्बर 2003, जनवरी 2004 एवं जनवरी व मार्च 2005) के देयक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए ।**

## परिशिष्ट - 2.5

*(संदर्भः कंडिका 2.3.3, पृष्ठ 83)*

**मिट्टी कार्य की मद एवं लीड के भुगतान के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची में समाविष्ट प्रावधान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक**

| मद क्र. | मद की नामावली | दर प्रति घ.मी. (₹ में) |
|---|---|---|
| मद क्र. 415 (सी) यू.एस.आर.2003 के अनुसार | बाँध के लिए एवं नहरतटों के लिए, समस्त सामग्री के 50 मी. लीड एवं 1.5 मी. लिफ्ट एवं अन्य प्रभारों को सम्मिलित करते हुए किन्तु जल छिड़काव एवं संघनन को छोड़कर, अनुमोदित मिट्टी से ड्रेसिंग, ढेलों की तुड़ाई, 15 से.मी. मोटाई में परत के बिछाए जाने, बाँधों के धारा-अनुप्रवाह एवं धारा-प्रतिप्रवाह की ओर के ढालों की कटिंग एवं फिनिशिंग सहित अंतःभाग या बाहरी भाग में बाँध विशिष्टियों की आवश्यकता के अनुसार मिट्टी कार्य | 20.90 |
| मद क्र. 2903(4) | मिट्टी की सात कि.मी. लीड | 66.87 |
| | निविदा प्रतिशत (+) 3.914 % | 3.44 |
| | **कुल** | **91.21** |
| मद क्र. 415 (ए) (III) यू.एस.आर. 2003 के अनुसार | बाँध के लिए, अनुमोदित मिट्टी से ड्रेसिंग, ढेलों की तुड़ाई, 15 से.मी. मोटाई में परत के बिछाए जाने, बाँधों के धारा-अनुप्रवाह एवं धारा-प्रतिप्रवाह की ओर के ढालों की कटिंग एवं फिनिशिंग सहित अंतःभाग या बाहरी भाग में मिट्टी कार्य<br>(III) जल छिड़काव एवं संघनन को छोड़कर अन्य प्रभार एवं समस्त सामग्री के दो कि.मी. से अधिक समस्त लीड एवं लिफ्ट | 42.80 |
| | निविदा प्रतिशत (+) 3.914 % | 1.68 |
| | **कुल** | **44.48** |

## परिशिष्ट - 2.6

*(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 86)*

**वसूल न किए गए मशीनरी अग्रिम पर ब्याज वसूल नहीं किए जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक**

| स.क्र. | प्र.क्र./ दिनांक | मशीनरी अग्रिम (₹ में) | वसूल किया गया अग्रिम (₹ में) | लघुकारक अग्रिम (₹ में) | ब्याज धारी शेष (₹ में) | दर* प्रति वर्ष (% में) | माहों की संख्या | प्रभारित एवं वसूल न की गई ब्याज की राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148/ 31.03.08 | 72800000 | 0 | 72800000 | 72800000 | 7.24 | 13 | 5709947 |
| 2 | 1/4.5.09 | 72800000 | 6015973 | 66784027 | 66784027 | 7.24 | | 0 |
| 3 | 3/19.05.09 | 66784027 | 5750000 | 61034027 | 61034027 | 7.24 | 2 | 736477.3 |
| 4 | 17/11.06.09 | 61034027 | 6875945 | 54158082 | 54158082 | 7.24 | 1 | 326753.8 |
| 5 | 1/08.07.09 | 54158082 | 500000 | 53658082 | 53658082 | 7.24 | 1 | 323737.1 |
| 6 | 3/05.08.09 | 53658082 | -1025000 | 54683082 | 54683082 | 7.24 | 1 | 329921.3 |
| 7 | 1/02.09.09 | 54683082 | 3380388 | 51302694 | 51302694 | 7.24 | 1 | 309526.3 |
| 8 | 1/01.10.09 | 51302694 | 1079264 | 50223430 | 50223430 | 7.24 | | 0 |
| 9 | 18/08.10.09 | 50223430 | 4660903 | 45562527 | 45562527 | 7.24 | | 0 |
| 10 | 46/30.10.09 | 45562527 | 1982959 | 43579568 | 43579568 | 7.24 | 1 | 262930.1 |
| 11 | 7/13.11.09 | 43579568 | 857417 | 42722151 | 42722151 | 7.24 | | 0 |
| 12 | 14/23.11.09 | 42722151 | 600000 | 42122151 | 42122151 | 7.24 | 1 | 254137 |
| 13 | 2/05.12.09 | 42122151 | 283500 | 41838651 | 41838651 | 7.24 | 1 | 252426.5 |
| 14 | 15/14.01.10 | 41838651 | 5918972 | 35919679 | 35919679 | 7.24 | 1 | 216715.4 |
| 15 | 33/26.02.10 | 35919679 | 5159890 | 30759789 | 30759789 | 7.24 | 1 | 185584.1 |
| 16 | 02/13.03.10 | 30759789 | 14842942 | 15916847 | 15916847 | 7.24 | 1 | 96031.64 |
| 17 | 05/30.04.10 | 15916847 | 4925168 | 10991679 | 10991679 | 7.24 | 7 | 464215.2 |
| | | | | | | कुल ब्याज | | **9468402** |

* शासन के उधार लेने की औसत दर

यथा ₹ **94.68** लाख

## परिशिष्ट - 2.7

*(संदर्भः कंडिका 2.3.7, पृष्ठ 89)*

### अतिरिक्त प्रतिभूति जमा एवं प्रतिभूति जमा को राजसात न किए जाने के कारण शासन को हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| मद | अनुबंधित मात्रा | प्राक्कलित दर (₹ प्रति इकाई) | अनुबंधित दर (₹ प्रति इकाई) | समग्र प्रतिशत 1.06 प्रतिशत कम (₹ प्रति इकाई) | निष्पादित मात्रा | दर अन्तर (₹ प्रति इकाई) | अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मद क्र. 1 मिट्टी में खुदाई | 244244.07 घ.मी. | 23.10 | 27 | 22.86 | 267458.01 | 4.14 | 1107276 |
| मद क्र. 4 सीमेंट कांक्रीट 1:3:6 | 22291.482 घ.मी. | 1176.18 | 1500 | 1163.71 | 14900.13 | 336.29 | 5010725 |
| मद क्र. 6 सीमेंट कांक्रीट 1:3:6 | 4933.96 घ.मी. | 1028.96 | 1500 | 1018.05 | 2622.81 | 481.95 | 1264063 |
| मद क्र. 8 प्रबलित सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 | 4292.449 घ.मी. | 2577.97 | 2600 | 2550.64 | 3763.11 | 49.36 | 185747 |
| मद क्र.9 प्रबलित सीमेंट कांक्रीट | 50.285 घ.मी. | 2466.44 | 2800 | 2440.30 | 47.64 | 359.70 | 17136 |
| मद क्र.10 आर. सी. सी. स्टील | 418983 कि.ग्रा. | 24.10 | 30 | 23.84 | 435258.72 | 6.16 | 2681194 |
| | | | | | | उप योग (अतिरिक्त प्रतिभूति जमा) | ₹ 102,66,141 |
| | | | | | | (+) राजसात न की गई प्रतिभूति जमा | ₹ 55,92,000 |
| | | | | | | कुल | ₹ 1,58,58,141 |

## परिशिट 2.8

*(संदर्भः कंडिका 2.3.7, पृष्ठ 89)*

### अवधिवर्धित अवधि के लिए मूल्य वृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

| स.क्र. | अवधि | मजदूरी हेतु भुगतान की गई राशि (₹) | सामग्री हेतु भुगतान की गई राशि (₹) | पी.ओ.एल. हेतु भुगतान की गई राशि (₹) | कुल भुगतान की गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/07 से 03/07 | 571005 | 162923 | 98633 | 832561 |
| 2. | 04/07 से 06/07 | 324458 | 103584 | 41015 | 469057 |
| 3. | 07/07 से 09/07 | 566171 | 173247 | 57161 | 796579 |
| 4. | 01/08 से 03/08 | 536722 | 221756 | 63459 | 821937 |
| | | | | कुल | 29,20,134 |

## परिशिष्ट - 2.9

*(संदर्भः कंडिका 2.4.2, पृष्ठ 92)*

**गवलान पुल की प्राक्कलित मात्राओं, निविदित मात्राओं एवं निष्पादित मात्राओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक**

| मद क्र. | मद | प्राक्कलित मात्रा | अनुबंध की अनुसूची में प्रावधानित मात्रा | निष्पादित मात्रा (अनुबंधित अधिक 10 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आर.सी.सी. एम.-20 प्रदाय करना एवं लगाना | 1035.21 घ.मी. | 665 घ.मी. | 729.60 घ.मी. |
| 2. | 40 मि.मी. के साथ सी.सी. 1:2:4 एम.-20 प्रदाय करना एवं लगाना | 1032.88 घ.मी. | 663 घ.मी. | 727.61घ.मी. |
| 3. | 20 मि.मी. एम.-25 के साथ प्रदाय करना एवं लगाना | 453.28 घ.मी. | 317.30 घ.मी. | 0.00 |
| 4. | स्टील रीन्फोर्समेंट प्रदान करना एवं फिक्स करना | 71395 कि.ग्रा. | 62,041 कि.ग्रा. | 29,685.00 कि.ग्रा. |

## परिशिष्ट - 2.10

*(संदर्भः कंडिका 2.4.2, पृष्ठ 93)*

**असंतुलित मदों की पूर्ण उद्धृत दरों पर अनधिकृत भुगतान के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक**

| स. क्र. | मद | अनुबंधित मात्रा (घ.मी. में) | निष्पादित मात्रा (घ.मी. में) | अनुबंधित दर (प्रति घ.मी.) | प्राक्कलित दर (प्रति घ.मी.) | समग्र प्रतिशत 10.81% अधिक | दर अन्तर (₹ में) | अधिक भुगतान (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्र. 5 - स्थिति में एम.20 कांक्रीट प्रदाय / लगाना | 665 | 729.60 | 6500 | 3100.65 | 3430 | 3070 | 22,39,872 |
| 2. | क्र. 6- आर.सी.सी. 1:2:4 एम.-15 प्रदाय करना | 663 | 727.61 | 6500 | 2932 | 3243.4 | 3256.6 | 23,69,534 |
| | | | | | | | योग | **46,09,406** |
| | | | | | | | ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित 17 प्रतिशत छूट घटाएँ (-) | **7,83,599** |
| | | | | | | | ठेकेदार को अधिक भुगतान | **38,25,807** |

## परिशिष्ट - 2.11

*(संदर्भः- कंडिका 2.5.2, पृष्ठ 95)*

**30 जून 2010 को विभिन्न विभागो के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा कंडिकाए दर्शाने वाला पत्रक**

| स. क्र. | विभाग का नाम | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | कंडिकाओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 135 | 486 |
| 2 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 551 | 1513 |
| 3 | राजस्व | 222 | 446 |
| 4 | चिकित्सा शिक्षा | 159 | 444 |
| 5 | वित्त | 564 | 853 |
| 6 | सहकारिता | 295 | 956 |
| 7 | शिक्षा | 1787 | 4361 |
| 8 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | 663 | 1751 |
| 9 | आवास एवं पर्यावरण | 157 | 485 |
| 10 | पंजीयन एवं मुद्रांक | 59 | 127 |
| 11 | जन सम्पर्क | 48 | 92 |
| 12 | पंचायत एवं समाज कल्याण | 99 | 187 |
| 13 | महिला एवं बाल विकास | 267 | 654 |
| 14 | पशु पालन | 238 | 691 |
| 15 | पुलिस | 281 | 620 |
| 16 | विधि एवं विधायी मामले | 226 | 326 |
| 17 | उद्यानिकी | 193 | 575 |
| 18 | श्रम एवं रोजगार | 117 | 292 |
| 19 | जेल | 120 | 295 |
| 20 | ग्रामीण उद्योग | 163 | 457 |
| 21 | होमगार्ड एवं सिविल सुरक्षा | 61 | 103 |
| 22 | योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकीय | 145 | 440 |
| 23 | रेशम | 46 | 136 |
| 24 | मछली पालन | 57 | 151 |
| 25 | अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण | 378 | 768 |
| 26 | उद्योग | 295 | 763 |
| 27 | सामान्य प्रशासन | 348 | 1084 |
| 28 | ऊर्जा | 12 | 16 |
| 29 | राज्य आबकारी | 50 | 67 |
| 30 | वाणिज्यिक कर | 86 | 134 |

| स. क्र. | विभाग का नाम | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | कंडिकाओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 31 | पुरातत्व एवं संग्रहालय | 45 | 85 |
| 32 | पुनर्वास | 30 | 79 |
| 33 | मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 25 | 83 |
| 34 | आयकट | 23 | 49 |
| 35 | शहरी प्रशासन | 99 | 331 |
| 36 | खनन | 16 | 33 |
| 37 | नाप तौल | 16 | 33 |
| 38 | पर्यटन | 7 | 33 |
| 39 | सामाजिक न्याय | 215 | 555 |
| 40 | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | 66 | 140 |
| 41 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 82 | 186 |
| 42 | विविध विभाग (लोक सेवा आयोग, प्रशासन अकादमी, राज्य गैरेज जांच आयोग, एन.सी.सी., निर्वाचन आदि) | 567 | 1557 |
| | **योग** | **9,013** | **22,437** |

## परिशिष्ट - 2.12

*(संदर्भः- कंडिका 2.5.2, पृष्ठ 95)*

**परिशिष्ट 2.11 में दर्शाये गये विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति दर्शाने वाला पत्रक**

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | कंडिकाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 2004-05 तक | 5112 | 10526 |
| 2005-06 | 674 | 1571 |
| 2006-07 | 631 | 1664 |
| 2007-08 | 930 | 2669 |
| 2008-09 | 800 | 2876 |
| 2009-10 | 866 | 3131 |
| **योग** | **9,013** | **22,437** |

## परिशिट 2.13

*(संदर्भः कंडिका 2.5.2, पृष्ठ 95)*

**विभिन्न निर्माण एवं वन विभाग के 30 जून 2010 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शानेवाला विवरण पत्रक**

| स. क्र. | विभाग का नाम | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | कंडिकाओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | वन | 404 | 779 |
| 2 | जल संसाधन | 1460 | 4957 |
| 3 | लोक निर्माण | 1055 | 4776 |
| 4 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय | 570 | 2318 |
| 5 | नर्मदा घाटी विकास<br>(I) सिंचाई<br>(II) भवन/ सड़क<br>(III) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय (न.घा.वि.) | <br>371<br>50<br>9 | <br>973<br>121<br>23 |
| 6 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) | 266 | 1355 |
| 7 | आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना निर्माण) | 77 | 249 |
| 8 | भोपाल गैस राहत (निर्माण इकाईयाँ) | 14 | 32 |
| | **योग** | **4276** | **15583** |

## परिशिष्ट - 2.14

*(संदर्भः कंडिका 2.5.2, पृष्ठ 95)*

**परिशिष्ट 2.13 में दर्शाए गए विभागों के बारे में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति दर्शानेवाला विवरण पत्रक**

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | कंडिकाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 2004-05 तक | 2265 | 6679 |
| 2005-06 | 363 | 1488 |
| 2006-07 | 393 | 1696 |
| 2007-08 | 453 | 2011 |
| 2008-09 | 466 | 2066 |
| 2009-10 | 336 | 1643 |
| **योग** | **4276** | **15583** |

## परिशिष्ट 2.15

*(संदर्भः कंडिका 2.5.2, पृष्ठ 96)*

**आडिट रिपोर्ट कंडिकाओं/ समीक्षाओं की संख्या जिन पर 31 अगस्त 2010 तक वांछित विभागीय उत्तरों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | राज्य विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की तिथि | कंडिकाओं / समीक्षाओं की संख्या |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) क्र.-3 1999-2000 | 14 सितम्बर 2001 | 1 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2003-04 | 4 जनवरी 2006 | 1 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2004-05 | 24 मार्च 2006 | 1 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2005-06 | 26 जुलाई 2007 | 22 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2006-07 | 19 मार्च 2008 | 20 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2007-08 | 21 जुलाई 2009 | 19 |
| | **योग** | **64** |

## परिशिष्ट - 2.16

*(संदर्भः- कंडिका 2.5.2, पृष्ठ 96)*

**आडिट रिपोर्ट कंडिकाओं/समीक्षाओं की संख्या जिन पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर अगस्त 2010 तक विभागीय कार्यवाही की टिप्पणियाँ (ए.टी.एन) लंबित थी की वर्षवार तथा विभाग वार स्थिति दर्शाने वाला पत्रक**

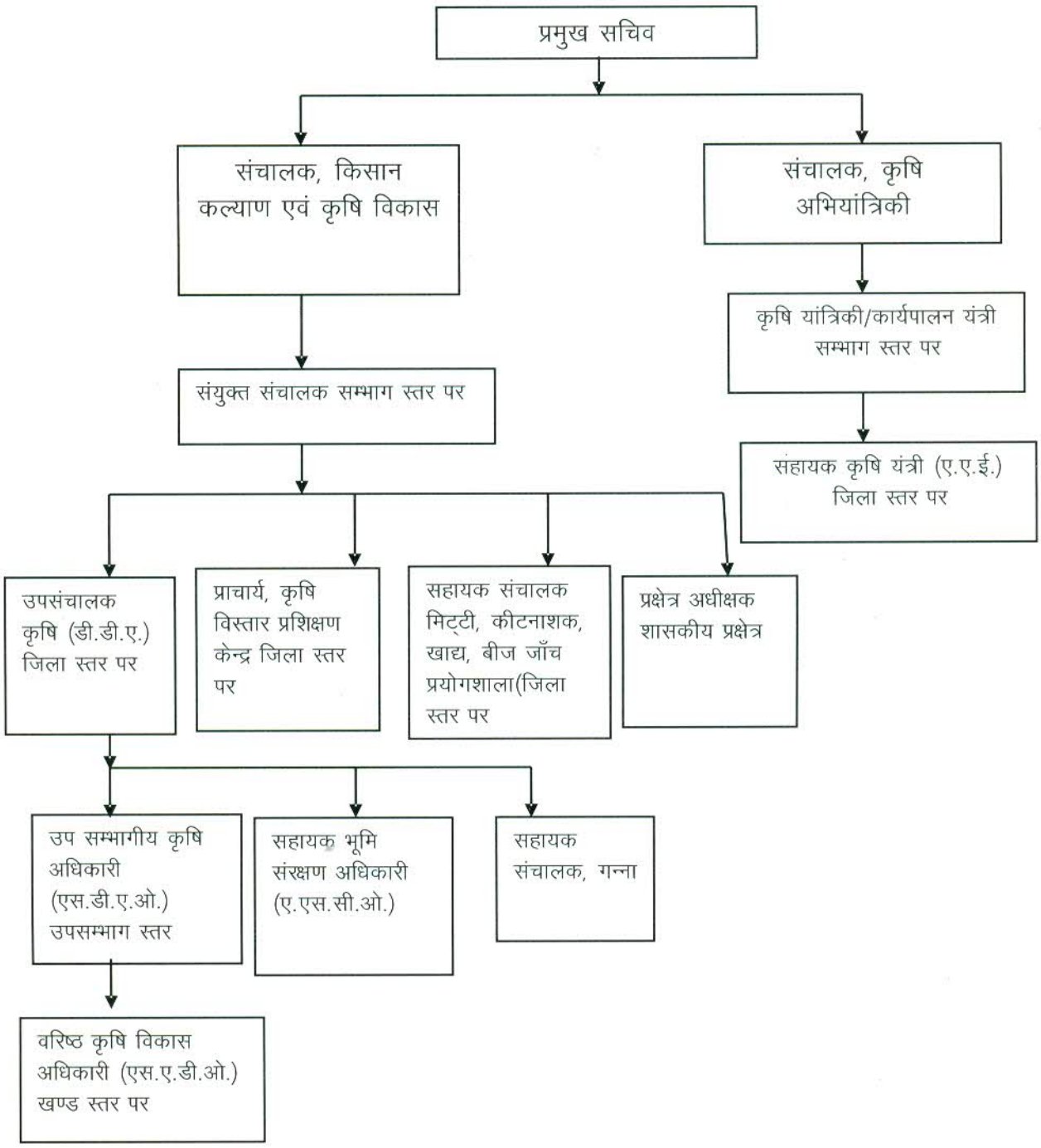
| विभाग | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | योग |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 5 | 7 | 8 | 3 | | | 6 | | 1 | | 4 | | 1 | 2 | 5 | | 2 | 2 | | 46 |
| राजस्व | | 3 | | | | | | 1 | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | 16 |
| चिकित्सा शिक्षा | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 6 |
| सहकारिता | | | | | | | | | 3 | | 1 | | 4 | 4 | | | 1 | | | 13 |
| शालेय शिक्षा | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 28 |
| कृषि | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | | | 7 | | | | 1 | | | | 2 | 24 |
| आवास एवं पर्यावरण | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| जन सम्पर्क | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| पंचायत एवं समाज कल्याण | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| महिला एवं बाल विकास | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 6 |
| पशुपालन | | | 3 | | 3 | | | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 13 |
| पुलिस | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| श्रम एवं रोजगार | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 4 |
| जेल | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| ग्रामीण उद्योग | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| तकनीकी शिक्षा | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| उच्च शिक्षा | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| जनशक्ति नियोजन | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| मछली पालन | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण | | | 2 | | 2 | | | 4 | 4 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 22 |
| उद्योग | | | 2 | | | | 3 | 1 | 3 | 4 | | 3 | | | | | | | 1 | 17 |

| विभाग | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | योग |
| सामान्य प्रशासन | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | **3** |
| वाणिज्यिक कर | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | **1** |
| आयाकट | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| शहरी प्रशासन | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | | | 1 | | | **7** |
| संस्कृति | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| पुनर्वास | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | **1** |
| खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | **2** |
| डेयरी विकास | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | **1** |
| वित्त | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | **1** |
| गृह | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | **1** |
| भोपास गैस त्रासदी (राहत एवं पुनर्वास) | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | **3** |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | | 2 | | 4 | 2 | 3 | | | 7 | | 9 | 13 | 4 | 5 | | 3 | | | | **52** |
| लोक निर्माण | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 8 | 1 | 7 | | | **75** |
| जल संसाधन | 25 | 31 | 30 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | **173** |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | **37** |
| नर्मदा घाटी विकास | | | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | **20** |
| आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियाजना निर्माण) | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | **15** |
| भोपाल गैस राहत (निर्माण) | | | | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | | **5** |
| **योग** | **40** | **48** | **54** | **37** | **38** | **28** | **25** | **32** | **46** | **25** | **51** | **44** | **40** | **32** | **33** | **15** | **24** | **08** | **04** | **624** |

## परिशिष्ट - 3.1

*(सन्दर्भः कण्डिका 3.1.2, पृष्ठ 99)*

**किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना**



## परिशिष्ट - 3.2

*(सन्दर्भ: कण्डिका 3.1.8.2, पृष्ठ 111)*

### बीजों की प्राप्ति, उत्पादन एवं वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाता विवरण पत्रक

(इकाई मिलियन टन में)

| बीज के घटक | योजना | 2005-06 | | | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत |
| प्रजनक बीज की प्राप्ति | एन.पी.डी.पी.[1] | 169 | 188 | निरंक | 375 | 166 | 55.73 | 399 | 99.6 | 75.03 | 200 | 42.4 | 78.8 | 50 | 57 | निरंक |
| | ओ.पी.पी. | 300 | 171 | 43 | 556 | 528 | 5.03 | 499 | 973 | निरंक | 400 | 380.6 | 4.85 | 600 | 513 | 14.5 |
| | आई.एम.डी.पी. | 0.4 | 1.3 | निरंक | 5.7 | 0.4 | 92.98 | 2.1 | 0.5 | 76.19 | 5.0 | 2.0 | 60 | 3.0 | 0.9 | 70 |
| | आई.सी.डी.पी. (कपास) | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | आई.सी.डी.पी. चावल तथा सी.सी. | 260 | 200 | 23.07 | 245 | 358 | निरंक | 250 | 205 | 18 | 300 | 299 | 0.33 | निरंक | निरंक | निरंक |
| | एन.एफ.एस.एम. | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 190.6 | 13.2 | 93.07 | 162 | 108 | 33.33 | 515 | 305 | 40.77 |
| आधार बीज का उत्पादन | एन.पी.डी.पी. | 1120 | 1088 | 2.86 | 1440 | 1090 | 24.31 | 6999 | 1136 | 83.77 | 2500 | 621 | 75.16 | 250 | 415 | निरंक |
| | ओ.पी.पी. | 9000 | 8711 | 3.21 | 4000 | 6447 | निरंक | 8000 | 4888 | 38.9 | 1000 | 4470 | निरंक | 4533 | 5096 | निरंक |
| | आई.एम.डी.पी. | 20 | 9.4 | 53 | निरंक | 6.3 | निरंक | 50.7 | 3.0 | 94.08 | 100 | 31.6 | 68.4 | 50 | 39 | 22 |
| | आई.सी.डी.पी. (कपास) | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | आई.सी.डी.पी. चावल तथा सी.सी. | 11356 | 5252 | 53.75 | 13497 | 2900 | 78.51 | 13497 | 4024 | 70.19 | 2200 | 3166 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | एन.एफ.एस.एम. | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 2000 | 1752 | 12.4 | 2000 | 5730 | निरंक | 6600 | 6249 | 5.32 |

1 *एन.पी.डी.पी.-राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (आइसोपाम दलहन) ओ.पी.पी. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (आइसोपाम तिलहन) आई.एम.डी.पी. एकीकृत मक्का विकास कार्यक्रम (आइसोपाम मक्का), आई.सी.डी.पी. (कपास) वृद्धि करने वाला कपास विकास कार्यक्रम*

| बीज के घटक | योजना | 2005-06 | | | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | | 2009-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत |
| प्रमाणित बीज का उत्पादन | एन.पी.डी.पी. | 3306 | 2312 | 30.07 | 3156 | 1702 | 46.07 | 10000 | 1753 | 82.47 | 4000 | 560 | 86 | 1400 | 887 | 36.64 |
| | ओ.पी.पी. | 12500 | 8117 | 35.06 | 12000 | 11084 | 7.63 | 10000 | 10290 | निरंक | 7000 | 17184 | निरंक | 15886 | 14856 | 6.48 |
| | आई.एम.डी.पी. | 80 | 0.6 | 99.25 | निरंक | 11.6 | निरंक | 303 | 6.9 | 97.72 | 300 | 2.7 | 99.1 | 50 | 18.5 | 63 |
| | आई.सी.डी.पी. (कपास) | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | आई.सी.डी.पी. चावल तथा सी.सी. | 10607 | 10607 | निरंक | 14104 | 4763 | 66.23 | 14104 | 5781 | 59.01 | 2320 | 9182 | निरंक | 100 | 1.0 | 99 |
| | एन.एफ.एस.एम. | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 15200 | 13974 | 8.07 |
| प्रमाणित बीज का वितरण | एन.पी.डी.पी. | 2500 | 2324 | 7.04 | 4290 | 1987 | 53.68 | 13500 | 2402 | 82.21 | 6000 | 821 | 86.32 | 3000 | 1521 | 49.3 |
| | ओ.पी.पी. | 20420 | 14783 | 27.61 | 17035 | 19108 | निरंक | 16999 | 19176 | निरंक | 15000 | 20756 | निरंक | 49415 | 16595 | 66.42 |
| | आई.एम.डी.पी. | 100 | 8.9 | 91.1 | 500 | 34.2 | 93.16 | 252 | 13 | 94.84 | 400 | 14.6 | 96.35 | 50 | 70 | निरंक |
| | आई.सी.डी.पी. (कपास) | 21 | 10.9 | 48.1 | 11.5 | 8.8 | 23.48 | 6.3 | 1.8 | 71.43 | 9.8 | 0.04 | 99.59 | निरंक | निरंक | निरंक |
| | आई.सी.डी.पी. चावल तथा सी.सी. | 8750 | 5920 | 32.34 | 3999 | 5689 | निरंक | 3999 | 3370 | 15.73 | 3142 | 4526 | निरंक | 4615 | 4185 | 9.32 |
| | एन.एफ.एस.एम. | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 22500 | 67512 | निरंक | 35792.50 | 15382 | 57.02 | 31200 | 22253 | 28.68 |
| | बीज ग्राम योजना | निरंक | निरंक | निरंक | 7176.50 | 1413.80 | 80.30 | 3843.00 | 2301.10 | 40.12 | 2049.30 | 1231.30 | 39.92 | 4003.20 | 2275.60 | 43.16 |

## परिशिष्ट - 3.3

*(सन्दर्भ: कण्डिका 3.1.8.3, पृष्ठ 111)*

### प्रदर्शनों के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाता विवरण पत्रक

(हैक्टेयर में)

| योजना का नाम | वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत | अनुदान का भुगतान (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम | 2005-06 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | 2006-07 | 939 | 486 | 48.24 | 4.83 |
| | 2007-08 | 1584 | 1313 | 17.11 | 10.94 |
| | 2008-09 | 10000 | 16728 | निरंक | 418.2 |
| | 2009-10 | 800 | 593 | 25.88 | 8.77 |
| तिलहन उत्पादन कार्यक्रम | 2005-06 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | 2006-07 | 939 | 563 | 40.04 | 6.77 |
| | 2007-08 | 1437 | 569 | 60.4 | 7.82 |
| | 2008-09 | 17000 | 18358 | निरंक | 433.95 |
| | 2009-10 | 7947 | 8466 | निरंक | 125.31 |
| एकीकृत मक्का विकास कार्यक्रम | 2005-06 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | 2006-07 | 882 | 335 | 62.02 | 1.13 |
| | 2007-08 | 1589 | 74 | 95.34 | 1.95 |
| | 2008-09 | 3000 | 870 | 71 | 2.94 |
| | 2009-10 | 1148 | 325 | 71.69 | 5.64 |
| आई.डी.सी.पी. चावल, गेहूँ, सी.सी. | 2005-06 | 20 | 20 | निरंक | 20 |
| | 2006-07 | 16.32 | 6.046 | 62.95 | 6.154 |
| | 2007-08 | 16.32 | 3.3 | 79.78 | 3.79 |
| | 2008-09 | 6.84 | 2.16 | 68.42 | 4.86 |
| | 2009-10 | 3125 | 1569 | 49.79 | 66.33 |
| आई.डी.सी.पी. कपास | 2005-06 | 31 | 46 | निरंक | 1.7 |
| | 2006-07 | 4 | 22 | निरंक | 1.05 |
| | 2007-08 | 34 | 11 | 67.65 | 1.7 |
| | 2008-09 | 70 | 11 | 84.29 | 0.55 |
| | 2009-10 | 20 | 3 | 85 | 0.15 |
| एन.एफ.एस.एम. | 2005-06 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | 2006-07 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | 2007-08 | 3520 | 3294 | 6.42 | 114.34 |
| | 2008-09 | 5098 | 8631 | निरंक | 360.84 |
| | 2009-10 | 10360 | 10063 | 2.87 | 496.83 |

## परिशिष्ट - 3.4

*(सन्दर्भ: कण्डिका 3.1.9.1, पृष्ठ 118)*

## आत्मा (ए.टी.एम.ए.) के अन्तर्गत लक्ष्य, उपलब्धियों एवं मुख्य क्रियाकलापों में कमी दर्शाता विवरण पत्रक

| सरल क्रमांक | क्रियाकलाप | 2005-06 | | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | कमी का प्रतिशत |
| 1. | कार्यशाला की छमाही समीक्षा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 4 | 4 | 4 | 4 | निरंक | निरंक | 8 | 8 | निरंक |
| 2 | तीसरी पार्टी का मूल्यांकन (वार्षिक) | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 1 | निरंक | निरंक | निरंक | 1 | निरंक | 100 |
| 3 | जिला स्तर/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संख्या/किसान संख्या) | 730 (सं) | 12 (सं) | 1172 (सं) | 244 (सं) | 66827 (किसानों) | 32795 (किसानों) | 130 (No) | 6 (No) | 87486 (किसानों) | 71630 (किसानों) | 2032 (सं) 154313 (किसानों) | 262 (सं) 104425 (किसानों) | 87 (सं) 32 (किसानों) |
| 4 | बाहरी निरीक्षण (राज्य/जिला) (प्रशिक्षण/कृषकों की संख्या) | 138 (सं) | 4 (सं) | 173 (सं) | 16 (सं) | 45107 (किसानों) | 14459 (किसानों) | 78240 (किसानों) | 21096 (किसानों) | 48415 (किसानों) | 20935 (किसानों) | 311 (सं) 171762 (किसानों) | 20 (सं) 56490 (किसानों) | 94 (सं) 67 (किसानों) |
| 5 | प्रदर्शनी/किसान मेला/फल, सब्जी प्रदर्शन | 25 | 1 | 31 | 11 | 49 | 35 | 49 | 48 | 50 | 47 | 204 | 142 | 30 |
| 5 a | प्रक्षेत्र स्कूल | - | - | - | - | 960 | 178 | 1565 | 1083 | 1565 | 1055 | 4090 | 2316 | 43 |
| 6 | किसानों की गतिशीलता, विभिन्न प्रकार के समूह को प्रोत्साहित करना, साथ में एफ.आई.जी./महिला समूह/किसान संगठन | 560 | निरंक | 740 | 635 | 540 | 171 | 1565 | 631 | 2500 | 1400 | 5905 | 2837 | 52 |
| 7 | किसानों/वैज्ञानिकों के साथ संगोष्ठी | 30 | 3 | 30 | निरंक | 63 | 26 | 48 | 38 | 100 | 100 | 271 | 167 | 38 |
| 8 | किसान संगोष्ठीयों को प्रोत्साहित करना | 150 | 2 | 76 | निरंक | 385 | 127 | 309 | 391 | 626 | 626 | 1546 | 1146 | 26 |

## परिशिष्ट - 3.5

*(सन्दर्भ: कण्डिका 3.1.10.1, पृष्ठ 124)*

**नमूनों के लिये गये लक्ष्य, वास्तविक लिये गये एवं किया गया विश्लेषण का दर्शाता विवरण पत्रक**

| घटक | वर्ष | नमूनों की संख्या | | कमी (प्रतिशत में) | जाँचे गये नमूनों की संख्या | निरस्त किये गये नमूनों की संख्या | पाये गये नमूनों की संख्या | | अमानक नमूनों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य लिये जाने थे | वास्तविक लिये गये | | | | मानक | अमानक | |
| बीज | 2005-06 | 5000 | 4246 | 754(15) | 4240 | 6 | 3406 | 834 | 20 |
| | 2006-07 | 5400 | 4039 | 1361(25) | 4039 | निरंक | 2958 | 1081 | 27 |
| | 2007-08 | 5500 | 3998 | 1502 (27) | 3938 | 60 | 3207 | 731 | 19 |
| | 2008-09 | 5600 | 3541 | 2059 (37) | 3529 | 12 | 3047 | 482 | 14 |
| | 2009-10 | 6000 | 4072 | 1928 (32) | 4072 | निरंक | 2563 | 1509 | 37 |
| | **कुल** | **27500** | **19896** | **7604(28)** | **19818** | **78** | **15181** | **4637** | |
| खाद | 2005-06 | 7600 | 5575 | 2025(27) | 5565 | 10 | 4512 | 1053 | 19 |
| | 2006-07 | 7600 | 5780 | 1820(24) | 5778 | 2 | 4578 | 1200 | 21 |
| | 2007-08 | 6550 | 4951 | 1599 (24) | 4932 | 19 | 3888 | 1044 | 21 |
| | 2008-09 | 6550 | 4353 | 2197 (34) | 4277 | 76 | 3717 | 560 | 13 |
| | 2009-10 | 5000 | 4022 | 978 (20) | 3990 | 32 | 3308 | 682 | 17 |
| | **कुल** | **33300** | **24681** | **8619(26)** | **24542** | **139** | **20003** | **4539** | |
| कीटनाशक | 2005-06 | 1500 | 1225 | 275(18) | 1225 | निरंक | 1152 | 73 | 6 |
| | 2006-07 | 1500 | 1285 | 215(14) | 1282 | 3 | 1186 | 96 | 7 |
| | 2007-08 | 1500 | 1129 | 371(25) | 1129 | निरंक | 1050 | 79 | 7 |
| | 2008-09 | 1500 | 947 | 553(37) | 947 | निरंक | 897 | 50 | 5 |
| | 2009-10 | 1500 | 1064 | 436(29) | 986 | 78 | 932 | 54 | 5 |
| | **कुल** | **7500** | **5650** | **1850 (25)** | **5569** | **81** | **5217** | **352** | |

## परिशिष्ट - 3.6

*(सन्दर्भ: कण्डिका 3.1.10.2, पृष्ठ 124)*

### अमानक कृषि आदानों का विवरण पत्रक

| सरल क्र. | जिले | बीज (क्विंटल में) | खाद (टन/बैग में) | कीट नाशक (लीटर/कि.ग्राम में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | 1301.73 | 736.36 | 195.10 लीटर/ 107 किलोग्राम |
| 2. | बेतूल | 3747.07 | 808.44 | 10 लीटर/ 2.7 किलोग्राम |
| 3. | भोपाल | 2884.60 | 766.85 | 665 लीटर/ 250 किलोग्राम |
| 4. | बुरहानपुर | 634.31 | 134.37 / 7488 बैग | - |
| 5. | छतरपुर | 3999.41 / 290 बैग | 559.20 | 11.9 लीटर |
| 6. | डिण्डोरी | 258.09 | 96.5 | - |
| 7. | ग्वालियर | 2447.39 | 1107 | - |
| 8. | झाबुआ | 1158.59 | 1932.75 | - |
| 9. | मन्दसौर | 2154.71 | 2164.91 | 44.25 लीटर / 28 किलोग्राम |
| 10. | पन्ना | 3232.80 | 361.70 | 2 लीटर/ 12 किलोग्राम |
| 11. | रतलाम | 5014.33 | 1214.76 | 173.25 लीटर |
| 12. | शहडोल | 807.40 | 75.39 | - |
| 13. | शिवपुरी | 2689.00 | 816.00 | 202 लीटर |
| | **योग** | **30329.43 क्विंटल/290 बैग** | **10774.23 टन/ 7488 बैग** | **1303.50 लीटर/ 399.7 किलोग्राम** |

## परिशिष्ट - 3.7

*(सन्दर्भ: कण्डिका 3.1.10.5, पृष्ठ 126)*

### मिट्टी के नमूनों का संकलन तथा विश्लेषण के विषय में लक्ष्य तथा उपलब्धि

| सरल क्र. | प्रयोगशाला | वर्ष | लिये जाने वाले नमूनों की संख्या | नमूनों का प्रारम्भिक शेष | प्रयोगशाला में प्राप्त हुए नमूनों की संख्या (उपलब्धि) | कमी का प्रतिशत | जाँचे गये नमूनों की संख्या | प्रयोगशाला द्वारा निरस्त नमूनों की संख्या | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बालाघाट | 2005-06 | 20000 | निरंक | 7306 | 64 | 5700 | 27 | 1579 |
| | | 2006-07 | 15000 | 1579 | 6353 | 58 | 6600 | 532 | 800 |
| | | 2007-08 | 10000 | 800 | 6326 | 37 | 7025 | 101 | निरंक |
| | | 2008-09 | 14000 | निरंक | 8603 | 39 | 8462 | 141 | निरंक |
| | | 2009-10 | 14000 | निरंक | 5750 | 59 | 3070 | निरंक | 2680 |
| 2 | भोपाल | 2005-06 | 16200 | निरंक | 7585 | 53 | 7354 | 231 | निरंक |
| | | 2006-07 | 16200 | निरंक | 13510 | 17 | 12380 | 1115 | 15 |
| | | 2007-08 | 14750 | 15 | 11501 | 22 | 11267 | 234 | 15 |
| | | 2008-09 | 16050 | 15 | 12478 | 22 | 9730 | 344 | 2419 |
| | | 2009-10 | 16300 | 2419 | 12136 | 26 | 5144 | निरंक | 9411 |
| 3 | छतरपुर | 2005-06 | 15000 | निरंक | 10640 | 29 | 10640 | निरंक | निरंक |
| | | 2006-07 | 12000 | निरंक | 4670 | 61 | 4670 | निरंक | निरंक |
| | | 2007-08 | 12000 | निरंक | 4555 | 62 | 4555 | निरंक | निरंक |
| | | 2008-09 | 12000 | निरंक | 7011 | 42 | 7011 | निरंक | निरंक |
| | | 2009-10 | 17500 | निरंक | 14722 | 16 | 14663 | 59 | निरंक |
| 4. | मन्दसौर | 2005-06 | 15800 | निरंक | 9852 | 38 | 9553 | 299 | निरंक |
| | | 2006-07 | 15900 | निरंक | 9228 | 42 | 8181 | 50 | 997 |
| | | 2007-08 | 12225 | 997 | 12836 | - | 12715 | 121 | 997 |
| | | 2008-09 | 15225 | 997 | 11276 | 26 | 7690 | 258 | 4325 |
| | | 2009-10 | 15600 | 4325 | 6473 | 59 | 7093 | 17 | 3688 |

## परिशिष्ट - 3.8

*(संदर्भ कंडिका.3.11.1, पृष्ठ 126)*

### स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कर्मचारी

| संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास | | | | | संचालक, कृषि अभियांत्रिकी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सरल क्र. | पद नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | सरल क्रमांक | पद नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
| 1. | संचालक, कृषि | 1 | 1 | 0 | 1. | संचालक, कृषि अभियांत्रिकी | 1 | 1 | 0 |
| 2. | अतिरिक्त संचालक, कृषि | 5 | 3 | 2 | 2. | संयुक्त संचालक कृषि, अभियांत्रिकी | 1 | 1 | 0 |
| 3. | संयुक्त संचालक, कृषि | 22 | 16 | 6 | 3. | कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री | 8 | 8 | 0 |
| 4. | संयुक्त संचालक, कृषि (सांख्यिकी) | 1 | 0 | 1 | 4. | सहायक कृषि यंत्री | 17 | 12 | 5 |
| 5. | उप संचालक, कृषि | 83 | 74 | 9 | 5. | मुख्य निर्देशक | 1 | 1 | 0 |
| 6. | उप संचालक, कृषि (साँख्यिकी) | 2 | 2 | 0 | 6. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 6 | 1 | 5 |
| 7. | लेखा अधिकारी | 1 | 0 | 1 | 7. | यांत्रिकी सहायक | 53 | 43 | 10 |
| 8. | सहायक संचालक, कृषि | 618 | 374 | 244 | 8. | याँत्रिक | 90 | 63 | 27 |
| 9. | सहायक संचालक, कृषि (सांख्यिकी) | 14 | 1 | 13 | 9. | जुताई चालक | 284 | 224 | 60 |
| 10. | सहायक संचालक, कृषि (लेखा) | 14 | 6 | 8 | 10. | एयर कम्प्रेसर चालक | 99 | 65 | 34 |
| 11. | सहायक साँख्यिकी अधिकारी | 138 | 113 | 25 | 11. | विद्युतकार | 6 | 4 | 2 |
| 12. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 722 | 535 | 187 | 12. | वेल्डर | 7 | 6 | 1 |
| 13. | तकनीकी सहायक (सूचना) | 1 | 1 | 0 | 13. | वाहन चालक | 13 | 9 | 4 |
| 14. | मान चित्रकार | 53 | 53 | 0 | 14. | मान चित्रकार | 1 | 0 | 1 |
| 15. | कृषि विकास अधिकारी | 1251 | 788 | 463 | 15. | ब्लेक स्मिथ | 7 | 7 | 0 |

| स.क्र. | पद नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स.क्र. | पद नाम | स्वीकृत | कार्यारत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | कृषि सहायक (सूचना) | 6 | 4 | 2 | 16. | लोहार सह कारपेन्टर | 18 | 3 | 15 |
| 17. | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 6371 | 5357 | 1014 | 17. | टर्नर | 6 | 2 | 4 |
| 18. | सर्वेयर | 966 | 669 | 297 | 18. | अधीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 19. | प्रयोगशाला सहायक | 54 | 43 | 11 | 19. | शीघ्र लेखक | 2 | 1 | 1 |
| 20. | अनुरेखक | 58 | 50 | 8 | 20. | मुख्य लिपिक | 10 | 7 | 3 |
| 21. | अधीक्षक | 10 | 5 | 5 | 21. | लेखा परीक्षक | 5 | 2 | 3 |
| 22. | सहायक अधीक्षक | 8 | 5 | 3 | 22. | लेखापाल | 24 | 9 | 15 |
| 23. | संभागीय लेखापाल | 14 | 8 | 6 | 23. | सहायक वर्ग-II | 32 | 23 | 9 |
| 24. | मुख्य लिपिक | 85 | 59 | 26 | 24. | भण्डारी (सहा.वर्ग-II) | 9 | 6 | 3 |
| 25. | लेखापाल | 181 | 120 | 61 | 25. | भण्डारी (सहा.वर्ग.III) | 10 | 10 | 0 |
| 26. | वरिष्ठ निजी सहायक | 6 | 3 | 3 | 26. | भण्डारी सह लिपिक | 25 | 22 | 3 |
| 27. | निजी सहायक | 20 | 9 | 11 | 27. | सहायक वर्ग-III | 53 | 32 | 21 |
| 28. | शीघ्र लेखक ग्रेड-III | 51 | 38 | 13 | 28. | समय पाल | 4 | 1 | 3 |
| 29. | लेखा परीक्षक | 56 | 35 | 21 | 29. | हेयर मेंन | 6 | 6 | 0 |
| 30. | उप लेखा परीक्षक | 69 | 28 | 41 | 30. | सफाईकर्मी/सहायक/मेट | 263 | 173 | 90 |
| 31. | सहायक वर्ग-II | 587 | 456 | 131 | 31. | भृत्य | 53 | 43 | 10 |
| 32. | सहायक वर्ग-III | 834 | 601 | 233 | 32. | चौकीदार | 27 | 15 | 12 |
| 33. | स्टेनों टाईपिस्ट | 4 | 0 | 4 | | | | | |
| 34. | वाहन चालक | 276 | 227 | 49 | | | | | |
| 35. | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 36. | प्रेस आपरेटर | 12 | 19 | -7 | | | | | |
| 37. | प्रेस कम्पोजीटर | 12 | 20 | -8 | | | | | |
| 38. | सिनेमा आपरेटर | 21 | 21 | 0 | | | | | |
| 39. | रिसर्च सहायक | 7 | 7 | 0 | | | | | |
| 40. | फोटोग्राफर | 19 | 19 | 0 | | | | | |

| स.क्र. | पद नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त् | स.क्र. | पद नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त् |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 41. | असेसमेन्ट निरीक्षक | 7 | 7 | 0 | | | | | |
| 42. | गणक | 3 | 3 | 0 | | | | | |
| 43. | इनवेस्टीगेटर | 6 | 6 | 0 | | | | | |
| 44. | कलाकार | 8 | 8 | 0 | | | | | |
| 45. | याँत्रिकी | 4 | 4 | 0 | | | | | |
| 46. | आर्थिक इन्वेस्टीगेटर | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 47. | वितरक | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 48. | आफसेट केमरामेन | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 49. | कार्टोग्राफी सहायक | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 50. | भृत्य/चौकीदार/चेनमेन/अन्य | 1524 | 1055 | 469 | | | | | |
| 51. | दफ्तरी | 3 | 1 | 2 | | | | | |
| 52. | पर्यवेक्षक | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 53. | जमादार | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| | **योग** | **14218** | **10863** | **3355** | | | **1142** | **801** | **341** |

## परिशिष्ट - 3.9

*(संदर्भ कंडिका. 3.1.11.2, पृष्ठ 127)*

### अधिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय

(₹ लाख में)

| स.क्र. | जिले का नाम | कार्यालय का नाम | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत | अधिक | भुगतान की अवधि | वेतन एवं भत्तों पर व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | उप संचालक कृषि बालाघाट | वाहन चालक | 2 | 3 | 1 | जुलाई 2007 से मार्च 2010 | 2.34 |
| | | | भृत्य | 5 | 10 | 5 | जुलाई 2007 से मार्च 2010 | 9.47 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बालाघाट | सहायक साँख्यिकी अधिकारी | 1 | 2 | 1 | जुलाई 2007 से मार्च 2010 | 4.26 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बैहर, बालाघाट | भृत्य | 2 | 3 | 1 | जुलाई 2007 से मार्च 2010 | 1.89 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बारा सिवनी, बालाघाट | कृषि विकास अधिकारी | 3 | 4 | 1 | जुलाई 2007 से मार्च 2010 | 2.64 |
| 2. | बैतूल | उपसंचालक, कृषि बैतूल | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 7 | 7 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 17.36 |
| | | | सहायक वर्ग-III | 3 | 5 | 2 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.53 |
| | | | फोटोग्राफर | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.36 |
| | | | हेल्पर/सफाईकर्मी | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 1.81 |
| | | उप संभागीय कृषि अधिकारी, वैतूल | भृत्य | 2 | 3 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 1.93 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बैतूल | ग्रामीण कृषि विस्तार अधकारी | 21 | 29 | 8 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 19.84 |
| | | प्राचार्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र बैतूल | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 1 | 2 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.00 |

| स.क्र. | जिले का नाम | कार्यालय का नाम | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत | अधिक | भुगतान की अवधि | वेतन एवं भत्तों पर व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सर्वेयर | 0 | 2 | 2 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.96 |
| | | | चेनमेन/क्लीनर | 0 | 4 | 4 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 7.24 |
| | | सहायक मिट्टी सर्वेक्षण अधिकारी बैतूल | अनुरेखक | 0 | 2 | 2 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.40 |
| | | | वाहन चालक | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.20 |
| | | | चेनमेन | 0 | 4 | 4 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 7.24 |
| | | सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी वैतूल | सर्वेयर | 12 | 14 | 2 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.96 |
| 3. | भोपाल | उप संचालक, कृषि भोपाल | रिसर्च सहायक | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 7.53 |
| | | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी भोपाल | चेनमेन | 3 | 5 | 2 | जुलाई 2007 से मार्च 2010 | 3.76 |
| 4. | छतरपुर | उप संचालक कृषि | असेसमेन्ट निरीक्षक | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.48 |
| | | | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 10 | 10 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 24.80 |
| | | उप संभागीय कृषि अधिकारी छत्तरपुर | कृषि विकास अधिकारी | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.48 |
| | | | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.48 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीजावर | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.48 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी छत्तरपुर | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 26 | 30 | 4 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 9.92 |
| | | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नौगॉव छत्तरपुर | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 28 | 30 | 2 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.96 |

| स.क्र. | जिले का नाम | कार्यालय का नाम | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत | अधिक | भुगतान की अवधि | वेतन एवं भत्तों पर व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ग्वालियर | उप संचालक, कृषि ग्वालियर | सहायक साँख्यिकी अधिकारी | 0 | 1 | 1 | नवम्बर 2008 से मार्च 2010 | 4.67 |
| | | | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 8 | 8 | नवम्बर 2008 से मार्च 2010 | 26.42 |
| | | | भृत्य | 4 | 8 | 4 | नवम्बर 2008 से मार्च 2010 | 6.21 |
| 6. | झाबुआ | उपसंचालक, कृषि | सहायक वर्ग-III | 3 | 4 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 2.82 |
| | | | सहायक साँख्यिकी अधिकारी | 0 | 1 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 5.22 |
| | | | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 3 | 3 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 9.45 |
| | | | प्रेस आपरेटर | 0 | 1 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 3.89 |
| | | | प्रेस कम्पोजीटर | 0 | 1 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 2.51 |
| | | | कलाकार | 0 | 1 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 3.80 |
| | | | भृत्य | 5 | 11 | 6 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 9.33 |
| | | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, झाबुआ | चेनमेन | 3 | 4 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 2.51 |
| 7. | मंदसौर | उप संचालक, कृषि मंदसौर | सहायक साँख्यिकी अधिकारी | 0 | 1 | 1 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 7.67 |
| | | | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 5 | 5 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 27.34 |
| | | | भृत्य | 4 | 7 | 3 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 8.27 |

| स.क्र. | जिले का नाम | कार्यालय का नाम | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत | अधिक | भुगतान की अवधि | वेतन एवं भत्तों पर व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | रतलाम | उपसंचालक कृषि | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 3 | 3 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 10.23 |
| | | | सहा. वर्ग III | 2 | 5 | 3 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 6.60 |
| | | कृषि क्षेत्र पंचेड रतलाम | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 1 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 2.48 |
| | | सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी जोवरा रतलाम | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 3 | 4 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.00 |
| | | उप संभागीय कृषि अधिकारी जोवरा रतलाम | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 1 | 2 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.00 |
| | | उप संभागीय कृषि अधिकारी सेलाना रतलाम | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 1 | 2 | 1 | सितम्बर 2007 से मार्च 2010 | 4.00 |
| 9. | शहडोल | उपसंचालक कृषि | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | - | 3 | 3 | अगस्त 2007 से मार्च 2010 | 16.38 |
| 10. | शिवपुरी | उपसंचालक कृषि | सहा. साँख्यिकी अधिकारी | 0 | 1 | 1 | जनवरी 2009 से मार्च 2010 | 4.29 |
| | | | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 0 | 4 | 4 | जनवरी 2009 से मार्च 2010 | 10.78 |
| | | | सिनेमा आपरेटर | 0 | 1 | 1 | जनवरी 2009 से मार्च 2010 | 1.90 |
| | **योग** | | | **135** | **259** | **124** | | **349.09** |

**परिशिष्ट - 3.10**

(सदर्भः कण्डिका 3.2.1, पृष्ठ *134*)

**पशुपालन विभाग में लागू अधिनियम/नियम एवं आदेशों को दर्शानेवाला विवरणपत्रक**

| | केन्द्रीय अधिनियम एवं आदेश |
|---|---|
| सरल क्रमांक | अधिनियम |
| 1 | पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 |
| 2 | भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 |
| 3 | पशु संक्रामक रोग प्रकोप रोकथाम अधिनियम, 2009 |
| 4 | पशुओं के संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम, 2009 |
| | आदेश |
| 1 | दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ आदेश, 1992 |
| | राज्य अधिनियम, नियम एवं आदेश |
| | अधिनियम |
| 1 | मध्यप्रान्त पशुवध अधिनियम, 1915 |
| 2 | मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 |
| 3 | मध्यप्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम, 1976 |
| 4 | मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास अधिनियम, 1982 |
| 5 | मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 |
| 6 | मध्यप्रान्त पशुरोग अधिनियम, 1934 |
| 7 | मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1950 |
| | नियम |
| 1 | मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड नियम, 2004 |
| 2 | मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2004 |
| | आदेश |
| 1 | चारा नियंत्रण आदेश, 2000 |

## परिशिष्ट - 3.11

(सदंर्भः कण्डिका 3.2.1, पृष्ठ *135*)

पशुपालन विभाग मे क्रियान्वित योजनाओं की सूची

| सरल क्रमांक | केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें |
|---|---|
| 1 | माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम |
| 2 | व्यावसायिक क्षमता विकास (50:50) |
| 3 | महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम (एस्कर्ड) (75:25) |
| 4 | कुक्कुट विकास (80:20) |
| 5 | एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (50:50) |
| | **केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनायें** |
| 1 | पशुसंगणना |
| 2 | चारा विकास एवं बीज वितरण |
| | **राज्य योजनायें** |
| 1. | पशु चिकित्सालय एवं औषधालय का उन्नयन |
| 2. | पशुसंस्थाओं का सुदृढीकरण |
| 3. | जिला एवं संभाग अधोसंरचना का सुदृढीकरण एव लागत (मोबाइल वाहन) |
| 4. | नवीन औषधालय का प्रारंभ |
| 5. | जैविक उत्पादन संस्थान (मॅहू) का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण) |
| 6. | पशु औषधालय एवं रोग जॉच प्रयोगशाला की स्थापना |
| 7. | गौशालाओ को सहायता |
| 8. | प्रेक्षेत्रो का सुदृढीकरण |
| 9. | एएसआर को पशु कल्याण सहायता |
| 10. | नवीन पशु भवनो का निर्माण |
| 11. | बहद्र सूचना एंव प्रचार प्रसार |
| 12. | पुर्नसंरचना का प्रावधान |
| 13. | प्रजनन साड़ों का प्रदाय - गाय (नन्दीशाला) |
| 14. | पशु महाविधालय रीवा का प्रारंभ |
| 15. | पशु कार्यक्रम विस्तार |
| 16. | पशु प्रजनन प्रक्षेत्र केनकेथा की स्थापना |
| 17. | गहन पशु विकास कार्यक्रम |
| 18. | सूचना प्रौघोगिकी |
| 19. | गौसेवक प्रशिक्षण |
| 20. | दुग्ध उत्पादन |
| 21. | पशुधन बीमा योजना |
| 22. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.व्ही.वाई) |
| 23. | आचार्य विघासागर गौसंवर्धन योजना |
| 24. | विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम |
| 25. | अनुदान पर प्रजनन साड़ो का प्रदाय |
| 26. | अनुदान पर दुधारू इकाईयो का प्रदाय (3/5 क्रासब्रीड गाय/गेडेड मुर्रा भैसा) |
| 27. | कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट इकाईयो का वितरण |
| 28. | अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय |
| 29. | अनुदान पर सकूर इकाईयों का प्रदाय |
| 30. | सूकरत्रयी का प्रदाय |
| 31. | अनुदान पर बकरा का प्रदाय |
| 32. | अनुदान पर बकरी इकाईयों का प्रदाय (10+1/20+2) |

**परिशिष्ट - 3.12**

**(सन्दर्भः-कंडिका 3.2.5, पृष्ठ 136)**

**चयनित ईकाइयों की सूची**

| सरल क्रमांक | ईकाइयों का नाम | कार्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | उप संचालक |
| 2. | बैतूल | उप संचालक |
| 3. | भोपाल | संचालनालय(मुख्य नियंत्रण अधिकारी) |
| 4. | भोपाल | उप संचालक, जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (दुग्धसंपदा) भदभदा, भोपाल |
| 5. | छतरपुर | उप संचालक |
| 6. | छिन्दवाड़ा | उप संचालक |
| 7. | छिन्दवाड़ा | प्रबंधक, शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र इमलीखेड़ा |
| 8. | धार | उप संचालक |
| 9. | गुना | उप संचालक |
| 10. | ग्वालियर | संयुक्त संचालक |
| 11. | होशंगाबाद | उप संचालक |
| 12. | इंदौर | संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान इंदौर |
| 13. | इंदौर | उप संचालक |
| 14. | जबलपुर | संयुक्त संचालक |
| 15. | झाबुआ | उप संचालक |
| 16. | खण्डवा | उप संचालक |
| 17. | मंड़ला | उप संचालक |
| 18. | मंड़ला | प्राचार्य, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र |
| 19. | नरसिंहपुर | उप संचालक |
| 20. | रतलाम | उप संचालक |
| 21. | रीवा | संयुक्त संचालक |
| 22. | सागर | संयुक्त संचालक |
| 23. | सागर | उप संचालक |
| 24. | सीहोर | उप संचालक |
| 25. | सिवनी | उप संचालक |
| 26. | शहडोल | उप संचालक |
| 27. | शिवपुरी | उप संचालक |
| 28. | टीकमगढ़ | उप संचालक |
| 29. | उज्जैन | संयुक्त संचालक |
| 30. | उमरिया | उप संचालक |

## परिशिष्ट - 3.13

*(संदर्भ : कण्डिका 3.2.7.1, पृष्ठ 138)*

### बजटीय नियंत्रण के अभाव को दर्शानेवाला विवरण पत्रक

| सरल क्रमांक | वर्ष | मांग संख्या | शीर्ष | योजना का नाम | बजट प्रावधान | अनुपूरक | पुर्नविनियोजन | कुल | व्यय | आधिक्य (+) / बचत (-) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | एक करोड़ से अधिक बचते | | | | | | | | | | |
| 1 | 2007-08 | 14 | 2403-0101-2549 | पशु चिकित्सालय | 52.76 | 0 | -1.47 | 51.29 | 46.66 | -4.63 | 9.03 |
| 2 | 2007-08 | 14 | 2403-0101-5007 | पशु औषधालय | 41.46 | 0 | -2.51 | 38.95 | 33.26 | -5.69 | 14.61 |
| 3 | 2007-08 | 14 | 2403-0101-1108 | गहन पशु विकास परियोजना | 61.18 | 0 | -3.24 | 57.94 | 45.43 | -12.51 | 21.6 |
| 4 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-2549 | पशु चिकित्सालय | 63.77 | 0 | 0 | 63.77 | 54.02 | -9.75 | 15.28 |
| 5 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-5007 | पशु औषधालय | 46.48 | 0 | 0 | 46.48 | 43.6 | -2.88 | 60.2 |
| 6 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-5085 | औषधालयों का उन्नयन | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 1.42 | -1.34 | 48.46 |
| 7 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-6998 | पशु रोगो के लिये टीका द्रव का उत्पादन | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 4.27 | -1.09 | 20.36 |
| 8 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-1108 | गहन पशु विकास परियोजना | 68.23 | 0 | 0 | 68.23 | 53.15 | -15.08 | 22.11 |
| 9 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-6625 | पशु संगणना की योजना | 4.00 | 7.07 | 0 | 11.07 | 6.34 | -4.73 | 42.68 |
| 10 | 2008-09 | 14 | 2403-2567 | पशु प्रक्षेत्र परियोजना | 5.90 | 0 | 0 | 5.90 | 4.42 | -1.48 | 25.09 |
| 11 | 2008-09 | 14 | 2403-0701-3578 | कुक्कुट विकास परियोजना | 6.82 | 0 | 0 | 6.82 | 5.34 | -1.48 | 21.70 |
| 12 | 2008-09 | 14 | 2403-0701-1458 | महत्वपूर्ण पशु रोगो की रोकथाम | 6.79 | 0 | 0 | 6.79 | 4.31 | -2.47 | 36.43 |
| 13 | 2008-09 | 14 | 2403-0101-8703 | दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना | 7.49 | 0 | 0 | 7.49 | 5.06 | -2.43 | 32.46 |
| 14 | 2009-10 | 41 | 2403-0102-9331 | नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना | 6.39 | 0 | 0 | 6.39 | 4.83 | -1.56 | 24.45 |
| 15 | 2009-10 | 14 | 2403-0101-5561 | पशुपालन कार्यक्रमों का विस्तार | 8.81 | 0 | 0 | 8.81 | 6.20 | -2.61 | 29.61 |
| 16 | 2009-10 | 14 | 2403-0801-6625 | पशु संगणना योजना | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0.43 | -3.57 | 89.33 |
| 17 | 2009-10 | 14 | 2403-0701-1458 | महत्वपूर्ण पशु रोगो का चरणबद्व रोकथाम | 6.51 | 0 | 0 | 6.51 | 2.98 | -3.53 | 54.21 |
| 18 | 2009-10 | 14 | 2403-0101-8703 | दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 5.78 | -2.48 | 30.04 |
| (ii) पुर्नविनियोजन के पश्चात अधिक व्यय | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2007-08 | 14 | 2403-0701-3578 | कुक्कुट विकास परियोजना | 5.77 | 0 | -2.65 | 3.12 | 4.46 | 31.34 | -42.94 |
| 2 | 2009-10 | 14 | 2403-0101-1108 | गहन पशु विकास परियोजना | 62.27 | 0 | -0.24 | 62.02 | 63.49 | 31.47 | -2.37 |
| (iii) कुल प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2009-10 | 64 | 2403-0103-1109 | गहन पशु विकास परियोजना | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 7.44 | 31.52 | -25.6 |
| 2 | 2009-10 | 14 | 2403-1468 | जिला एवं संभाग स्तर | 10.17 | 0 | 0 | 10.17 | 11.7 | 31.52 | -14.95 |
| 3 | 2009-10 | 14 | 2403-0101-2549 | पशु चिकित्सालय | 70.54 | 0 | 0 | 70.54 | 71.64 | 31.09 | -1.55 |
| (iv) अनावश्यक प्रावधान | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2009-10 | 14 | 2403-0801-6995 | चारागाह विकास एवं चारा बीज का वितरण | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -2.00 | 100 |
| 2 | 2009-10 | 14 | 2403-1501-6078 | बुन्देलखंड क्षेत्र में पशु धन का विकास | 0 | 10.68 | 0 | 10.68 | 0 | -10.68 | 100 |
| 3 | 2009-10 | 14 | 2403-1503-6078 | बुन्देलखंड क्षेत्र मे पशु धन का विकास | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | -2.67 | 100 |

## परिशिष्ट - 3.14

*(संदर्भः कण्डिका 3.2.7.2, पृष्ठ 139)*

### निधियों का जमा दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| सरंल क्रमांक | योजना का नाम | वर्ष | प्राप्त राशि | 31 मार्च 2010 तक व्यय | 31 मार्च 2010 की स्थिति में शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(अ) संचालनालय में व्यक्तिगत जमा खातो में अव्यतित राशि का विवरण** | | | | |
| 1 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 2007-08 | 5.29 | 5.18 | 0.11 |
| | | 2008-09 | 12.95 | 12.77 | 0.18 |
| | | 2009-10 | 24.21 | 10.16 | 14.05 |
| 2 | चारा विकास | 2007-08 | 1.01 | | |
| | | 2008-09 | 1.10 | 1.19 | 0.92 |
| 3 | बायो सिक्यूरिटी लैब-II का उन्नयन | 2008-09 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| | | **योग** | **44.78** | **29.42** | **15.36** |
| | **(ब) संचालनालय आई.ए.एच.वी.बी.के व्यक्तिगत खातों में अव्यतित शेष** | | | | |
| 1 | प्राकृतिक आपदा राहत | 2005 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 2 | पशुओं की रोकथाम हेतु राज्य को सहायता | 2007 | 0.40 | 0 | 0.40 |
| 3 | पशु चिकित्सालय एवं औषधालय | 2007 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 4 | पशु रोगों की रोकथाम | 2008 | 8.00 | 0 | 8.00 |
| 5 | पशु रोगों की रोकथाम | 2008 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 6 | पशुओं की रोकथाम हेतु राज्य को सहायता | 2008 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | पशुओं की रोकथाम हेतु राज्य को सहायता | 2008 | 0.20 | 0.16 | 0.04 |
| 8 | उपकरणों का आधुनिकरण एवं सुद्ढ़ीकरण | 2008 | 1.13 | 0 | 1.13 |
| 9 | पशुओं की रोकथाम हेतु राज्य को सहायता | 2008 | 0.80 | 0 | 0.80 |
| 10 | टीका द्रव का उत्पादन | 2009 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| | | **योग** | **13.40** | **0.38** | **13.02** |
| | **(स) संचालनालय के सिविल जमा में अव्यतित राशि** | | | | |
| 1 | कुक्कुट विकास | 2007-08 | 2.00 | 0.09 | 1.91 |
| | | **योग** | **2.00** | **0.09** | **1.91** |
| | **कुल योगः अ+ब+स** | | **60.18** | **29.89** | **30.29** |

## परिशिष्ट - 3.15

*(सदर्भः कण्डिका 3.2.8.6, पृष्ठ 147)*

### हितग्राहीमूलक योजना को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

| योजना का नाम | 2007-08 | | | | 2008-09 | | | | 2009-10 | | | | वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 के लक्ष्य (+) जोड़, (-) घटाना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक | | वित्तीय | | भौतिक | | वित्तीय | | भौतिक | | वित्तीय | | |
| | लक्ष्य | उपलब्धि | आवंटन | व्यय | लक्ष्य | उपलब्धि | आवंटन | व्यय | लक्ष्य | उपलब्धि | आवंटन | व्यय | |
| विशेष पशुपालन कार्यक्रम | 3688 | 3085 | 121.4 | 102.07 | 4010 | 3673 | 129.29 | 126.26 | 3340 | 3199 | 118.11 | 114.2 | -16.71 |
| अनुदान पर सांड प्रदाय | 1183 | 935 | 130.2 | 109.53 | 1214 | 1211 | 128.95 | 128.26 | 989 | 989 | 190.35 | 185.66 | -18.53 |
| नन्दीशाला | 1360 | 1013 | 152.5 | 152.5 | 1428 | 1364 | 160 | 153.01 | 1427 | 1366 | 159.82 | 154 | -0.07 |
| अनुदान पर बकरा प्रदाय | 1817 | 1384 | | | 679 | 679 | 21.4 | 21.73 | | | | | 0.00 |
| अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय | | | | | 1409 | 1018 | 135.81 | 106.21 | 1142 | 905 | 115.73 | 94.82 | -18.95 |
| अनुदान पर दुधारू पशुओं का प्रदाय | | | | | 1421 | 1041 | 123.28 | 83.17 | 1073 | 774 | 92.69 | 75.15 | -24.49 |
| गहन कुक्कुट विकास कार्यक्रम (बैकयार्ड) | 20560 | 14122 | 92.86 | 63.55 | 6502 | 6108 | 81.02 | 73.29 | 4272 | 50 | 51.31 | 0.6 | -34.30 |
| सूकरत्रयी विनियम पर प्रदाय | 99 | 98 | 7.57 | 6.92 | 207 | 206 | 11.94 | 11.79 | 237 | 210 | 13.56 | 12.21 | 14.49 |
| अनुदान पर बकरा प्रदाय | 4669 | 4614 | 171.6 | 169.79 | 6124 | 6115 | 196.04 | 195.74 | 6292 | 6292 | 201.96 | 201.52 | 2.74 |
| कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण (शिक्षित स्वरोजगार) | 30 | 16 | 17.6 | 11.88 | 34 | 15 | 11 | 0.58 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 0.00 |
| कड़कनाथ चूजों का अनुदान पर प्रदाय | | | | | 1279 | 1279 | 15.35 | 15.35 | 1605 | 1597 | 19.28 | 19.17 | 25.49 |
| अनुदान पर सांड प्रदाय | | | | | 560 | 549 | 64.05 | 62.39 | | | | | 0.00 |
| विनियम पर सुअरों का प्रदाय | 2708 | 2708 | 74.88 | 74.88 | 2563 | 2537 | 53.32 | 52.52 | 1494 | 1371 | 31.43 | 29.69 | -41.71 |
| | 36114 | 27975 | 768.52 | 691.12 | 27430 | 25795 | 1131.45 | 1030.3 | 21871 | 16753 | 994.24 | 887.09 | |
| | | 77% | | | | 94% | | | | 77% | | | |
| **वर्ष 2007-10 के दौरान कुल आवंटन** | | | | | | | | | | | | | 28.94 करोड़ |
| **वर्ष 2007-10 के दोरान कुल समर्पित राशि** | | | | 77.4 | | | | 101.15 | | | | 107.15 | 2.85 करोड़ |
| **भौतिक लक्ष्य कमशः कम हुये वर्ष 2007-08(36114), 2008-09 (27430), 2009-10(21871), वर्ष 2007-10 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण राशि 285.7 लाख समर्पित हुई ।** | | | | | | | | | | | | | |

## परिशिष्ट - 3.16

*(सदंर्भः कण्डिका 3.2.9.3, पृष्ठ 149)*

**वर्ष 2007-10 के दौरान बिना व्ही.ए.एस/ए.व्ही.एफ.ओ के चल रहे चिकित्सालय एंव पशुऔषधालय को दर्शानेवाला विवरणपत्रक**

| सरल कमांक | जिले का नाम | कार्यालय का नाम | चिकित्सालयो की संख्या जो बिना व्ही.ए.एस के चल रहे है | पशु औषधालय की संख्या जो बिना ए.व्ही.एफ.ओ के चल रहे है | कुल इकाईयॉ जो बिना व्ही.ए.एस/ए.व्ही.एफ.ओ के चल रहे है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बालाघाट | उपसंचालक | 11 | 12 | 23 |
| 2 | छतरपुर | उपसंचालक | 9 | 21 | 30 |
| 3 | छिन्दवाड़ा | उपसंचालक | 3 | 19 | 22 |
| 4 | धार | उपसंचालक | 4 | 4 | 8 |
| 5 | होशंगाबाद | उपसंचालक | 5 | 4 | 9 |
| 6 | खण्ड़वा | उपसंचालक | 8 | 4 | 12 |
| 7 | मण्ड़ला | उपसंचालक | 6 | 6 | 12 |
| 8 | नरसिंहपुर | उपसंचालक | 2 | 25 | 27 |
| 9 | सिवनी | उपसंचालक | 6 | 5 | 11 |
| 10 | शिवपुरी | उपसंचालक | 5 | 32 | 37 |
| 11 | टीकमगढ़ | उपसंचालक | 5 | 9 | 14 |
| | | कुल | **64** | **141** | **205** |

## परिशिष्ट - 3.17

*(संदर्भ : कंडिका 3.2.12.7, पृष्ठ 157)*

**वर्ष 2007-10 के दौरान स्ट्रा के अपव्यय के कारण अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक**

| स.क्र. | जिलो का नाम | कार्यालय का नाम | कुल वितरित स्ट्रा की संख्या | कृत्रिम गर्भाधानो की संख्या | अधिक उपयोग किया गया स्ट्रा | अधिक उपयोग किये गये स्ट्रा का प्रतिशत | अतिरिक्त स्ट्रा की कीमत | द्रव नाइट्रोजन की कुल कीमत | अतिरिक्त स्ट्रा के सरंक्षण मे प्रयुक्त द्रव नाइट्रोजन की कीमत | अपव्यय स्ट्रा की कुल लागत (₹ लाख मे) | एक स्ट्रा को संरक्षित करने के लिये LN2 की लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बालाघाट | उप संचालक | 40055 | 36551 | 3504 | 8.75 | 42048 | 876361 | 99110 | 1.41 | 21.88 |
| 2 | धार | उप संचालक | 97205 | 84155 | 13050 | 13.43 | 139361 | 815592 | 109452 | 2.49 | 8.39 |
| 3 | ग्वालियर | संयुक्त संचालक | 54295 | 48803 | 5492 | 10.12 | 59945 | - | 63267 | 1.23 | 0.00 |
| 4 | होशंगाबाद | उप संचालक | 60530 | 51286 | 9244 | 15.27 | 108739 | 639465 | 97646 | 2.06 | 10.56 |
| 5 | इंदौर | उप संचालक | 156385 | 143803 | 12582 | 8.05 | 139316 | 1414419 | 113816 | 2.53 | 9.04 |
| 6 | खंडवा | उप संचालक | 34935 | 32301 | 2634 | 7.54 | 31608 | 270635 | 22056 | 0.54 | 7.75 |
| 7 | मंडला | उप संचालक | 46530 | 37562 | 8968 | 19.27 | 83850 | 828837 | 156600 | 2.40 | 17.81 |
| 8 | नरसिंहपुर | उप संचालक | 63207 | 55520 | 7687 | 12.16 | 83176 | 952424 | 131815 | 2.15 | 15.07 |
| 9 | रतलाम | उप संचालक | 55107 | 50685 | 4422 | 8.02 | 45646 | 689156 | 73205 | 1.19 | 12.51 |
| 10 | सीहोर | उप संचालक | 58885 | 52837 | 6048 | 10.27 | 62216 | - | 0 | 0.62 | 0.00 |
| 11 | सिवनी | उप संचालक | 86746 | 77016 | 9730 | 11.22 | 111387 | 942272 | 103528 | 2.15 | 10.86 |
| 12 | शहडोल | उप संचालक | 49362 | 41151 | 8211 | 16.63 | 98357 | 645347 | 106372 | 2.05 | 13.07 |
| 13 | टीकमगढ़ | उप संचालक | 55016 | 51529 | 3487 | 6.34 | 42019 | 903292 | 55064 | 0.97 | 16.42 |
| 14 | उज्जैन | संयुक्त संचालक | 87465 | 82446 | 5019 | 5.74 | 45634 | 951012 | 52801 | 0.98 | 10.87 |
| 15 | उमरिया | उप संचालक | 16805 | 13938 | 2867 | 17.06 | 32814 | 232882 | 34320 | 0.67 | 13.86 |
| | | **योग** | **962528** | **859583** | **102945** | | **1126116** | | **1219052** | **23.45** | |